ए.

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.

एएफसीओएनएस गुनानुसा जेवी

(मध्यस्थता याचिका (सिविल) सं. 2022 का 05) अगस्त 30,2022

बी.

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़**,** संजीव खन्ना और सूर्या कांत**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996।11, 31, 31 ए, 38 और 39-चौथी अनुसूची-मध्यस्थ शुल्क-क्या मध्यस्थ (ओं) एकतरफा रूप से अपनी फीस निर्धारित करने के हकदार हैं-क्या मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची में "विवाद में राशि" शब्द का अर्थ है दावे और प्रतिवाद की कुल राशि-क्या मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची की क्रम संख्या 6 में प्रविष्टि में रुपये की अधिकतम सीमा केवल शुल्क की परिवर्तनीय राशि या संपूर्ण शुल्क राशि पर लागू होती है-चाहे रुपये की अधिकतम सीमा मध्यस्थता न्यायाधिकरण को देय संचयी शुल्क के रूप में लागू होती है या यह प्रत्येक मध्यस्थ को देय शुल्क का प्रतिनिधित्व करती है-आयोजितःमध्यस्थों के पास अपने स्वयं के शुल्क का निर्धारण करने वाले बाध्यकारी और प्रवर्तनीय आदेशों को एकतरफा रूप से जारी करने की शक्ति नहीं है-शुल्क का एकतरफा निर्धारण पक्ष की स्वायत्तता के सिद्धांतों और इन रेम सुम निर्णयों के निषेध के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, यानी, मध्यस्थ अपने पारिश्रमिक के संबंध में पक्षों के खिलाफ अपने निजी दावे के न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं-हालाँकि, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास एस के संदर्भ में पक्षों के बीच लागत (मध्यस्थों के शुल्क और खर्चों सहित) को विभाजित करने का विवेकाधिकार है।31(8) और एस।31 ए और एस के अनुसार जमा (लागत पर अग्रिम) की भी मांग करें।38 – यदि लागत या जमा निर्धारित करते समय, मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थों के शुल्क (पक्षों और मध्यस्थों के बीच एक समझौते के अभाव में) से संबंधित कोई निष्कर्ष निकालता है, तो इसे मध्यस्थों के पक्ष में लागू नहीं किया जा सकता है-मध्यस्थ न्यायाधिकरण केवल तभी मध्यस्थता पुरस्कार के वितरण पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग कर सकता है जब उसे भुगतान यू/एस के तहत बकाया रहता है।39(1) – पक्ष मध्यस्थों द्वारा मांगे गए शुल्क की समीक्षा के लिए अदालत से संपर्क कर सकता है यदि उसे लगता है कि शुल्क अनुचित है। 39(2) – मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची में "विवाद में राशि" शब्द एक दावे और

प्रतिवाद में विवाद में राशि को अलग से संदर्भित करता है, और संचयी रूप से नहीं-परिणामस्वरूप, मध्यस्थ ए

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

660

661

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.एएफसीओएनएस गुनानुसा जेवी ए

तदर्थ मध्यस्थता कार्यवाही में दावे और प्रति-दावे के लिए एक अलग शुल्क लेने का हकदार होगा, और चौथी अनुसूची में निहित शुल्क सीमा दोनों पर अलग-अलग लागू होगी, जब चौथी अनुसूची की शुल्क संरचना तदर्थ मध्यस्थता पर लागू की गई है-चौथी अनुसूची के क्रम संख्या 6 में प्रविष्टि में रुपये की अधिकतम सीमा आधार राशि (रुपये 19,87,500) और उसके ऊपर और उससे अधिक परिवर्तनीय राशि के योग पर लागू होती है-परिणामस्वरूप, देय उच्चतम शुल्क रुपये 30,00,000 होगा-यह अधिकतम सीमा प्रत्येक व्यक्तिगत मध्यस्थ पर लागू होती है, न कि समग्र रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर, जहां इसमें तीन या अधिक मध्यस्थ होते हैं-एक एकल मध्यस्थ।

बी.

सी.

मध्यस्थता कानून-मध्यस्थता में लागत और शुल्क की अवधारणाएँ-विशिष्ट।

मध्यस्थता कानून-तदर्थ मध्यस्थता-तदर्थ मध्यस्थता में कार्यवाही को नियंत्रित करने के लिए जारी किए गए निर्देश/दिशानिर्देश।

डी.

तत्काल मध्यस्थता याचिका में, मध्यस्थों की फीस के संबंध में निम्नलिखित मुद्दे विचार के लिए उत्पन्न हुए:(i) क्या मध्यस्थ (ओं) एकतरफा रूप से अपनी फीस निर्धारित करने के हकदार हैं; (ii) क्या मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची में "विवाद में राशि" शब्द का अर्थ है दावे

और प्रतिवाद की राशियों का संचयी कुल; (iii) क्या मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची की क्रम संख्या 6 में प्रविष्टि में रुपये की अधिकतम सीमा केवल शुल्क की परिवर्तनीय राशि या संपूर्ण शुल्क राशि पर लागू होती है; और (iv) क्या रुपये की अधिकतम सीमा मध्यस्थता न्यायाधिकरण को देय संचयी शुल्क के रूप में लागू होती है या यह प्रत्येक मध्यस्थ को देय शुल्क का प्रतिनिधित्व करती है।

ई.

एफ.

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने कहाः

डी. वाई. चंद्रचूड़ के अनुसार, जे. [अपने और सूर्यकांत के लिए, जे.]आर्बिट्रेटर की फीसःकुछ विदेशी क्षेत्राधिकारों की समीक्षा पर, जिन्होंने या तो स्पष्ट रूप से पारिश्रमिक के लिए मध्यस्थों की पात्रता को मान्यता दी है और/या अपने स्वयं के पारिश्रमिक को तय करने की मध्यस्थों की शक्ति के मुद्दे से निपटा है, यह देखा गया है कि हालांकि अधिकार क्षेत्र में अंतर हैं, निम्नलिखित व्यापक सिद्धांत उभरते हैंः**(i)** आम तौर पर, देय शुल्क

जी.

एच.

मध्यस्थ **(**ओं**)** का निर्धारण पक्षों के बीच एक समझौते के माध्यम से किया जाता है **(**जिसके बारे में मध्यस्थ को पता चलता है कि जब वे कार्य करते हैं**)** या मध्यस्थ **(**ओं**)** के साथ पक्षों के एक अलग समझौते के माध्यम से।मध्यस्थ **(**ओं**)** तब इस तरह के संविदात्मक रूप से सहमत शुल्क से बाध्य हो जाते हैं और **(ii)** कुछ मध्यस्थता कानून मध्यस्थ **(**ओं**)** को अपनी शुल्क निर्धारित करने की प्रभावी शक्ति देते हैं, आमतौर पर जब इस विषय पर पक्षों के बीच समझौते का अभाव होता है।हालांकि, शुल्क का ऐसा निर्धारण अदालतों द्वारा समीक्षा के अधीन है जो उचित नहीं होने पर शुल्क को कम कर सकते हैं।इस प्रकार, मध्यस्थों के पास अपने स्वयं के शुल्क निर्धारित करने की पूर्ण या एकतरफा शक्ति नहीं है।पक्ष किसी न किसी रूप में मध्यस्थ **(**ओं**)** की फीस निर्धारित करने में शामिल होते हैं।यह हो सकता हैः**(i)** मध्यस्थता समझौते में सीमा पर शुल्क का निर्धारण**;** या **(ii)** देय शुल्क के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर मध्यस्थों के साथ बातचीत**;** या **(iii)** न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क को अदालत के समक्ष चुनौती देकर।**[**पारस **66** और **67] [720-**सी**-**एफ**]**

बी.

सी.

डी.

1.2 पार्टी की स्वायत्तता मध्यस्थता का एक प्रमुख सिद्धांत है।मध्यस्थता समझौता मध्यस्थता प्रक्रिया की नींव का गठन करता है।मध्यस्थता न्यायाधिकरण को पक्षकारों द्वारा सहमत प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थता का संचालन करने की आवश्यकता होती है।प्रक्रिया संस्थागत नियमों या तदर्थ नियमों या दोनों के संयोजन का पालन निर्धारित कर सकती है।**[**पैरा **68] [721-**बी**]**

ई.

1.3 (i) गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड में इस न्यायालय के निर्णय और पक्ष की स्वायत्तता के मूल सिद्धांत के संदर्भ में**,** चौथी अनुसूची अनिवार्य नहीं है और मध्यस्थ को देय शुल्क या मध्यस्थ शुल्क के निर्धारण के लिए तौर**-**तरीकों को निर्दिष्ट करने के लिए पक्षकारों के लिए अपनी सहमति से खुला है**;** और **(ii)** चूंकि अधिकांश उच्च न्यायालयों ने मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थ शुल्क निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बनाए हैं**,** इसलिए संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अभाव में अदालत द्वारा नियुक्त मध्यस्थों के लिए चौथी अनुसूची अनिवार्य नहीं है।इसके अलावा**,** चौथी अनुसूची अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और मध्यस्थता पर लागू नहीं होती है**,** जहां पक्ष इस बात पर सहमत होते हैं कि शुल्क का निर्धारण मध्यस्थ संस्थानों के नियमों के अनुसार किया जाना है।नियमों को अधिसूचित करने में कई उच्च न्यायालयों की विफलता के कारण ए**.**

एफ.

जी.

एच.

663

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.एएफसीओएनएस गुनानुसा जेवी ए

ऐसी स्थिति जहां धारा **11** में चौथी अनुसूची और उप**-**धारा **(14)** को लागू करने का उद्देश्य निरर्थक हो गया है और न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ पक्षकारों पर एकतरफा और मनमाना शुल्क लगाना जारी रखे हुए हैं।शुल्क का इस तरह का एकतरफा निर्धारण पक्ष की स्वायत्तता के सिद्धांत के खिलाफ है जो मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए केंद्रीय है। इसके अलावा**,** मध्यस्थता अधिनियम के तहत कोई सक्षम प्रावधान नहीं है जो मध्यस्थ **(**ओं**)** को उनके शुल्क के संबंध में एकतरफा रूप से बाध्यकारी या लागू करने योग्य आदेश जारी करने का अधिकार देता है।**[**पैरा **79] [730-**जी**-**एच**; 731-**ए**-**डी**]**

बी.

1.4 (i) मध्यस्थता कार्यवाही शीघ्रता से संचालित की जानी चाहिए**; (ii)** न्यायालय का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए**;** और **(iii)** जब एक या दोनों पक्ष**,** या पक्ष और मध्यस्थ न्यायाधिकरण आम सहमति तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं**,** तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए चौथी अनुसूची में निर्धारित शुल्क लेने के लिए खुला है**,** जो कि आदर्श शुल्क अनुसूची है और इसे सभी के लिए बाध्यकारी माना जा सकता है।नतीजतन**,** जब एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण चौथी अनुसूची के संदर्भ में शुल्क निर्धारित करता है**,** तो पक्षों को शुल्क निर्धारण पर आपत्ति करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।यह डिफ़ॉल्ट शुल्क है**,** जिसे आपसी सहमति से बदला जा सकता है और अन्यथा नहीं।**[**पैरा **105] [754-**बी**-**डी**]** चौथी अनुसूची में "विवाद में सम्म" का हस्तक्षेप

सी.

डी.

ई.

2.1 विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:**(i)** मध्यस्थता अधिनियम दावों और प्रति**-**दावों को समान रूप से मानता है**,** और उन्हें समान प्रक्रियात्मक समयसीमा और आवश्यकताओं के अधीन रखता है**; (ii)** मध्यस्थता अधिनियम मध्यस्थता न्यायाधिकरण को दावों और प्रति**-**दावों के लिए लागत जमा करने को अलग से निर्धारित करने की अनुमति देता है**,** यह मानते हुए कि वे अलग**-**अलग कार्यवाही हैं:**(**क**)** दावे पर न्यायनिर्णयन की कार्यवाही प्रतिदावे पर निर्णय लेने की कार्यवाही से स्वतंत्र है**; (**ख**)** दावे और प्रतिदावे पर न्यायनिर्णयन करते समय न्यायाधिकरण के समक्ष अलग**-**अलग मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं**; (**ग**)** दावे के समर्थन में साक्ष्य उस सामग्री का निष्पादन नहीं हो सकता है जिस पर प्रतिदावे का निर्णय करने के लिए भरोसा किया जाएगा**;** और **(**घ**)** दावे पर निर्णय आवश्यक रूप से प्रतिदावे के न्यायनिर्णयन को समाप्त नहीं करता है**;** और **(iii)** मध्यस्थता अधिनियम दावों और प्रतिदावे को स्वतंत्र कार्यवाही मानता है क्योंकि उत्तरार्द्ध पूर्व पर आकस्मिक नहीं है।बल्कि**,** यह किसी भी प्रतिवादी के अधिकार की रक्षा करता है।

एफ.

जी.

एच.

मध्यस्थता कार्यवाही में प्रति**-**दावा करने के लिए**,** बशर्ते कि यह विवाद के तहत मध्यस्थता समझौते से उत्पन्न हो।इसके अलावा**,** दावे या प्रति**-**दावे के लिए जमा के भुगतान में चूक की स्थिति में**,** यह विशेष रूप से नोट करता है कि कार्यवाही केवल दावे के संबंध में**,** या जैसा भी

मामला हो, प्रति-दावे के संबंध में समाप्त की जाएगी, जिसके संबंध में चूक हुई है; **(iv)** हालांकि एक प्रति-दावा दावे के समान तथ्यों से उत्पन्न हो सकता है, प्रति-दावा एक सेट ऑफ नहीं है और दावे के बचाव की प्रकृति में नहीं है; और **(v)** एक प्रति-दावा स्वतंत्र निर्णय के लिए जीवित रहेगा, भले ही दावा खारिज या वापस ले लिया गया हो और दावे का प्रतिवादी दावे की खोज या निर्णय की परवाह किए बिना अपने प्रति-दावे को आगे बढ़ाने का हकदार होगा।**[**पैरा **117] [760-**सी-एच**; 761-**ए**]**

बी.

सी.

2.2 मध्यस्थता अधिनियम और सी**.** पी**.** सी**.** के वैधानिक ढांचे, संबंधित शैक्षणिक विमर्श और न्यायिक घोषणाओं के विश्लेषण पर, निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं:**(i)** दावे और प्रति-दावे स्वतंत्र और विशिष्ट कार्यवाही हैं; **(ii)** एक प्रति-दावा किसी दावे का बचाव नहीं है और इसका परिणाम दावे के परिणाम पर आकस्मिक नहीं है; **(iii)** प्रति-दावे स्वतंत्र दावे हैं जिन्हें अलग-अलग कार्यवाही में उठाया जा सकता था, लेकिन कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए दावे के रूप में उसी कार्यवाही में उठाए जाने की अनुमति है; और **(iv)** मूल दावे के संबंध में कार्यवाही को खारिज करने से प्रति-दावे के संबंध में कार्यवाही प्रभावित नहीं होती है। **[**पैरा **135] [770-**ए-डी**]**

डी.

ई.

2.3 मध्यस्थता अधिनियम की धारा **31 (8),** धारा **31** ए और धारा **38 (1)** के संयुक्त अध्ययन पर, यह स्पष्ट है कि:**(i)** मध्यस्थता कार्यवाही में दावे और प्रति-दावे के लिए अलग-अलग जमा किए जाने हैं; और **(ii)** ये जमा मध्यस्थता की लागत के संबंध में हैं, जिसमें मध्यस्थों का शुल्क शामिल है।इसलिए, प्रथम दृष्टया, चौथी अनुसूची के तहत शुल्क के निर्धारण की गणना भी दावे और प्रति-दावे के लिए अलग से की जानी चाहिए-यानी, "विवाद में राशि" शब्द दावे और प्रति-दावे के लिए स्वतंत्र दावे की राशि को संदर्भित करता है।इस तरह की व्याख्या का समर्थन दावे और प्रति-दावे की परिभाषा द्वारा भी किया जाता है, और इस तथ्य से कि बाद वाली कार्यवाही पूर्व से स्वतंत्र और अलग होती है।**[**पैरा **136]** ए

एफ.

जी.

एच.

चौथी अनुसूची में शुल्क की सीलिंग

3. भारत के विधि आयोग **(**एल**.** सी**.** आई**.)** की **246** वीं रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि चौथी अनुसूची को लागू करने के पीछे विधायी उद्देश्य तदर्थ मध्यस्थता में अपनी सेवाएं लेने वाले पक्षों से अत्यधिक शुल्क लेने वाले मध्यस्थों की प्रथा को समाप्त करना था।नतीजतन**,** जब चौथी अनुसूची में शुल्क की सीमा रुपये **30,00,000** या रुपये **49,87,500** निर्धारित करने का विकल्प है**,** तो कम राशि का चयन करना उचित होगा क्योंकि यह विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए होगा।**2015** का मध्यस्थता संशोधन अधिनियम स्पष्ट रूप से इस मुद्दे पर एल**.** सी**.** आई**.** की **246** वीं रिपोर्ट की सिफारिश को प्रभावी बनाने के इरादे से अधिनियमित किया गया था।इस प्रकार**,** चौथी अनुसूची के क्रम संख्या **6** में प्रविष्टि में रुपये **30,00,000** की सीमा केवल परिवर्तनीय राशि पर ही नहीं**,** बल्कि आधार राशि और परिवर्तनीय राशि के योग पर भी लागू होती है।**[**पैरा **155] [782-**ए**-**सी**]**

बी.

सी.

व्यक्तिगत अधिकारियों को लागू करना **4.**यह निवेदन कि चौथी अनुसूची के क्रम संख्या **6** में प्रविष्टि में निर्धारित रुपये **30,00,000** की सीमा पूरे मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भुगतान किए गए संचयी शुल्क पर लागू होगी**,** यानी तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण में**,** और प्रत्येक व्यक्तिगत मध्यस्थ को रुपये **10,00,000** का शुल्क प्राप्त होगा**,** गलत है**,** और इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।पहला**,** चौथी अनुसूची की भाषा में ऐसी व्याख्या का समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं है।तीसरे कॉलम के हेडर में "मॉडल शुल्क" लिखा है और इसे डब्ल्यू होल ट्रिब्यूनल के संबंध में निर्दिष्ट नहीं किया गया है।दूसरा**,** यदि इस तरह की व्याख्या को अपनाया जाता है**,** तो इसके बेतुके परिणाम होंगे।उदाहरण के लिए**,** एक मध्यस्थता में जहां विवाद की राशि रुपये की अधिकतम सीमा को लागू करने के लिए पर्याप्त है और इसका निर्णय तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना था**,** अधिकतम शुल्क को तीन मध्यस्थों के बीच विभाजित करना होगा।दूसरी ओर**,** यदि एक ही विवाद का निर्णय एकमात्र मध्यस्थ द्वारा किया जाता है**,** तो एकमात्र मध्यस्थ को अधिकतम शुल्क की पूरी राशि प्राप्त होगी**,** यानी प्रत्येक व्यक्तिगत मध्यस्थ को तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण में प्राप्त होने वाली राशि का तीन गुना।इस तरह की असमानता अकल्पनीय है**,** भले ही एक एकल मध्यस्थ को अतिरिक्त काम करना पड़े। इसे चौथी अनुसूची के नोट द्वारा और बल दिया गया है**,** जिसमें कहा गया है कि **"[i]** यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण एकमात्र मध्यस्थ है**,** तो वह हकदार होगा।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

उपरोक्त के अनुसार देय शुल्क पर पँचिश प्रतिशत की अतिरिक्त राशि।नतीजतन, एकमात्र मध्यस्थ को न केवल **30,00,000** रुपये मिलेंगे, बल्कि इसके अलावा **25** प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी मिलेगी।वास्तव में, यह स्पष्ट है कि नोट को चौथी अनुसूची में एकमात्र मध्यस्थों को उचित रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए जोड़ा गया था, जिन्हें यकीनन एक बड़े न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में अधिक काम करना होगा; यही कारण है कि उन्हें चौथी अनुसूची में दी गई तालिका के अनुसार भुगतान किए जाने वाले शुल्क के **25** प्रतिशत से अधिक का भुगतान करने की अनुमति है।इसका परिणाम यह है कि चौथी अनुसूची में प्रदान किया गया शुल्क प्रत्येक व्यक्तिगत मध्यस्थ के लिए है, चाहे वे बहु-सदस्य न्यायाधिकरण के सदस्य हों या एकमात्र मध्यस्थ।अंत में, चौथी अनुसूची की यह व्याख्या, कि उसमें प्रदान किया गया शुल्क प्रत्येक व्यक्तिगत मध्यस्थ के लिए लागू होता है न कि पूरे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए, अटॉर्नी जनरल द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उचित रूप से स्वीकार किया गया है।**[**पैरा **157] [782-**ई-एच; **783-**ए-बी**]** निष्कर्ष

बी.

सी.

डी.

5. (i) मध्यस्थों के पास एकतरफा रूप से अपने स्वयं के शुल्क निर्धारित करने वाले बाध्यकारी और लागू करने योग्य आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है।शुल्क का एकतरफा निर्धारण पक्ष की स्वायत्तता के सिद्धांतों और इन रेम सुम निर्णयों के निषेध के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, यानी मध्यस्थ अपने पारिश्रमिक के संबंध में पक्षों के खिलाफ अपने निजी दावे के न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं।हालांकि, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास मध्यस्थता अधिनियम की धारा **31 (8)** और धारा **31** ए के संदर्भ में पक्षों के बीच लागत **(**मध्यस्थों के शुल्क और खर्चों सहित**)** को विभाजित करने का विवेकाधिकार है और मध्यस्थता अधिनियम की धारा **38** के अनुसार जमा **(**लागत पर अग्रिम**)** की भी मांग करता है। यदि लागत या जमा निर्धारित करते समय, मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थों के शुल्क **(**पक्षों और मध्यस्थों के बीच समझौते के अभाव में**)** से संबंधित कोई निष्कर्ष निकालता है, तो इसे मध्यस्थों के पक्ष में लागू नहीं किया जा सकता है।मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता पुरस्कार के वितरण पर केवल तभी ग्रहणाधिकार का प्रयोग कर सकता है जब धारा **39 (1)** के तहत उसे भुगतान बकाया रहता है।पक्ष मध्यस्थों द्वारा मांगी गई फीस की समीक्षा के लिए अदालत से संपर्क कर सकता है यदि उसे लगता है कि धारा **39 (2)** के तहत फीस अनुचित है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

667

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.एएफसीओएनएस गुनानुसा जेवी ए

((ii) चूंकि इस निर्णय में कहा गया है कि पक्षकारों और मध्यस्थों के बीच अनावश्यक मुकदमेबाजी और बाद के स्तर पर टकराव से बचने के लिए मध्यस्थों की फीस शुरुआत में ही तय की जानी चाहिए**,** इसलिए इस न्यायालय ने तदर्थ मध्यस्थता में कार्यवाही को नियंत्रित करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं।

(iii) मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची में "विवाद में राशि" शब्द किसी दावे और प्रति**-**दावे में विवाद में राशि को अलग से संदर्भित करता है**,** न कि संचयी रूप से।नतीजतन**,** मध्यस्थ एक तदर्थ मध्यस्थता कार्यवाही में दावे और प्रति**-**दावे के लिए एक अलग शुल्क लेने के हकदार होंगे**,** और चौथी अनुसूची में निहित शुल्क सीमा दोनों पर अलग**-**अलग लागू होगी**,** जब चौथी अनुसूची की शुल्क संरचना को तदर्थ मध्यस्थता पर लागू किया गया है।

बी.

सी.

(iv) चौथी अनुसूची के क्रम संख्या **6** में प्रविष्टि में रुपये **30,00,000** की अधिकतम सीमा आधार राशि **(**रुपये **19,87,500)** और उसके ऊपर की परिवर्तनीय राशि के योग पर लागू होती है।नतीजतन**,** देय उच्चतम शुल्क रुपये **30,00,000** होगा**;** और **(v)** यह सीमा प्रत्येक व्यक्तिगत मध्यस्थ पर लागू होती है**,** न कि समग्र रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर**,** जहां इसमें तीन या अधिक मध्यस्थ होते हैं।बेशक**,** एकमात्र मध्यस्थ को चौथी अनुसूची के नोट के अनुसार इस राशि के अलावा **25** प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।**[**पैरा **158] [783-**सी**-**एफ**; 784-**ए**-**ई**]**

डी.

ई.

भारत एल्यूमीनियम कं. बनामकैसर एल्यूमीनियम तकनीकी

सेवाएं (2016) 4 एस. सी. सी. 126:[2016] 1 एससीआर 364; तांबा

लिमिटेड सेंट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल इंक. बनामहिन्दुस्तान

(2017) 2 एससीसी 228:[2016] 9 एस. सी. आर. 83; सलेम अधिवक्ता

एफ.

बार एसोसिएशन। **(II)** बनाम भारत संघ **(2005) 6** एस**.** सी**.** सी**. 344:**

[2005] 1 पूरक।एस. सी. आर. 929; इंडियन ऑयल कार्पोरेशन।लिमिटेड वी.अमृतसर गैस सेवा (1991) 1 एस. सी. सी. 533:[1990] 3

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 196;** नित्यानंद शर्मा बनाम बिहार राज्य

(1996) 3 एससीसी 576:[1996] 2 एससीआर 1; अश्विनी कुमार

घोष बनाम अरविंद बोस 1953 एस. सी. आर. 1 और इंदौर विकास प्राधिकरण (एल. ए. पी. एस. ई.-5 जे.) बनाम मनोहरलाल

जी.

(2020) 8 एससीसी **129:[2020] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1-**अनुसरण किया गया।

संजीव कुमार जैन बनाम आरएस चैरिटेबल ट्रस्ट **(2012) 1**

एससीसी 455:[2011] 12 एस. सी. आर. 744; वोएस्टाल्पाइन शियनन

एच.

668 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 10 एस. सी. आर.

जीएमबीएच बनाम दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन।लिमिटेड **(2017) 4** एससीसी

665 :[2017] 1 एस. सी. आर. 798; गोवा राज्य बनाम प्रवीण एंटरप्राइजेज (2012) 12 एस. सी. सी. 581:[2011] 10 एससीआर 1026;

जग मोहन चावला बनाम डेरा राधा स्वामी सतसंग

(1996) 4 एससीसी 699:[1996] 2 पूरक।एस. सी. आर. 509; अफाली

फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाममहाराष्ट्र राज्य **(1989) 4**

बी.

एससीसी 378:[1989] 1 पूरक।एस. सी. आर. 129; मो.शब्बीर बनाम महाराष्ट्र राज्य (1979) 1 एससीसी 568:[1979] 2

एससीआर **997;** मिथलेश कुमारी बनाम प्रेम बिहारी खरे **(1989)**

2 एससीसी **95:[1989] 1** एस**.** सी**.** आर**. 621-**पर निर्भर था।

असम राज्य बुनाई और विनिर्माण कंपनी लिमिटेड बनामविन्नी इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज (पी) लिमिटेड ए. आई. आर. 2010 कैल

सी.

52- स्वीकृत किया गया।

एन**.** एच**.** ए**.** आई**.** बनाम गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड **(2020) 17** एस**.** सी**.** सी**. 626;** भारत संघ बनाम**.**सिंह बिल्डर्स **(2009) 4** एससीसी **523:[2009] 3** एससीआर **563;** दत्तात्रेय गोविंद महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य **(1977) 2** एससीसी **54;** संजीव कुमार जैन बनाम रघुबीर सरन चैरिटेबल ट्रस्ट और

डी.

ओआरएस। (2012) 1 एससीसी 455:[2011] 12 एससीआर 744; त्रिवेणी

शंकर सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। **1992** पूरक।**1**

एससीसी 524:[1991] 3 पूरक।एस. सी. आर. 534; वोल्टास लिमिटेड बनाम.रोल्टा इंडिया लिमिटेड (2014) 4 एस. सी. सी. 516:[2014] 2 एससीआर 797; रजनी रानी बनाम खैराती लाल (2015) 2 एससीसी 682:[2014]

ई.

10 एससीआर **971;** थॉमस मैथ्यू बनाम के**.** एल**.** डी**.** सी**.** लिमिटेड **(2018) 12**

एस**.** सी**.** सी**. 560-**संदर्भित।

गैमन इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनामएनएचएआई

2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 10183 और एन. एच. ए. आई. बनाम गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 10285-संदर्भित।

एफ.

के**.** एस**.** नोरजार्ल ए**.** एस**.** बनाम हुंडई हैवी इंडस।कं**., [1992] 1** क्यू**.** बी**. 863,884;** कम्पैग्नी यूरोपिन डी सेरियल्स एसए

v. ट्रेडैक्स एक्सपो। एसए [1986] 2 लॉयड के प्रतिनिधि 301 (क्यूबी);

जी.

जीवराज बनाम हाशवानी [2011] यूकेएससी 40; टेलर बनाम कैरिबू

102 मी 401:67 ए 2 (1907); हुसमैन (यूरोप) लिमिटेड

बनाम अल अमीन विकास और व्यापार, [2000] 2 लॉयड्स

प्रतिनिधि **83** क्वीन्स बेंच डिवीजन **(**वाणिज्यिक न्यायालय**)-**संदर्भित।

एच.

669

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.एएफसीओएनएस गुनानुसा जेवी ए

ए.

पी**.** सेंट जे**.** लैंगन**,** मैक्सवेल ने क़ानूनों की व्याख्या पर

(एन**.** एम**.** त्रिपाठी प्राइवेट लिमिटेड**, 1976** डेविड सेंट जॉन सटन**,** जूडिथ गिल और मैथ्यू गियरिंग**);** रसेल ऑन आर्बिट्रेशन **(24** वां संस्करण**, 2015) (**"रसेल ऑन आर्बिट्रेशन"**);** गैरी बी**.** बोर्न**,** इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन **(**दूसरा संस्करण**, 2014)** लुकास ए मिस्टेलिस **(**संस्करण**),**

बी.

संक्षिप्त अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता **(**दूसरा संस्करण**, 2015)**

अध्याय 23 ("मध्यस्थता पर मिस्टेलिस"); हैल्सबरी का

भारत के कानून **(**सिविल प्रक्रिया**) (**दूसरा संपादन**);** सिविल प्रक्रिया पर जुकरमैन **(**स्वीट और मैक्सवेल**,**

4 संस्करण**)** न्यायमूर्ति जी**.** पी**.** सिंह**,** सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत **(14** वां संस्करण**,** लेक्सिस नेक्सिस**);** डिगगोरी

सी.

बेली और ल्यूक नॉर्बरी, बेनिओन ऑन स्टैच्युटरी

व्याख्या (7 वाँ संस्करण, लेक्सिस नेक्सिस)-संदर्भित।संजीव खन्ना के अनुसार, जे.

पकड़नाः**1.1.**जबकि मैं डी**.** वाई**.** द्वारा व्यक्त किए गए विचार से पूरी तरह सहमत हूं। न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि**-(**ए**)** पक्ष की स्वायत्तता और मध्यस्थता समझौता मध्यस्थता प्रक्रिया की नींव है**,** और इसलिए**,** जब पक्ष मध्यस्थता न्यायाधिकरण को देय शुल्क निर्धारित करते हैं**,** तो कानून मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अवमूल्यन करने और अतिरिक्त या अधिक शुल्क मांगने की अनुमति नहीं देता है**; (**बी**)** जहां अदालत एक मध्यस्थ की नियुक्ति करते समय शुल्क निर्धारित करती है**,** मध्यस्थता न्यायाधिकरण पूरक या अधिक शुल्क नहीं मांग सकता है**;** और **(**सी**)** दोनों मामलों में**,** मध्यस्थता न्यायाधिकरण को देय शुल्क को पक्षों के बीच लिखित समझौते द्वारा या अदालत के आदेश द्वारा बढ़ाया जा सकता है।हालांकि**,** मैं इस

बात से सहमत होने में असमर्थ हूं कि पक्षों, या पक्षों और मध्यस्थता न्यायाधिकरण के बीच किसी समझौते के अभाव में, या शुल्क तय करने वाले अदालत के आदेश के अभाव में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण शुल्क तय करने का हकदार नहीं है, क्योंकि मेरी राय है कि अनुबंध की निहित शर्तों और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996** के प्रावधानों के अनुसार, एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण एक उचित शुल्क तय कर सकता है, जिसे एक पीड़ित पक्ष, जो लिखित समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ए एंड सी अधिनियम की धारा **39** की उप-धारा **(3)** के तहत सवाल कर सकता है, या यदि मध्यस्थता न्यायाधिकरण उप-धारा **(2)** के संदर्भ में पुरस्कार पर ग्रहणाधिकार का दावा करता है। साथ ही, मैं सम्मानपूर्वक डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. से सहमत हूँ कि जब एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण, सहमति के अभाव में भी

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

पक्षकारों में से, चौथी अनुसूची के संदर्भ में शुल्क निर्धारित करते हैं, पक्षकारों को शुल्क निर्धारण पर आपत्ति करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।चौथी अनुसूची डिफ़ॉल्ट शुल्क है, जिसे विधायिका द्वारा उचित और उचित घोषित किया गया है, जिसे आपसी सहमति से बदला जा सकता है, अन्यथा नहीं।इसके अलावा, **30** अगस्त **2019** को **2019** के अधिनियम **33** के माध्यम से मध्यस्थता संशोधन अधिनियम, **2019** को लागू करने और धारा **11** में उप-धारा **(3** ए**)** को शामिल करने के बाद, उप-धारा के प्रावधान में कहा गया है कि चौथी अनुसूची में निर्धारित शुल्क अनिवार्य है और तदर्थ मध्यस्थता सहित सभी मध्यस्थताओं पर लागू होता है, भले ही संस्थागत मध्यस्थता के मामले में, ए एंड सी अधिनियम की धारा **11** की उप-धारा **(14)** के अनुसार, संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क "चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अधीन" देय होगा।**[**पैरा **2] [786-**एफ-एच**; 787-**ए-डी**]**

बी.

सी.

1.2.चौथी अनुसूची की व्याख्या पर, मैं डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा क्रम संख्या **6** की व्याख्या पर व्यक्त किए गए विचार से सम्मानपूर्वक सहमत हूं और यह कि निर्धारित शुल्क मध्यस्थता न्यायाधिकरण के प्रत्येक सदस्य के लिए है, जिसमें एकल/एकल सदस्य मध्यस्थता

न्यायाधिकरण के मामले में पच्चीस प्रतिशत की अतिरिक्त राशि का प्रावधान है।फिर भी, इन पहलुओं पर मैं एक अलग तर्क देना चाहूंगा, साथ ही चौथी अनुसूची में विसंगतियों को भी इंगित करना चाहूंगा।हालाँकि, मेरी राय में, "विवाद में राशि" अभिव्यक्ति का अर्थ है दावों और जवाबी दावों दोनों का योग।**[**पैरा **3] [787-**ई**-**एफ**]**

डी.

ई.

2. धारा **31** की उप**-**धारा **(8),** जैसा कि मूल रूप से **2016** के अधिनियम संख्या **3** द्वारा इसके प्रतिस्थापन से पहले अधिनियमित किया गया था, ने निर्धारित किया था कि जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं हो जाती, तब तक मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता की लागत तय करेगा।इस धारा के स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि उप**-**धारा के प्रयोजन के लिए 'व्यय' पद का अर्थ मध्यस्थ और गवाहों के व्यय से संबंधित उचित व्यय है।उप**-**धारा में इस बात पर जोर दिया गया कि पक्षों के बीच समझौता सर्वोपरि और बाध्यकारी है।मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता की लागत तय करने का हकदार है, जिसमें मध्यस्थ का शुल्क और खर्च शामिल हैं, यदि पक्षकारों के बीच समझौता मध्यस्थता न्यायाधिकरण को देय शुल्क के बारे में शब्दहीन और मौन है।यह तर्क दिया जाता है कि 'लागत' शब्द मध्यस्थ के शुल्क से अलग है और इसलिए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ए के सिद्धांत पर अपना शुल्क तय करने के लिए सक्षम या अधिकृत नहीं है।

एफ.

जी.

एच.

671

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.एएफसीओएनएस गुनानुसा जेवी ए

कोसा सुआ में निमो जूडेक्स, अर्थात, 'किसी को भी अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए'।यह सिद्धांत वहां लागू होगा जहां पक्षों ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण को देय शुल्क निर्धारित किया है, या तो मध्यस्थता समझौते में एक अवधि के रूप में या अन्यथा मध्यस्थता न्यायाधिकरण की नियुक्ति से पहले या बाद में एक समझौते द्वारा।यह सिद्धांत समान रूप से लागू होगा जहां अदालत नियुक्ति की अवधि के रूप में शुल्क निर्धारित करती है।हालाँकि, इस सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा जहाँ पक्षों या अदालत ने इसे अपना शुल्क तय करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया है।दूसरे शब्दों में, जब मध्यस्थता समझौता मौन रहता है और पक्ष मध्यस्थता न्यायाधिकरण को देय शुल्क की मात्रा पर सहमत नहीं होते हैं, या अदालत का आदेश शुल्क तय नहीं करता है, तो मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अपना शुल्क

तय करने का अधिकार और शक्ति होती है।[पारस **15** और **23] [797-**डी-ई**; 798-**ए-बी**; 805-**डी-एफ**]3.** कानूनी स्थिति को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत करना उचित होगाः

बी.

सी.

(क**)** मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता समझौते में पक्षों द्वारा निर्धारित शुल्क या पारिश्रमिक**,** या आपसी सहमति से**,** चाहे विवाद उत्पन्न होने से पहले या बाद में**,** बाध्य है।**(**ख**)** जहां न्यायालय विवादों को मध्यस्थता न्यायाधिकरण को संदर्भित करता है**,** मध्यस्थता न्यायाधिकरण को देय शुल्क निर्धारित करने वाले पक्षों के बीच किसी समझौते के अभाव में**,** उसे इस प्रकार देय शुल्क तय करना चाहिए।न्यायालय द्वारा निर्धारित शुल्क मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर बाध्यकारी है।**(**ग**)** यह वांछनीय है कि पक्षकारों/न्यायालय को एक मध्यस्थ को नामित/नियुक्त करने से पहले संभावित मध्यस्थों से शुल्क संरचना का पता लगाना चाहिए। **(**घ**)** मध्यस्थता न्यायाधिकरण के शुल्क को निर्धारित करने वाले लिखित समझौते या अदालत के आदेश के अभाव में**,** मध्यस्थता न्यायाधिकरण 'उचित और उचित शुल्क' का हकदार है**,** जो पारदर्शी तरीके से और पक्षों के परामर्श से किया जाना चाहिए।यह अभ्यास प्रारंभिक/प्रारंभिक चरण में किया जाना चाहिए।हालांकि**,** सर्वसम्मति की कमी**,** एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को 'उचित और उचित शुल्क' तय करने से नहीं रोकेगी।एक पीड़ित पक्ष ए एंड सी अधिनियम की धारा **39** के संदर्भ में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क पर सवाल उठाने का हकदार होगा। एक चुनौती उठाए जाने पर**,** अदालत ऊपर बताए गए कारकों के संदर्भ में और विशेष रूप से ए एंड सी अधिनियम की चौथी अनुसूची के संदर्भ में शुल्क की तर्कसंगतता के सवाल की जांच करेगी। चौथी अनुसूची या संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा उल्लिखित शुल्क संरचना को स्वयं माना जाएगा और 'उचित और उचित' माना जाएगा।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

उचित शुल्क '।**(**ई**)** एक बार निर्धारित शुल्क को सभी पक्षों की सहमति या अदालत के आदेश के अलावा बढ़ाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है।**(**च**) 2019** के अधिनियम संख्या **33** के अधिनियमन और प्रवर्तन के बाद**,** और ए एंड सी अधिनियम की धारा **11** की उप-धारा **(3** ए**)** के पहले परंतुक के संदर्भ में**,** मध्यस्थ न्यायाधिकरण चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर

शुल्क का हकदार है।नतीजतन, मध्यस्थ न्यायाधिकरण विचलित होने और अधिक शुल्क तय करने का हकदार नहीं है।इसी तरह, मध्यस्थ संस्थान, धारा **11 (14)** के संदर्भ में, चौथी अनुसूची में उल्लिखित शुल्क संरचना का पालन करने के लिए बाध्य हैं।हालाँकि, धारा **11** की उप-धाराएँ **(3** ए**)** और **(14)** तदर्थ मध्यस्थता न्यायाधिकरण या मध्यस्थता संस्थान को मध्यस्थता शुल्क लेने से नहीं रोकती हैं या प्रतिबंधित नहीं करती हैं जो चौथी अनुसूची में निर्धारित शुल्क से कम या कम है।धारा **11** की उप-धाराएँ **(3** ए**)** और **(14)** पक्षकारों और मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए बाध्यकारी हैं।**[**पैरा **35] [814-**जी-एच**; 815-**ए-एच**]**

बी.

सी.

4. मध्यस्थता की उच्च लागत वादियों द्वारा न्यायालय के मुकदमे के विकल्प के रूप में मध्यस्थता को स्वीकार करने में अनिच्छा के प्रमुख कारणों में से एक है।न्याय वितरण की एक प्रक्रिया के रूप में मध्यस्थता, चरित्र में असंवैधानिक है, जब तक कि यह किफायती और मुकदमेबाजी के लिए कम लागत वाला विकल्प नहीं है, तब तक यह अनाकर्षक रहेगा।यह सामान्य रूप से ए एंड सी अधिनियम और धारा **2 (1) (**डी**), 2 (9), 7,8,9,11,17** और **23** के प्रावधानों की योजना का उद्देश्य होने के कारण, यह अभिनिर्धारित करना उचित होगा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण, जैसा कि सांविधिक रूप से कल्पना की गई है, अनुबंध से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों की जांच और न्यायनिर्णयन करना है और इसलिए, चौथी अनुसूची "विवाद में राशि" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है।दावा और प्रति-दावे के लिए अलग शुल्क की कल्पना करने वाली कोई भी विपरीत व्याख्या, जो, यह स्पष्ट है, मध्यस्थता की लागत को काफी बढ़ा देगी, और वादियों को मध्यस्थता का सहारा लेने से रोक देगी।"विवाद में राशि" शीर्षक का अर्थ होगा बिना किसी विभाजन के विवाद में सभी राशियों का योग और दावे **(**ओं**)** की राशि विषय वस्तु और प्रति-दावे **(**ओं**)** की राशि विषय वस्तु के संदर्भ में शुल्क अनुसूची का अलग से आवेदन।उपरोक्त उक्ति उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां एक व्यापक मध्यस्थता खंड है, जो विभिन्न/विशिष्ट अनुबंधों पर लागू होता है, इस मामले में प्रत्येक अनुबंध को एक अलग मध्यस्थता कार्यवाही के रूप में माना जाएगा, अर्थात उस अनुबंध से संबंधित दावा, प्रति-दावा और सेट-ऑफ।**[**पारस **46,47** और **48] [822-**ए-सी, एफ-जी**; 823-**ए**]** ए

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

5. चौथी अनुसूची के तीसरे कॉलम में उल्लिखित आदर्श शुल्क मध्यस्थता न्यायाधिकरण के प्रत्येक सदस्य को देय शुल्क होगा और ऐसे मामलों में जहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण में एकमात्र मध्यस्थ होता है**,** वह आदर्श शुल्क में निर्दिष्ट राशि से **25** प्रतिशत अधिक की अतिरिक्त राशि का हकदार होगा।यह स्पष्ट है कि चौथी अनुसूची की शुरुआत के बाद से कई मध्यस्थ न्यायाधिकरणों द्वारा इस व्याख्या को स्वीकार किया गया है और इसका पालन किया गया है।इस व्याख्या को स्वीकृति मिली है।इसकी अलग तरह से व्याख्या करने से भ्रम और अराजकता पैदा होगी जिससे बचा जाना चाहिए**,** भले ही दूसरी व्याख्या प्रशंसनीय हो।हालांकि**,** उपरोक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए**,** चौथी अनुसूची में संशोधन और संयम की आवश्यकता है।उदाहरण के लिए**,** जहां विवाद की राशि रु**. 5,00,000-**है**,** एकमात्र मध्यस्थ के मामले में**,** उसे देय राशि **Rs.56,250/-,** यानी **Rs.45,000/-** के साथ**-**साथ **Rs.45,000/-** का **25** प्रतिशत **(Rs.11,250)** होगी।तीन मध्यस्थों के मध्यस्थता न्यायाधिकरण के मामले में**,** देय शुल्क रु**. 1,50,000-**होगा।यह शुल्क बहुत अधिक है और अधिकांश वादियों के लिए अस्वीकार्य होगा क्योंकि वे एकमात्र मध्यस्थ के मामले में लगभग **11** प्रतिशत और तीन सदस्यों वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के मामले में लगभग **30** प्रतिशत का न्यूनतम मध्यस्थता शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।**[**पारस **53** और **54] [825-**बी**-**ई**]**

बी.

सी.

डी.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम गायत्री झांसी

ई.

रोडवेज लिमिटेड (2020) 17 एस. सी. सी. 626-पर निर्भर था।

एफाली फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाममहाराष्ट्र राज्य और

ओआरएस। (1989) 4 एससीसी 378:[1989] 1 पूरक।एस. सी. आर. 129-लागू नहीं होता है।

एफ.

भारत संघ बनाम सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट (2009) 4

एससीसी 523:[2009] 3 एस. सी. आर. 563; संजीव कुमार जैन बनाम

रघुबीर सरन चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य।(2012) 1

एससीसी 455:[2011] 12 एस. सी. आर. 744; उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड बनाम.प्राणनाथ (1997) 3 एस. सी. सी. 535-संदर्भित।

जी.

के/एस नॉरजारल ए/एस बनाम हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड

(1991) 3 सभी ईआर **211** का उल्लेख किया गया है।

जूलियन डी**.** एम**.** ल्यू**,** लुकास ए**.** मिस्टेलिस और अन्य

अल।, तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता,

एच.

‘अध्याय **12** मध्यस्थों के अधिकार और कर्तव्य

मध्यस्थता पर दलों का रसेल **(24** वां संस्करण**)।;** रॉबर्ट

मर्किन क्यूसी**,** एलएलडी**, "**मध्यस्थता कानून**",** सेवा मुद्दा **No.83,** नवंबर **2019;** दातुक प्रोफेसर सुंदरा

राजू**,** कानून**,** व्यवहार और मध्यस्थता की प्रक्रिया

(दूसरा संस्करण), 2016; माइकल मिकिलराथ और जॉन

बी.

सैवेज**,** अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थताः**ए.**

प्रैक्टिकल गाइड**, (2010);** रसेल ऑन आर्बिट्रेशन**, 24** वां संस्करण**;** इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन**,** दूसरा संस्करण**, 2914;** जूलियन डी**.** एम**.** ल्यू**,** लुकास ए**.** मिस्टेलिस**,**

आदि।**,** तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक

सी.

मध्यस्थता**, '**अध्याय **12** मध्यस्थों और दलों के अधिकार और कर्तव्य**';** रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन**,** ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस**, 6** वीं संस्करण**, 2015;**

मध्यस्थता पर रसेल, **24** वां संस्करण 'मध्यस्थता की लागत की वसूली का निर्धारण' शीर्षक के तहत; दातुक प्रोफेसर सुंदर राजू,

डी.

कानून, व्यवहार और मध्यस्थता की प्रक्रिया (दूसरा)

संस्करण), 2016।उक्त पुस्तक के अध्याय 24 में उल्लेख किया गया है -

गैरी बोर्न, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता;

टैकाबेरी और मैरियट, बर्नस्टीन की हस्तपुस्तिका

मध्यस्थता और विवाद समाधान अभ्यास (चौथा संस्करण)

ई.

2003); मस्टिल एंड बॉयड, द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ

इंग्लैंड में वाणिज्यिक मध्यस्थता, (दूसरा संस्करण, **1989);**

दातुक प्रोफेसर सुंदरा राजू, कानून, अभ्यास और

मध्यस्थता की प्रक्रिया (दूसरा संस्करण), 2016; 'इंडियाज ग्रैंड एडवोकेट्सःएक कानूनी अभिजात वर्ग फल-फूल रहा है

एफ.

मार्क गैलांटर और निक रॉबिन्सन द्वारा वैश्विकरण का युग, हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा प्रकाशित, और

'मुकदमेबाजी खर्चःन्याय की उच्च लागत ', उषा द्वारा

रानी दास; अर्ल टी. क्रॉफर्ड, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैचूट्स, तीसरा संस्करण; जे. जी. सदरलैंड, स्टैचूट्स एंड स्टैच्युटरी कंस्ट्रक्शन, तीसरा संस्करण, **Vol.3,** पीपी। **410-412;** अर्ल टी. क्रॉफर्ड, क़ानूनों का निर्माण, तीसरा संस्करण; प्रोफेसर सुंदर राजू, कानून, अभ्यास और

जी.

मध्यस्थता की प्रक्रिया (दूसरा संस्करण), **2016 -**

संदर्भित किया गया।

एच.

675

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.एएफसीओएनएस गुनानुसा जेवी ए

ए.

संदर्भित विधि निर्णय

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे. **(2020) 17** एस. सी. सी. **626** पैरा **35 (i) [2009] 3** एस. सी. आर. **563** पैरा **35 (xiv) [2011] 12** एस. सी. आर. **744** पैरा **35 (xiv) (1977) 2** एस. सी. सी. **54** पैरा **35 (xi) [2016] 1** एस. सी. आर. **364**

बी.

पैरा **69**

पैरा **69**

[2016] 9 एससीआर **83**

पीछा किया।

सी.

[2011] 12 एससीआर **744**

उस पर भरोसा करें

पैरा **72**

[2017] 1 एससीआर **798**

उस पर भरोसा करें

पैरा **87**

[2005] 1 पूरक।एस. सी. आर. **929** का अनुसरण किया गया

पैरा **89 [1991] 3** पूरक।एस. सी. आर. **534** पैरा **97 [1990] 3** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. **196** का अनुसरण किया गया

डी.

पैरा **123 [2011] 10** एस. सी. आर. **1026** पैरा **124 [2014] 2** एस. सी. आर. **797** पर निर्भर था जिसे पैरा **124 [1996] 2** सप्लीमेंट में संदर्भित किया गया है।एस. सी. आर. **509** पैरा **132 [2014] 10** एस. सी. आर. **971** पर निर्भर था जो पैरा **133 (2018) 12** एस. सी. सी. **560** को संदर्भित करता है जिसे पैरा **134 [1989] 1** पूरक के रूप में संदर्भित किया गया है।एस. सी. आर. **129** पैरा **138 [1996] 2** एस. सी. आर. **1** पर निर्भर था।

ई.

एफ.

पीछा किया।

पैरा **145**

पैरा **149**

पीछा किया।

1953 एससीआर **1**

[2020] 3 एससीआर **1**

पीछा किया।

पैरा **150 [1979] 2** एस**.** सी**.** आर**. 997** पैरा **150 [1989] 1** एस**.** सी**.** आर**. 621** पर निर्भर था।

जी.

[2009] 3 एससीआर **563**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4**

[2011] 12 एससीआर **744**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4**

एच.

(2020) 17 एस**.** सी**.** सी**. 626**

उस पर भरोसा करें

पैरा **20**

(1997) 3 एस**.** सी**.** सी**. 535**

संदर्भित किया गया है

पैरा **42**

[1989] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 129** लागू नहीं होने योग्य पैरा **45**

नागरिक मूल/अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की मध्यस्थता याचिका (सिविल) संख्या 05।

बी.

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 14 और धारा 15 के साथ पठित धारा 11 (6) के तहत वर्तमान मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिदेश को समाप्त करने और एक वैकल्पिक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए याचिका।

के साथ

सी.

2020 की एसएलपी (सी) No.10358,2021 की 13426,2022 की एसएलपी (सी) डायरी No.8494, सिविल अपील संख्या 5880,2022 की 5879 और 2017 की एसएलपी (सी) संख्या <आईडी4 में 2019 का विविध आवेदन Nos.1990-1991।

तुषार मेहता, एस. जी., के. के. वेणुगोपाल, ए. जी., हुज़ेफा अहमदी, सीनियर एड. (ए. सी.), एस. बी. उपाध्याय, राजीव शर्मा, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, अनीश दयाल, वरिष्ठ अधिवक्ता।, प्रद्युम्न गोहिल, सुश्री तरुणा सिंह गोहिल, सुश्री रानू पुरोहित, आर. विष्णु कुमार, अलापति साहित्य कृष्ण, सुश्री अनुष्का शाह, सुश्री नूरीन शर्मा, रोहन शर्मा, सुश्री शाहरुख आलम, अभिषेक गुप्ता, गुन्नम वेंकटेश्वर राव, सुश्री इक्षिता सिंह, सुश्री चिनमयी चंद्र, कपिल राघव, दिशांत भाटी, तारकेश्वर नाथ, निशांत कुमार, हर्षित सिंह, ललित मोहन, रामेश्वर प्रसाद गोयल, उदित सेठ, अनिल सेठ, सी. कन्नन, रविशंकर, मयंक क्षीरसागर, सुयश गुप्ता, अभिषेक बर्थरे, सुमित आर. शर्मा, तन्मय नंदी, सौम्या बडउपस्थित दलों के लिए।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एड। ध्यान देंःइस मामले में दो अलग-अलग निर्णय हैं।एक निर्णय माननीय डॉ. जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अपने लिए और माननीय जस्टिस श्री सूर्यकांत के लिए दिया था।दूसरा फैसला माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना ने सुनाया।

एच.

ए.

न्यायालय के निर्णय #द्वारा दिए गए थे

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

इस निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए अनुभागों में विभाजित किया गया है।वे इस प्रकार हैंः

एक तथ्यात्मक Background.5 * A. 1 मध्यस्थता याचिका के तथ्य (सिविल) 2022.5 * A. 2 विशेष अनुमति याचिका के तथ्य (सिविल) 2021.13 * A. 3 विशेष अनुमति याचिका के तथ्य (सिविल) 2020.17 * A...43* (iv) इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्प्यूट Resolution.44 * (v) इंटरनेशनल चैंबर ऑफ Commerce.44 * (vi) सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन Centre.45 * (vii) हांगकांग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन Centre.45 * (viii) इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट Disputes.46 * (ix) Summary.46 *

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

* एड। ध्यान देंःपृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

एच.

ए.

C. 1.2 अन्य राष्ट्रीय jurisdictions.47 * में स्थिति

((i) इंग्लैंड. 48 *

(ii) Italy.50 * (iii) Sweden.51 * (iv) Germany.52 * (v) Japan.54 * (vii) Singapore.54 * (vii) संयुक्त States.55 * (viii) Summary.56 * C2 India.57 * C में मध्यस्थों को शुल्क के भुगतान पर सांविधिक योजना।दो अलग-अलग

paradigms.70 * C. 2.4 तदर्थ arbitrations.92 * D में मध्यस्थों के शुल्क को नियंत्रित करने वाले निर्देश चौथे Schedule.97 * D में "विवाद में राशि" की व्याख्या सांविधिक Framework.97 * D. दावे की परिभाषा और counter-claim.100 * D. 2 पुनः मध्यस्थता में proceedings.100 * (i) मध्यस्थता अधिनियम की सांविधिक रूपरेखा।100* (ii) अकादमिक discourse.105 * (iii) न्यायिक pronouncements.107 * D. 2 सिविल में proceedings.109 * (i) CPC.109 * का वैधानिक ढांचा (ii) शैक्षणिक discourse.112 * (iii) न्यायिक pronouncements.114 * D. 3 Analysis.115 * A

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

679

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ई शुल्क सीमा चौथी Schedule.119 * ई. 1 अंग्रेजी और हिंदी के बीच अंतर

translations.121 * E. 2 शाब्दिक interpretation.124 * E. 3 के लिए अपवाद विधायी intent.127 * F पर आधारित व्याख्या व्यक्ति arbitrators.130 * G Conclusion.131 * G. 1 Findings.131 * G. 2 Directions.133 * पर लागू अधिकतम सीमा

बी.

सी.

एक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

ए**. 1 2022** की मध्यस्थता **(**सिविल**)** संख्या **5** के लिए याचिका के तथ्य

डी.

1. 29 मई 2009 को, याचिकाकर्ता, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1, और प्रतिवादी, एफकॉन्स गुनानुसा जेवी 2 ने आईसीपी-आर प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए एक लम्प सम टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट 3 में प्रवेश किया।आई. सी. पी.-आर. प्लेटफॉर्म के 31 अक्टूबर 2012 को पूरा होने का आरोप है। 2.चल रहे विवादों और मतभेदों के कारण, एफकॉन्स ने एल. एस. टी. के. अनुबंध के खंड 1.3 के अनुसार 20 जुलाई 2015 को मध्यस्थता का आह्वान किया। एफ़कॉन्स ने न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल को अपना मध्यस्थ नियुक्त किया।3. अनुबंध के खंड 1.3 के प्रासंगिक भागों को नीचे निकाला गया हैः

ई.

“ 1.3 कानून/मध्यस्थता

एफ.

[...]

1.3.2 मध्यस्थता

अनुबंध में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधान के अलावा, यदि निर्माण, अर्थ, संचालन, प्रभाव के संबंध में यहां के पक्षों या उनके संबंधित प्रतिनिधियों या समनुदेशकों के बीच कोई विवाद, मतभेद प्रश्न या असहमति उत्पन्न होती है,

जी.

1 " ओ. एन. जी. सी. "2" एफकॉन्स "

3 " एलएसटीके अनुबंध "

एच.

* एड। ध्यान देंःपृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

अनुबंध की व्याख्या या उसका उल्लंघन जो पक्ष पारस्परिक रूप से निपटाने में असमर्थ हैं, उसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा जैसा कि यहां दिया गया हैः

1.3 .2.1 मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने की इच्छा रखने वाला पक्ष दूसरे पक्ष को 60 दिनों का नोटिस देकर मध्यस्थता खंड लागू करेगा।

पार्टी।मध्यस्थता का आह्वान करने वाली सूचना में दावा की गई राशि के विवरण के साथ विवादों के सभी बिंदुओं को निर्दिष्ट किया जाएगा।

बी.

मध्यस्थता के आह्वान के समय मध्यस्थता के लिए संदर्भित और

उसके बाद नहीं।यदि दावा विदेशी मुद्रा में है, तो दावेदार मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के उद्देश्य से भारतीय रुपये में इसका मूल्य बताएगा।

सी.

1.3 .2.2 मध्यस्थों और नियुक्ति प्राधिकारी की संख्या निम्नानुसार होगीः

दावा राशि (ब्याज और जवाबी दावे के दावे को छोड़कर, यदि कोई हो)	मध्यस्थ की संख्या	प्राधिकरण की नियुक्ति
रु. तक। 5 करोड़	एकमात्र मध्यस्थ	ओएनजीसी
रुपये से अधिक। 5 करोड़ 3	मध्यस्थ	प्रत्येक पक्ष द्वारा एक मध्यस्थ और तीसरा मध्यस्थ, जो पीठासीन मध्यस्थ होगा, दोनों मध्यस्थों द्वारा।

डी.

ई.

एफ.

1.3 .2.3 पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि वे केवल उन व्यक्तियों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेंगे जो इस मध्यस्थता खंड की शर्तों को स्वीकार करते हैं।कोई भी व्यक्ति मध्यस्थ या पीठासीन मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो इस मध्यस्थता खंड की शर्तों को स्वीकार नहीं करता है।

जी.

[...]

1.3 .2.8 मध्यस्थों को निम्नलिखित दरों पर शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

एच.

681

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

बी.

सी.

डी.

ई.

ऊपर के विवादों के लिए रु। **50** लाख**,** मध्यस्थ उपरोक्त शुल्क संरचना के अनुसार देय शुल्क के **20** प्रतिशत की दर से अतिरिक्त राशि के हकदार होंगे।

एफ.

1.3 .2.9 यदि मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने के बाद, पक्षकार विवाद को पारस्परिक रूप से निपटाने या विवाद को सुलह के लिए भेजने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो मध्यस्थ पक्षकारों द्वारा अनुरोध की गई अवधि तक कार्यवाही को स्थगित कर देंगे।जहां पक्षकारों द्वारा विवाद के आपसी निपटारे के कारण कार्यवाहियों को स्थगित या समाप्त कर दिया जाता है, मध्यस्थों को देय शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगाः

जी.

I) शुल्क का 25 प्रतिशत यदि दावेदार ने दावे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।

एच.

682

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

II) यदि पुरस्कार लंबित है तो शुल्क का 50 प्रतिशत।

1.3.2.10 प्रत्येक पक्ष मध्यस्थ शुल्क के अपने हिस्से का भुगतान निम्नलिखित चरणों में करेगाः

(I) दावों के विवरण का जवाब दाखिल करने पर शुल्क का 25 प्रतिशत।(II) साक्ष्य की प्रतिस्पर्धा पर शुल्क का 25 प्रतिशत।

बी.

(III) पक्षकारों को पुरस्कार दिए जाने के समय 50 प्रतिशत शेष राशि।[...]

1.3.2.14 उपरोक्त के अधीन रहते हुए, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान और इसके कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन इस खंड के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे।"

सी.

(जोर दिया गया)

4. 20 अगस्त 2015 को ओ. एन. जी. सी. ने जवाब में न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा को अपना मध्यस्थ नियुक्त किया।मध्यस्थों ने न्यायमूर्ति जी. एन. रे को पीठासीन मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया और मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया।

डी.

5. मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 25 नवंबर 2015 को एक प्रारंभिक बैठक आयोजित की, जिसमें न्यायाधिकरण के सदस्यों ने अपने विचार का संकेत दिया कि अनुबंध में निर्धारित शुल्क अनुसूची अवास्तविक प्रतीत होती है।जबकि एफकॉन्स शुल्क में संशोधन के लिए सहमत था, ओ. एन. जी. सी. ने संकेत दिया कि यह सहमत नहीं हो सकता है।मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने ओ. एन. जी. सी. को मध्यस्थ शुल्क के दृष्टिकोण पर विचार करने का निर्देश दिया।28 जनवरी 2016 को ओ. एन. जी. सी. को संबोधित एक पत्र में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने उल्लेख किया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 4 की चौथी अनुसूची प्रत्येक मध्यस्थ के लिए शुल्क 30 लाख रुपये के रूप में अनुशंसित करती है, जब विवाद में राशि 20 करोड़ रुपये से अधिक होती है (वर्तमान मामले में, यह 900 करोड़ रुपये थी)।

ई.

एफ.

6. 16 अप्रैल 2016 को, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने ओ. एन. जी. सी. को सूचित किया कि यदि ओ. एन. जी. सी. प्रत्येक मध्यस्थ के लिए 6 लाख रुपये के पठन शुल्क के साथ मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची में प्रदान की गई अनुसूची के लिए सहमत है, तो वह अब राशि पर सौदेबाजी नहीं करेगा।हालांकि, पत्र में कहा गया है कि चौथी अनुसूची में प्रदान की गई 30 लाख रुपये की सीमा 900 करोड़ रुपये की विवादित राशि के साथ मध्यस्थता के लिए 'निचले पक्ष' में थी, और इसे संशोधित किया जाना चाहिए।पत्र इस प्रकार हैः

जी.

4 " मध्यस्थता अधिनियम "

एच.

683

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

“यदि ओ. एन. जी. सी. का उपयुक्त प्राधिकारी मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के संशोधन की अनुसूची में निर्दिष्ट सीमा को स्वीकार करने और इस तरह के पारिश्रमिक की पेशकश करने के लिए इच्छुक है, तो मध्यस्थ किसी भी सौदेबाजी में प्रवेश करने का इरादा नहीं रखते हैं।हम केवल यह संकेत दे सकते हैं कि रुपये का पारिश्रमिक। 30 लाख निचले हिस्से में है और इस मामले में उचित रूप से ऊपर की ओर संशोधन के योग्य है।मध्यस्थों को यह भी उम्मीद है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण की संरचना और इसमें शामिल भारी दावे (लगभग रु। 1000 करोड़) और असाधारण रूप से विशाल दस्तावेजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, यह केवल उचित हो सकता है कि विशेष मामले के रूप में, प्रत्येक मध्यस्थ के लिए लगभग 6 लाख के उचित पठन/अवलोकन शुल्क पर विचार किया जाए।इस तरह का पठन शुल्क इसी तरह के अन्य मामलों में प्रचलित है।”

बी.

सी.

7. ओ. एन. जी. सी. ने 22 अप्रैल 2016 को अपने पत्र द्वारा मध्यस्थता न्यायाधिकरण को सूचित किया कि मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची के आवेदन के प्रस्ताव पर उनके द्वारा विचार किया जा रहा था, लेकिन चूंकि इसमें पठन शुल्क का प्रावधान नहीं था, इसलिए ओ. एन. जी. सी. इसके लिए सहमत नहीं हो सकी।

डी.

8. 4 अगस्त 2016 को अपनी दूसरी बैठक में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एक प्रक्रियात्मक आदेश पारित किया जिसमें पक्षों को मध्यस्थ शुल्क का 25 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया गया, जो 30 लाख रुपये के रूप में दर्ज किया गया था।22 मई 2018 को, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने अपने शुल्क को अंतिम रूप देते हुए एक और प्रक्रियात्मक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि उसने पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों, शामिल मुद्दों की जटिलता, दावे के उच्च मूल्य (679 करोड़ रुपये) और जवाबी दावे (407 करोड़ रुपये) और दस्तावेजों की भारी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया था।न्यायाधिकरण ने तीन घंटे की अवधि की प्रत्येक बैठक के लिए प्रत्येक मध्यस्थ के लिए डेढ़ लाख रुपये का शुल्क निर्धारित किया।न्यायाधिकरण ने संकेत दिया कि वह पढ़ने का शुल्क या सम्मेलन शुल्क (सदस्यों के बीच सम्मेलनों के लिए) भी ले सकता है, जिसका संकेत बाद में दिया जाएगा।प्रक्रियात्मक आदेश इस प्रकार हैः

ई.

एफ.

“इस मध्यस्थता मामले की पहली बैठक नवंबर, 2015 में हुई थी।मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्यों का पारिश्रमिक अंततः तय नहीं किया जा सका।दावेदार अपने हिस्से में ऐसा पारिश्रमिक देने के लिए सहमत हो गया था जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाएगा।लेकिन प्रतिवादी ने न्यायाधिकरण से बाद में पारिश्रमिक तय करने का अनुरोध किया था क्योंकि उचित प्राधिकरण पर विचार किया जाना था।मध्यस्थता न्यायाधिकरण भी पक्षों द्वारा उठाए जाने वाले दावे और जवाबी दावे की सीमा और उस स्तर पर मध्यस्थता मामले की जटिलता का आकलन करने की स्थिति में नहीं था।हालाँकि, प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि ने अधिकतम शुल्क के लिए रुपये का सुझाव दिया था।

जी.

एच.

30.00 संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की चौथी अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक मध्यस्थ के लिए रु।न्यायाधिकरण द्वारा यह बताया गया कि मध्यस्थता का मामला अधिनियम के संशोधन से पहले उत्पन्न हुआ था। इसलिए, संशोधित अधिनियम में निर्दिष्ट अधिकतम शुल्क आकर्षित नहीं किया गया था।प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि को यह भी बताया गया कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण न्यायाधिकरण के सदस्यों के पारिश्रमिक का दावा करना पसंद नहीं करता है और यह केवल तभी उचित होगा जब दोनों पक्षों के सुझाव पर उचित, व्यावहारिक और

उचित पारिश्रमिक तय किया जाएगा, जिनसे पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले दावे और प्रतिवाद की राशि, मध्यस्थता न्यायाधिकरण की संरचना, निर्णय की आवश्यकता वाले मुद्दों की जटिलताओं और मध्यस्थता मामले को समाप्त करने के लिए होने वाली बैठकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थों के पारिश्रमिक का सुझाव देने में व्यावहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने की उम्मीद की जाती थी।हालांकि, पक्षकारों द्वारा मध्यस्थों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक को अंतिम रूप से तय करने से पहले, 25 प्रतिशत रु। 30.00 लाख को पक्षों द्वारा समान रूप से साझा करके जमा करने का निर्देश दिया गया था।

बी.

सी.

डी.

पक्षकारों द्वारा काफी लंबा समय लेकर दलीलें दायर करने के बाद, संभवतः, इसमें शामिल जटिल तकनीकी मुद्दों और पक्षकारों द्वारा बड़ी संख्या में दस्तावेजों पर भरोसा करने के इरादे से, मध्यस्थता न्यायाधिकरण के सदस्य निर्धारण के लिए मुद्दों की प्रकृति और जटिलताओं और मध्यस्थता मामले को पूरा करने के लिए आवश्यक समय के बारे में एक उचित विचार रखने में सक्षम हुए हैं।अतः मध्यस्थता न्यायाधिकरण का मानना है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के सदस्यों को देय उचित पारिश्रमिक का अनुपालन करने के लिए पक्षकारों को निर्देश दिया जाना चाहिए।

ई.

एफ.

यहाँ यह संकेत दिया जा सकता है कि दावेदार ने लगभग रु। उक्त राशि पर प्रति वर्ष 18 प्रतिशत ब्याज के साथ 52,999 करोड़ रुपये।प्रत्यर्थी ने लगभग रुपये का जवाबी दावा किया है। आई. एन. आर. 4,07,12,97,603/- करोड़ और उक्त राशि पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी दावा किया है।दोनों पक्षों ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण को सूचित किया है कि दोनों पक्ष विशेषज्ञ गवाहों सहित अपने-अपने गवाहों से पूछताछ करेंगे।वास्तव में, दावेदार ने तीन विशेषज्ञ गवाहों के साक्ष्य का हलफनामा दायर किया है।इसी तरह, प्रत्यर्थी विशेषज्ञ गवाह सहित गवाहों से पूछताछ करने का भी इरादा रखता है।अब तक 20 बैठकें ए रही हैं।

जी.

एच.

685

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

दावेदार के पहले गवाह का परीक्षण और परीक्षण 26 बैठकों के आयोजन से पूरा होने का अनुमान है।

अतः यह स्पष्ट है कि इस मध्यस्थता मामले की सुनवाई में काफी लंबा समय लगेगा।दलीलों के साथ-साथ दोनों पक्षों ने अपने-अपने मामले के समर्थन में कई दस्तावेज दाखिल किए हैं।अब तक दावेदार ने अपने दस्तावेज़ के 68 खंड दाखिल कर दिए हैं।इसी तरह, प्रत्यर्थी ने अपने दस्तावेज़ के रूप में 24 खंड भी दाखिल किए हैं जिन पर भरोसा किया जाना है।यह संभावना नहीं है कि सुनवाई प्रक्रिया में पक्षकारों द्वारा आगे के दस्तावेजों पर भरोसा किया जा सकता है।

बी.

दावा और जवाबी दावे की राशि, विचार में लिए जाने वाले विशाल दस्तावेजों और मध्यस्थता मामले को समाप्त करने के लिए बहुत लंबी सुनवाई और ध्यान में रखे जाने वाले जटिल तकनीकी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक मध्यस्थ का पारिश्रमिक रुपये तय करना उचित, निष्पक्ष और उचित होगा। 15 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रति बैठक, प्रत्येक बैठक तीन घंटे या उसके कुछ हिस्से तक सीमित। न्यायाधिकरण के सदस्यों के बीच अवलोकन शुल्क और प्रतिच्छेदन सम्मेलन, अब इंगित नहीं किया जा सकता है।इस तरह के शुल्क को बाद में या मामले के आगे बढ़ने के बाद इंगित किया जा सकता है जिससे न्यायाधिकरण को आवश्यक अभ्यास की सीमा का आकलन करने में सक्षम बनाया जा सकता है।”

सी.

डी.

ई.

9. 22 जून 2018 को, ओ. एन. जी. सी. ने शुल्क बढ़ाने के लिए 22 मई 2018 के प्रक्रियात्मक आदेश को संशोधित करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया।मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने ओ. एन. जी. सी. के आवेदन को खारिज करते हुए 25 जुलाई 2019 को एक प्रक्रियात्मक आदेश जारी किया।न्यायाधिकरण ने कहा किः

एफ.

(i) पहली बैठक में, न्यायाधिकरण ने संकेत दिया कि अनुबंध में निर्दिष्ट शुल्क (प्रति मध्यस्थ 12 लाख रुपये) अवास्तविक था।जबकि एफकॉन्स शुल्क के संशोधन के लिए सहमत थे, ओ. एन. जी. सी. सहमत नहीं थी।न्यायाधिकरण ने ओ. एन. जी. सी. को एक 'उचित और व्यावहारिक' शुल्क अनुसूची का प्रस्ताव करने का अवसर प्रदान किया; (ii) ओ. एन. जी. सी. के जवाब की प्रतीक्षा करते हुए, न्यायाधिकरण ने मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची में शुल्क अनुसूची का प्रस्ताव "एक उदाहरण के रूप में" किया, जबकि ध्यान दिया कि 30 लाख

रुपये की सीमा भी "बहुत कम" थी।चूंकि ओ. एन. जी. सी. सहमत लग रहा था, इसलिए न्यायाधिकरण ने पक्षों को अंतरिम में 30 लाख रुपये के आधार पर शुल्क की पहली किश्त जमा करने का निर्देश दिया।

जी.

एच.

(iii) चूंकि ओ. एन. जी. सी. ने एक संशोधित शुल्क अनुसूची का प्रस्ताव नहीं किया था, इसलिए न्यायाधिकरण ने शामिल मुद्दों की जटिलता, विवाद में राशि की मात्रा और दस्तावेजों की भारी प्रकृति पर विचार करने के बाद, 22 मई 2018 को एक प्रक्रियात्मक आदेश द्वारा अपना शुल्क निर्धारित किया।

(iv) ओ. एन. जी. सी. ने अपना शुल्क तय करने के लिए न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए कारणों का खंडन नहीं किया है।इसने केवल इस आधार पर संशोधन का विरोध किया है कि अनुबंध में शुल्क अनुसूची बाध्यकारी थी।चूँकि ओ. एन. जी. सी. ने चौथी अनुसूची में शुल्क की अनुसूची को स्वीकार करने के लिए पहले अपनी इच्छा दिखाई थी, ओ. एन. जी. सी. की प्रस्तुति को अस्वीकार कर दिया गया था; और

बी.

सी.

(v) चौथी अनुसूची में 30 लाख रुपये की सीमा वर्तमान विवाद पर लागू नहीं होती है क्योंकि यह उस संशोधन से पहले उत्पन्न हुआ था जिसमें अनुसूची को जोड़ा गया था।

न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि शुल्क इस तरह के मध्यस्थता में भुगतान की जा रही राशि के आधार पर निर्धारित किया गया था।हालांकि, यह प्रत्येक मध्यस्थ के शुल्क को घटाकर 1 लाख रुपये प्रति बैठक करने पर सहमत हो गया।इसने नोट किया कि पठन शुल्क खुला रखा गया था, और बाद में तय किया जाएगा।

डी.

10. 21 अगस्त 2020 के अपने पत्र द्वारा, ओ. एन. जी. सी. ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण को सूचित किया कि संशोधित शुल्क को उसके 'उच्च' प्रबंधन द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। इसके बाद, ओ. एन. जी. सी. ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिदेश को समाप्त करने और

मध्यस्थों के एक नए समूह के प्रतिस्थापन के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 15 के साथ पठित धारा 14 के तहत एक याचिका दायर की।7 अक्टूबर 2021 के अपने आदेश द्वारा, बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज कर दिया गया था क्योंकि मध्यस्थता मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अर्थ के भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता थी। हालाँकि, ओ. एन. जी. सी. को इस न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई थी और इसकी सभी दलीलों को खुला रखा गया था।ओ. एन. जी. सी. ने तब वर्तमान मध्यस्थता याचिका दायर की।

ई.

एफ.

ए**. 2 2021** की विशेष अनुमति याचिका **(**सिविल**)** संख्या **13426** के तथ्य

11. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के 6 अगस्त 2021 के अंतिम निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा उसने याचिकाकर्ता, एनटीपीसी लिमिटेड 7 द्वारा दायर याचिका 6 को खारिज कर दिया था।

जी.

5 2020 की वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका (लॉजिंग) संख्या 9590 6 2021 की ओ. एम. पी. (टी) (सी. ओ. एम. एम.) 37

7 " एनटीपीसी "

एच.

687

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

12. एनटीपीसी और प्रतिवादी, एफकॉन्स-शेट्टी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड-जेवी 8 ने "कोल्डम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर (पैकेज-3) परियोजना के लिए गाद निकालने की व्यवस्था पैकेज" के निर्माण के लिए एक अनुबंध किया।जब पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, तो एफकॉन्स-शेट्टी ने लगभग 37 करोड़ रुपये के दावे के लिए मध्यस्थता का आह्वान किया।अनुबंध के खंड 67.3 के संदर्भ में एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया जाना था।दोनों पक्षों ने अपने मध्यस्थों को नामित किया-एनटीपीसी ने श्री कृष्ण मोहन सिंह को नामित किया और एफकॉन्स-शेट्टी ने श्री शांतनु बसु राय चौधरी को नामित किया।जब नामित मध्यस्थ एक पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहे, तो एफकॉन्स-शेट्टी ने मध्यस्थता अधिनियम 9 की धारा 11 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने तब 21 मई 2018 को पक्षों की सहमति से न्यायमूर्ति मनमोहन सरीनस को पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त किया।13. मध्यस्थता न्यायाधिकरण

ने 12 जुलाई 2018 को अपनी पहली बैठक आयोजित की, जहाँ उसने निर्णय लिया कि न्यायाधिकरण को देय शुल्क मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची के अनुसार होगा। चौथी अनुसूची को बाद में 12 नवंबर 2018 को संशोधित किया गया था।

बी.

सी.

डी.

14. एनटीपीसी ने लगभग 19 करोड़ रुपये का अपना जवाबी दावा दायर किया।13 जुलाई 2019 के एक प्रक्रियात्मक आदेश द्वारा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने दावे के लिए एक अलग शुल्क (रुपये 28,64,520 प्रति मध्यस्थ) और प्रति-दावे (रुपये 19,13,615 प्रति मध्यस्थ) निर्धारित किया, जो कुल मिलाकर प्रति मध्यस्थ रुपये 47,78,135 का शुल्क था।अपनी स्थिति के समर्थन में, न्यायाधिकरण ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 38 (1) के परंतुक पर भरोसा रखा। 15.21 सितंबर 2019 को, एनटीपीसी ने 13 जुलाई 2019 के प्रक्रियात्मक आदेश में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया।18 अक्टूबर 2019 के अपने जवाब से, एफकॉन्स-शेट्टी ने आवेदन का विरोध किया।8 नवंबर 2019 के अपने आदेश द्वारा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एनटीपीसी के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया किः

ई.

एफ.

“4. श्री मुखोपाध्याय के निवेदन में योग्यता है कि दावे और प्रतिवाद एक दूसरे से स्वतंत्र होने के कारण जिनके लिए अलग शुल्क निर्धारित किया जाना है, उन्हें अधिकतम सीमा के उद्देश्य से जोड़ा नहीं जा सकता है।इसके अलावा, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अधिनियम की चौथी अनुसूची उच्च न्यायालय द्वारा बनाए जा रहे किसी भी नियम के अभाव में केवल एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम कर सकती है।पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा पारित आदेश में किसी भी संशोधन या समीक्षा की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार आवेदन खारिज कर दिया जाता है।”

जी.

8 " एफकॉन्स-शेट्टी "

9 2018 की मध्यस्थता याचिका संख्या 375

एच.

16. 15 अक्टूबर 2020 को, एनटीपीसी ने 13 जुलाई 2019 और 8 नवंबर 2019 के न्यायाधिकरण के आदेशों में संशोधन की मांग की, ताकि चौथी अनुसूची के संदर्भ में निर्धारित शुल्क में एनटीपीसी के जवाबी दावे के लिए देय शुल्क शामिल हो।30 अक्टूबर 2020 के अपने जवाब से, एफकॉन्स-शेट्टी ने आवेदन का विरोध किया।

17. 14 जनवरी 2021 के अपने आदेश द्वारा, न्यायाधिकरण ने एनटीपीसी की इस स्थिति को खारिज कर दिया कि चौथी अनुसूची के उद्देश्यों के लिए "विवाद की राशि" पर पहुंचने के लिए दावे और प्रति-दावे को एकत्रित किया जाना चाहिए।न्यायाधिकरण ने कहा किः

बी.

(i) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31 (8) एक न्यायाधिकरण को मध्यस्थता की लागत प्रदान करने की अनुमति देती है।लागतों के लिए व्यवस्था धारा 31 ए के तहत प्रदान की गई है। धारा 31 ए (1) के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि लागतों में वे शामिल हैं जो मध्यस्थों के शुल्क और खर्चों से संबंधित हैं।

सी.

((ii) धारा 38 (1) के परंतुक में कहा गया है कि दावों और प्रति-दावों के लिए अलग-अलग लागत निर्धारित की जानी चाहिए।डी. आई. ए. सी. (प्रशासनिक लागत और मध्यस्थ शुल्क) नियम 2018 10 के नियम 3 के प्रावधान के तहत स्थिति भी समान है; और

डी.

(iii) चौथी अनुसूची या डी. आई. ए. सी. नियमों में कुछ भी न्यायाधिकरण द्वारा दावों और प्रतिवाद के लिए अलग-अलग लागत (और इस प्रकार शुल्क) निर्धारित करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है।

ई.

18. इसके बाद, 19 मार्च 2021 के अपने आदेश द्वारा, न्यायाधिकरण ने कहा कि यदि एनटीपीसी प्रति मध्यस्थ 2 लाख रुपये के भुगतान के लिए 14 जनवरी 2021 के आदेश में निहित अपने निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो न्यायाधिकरण इस बात पर विचार करेगा कि क्या एनटीपीसी के जवाबी दावे को निलंबित कर दिया जाना चाहिए।

एफ.

19. एनटीपीसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 31 (8) के साथ पठित धारा 9 और 14 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई कि न्यायाधिकरण दावे और प्रति-दावे दोनों पर निर्णय लेने के लिए चौथी अनुसूची के तहत संयुक्त शुल्क लेगा या,

वैकल्पिक रूप से, न्यायाधिकरण के आदेश को समाप्त करने के लिए।याचिका का एफ़कॉन्स-शेट्टी ने विरोध किया था।20. 6 अगस्त 2021 के एक फैसले से दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने एनटीपीसी की याचिका को खारिज कर दिया।एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 38 (1), धारा 31 (8) और धारा 31 ए के प्रावधान हैंः

जी.

10 " डी. आई. ए. सी. नियम

एच.

689

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

अटूट रूप से जुड़े हुए और एक संयुक्त अध्ययन पर, एक न्यायाधिकरण के पास दावों और प्रति-दावों के लिए एक अलग शुल्क तय करने की शक्ति होगी।दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इस प्रकार निर्णय दियाः

“43. ...1996 के अधिनियम की योजना ऐसी है कि धारा 38 (1), 31 (8) और 31 ए के प्रावधान अटूट रूप से आपस में जुड़े हुए हैं।इन प्रावधानों को अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है।धारा 38 (1) के परंतुक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, जहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष दावे और प्रतिवाद हैं, मध्यस्थ न्यायाधिकरण दावे और प्रतिवाद के लिए अलग-अलग जमा राशि तय कर सकता है।धारा 38 (1) स्पष्ट करती है कि "जमा की राशि" को "धारा 31 की उप-धारा (8) में निर्दिष्ट लागतों के लिए अग्रिम के रूप में" निर्देशित किया जाना है।धारा 31 की उप-धारा (8) में मध्यस्थता न्यायाधिकरण से धारा 31 ए के अनुसार मध्यस्थता की लागत निर्धारित करने की अपेक्षा की गई है। धारा 31 ए (1) के स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धारा 31 ए (1) के प्रयोजनों के लिए "लागत" अभिव्यक्ति का अर्थ है, अन्य बातों के साथ-साथ, "मध्यस्थों के शुल्क और व्यय" से संबंधित उचित लागत।

बी.

सी.

डी.

[...]

48. स्थिति तब स्पष्ट हो जाती है जब हम धारा 38 (1), धारा 31 (8) के परंतुक और धारा 31 ए (1) के स्पष्टीकरण को संयोजन में देखते हैं।धारा 31 (8) आदेश देती है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण धारा 31 ए के अनुसार मध्यस्थता की लागत तय करे। धारा 31 ए (1) के

स्पष्टीकरण के खंड (i) में विशेष रूप से मध्यस्थों के शुल्क और व्यय को "लागत" के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है।स्पष्ट रूप से, इसलिए, मध्यस्थ को पक्षकारों की सहमति के साथ मध्यस्थ न्यायाधिकरण को देय शुल्क तय करना होगा।धारा 38 (1) "जमा" के माध्यम से निर्धारित ऐसी "लागतों" के लिए अग्रिम का प्रावधान करती है।अतः "जमा", "लागत" और "शुल्क" शब्द क़ानून द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, और इसके दुभाषिये के रूप में, न्यायालय शायद ही उन्हें एक-दूसरे से अलग कर सकता है।धारा 38 (1) के परंतुक में प्रावधान है कि, जहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण को दावों और प्रति-दावों से अभिगृहीत किया जाता है, वह प्रत्येक के लिए अलग-अलग जमा राशि तय कर सकता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि "हो सकता है" शब्द के उपयोग में विवेक का एक तत्व शामिल है; लेकिन, यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण दावों और प्रति-दावों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित करता है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि उसने अनियमित रूप से या वैधानिक जनादेश के विपरीत काम किया है।”

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए**. 3 2020** की विशेष अनुमति याचिका **(**सिविल**)** संख्या **10358** के तथ्य

21. अपील 10 जुलाई 2020 के अंतिम फैसले और आदेश से उत्पन्न होती है जिसके द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता, रेल विकास निगम लिमिटेड 12 द्वारा दायर याचिका 11 को खारिज कर दिया।

22. 28 दिसंबर 2010 को, आर. वी. एन. एल. ने प्रतिवादी, सिम्पेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 13 को "कोलकाता मेट्रो रेलवे लाइन के जोका-बीबीडी बैग कॉरिडोर में 4.748 किलोमीटर की लंबाई के लिए एक पुल और संबंधित कार्यों के निर्माण" के लिए एक अनुबंध प्रदान किया।पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने के बाद, सिम्पेक्स ने 26 दिसंबर 2017 को अपने पत्र द्वारा मध्यस्थता का आह्वान किया।

बी.

सी.

23. पक्षकार मध्यस्थों की नियुक्ति पर सहमत नहीं हो सके।सिंपेक्स ने जहां अपने मध्यस्थ को नामित किया, वहीं आर. वी. एन. एल. ने तर्क दिया कि सिंपेक्स को आर. वी. एन. एल. द्वारा अनुशंसित पांच नामों के पैनल से अपने मध्यस्थ को नामित करना था। चूंकि आर. वी. एन.

एल. ने अपने मध्यस्थ को नामित करने से इनकार कर दिया, इसलिए सिम्पेक्स ने मध्यस्थता अधिनियम 14 की धारा 11 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।उच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर 2018 के अपने आदेश द्वारा आर. वी. एन. एल. की ओर से एक मध्यस्थ को नामित किया और आदेश दिया कि मध्यस्थ को [मध्यस्थता] अधिनियम की चौथी अनुसूची के अनुसार शुल्क का भुगतान किया जाएगा।दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आर. वी. एन. एल. की विशेष अनुमति याचिका 15 को इस अदालत ने 12 अप्रैल 2019 को खारिज कर दिया था।

डी.

24. इस बीच, पक्षों द्वारा नामित मध्यस्थों ने एक पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त किया।मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 15 जनवरी 2019 को अपनी प्रारंभिक बैठक आयोजित की, जहां उसने दर्ज किया कि इसका शुल्क मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची के अनुसार होगा। 9 जनवरी 2020 के उनके आदेश के अनुसार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने दर्ज किया कि चौथी अनुसूची के अनुसार, प्रत्येक मध्यस्थ का शुल्क 49,87,500 रुपये होगा। 25.आर. वी. एन. एल. ने तब 27 फरवरी 2020 को न्यायाधिकरण के 9 जनवरी 2020 के आदेश को इस आधार पर वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया कि चौथी अनुसूची के तहत प्रत्येक मध्यस्थ के लिए शुल्क की सीमा 30,00,000 है।

ई.

एफ.

26. 3 मार्च 2020 के अपने आदेश द्वारा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने आर. वी. एन. एल. के आवेदन को खारिज कर दिया।इसने नोट किया कि रुपये 30,00,000 की सीमा

जी.

11 2020 का ओ. एम. पी. (टी) (सी. ओ. एम. एम.) 38

12 " आर. वी. एन. एल. "13" सिम्पेक्स "

14 2018 का एआरबी पी 519 15 एसएलपी ए

एच.

691

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

चौथी अनुसूची के क्रम संख्या 6 में प्रविष्टि में पूरे शुल्क को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें रुपये का आधार घटक और परिवर्तनीय घटक (20 करोड़ रुपये से अधिक की दावा राशि का

0.5 प्रतिशत) शामिल है, लेकिन यह केवल परिवर्तनीय घटक तक ही सीमित था।इसलिए, न्यायाधिकरण के अनुसार शुल्क की अधिकतम सीमा 30,00,000 रुपये नहीं, बल्कि 49,87,500 रुपये है। 27.आर. वी. एन. एल. ने तब दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 14 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश को समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

बी.

28. 10 जुलाई 2020 के एक फैसले से दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आर. वी. एन. एल. की याचिका को खारिज कर दिया।एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि रुपये 30,00,000 की अधिकतम सीमा केवल चौथी अनुसूची के क्रम संख्या 6 में प्रविष्टि के परिवर्तनीय घटक पर लागू होती है।यह माना गया है कि निश्चित आधार घटक और परिवर्तनीय घटक के बीच विभेदक, अर्थात् 'प्लस' का उपयोग इंगित करता है कि रुपये 30,00,000 की सीमा केवल बाद वाले पर लागू होती है।फैसले के अनुसार, इस तरह की व्याख्या न केवल मध्यस्थता अधिनियम के अंग्रेजी संस्करण से, बल्कि इसके हिंदी संस्करण से भी उत्पन्न होती है।अंत में, अदालत ने कहा कि हालांकि यह व्याख्या चौथी अनुसूची के क्रम संख्या 6 में प्रविष्टि के पाठ पर आधारित थी, लेकिन यह विधि आयोग की 246 वीं रिपोर्ट (जिसने चौथी अनुसूची में परिवर्तन की सिफारिश की थी) और डी. आई. ए. सी. नियम मॉडल शुल्क (जिसके आधार पर अनुसूची चार तैयार की गई थी) द्वारा भी समर्थित है।

सी.

डी.

ई.

ए**. 4** के विविध अनुप्रयोग संख्या **1990-1991** के तथ्य

2019

29. मुख्य एस. एल. पी. में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ के 16 जनवरी 2018 के एक आदेश के संबंध में प्रतिवादी, आर. वी. एन. एल. द्वारा विविध आवेदन दायर किया गया है। 16 जनवरी 2018 के अपने आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अपने विवादों का फैसला करने के लिए पक्षों की सहमति से न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया।इस न्यायालय के आदेश ने माना कि "मध्यस्थ को पता चला है कि वह अपना पारिश्रमिक तय करने के लिए स्वतंत्र है।"

एफ.

30. 24 फरवरी 2018 के एक प्रक्रियात्मक आदेश द्वारा, एकमात्र मध्यस्थ ने पक्षों की सहमति से निर्णय लिया कि मध्यस्थता शुल्क मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची के अनुसार देय

होगा। 25 मार्च 2019 को, एकमात्र मध्यस्थ ने दावों और जवाबी दावों के लिए शुल्क के भुगतान के लिए अलग-अलग चालान जुटाए।

जी.

31. आर. वी. एन. एल. ने 18 मई 2019 को एक आवेदन दायर किया जिसमें एकमात्र मध्यस्थ द्वारा शुल्क के भुगतान के लिए अलग-अलग चालान जुटाने पर आपत्ति जताई गई।

एच.

दावे और प्रतिवाद।20 मई 2019 को एक ईमेल द्वारा याचिकाकर्ता एच. सी. आई. एल.-अधिकारीया-आर्स (जे. वी.) 16, आर. वी. एन. एल. के आवेदन और इसकी अनुमति के लिए सहमत हो गया।

32. एकमात्र मध्यस्थ ने 20 मई 2019 को आर. वी. एन. एल. के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 38 (1) और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 17 के आदेश VIII नियम 6 ए के प्रावधान के संदर्भ में, दावों और प्रति-दावों को अलग से माना जाना चाहिए।इसके अलावा, एकमात्र मध्यस्थ ने नोट किया कि चूंकि उन्हें इस न्यायालय द्वारा अपने स्वयं के शुल्क को निर्धारित करने की स्वतंत्रता के साथ एक तदर्थ मध्यस्थता में नियुक्त किया गया था, इसलिए दावे (रुपये 325,89,48,831) और प्रति-दावे (रुपये 21,59,56,092) के लिए एक अलग शुल्क लिया जा सकता है।

बी.

सी.

33. आर. वी. एन. एल. ने इस न्यायालय के समक्ष एक विविध आवेदन दायर किया है, जिसमें यह निर्धारित करने की मांग की गई है कि क्या दावा और प्रति-दावे के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अलग से शुल्क लिया जा सकता है और क्या न्यायाधिकरण चौथी अनुसूची के संदर्भ में अपना शुल्क निर्धारित करने के बाद ऐसा करने में उचित था।

डी.

बी वकील की प्रस्तुतियाँ

34. हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल और विद्वान महान्यायवादी श्री तुषार मेहता को सुना है।डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रतिवादियों की ओर से

दलीलों का नेतृत्व किया।श्री मनु शेषाद्री और श्री के. परमेश्वर ने हस्तक्षेप करने वालों के लिए अदालत को संबोधित किया।श्री हुज़ेफा अहमदी ने न्यायमित्र के रूप में इस न्यायालय को वस्तुनिष्ठ सहायता प्रदान की है।

ई.

B. 1 याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ

35. इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू करने वाले विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से महान्यायवादी और महान्यायवादी द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

एफ.

(i) किसी अनुबंध का मध्यस्थता खंड पक्षों और मध्यस्थों के लिए बाध्यकारी है।एक बार पक्षकारों के बीच समझौते में मध्यस्थों को देय शुल्क निर्दिष्ट हो जाने के बाद, मध्यस्थों को या तो पक्षों के बीच अनुबंध में सहमत शर्तों पर अपनी नियुक्ति स्वीकार करनी चाहिए या मध्यस्थता को अस्वीकार करना चाहिए यदि वे स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हैं

जी.

16 " एच. सी. आई. एल. "17" सी. पी. सी. "

एच.

693

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

पक्षकारों द्वारा निर्धारित शुल्क पर समनुदेशन

उनकी सहमति।एन. एच. ए. आई. बनाम गायत्री झांसी रोडवेज

लिमिटेड 18, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि समझौते में निर्धारित शुल्क

बाध्यकारी है।रसेलन मध्यस्थता 19 (24 वां संस्करण) में यह है -

यह ध्यान दिया गया है कि मध्यस्थों की नियुक्ति शासी कानून के अनिवार्य प्रावधानों के अधीन अनुबंध का मामला है।मध्यस्थ अपनी फीस और खर्चों को तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक कि पक्षों के साथ उनका समझौता उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं देता।गैरी बॉर्न ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता 20 शीर्षक वाले अपने ग्रंथ में कहा है कि मध्यस्थों को, सैद्धांतिक रूप से, पक्षों के बीच किसी भी समझौते के अभाव में एकतरफा रूप से अपना शुल्क निर्धारित करने

की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है कि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के कारण का न्यायाधीश नहीं हो सकता है।

बी.

सी.

((ii) यदि कोई एक पक्ष या दोनों पक्ष मध्यस्थों द्वारा वांछित शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं हैं या यदि मध्यस्थ समझौते के तहत निर्धारित शुल्क से विचलित होते हैं, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश को पूरी तरह से समाप्त करना होगा।

डी.

(iii) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (14) में प्रावधान है कि "उच्च न्यायालय चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दर को ध्यान में रखते हुए ऐसे नियम (शुल्क के निर्धारण के लिए) बना सकता है जो आवश्यक हो।"इसलिए, चौथी अनुसूची को मध्यस्थों के लिए शुल्क तय करने में उच्च न्यायालयों के लिए एक टेम्पलेट या मार्गदर्शक के रूप में काम करना चाहिए।

ई.

(iv) मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2019-21 द्वारा अंतःस्थापित धारा 11 की उप-धारा (3 ए) में यह भी निर्धारित किया गया है कि किसी पक्ष द्वारा नियुक्त मध्यस्थ चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर शुल्क का हकदार होगा।

एफ.

(v) मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची की प्रकृति के संबंध में उच्च न्यायालयों से परस्पर विरोधी विचार सामने आए हैं। आमतौर पर, इसे ऐसे मामलों में सूचक माना जाता है जहां

जी.

18 (2020) 17 एस. सी. सी. 626 ("गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड")

19 डेविड सेंट जॉन सटन, जूडिथ गिल और मैथ्यू गियरिंग, मध्यस्थता पर रसेल (24 वां)

संस्करण, 2015) ("मध्यस्थता पर रसेल")

20 गैरी बी बोर्न, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता (दूसरा संस्करण, 2014)

21 " मध्यस्थता संशोधन अधिनियम 2019 "

एच.

मध्यस्थों की नियुक्ति पक्षों द्वारा की जाती है और जब न्यायालय द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति की जाती है तो वे अनिवार्य होते हैं।

(vi) मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची के क्रम संख्या 6 में प्रविष्टि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को देय शुल्क पर एक सीमा प्रदान करती है।अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच एक स्पष्ट बेमेल है, क्योंकि एक अल्पविराम जो हिंदी संस्करण में मौजूद है, अंग्रेजी संस्करण में अनुपस्थित है, वाक्यांश से पहले "रुपये 30,00,000 की अधिकतम सीमा के साथ"। अल्पविराम वाक्यांश को "Rs.30,00,000 की सीमा के साथ" अल्पविराम से पहले के शब्दों से अलग करता है, "रु। 19,87,500 जमा दावे की राशि का 0.5% रुपये से अधिक। 20 करोड़ "हिंदी संस्करण में अल्पविराम के उपयोग से पता चलता है कि अधिकतम सीमा पूरे खंड पर लागू होती है।इस प्रकार, मध्यस्थों को देय कुल शुल्क रुपये 30,00,000 से अधिक नहीं हो सकता है; (vii) अंग्रेजी संस्करण में अल्पविराम को छोड़ना एक अनजाने में व्याकरणिक गलती है।व्याख्या में अल्पविराम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जब कई व्याख्याएँ संभव हों तो इसे उचित सम्मान दिया जाना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

(viii) यदि अल्पविराम को उचित प्रभाव नहीं दिया जाता है, तो शुल्क पर ऊपरी सीमा का अर्थ रुपये 49,87,500 [19,87,500 + 30,00,000] समझा जा सकता है।इस तरह की व्याख्या मध्यस्थता को लागत प्रभावी और किफायती बनाने के विधायी इरादे के विपरीत होगी।

ई.

(ix) चौथी अनुसूची दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र 22 शुल्क अनुसूची पर आधारित है जिसमें हिंदी संस्करण जैसा अल्पविराम शामिल है, जो लागू शुल्क को अलग करता है और मध्यस्थों के शुल्क के लिए 30,00,000 रुपये की सीमा स्थापित करता है।यह सीमा दावे और प्रति-दावे की कुल राशि पर लागू होती है।

एफ.

(x) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (9) में यह प्रावधान है कि जहां भी मध्यस्थता अधिनियम का भाग-1 किसी दावे को संदर्भित करता है, वह प्रति-दावे पर लागू होगा और जहां यह बचाव को संदर्भित करता है, इसमें प्रति-दावे के बचाव का संदर्भ शामिल होगा।

जी.

एच.

695

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

(xi) मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची में "विवाद में राशि" वाक्यांश का उपयोग करने के पीछे विधायी इरादा दावे और प्रतिवाद की संचयी राशि को संदर्भित करना था।यदि विधायी इरादा दावा और प्रति-दावा दोनों के लिए अलग-अलग शुल्क लेना था, तो यह स्पष्ट रूप से कहा गया होगा;

बी.

(xii) "योग" शब्द के सादे अंग्रेजी अर्थ का अर्थ है समग्र और "विवाद" शब्द का अर्थ है सभी दावों और प्रति-दावों की समग्रता।"राशि" या "विवाद" शब्द को कानूनी व्याख्या के माध्यम से विभाजित नहीं किया जा सकता है ताकि दावों और प्रति-दावों को अलग-अलग अवधारणाओं के रूप में संदर्भित किया जा सके; (xiii) भारत और विदेशों में विभिन्न संस्थानों के नियम जो मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन करते हैं, इस स्थिति को भी मजबूत करते हैं कि "विवाद में राशि" में दावा और प्रति-दावा शामिल है;

सी.

(xiv) भारत संघ बनाम सिंह बिल्डर्स 23 और संजीव कुमार जैन बनाम आर. एस. चैरिटेबल ट्रस्ट 24 में, इस न्यायालय ने कहा

डी.

कि मध्यस्थ बिना किसी सीमा के अत्यधिक शुल्क ले रहे हैं।भारत के विधि आयोग ने अपनी 246 वीं रिपोर्ट 25 में उपरोक्त शरारत की पहचान की और इस मुद्दे को हल करने के लिए चौथी अनुसूची शुरू करने की सिफारिश की; (xv) एल. सी. आई. की 246 वीं रिपोर्ट (उपर्युक्त) से यह स्पष्ट है कि चौथी अनुसूची मध्यस्थता के लिए शुल्क संरचना को तर्कसंगत बनाने के लिए कुछ तंत्र प्रदान करके घरेलू स्तर पर विवाद समाधान के लिए मध्यस्थता को एक लागत प्रभावी समाधान बनाने के लिए पेश की गई थी।विधि आयोग ने कहा कि उसके द्वारा अनुशंसित शुल्क की मॉडल अनुसूची डी. आई. ए. सी. द्वारा निर्धारित शुल्क पर आधारित है। डी. आई. ए. सी. द्वारा निर्धारित शुल्क अनुसूची विशेष रूप से प्रदान करती है कि "विवाद में राशि" में किसी भी पक्ष द्वारा किया गया जवाबी दावा शामिल है।इस प्रकार, यह व्याख्या कि "विवाद में राशि" में प्रति-दावा शामिल है, विधायी इरादे और उस उद्देश्य के अनुरूप होगी जिसे चौथी अनुसूची की शुरुआत के साथ प्राप्त करने की कोशिश की गई थी;

ई.

एफ.

जी.

23 (2009) 4 एस. सी. सी. 523 (सिंह बिल्डर्स) 24 (2012) 1 एस. सी. सी. 455

25 भारतीय विधि आयोग, 'मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन' (246 वीं रिपोर्ट, अगस्त 2014) यहां उपलब्ध है:://भारत का विधि आयोग।ठीक है।/ रिपोर्ट/रिपोर्ट 246 में।पी. डी. एफ.> 29 जून 2022 को पहुँचा गया ("एल. सी. आई. 246 वीं रिपोर्ट")

एच.

(xvi) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 38 (1) के प्रावधान, जिसमें धारा 31 (8) में निर्दिष्ट लागतों के लिए अग्रिम के रूप में दावे और प्रति-दावे के लिए एक अलग "जमा" का प्रावधान है, का अर्थ मध्यस्थों की फीस को शामिल करना नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (14) या धारा 11 (3 ए) के तहत बनाई गई चौथी अनुसूची की आवश्यकता को नकार देगा, जैसा भी मामला हो।"लागत" के दायरे से "शुल्क" को अलग करके इसका सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है; (xvii) शुल्क और लागत पूरी तरह से अलग हैं।शुल्क प्रदान की गई पेशेवर सेवाओं के लिए एक वापसी या विचार है, जहां क्विड प्रो क्वो का एक तत्व है।शुल्क एक तदर्थ मध्यस्थता में पक्षों के बीच समझौते या एक संस्थागत मध्यस्थता में नियमों द्वारा तय किया जा सकता है।दूसरी ओर, खर्च मध्यस्थता की सुविधा में किए गए खर्च हैं, जिनमें मध्यस्थता के स्थान के लिए खर्च, परिवहन लागत और सचिवीय खर्च शामिल हैं; (xviii) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31 (8) में कहा गया है कि मध्यस्थता की लागत धारा 31 ए के अनुसार मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा तय की जाती है। शुल्क की अवधारणा के विपरीत, जो पार्टी की स्वायत्तता पर आधारित है, लागत के निर्धारण में पार्टी की स्वायत्तता की कोई भागीदारी नहीं है।

बी.

सी.

डी.

ई.

(xix) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31 ए की उप-धाराएं (3) और (4) उन परिस्थितियों की गणना करती हैं जिन्हें मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लागत निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है।इनमें से कोई भी परिस्थिति मध्यस्थों के शुल्क का कोई संदर्भ नहीं देती है, लेकिन मध्यस्थता कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने की प्रक्रिया में किए गए खर्चों का उल्लेख करती है।

एफ.

(x) गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

जबकि मध्यस्थों की फीस भुगतान की जाने वाली लागत का एक घटक हो सकती है, लेकिन यह कहना दूर की बात है कि धारा 31 (8) और 31 ए सीधे उन अनुबंधों को नियंत्रित करेंगे जिनमें शुल्क संरचना पहले ही निर्धारित की जा चुकी है।धारा 31 ए के साथ पठित धारा 31 (8) आम तौर पर लागतों से संबंधित है लेकिन मध्यस्थ शुल्क से संबंधित नहीं है।

जी.

(xxi) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31 ए (1) के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस उप-धारा के उद्देश्य के लिए "लागत" का अर्थ "शुल्क" और ए के खर्चों से संबंधित उचित लागत है।

एच.

697

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

मध्यस्थ।स्पष्टीकरण चौथी अनुसूची और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 38 (1) के साथ पठित धारा 11 (14) में निहित विधायी इरादे के प्रभाव को हटा देता है। में।

दत्तात्रेय गोविंद महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य 26,

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विधायिका का इरादा सर्वोपरि है;

बी.

(xxii) इसके अलावा, धारा 31 ए (1) का स्पष्टीकरण, जिसमें यह प्रावधान है कि लागतों में "मध्यस्थों, न्यायालयों और गवाहों की फीस और खर्च" शामिल हैं, को धारा 31 ए (1) (ए) के संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें यह प्रावधान है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को यह निर्धारित करने का विवेकाधिकार है कि "क्या लागतें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय हैं"। उपरोक्त का निहितार्थ यह है कि जब लागत सफल पक्ष को दी जाती है, तो यह मध्यस्थता पर खर्च की गई पूरी राशि की भरपाई करेगा, जिसमें मध्यस्थों, अदालत और गवाहों की फीस और

खर्च शामिल हैं, जो मध्यस्थता के लिए मुआवजे के रूप में है जो इसके खिलाफ विफल रहा है। यह मध्यस्थों द्वारा शुल्क के एक नए निर्धारण को संदर्भित नहीं करता है; वे केवल वही हकदार हैं जो समझौते में कहा गया है।यह कहना असाधारण होगा कि मध्यस्थ धारा 31 ए के तहत लागत निर्धारित करने के अंतिम चरण में एक नया शुल्क निर्धारित कर सकते हैं।

सी.

डी.

(xxiii) चौथी अनुसूची में "विवाद में राशि" वाक्यांश का उपयोग किया गया है और मध्यस्थता अधिनियम में इस वाक्यांश का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी ओर, धारा 38 जमाओं से संबंधित है और वह भी प्रारंभिक चरण में धारा 31 (8) में निर्दिष्ट लागतों के लिए अग्रिम के रूप में।इन प्रावधानों का उपयोग "विवाद में राशि" शब्द की व्याख्या करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यदि अधिनियमित करने वाले भाग की भाषा अस्पष्ट है, तो विधायिका के इरादे को समझने के लिए अनुसूची का उल्लेख किया जाना चाहिए।इस प्रकार, चौथी अनुसूची धारा 38 के प्रावधानों को हटा देगी, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मध्यस्थ शुल्क दावा और प्रति-दावे की संचयी राशि को संदर्भित करता है।

ई.

एफ.

जी.

(XXIV) चौथी अनुसूची मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 27 द्वारा पेश की गई थी।विधायिका थी

26 (1977) 2 एससीसी 54

27 " मध्यस्थता संशोधन अधिनियम 2015 "

एच.

धारा 38 (1) में प्रयुक्त शब्दावली से अवगत है और "लागत" या "जमा" शब्दों का उपयोग कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने "विवाद में राशि" शब्द का उपयोग करना चुना; और

(XXV) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी कंपनियों के विपरीत, मध्यस्थों द्वारा लिए जाने वाले उच्च शुल्क को वहन नहीं कर सकते हैं।मध्यस्थों द्वारा लिए जा रहे भारी शुल्क का भुगतान करने

में विफलता ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है जहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खिलाफ पक्षपात करता है।

बी.

B. 2 उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ

36. उत्तरदाताओं की ओर से, वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया है:

सी.

(i) यदि पक्षों ने एक शुल्क अनुसूची निर्धारित की है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण बिना किसी चेतावनी के बिना किसी शर्त के इसके लिए बाध्य होने के लिए सहमत है, तो सहमत अनुसूची लागू होगी।हालाँकि, मध्यस्थता अधिनियम में यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए जहाँ पक्ष शुल्क अनुसूची के लिए सहमत होने में असमर्थ हों।इसके बाद सवाल उठता है कि क्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपनी फीस खुद तय कर सकता है।

डी.

(ii) शुल्क निर्धारण के मुद्दे को धारा 31 (8) (मध्यस्थता संशोधन अधिनियम 2015 से पहले) या धारा 31 ए (मध्यस्थता संशोधन अधिनियम 2015 के बाद) के साथ पठित धारा 31 (8) के तहत "लागत" के एक हिस्से के रूप में निपटाया जाता है;

ई.

(iii) धारा 31 (8) और 31 ए "मध्यस्थ पुरस्कार बनाना और कार्यवाही की समाप्ति" शीर्षक वाले अध्याय VI का हिस्सा हैं, जिसका तात्पर्य है कि पुरस्कार दिए जाने तक शुल्क का मुद्दा निर्धारण के लिए खुला रहता है।इसी तरह की प्रथा का पालन अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम 1996, UNICITRAL नियमों और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल नियमों के तहत किया जाता है। इसलिए, यदि मध्यस्थों की फीस के संबंध में पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं है और मध्यस्थता आगे बढ़ी है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण पारिश्रमिक के अपने अधिकार का हकदार होगा, जिसे धारा 31 ए (1) के स्पष्टीकरण के तहत प्रदान की गई "उचित लागत" के एक हिस्से के रूप में स्पष्ट किया गया है।

एफ.

जी.

((iv) यह सुझाव दिया गया है कि यह न्यायालय दिशानिर्देश प्रदान कर सकता है जहां तीन मामले प्रबंधन सुनवाई की जा सकती है।

एच.

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

मध्यस्थता के प्रारंभिक चरण में जो मध्यस्थों के शुल्क के निर्धारण की ओर ले जाता है, जिसे असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर नहीं बदला जाएगा;

(v) मध्यस्थ (ओं) शुल्क में वृद्धि की मांग कर सकते हैं यदि मध्यस्थता कार्यवाही के पूरा होने में अनुचित देरी होती है; (vi) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 38 (1) के तहत अग्रिम रूप से जमा या पूरक जमा की राशि तय करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण को सशक्त करके मध्यस्थ (ओं) के पारिश्रमिक का अधिकार सुरक्षित किया जाता है, जो धारा 38 (3) के तहत मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति पर अंतिम लेखांकन का एक हिस्सा है।इस अधिकार का प्रवर्तन धारा 39 (1) के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण को निर्णय पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देकर सुनिश्चित किया जाता है।

बी.

सी.

(vii) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 39 (1) एक पक्ष को लागत (शुल्क सहित) के मुद्दे को हल करने के लिए अदालत से संपर्क करने की अनुमति देती है क्योंकि अदालत "उचित मानेगी"।मध्यस्थता न्यायाधिकरण का उचित लागत निर्धारित करने का अधिकार (शुल्क के अंतिम निर्धारण सहित) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31 ए के साथ पठित धारा 39 के तहत न्यायिक रूप से समीक्षा योग्य है।

डी.

(viii) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31 (8) में प्रावधान है कि मध्यस्थता की लागत अधिनियम की धारा 31 ए के संदर्भ में तय की जाएगी। धारा 31 ए (1) के स्पष्टीकरण में प्रावधान किया गया है कि "लागत" का अर्थ मध्यस्थों के शुल्क और खर्चों से संबंधित उचित लागत होगी।

ई.

(ix) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 38 (1) के परंतुक में स्पष्ट और असंदिग्ध शब्दों में यह प्रावधान है कि दावे और प्रति-दावे के लिए जमा करने के लिए एक अलग राशि तय की जा सकती है, यदि दावे के अलावा कोई प्रति-दावा पसंद किया जाता है; (x) मध्यस्थों की फीस जमा के लिए धारा 31 (8) के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित की जाने वाली

लागत का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसके लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण को दावों और प्रति-दावों के लिए अलग-अलग राशि तय करने का अधिकार है।

एफ.

जी.

(xi) चौथी अनुसूची में उल्लिखित वाक्यांश "विवाद में राशि" की व्याख्या उपरोक्त संदर्भ में की जानी चाहिए;

(xii) मध्यस्थता अधिनियम के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के बीच असंगति पर कोई निर्भरता

एच.

चौथी अनुसूची में तालिका के क्रम 6 में प्रविष्टि संविधान के अनुच्छेद 348 (1) (बी) (ii) में है, जिसमें प्रावधान है कि संसद द्वारा अंग्रेजी भाषा में पारित अधिनियम आधिकारिक पाठ होगा। इसके अलावा, अनुच्छेद 348 (1) एक गैर-अस्थाई खंड के साथ शुरू होता है जिसका अन्य प्रावधानों पर प्रबल प्रभाव पड़ता है।

बी.

(xiii) यदि विधायिका यह इंगित करना चाहती कि मध्यस्थ को देय शुल्क की अधिकतम सीमा 30,00,000 है, तो उसने बस ऐसा कहा होगा।क्रम 6 में प्रविष्टि में यह उपबंध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि ₹1,000 से अधिक और ₹3 की अधिकतम सीमा के साथ दावे की राशि की ₹2 + 0.5% की निश्चित राशि ऊपरी सीमा होगी; (xiv) प्रति-दावे एक अलग विवाद से उत्पन्न होते हैं, जो दावे से संबंधित विवाद से अलग होता है और ज्यादातर कार्रवाई के एक स्वतंत्र कारण के संबंध में होता है।यहां तक कि अगर मुख्य मुकदमा विफल हो जाता है, तो एक जवाबी दावा जीवित रह सकता है और जारी रह सकता है।इस प्रकार, प्रतिदावे की राशि पर एक अलग अदालत शुल्क (जहां अदालत में मुकदमा दायर किया जाता है) का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।एक प्रति-दावा एक सेट-ऑफ से अलग है, जो एक ही विवाद से उत्पन्न होता है और अदालत शुल्क के भुगतान की आवश्यकता के बिना मुख्य मुकदमे में समायोजन के रूप में दावा किया जा सकता है।

सी.

डी.

ई.

(xv) मध्यस्थता अधिनियम धारा 2 (9), धारा 23 (2 ए), धारा 31 ए और धारा 38 जैसे विभिन्न प्रावधानों में दावों और प्रति-दावों को स्पष्ट रूप से संदर्भित करता है;

(xvi) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (9), जिसमें कहा गया है कि भाग-I में दावे का कोई भी संदर्भ जवाबी दावे पर भी लागू होता है, को धारा 38 (1), धारा 31 ए और धारा 31 (8) के परंतुक के साथ पढ़ा जाना चाहिए; और

एफ.

(xvii) मध्यस्थों के शुल्क में वृद्धि को चुनौती देने के लिए पक्षपात एक उपयुक्त आधार नहीं है।

बी**. 3** न्यायमित्र की ओर से प्रस्तुतियाँ

जी.

37. न्यायमित्र के रूप में इस न्यायालय की सहायता करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हुज़ेफा अहमदी ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

(i) पक्ष की स्वायत्तता मध्यस्थता का व्यापक सिद्धांत है और इसे मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (6) में स्पष्ट किया गया है। यह पक्षों को प्रासंगिक कानून और प्रक्रिया ए निर्धारित करने की अनुमति देता है।

एच.

701

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

यह मध्यस्थता को नियंत्रित करेगा और अदालत के हस्तक्षेप को सीमित करेगा।पक्ष की स्वायत्तता का सिद्धांत मध्यस्थ (ओं) को देय शुल्क तय करने के लिए पक्षों की स्वतंत्रता तक फैला हुआ है;

(ii) 2015 में मध्यस्थता अधिनियम के संशोधन से पहले, मध्यस्थों के शुल्क का मुद्दा पक्षों और मध्यस्थों के बीच समझौते का विषय रहा होगा।हालाँकि, सिंह बिल्डर्स (ऊपर) में इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि मध्यस्थ एकतरफा, मनमाने ढंग से और असमान रूप से अपनी फीस तय कर रहे हैं।यह अवलोकन अदालत द्वारा नियुक्त मध्यस्थों के संदर्भ में किया गया था जहां यह न्यायालय इस तथ्य से चिंतित था कि पक्षकारों को अदालतों द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जा रहा था और ऐसे मध्यस्थों द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा था।इस न्यायालय ने नोट किया कि संस्थागत मध्यस्थता ने पहले ही इस समस्या

का समाधान कर दिया है क्योंकि मध्यस्थ संस्थान शुल्क तय करता है न कि मध्यस्थों को संस्थान के नियमों के संदर्भ में;

बी.

सी.

डी.

(iii) उपरोक्त पृष्ठभूमि में, विधि आयोग ने माना कि तदर्थ मध्यस्थता में मध्यस्थ शुल्क के मुद्दे को शुल्क संरचना को तर्कसंगत बनाने के लिए एक तंत्र की शुरुआत करके हल किया जाना चाहिए।शुल्क की एक मॉडल अनुसूची, चौथी अनुसूची, को मध्यस्थता संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से मध्यस्थता अधिनियम में जोड़ा गया था, जो उच्च न्यायालयों के लिए मध्यस्थों को देय शुल्क के निर्धारण को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा।शुल्क की यह मॉडल अनुसूची डी. आई. ए. सी. द्वारा विकसित शुल्क की अनुसूची पर आधारित थी और इसे उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया था।

ई.

(iv) चौथी अनुसूची को धारा 11 के तहत मध्यस्थों की नियुक्ति के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना है।यह अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर लागू नहीं होता है और तब लागू नहीं होता है जब पक्ष मध्यस्थता संस्थान के नियमों के संदर्भ में शुल्क के लिए सहमत हो जाते हैं।

एफ.

(v) उच्च न्यायालय मध्यस्थों को देय शुल्क के निर्धारण के लिए नियम बनाने में धीमे रहे हैं;

जी.

(vi) कुछ उच्च न्यायालयों का विचार रहा है कि चौथी अनुसूची केवल सूचक है और अनिवार्य नहीं है, जबकि अन्य ने माना है कि यह अनिवार्य है।इस प्रकार, चौथी अनुसूची की प्रकृति के बारे में अनिश्चितता है।में।

एच.

गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड (ऊपर), इस न्यायालय ने फैसला सुनाया

कि यदि किसी समझौते में पक्षकारों द्वारा शुल्क अनुसूची निर्धारित की जाती है, तो वे चौथी अनुसूची से बाध्य नहीं होंगे।इस निर्णय के अनुसरण में, कई उच्च न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए आगे बढ़े हैं कि चौथी अनुसूची केवल अदालत द्वारा नियुक्त

मध्यस्थों पर लागू होती है यदि स्पष्ट रूप से कहा गया हो या यदि पक्ष और मध्यस्थ इसकी प्रयोज्यता पर सहमत हो गए हों;

बी.

(vii) मध्यस्थता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा धारा 11 में और संशोधन किया गया है। धारा 11 की उप-धारा (14) में अब कहा गया है कि "मध्यस्थ संस्था चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अधीन मध्यस्थ न्यायाधिकरण की फीस और मध्यस्थ न्यायाधिकरण को इसके भुगतान का तरीका निर्धारित करेगी।"संशोधित धारा 11 को लागू नहीं किया गया है और यह दो अपवादों के अधीन है।महत्वपूर्ण रूप से, एक बार संशोधन लागू होने के बाद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण का शुल्क मध्यस्थ की नियुक्ति करने वाली मध्यस्थ संस्था द्वारा तय किया जाएगा।चौथी अनुसूची की प्रकृति के बारे में इस न्यायालय की व्याख्या का संशोधित धारा 11 पर भी प्रभाव पड़ेगा जब इसे लागू किया जाएगा।

सी.

डी.

(viii) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या "विवाद में राशि" शब्द दावा और प्रति-दावा दोनों को संदर्भित करता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या एक प्रति-दावे को एक स्वतंत्र दावे के रूप में माना जा सकता है जिसके लिए एक कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 23 वह आधार प्रदान करती है जिसके आधार पर प्रतिदावे पर निर्णय लिया जाना है।धारा 23 यह निर्धारित नहीं करती है कि प्रति-दावा दावे से जुड़ा या संबंधित होना चाहिए; बल्कि यह केवल यह बताती है कि प्रति-दावा मध्यस्थता समझौते के दायरे में आना चाहिए;

ई.

एफ.

(ix) प्रति-दावे की स्वतंत्र प्रकृति को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 38 (1) और 38 (2) के तहत निम्नलिखित शर्तों में मान्यता दी गई है, जहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अधिकार दिया गया हैः

जी.

(क) दावे और प्रति-दावे पर जमा की अलग-अलग राशि निर्धारित करें; और

(ख) दावा या प्रति-दावे के संबंध में कार्यवाही को निलंबित या समाप्त करें, यदि न्यायाधिकरण द्वारा भुगतान करने के लिए निर्देशित जमा राशि पक्षों द्वारा भुगतान नहीं की जाती है;

एच.

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

(x) दावों और प्रति-दावों को सी. पी. सी. के आदेश VIII के अनुरूप प्रावधानों के तहत अलग से माना जाता है;

(xi) प्रति-दावे से संबंधित कार्यवाही तब भी जीवित रह सकती है जब दावे से संबंधित कार्यवाही समाप्त हो जाती है;

(xii) धारा 2 (9) में केवल यह प्रावधान है कि किसी दावे से संबंधित मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान प्रति-दावे पर उत्परिवर्तित रूप से लागू होंगे।यह एक परिभाषा खंड नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल प्रक्रियात्मक पहलुओं पर लागू होना है।वास्तव में, यह इस तर्क को मजबूत करता है कि चौथी अनुसूची के तहत "दावा राशि" प्रति-दावों पर उत्परिवर्तित रूप से लागू होगी और यह दावों और प्रति-दावों का एक समूह नहीं है;

बी.

सी.

(xiii) एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को चौथी अनुसूची के तहत दावों और प्रति-दावों के लिए अलग से अपनी फीस तय करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है;

(xiv) चौथी अनुसूची स्पष्ट रूप से यह नहीं बताती है कि "विवाद में राशि" में एक प्रति-दावा शामिल है;

डी.

(xv) जब तक धारा 11 में संशोधन अधिसूचित नहीं किया जाता है, मध्यस्थों को नियुक्त करने वाले न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पक्षों को उन शर्तों के बारे में जागरूक किया जाए जिन पर नियुक्ति की गई है और विशेष रूप से चौथी अनुसूची लागू है या नहीं।न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पक्षकारों को मध्यस्थ (ओं) को देय शुल्क और खर्चों पर स्पष्टता हो।

ई.

(xvi) यह न्यायालय सिफारिश कर सकता है कि धारा 11 में संशोधनों से पहले या अधिसूचित करते समय, चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दरों को वर्तमान समय में यथार्थवादी दरों को दर्शाने के लिए संशोधित किया जा सकता है;

एफ.

(xvii) मध्यस्थता अधिनियम का कोई भी प्रावधान मध्यस्थों को अपनी फीस तय करने का अधिकार नहीं देता है।अधिनियम की योजना इंगित करती है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को केवल मध्यस्थता के दौरान किए गए खर्चों (मध्यस्थों के शुल्क सहित) को विभाजित करने का अधिकार है जैसा कि पुरस्कार पारित करने के समय पक्षों के बीच होता है।

जी.

(xviii) मध्यस्थों का पारिश्रमिक मध्यस्थों और पक्षों के बीच सीधी बातचीत और समझौते के अधीन है और कार्यवाही की शुरुआत में निर्धारित किया जाना चाहिए।

एच.

पक्षकारों और मध्यस्थों के बीच जिस शुल्क पर सहमति हुई है, उसे उस समय लागत के एक हिस्से के रूप में विभाजित किया जाता है जब पुरस्कार पारित किया जाता है।इस विचार का समर्थन गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा किया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि "यह सच है कि मध्यस्थ की फीस भुगतान की जाने वाली लागत का एक घटक हो सकती है, लेकिन इसके बाद यह कहना बहुत दूर की बात है कि धारा 31 (8) और 31 ए सीधे उन अनुबंधों को नियंत्रित करेंगे जिनमें शुल्क संरचना पहले ही निर्धारित की जा चुकी है";

बी.

(xix) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 39 भी मध्यस्थता न्यायाधिकरण को केवल मध्यस्थता की किसी भी अवैतनिक लागत के लिए पक्षों से निर्णय लेने का अधिकार देती है।इन अवैतनिक लागतों में मध्यस्थों की फीस शामिल हो सकती है जिस पर पार्टियों के बीच पहले सहमति हुई थी और जिसका भुगतान नहीं किया गया था।

सी.

((x) पक्षकारों और मध्यस्थों के बीच सहमत शुल्क से किसी भी विचलन के लिए पक्षकारों की सहमति की आवश्यकता होगी।यदि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता कार्यवाही के बाद के चरण में अपनी फीस में बदलाव करने की अनुमति दी जाती है तो यह पक्षों के लिए अनुचित और अनुचित होगा।एक उन्नत स्तर पर, पक्ष मध्यस्थता न्यायाधिकरण से असहमत होने के लिए आशंकित हो सकते हैं और इसके द्वारा मांगे गए अनुचित और मनमाने शुल्क के लिए सहमत हो सकते हैं;

डी.

ई.

(xxi) चौथी अनुसूची के तहत देय शुल्क मध्यस्थता न्यायाधिकरण के प्रत्येक सदस्य पर लागू होगा।इसे सदस्यों के बीच विभाजित एकमुश्त राशि नहीं माना जा सकता है।चौथी अनुसूची के नोट में प्रावधान किया गया है कि जहां न्यायाधिकरण में एकमात्र मध्यस्थ होता है, वे चौथी अनुसूची के तहत देय शुल्क के अलावा 25 प्रतिशत के हकदार होंगे।यह बेतुका होगा यदि एकमात्र मध्यस्थ चौथी अनुसूची के तहत निर्धारित राशि के अलावा 25 प्रतिशत का हकदार होगा, लेकिन तीन या अधिक सदस्यों वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के मामले में, पूरे शुल्क को विभाजित करना होगा।

एफ.

जी.

(xxii) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 10 के तहत, पक्ष मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।यदि कोई समझौता नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट नियम एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने का है।पार्टियाँ हमेशा एक एकल मध्यस्थ नियुक्त कर सकती हैं, लेकिन यदि समझौते से अपमान करने के लिए तैयार नहीं हैं जो ए के लिए प्रावधान करता है

एच.

705

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

तीन या अधिक मध्यस्थों की नियुक्ति, फिर उन्हें तदनुसार लागत वहन करनी होगी;

(xxiii) चौथी अनुसूची में रुपये 30,00,000 की अधिकतम सीमा केवल 20 करोड़ रुपये से अधिक की दावा राशि के 0.5 प्रतिशत के योग पर लागू होती है।अभिव्यक्ति "+" जो रुपये 19,87,500 के बाद दिखाई देती है, असंगत है; और

बी.

(XXIV) चौथी अनुसूची अंग्रेजी में पेश की गई थी जबकि हिंदी संस्करण अनुवाद था।अतः अंग्रेजी संस्करण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।एक अल्पविराम एक वैधानिक प्रावधान के अर्थ को निर्धारित करने के लिए निर्णायक नहीं है।

सी.

38. श्री अहमदी ने अदालत से भारत में तदर्थ मध्यस्थता को नियंत्रित करने के लिए कुछ निर्देश जारी करने का भी आग्रह किया।इन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः“1. ऐसे मामलों में जहां मध्यस्थ की नियुक्ति पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता समझौते में निर्धारित तरीके से की जाती है, मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन पर, पक्षकार और मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता न्यायाधिकरण के संदर्भ की शर्तों ("संदर्भ की शर्तों") को अंतिम रूप देने के लिए आपस में प्रारंभिक सुनवाई करेंगे।मध्यस्थता न्यायाधिकरण को संदर्भ की शर्तों में अपने शुल्क के घटकों को निर्धारित करना चाहिए जो पक्षों और मध्यस्थता न्यायाधिकरण के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के रूप में काम करेंगे।एक बार संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देने और जारी करने के बाद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए यह खुला नहीं होगा कि वह निर्धारित शुल्क या उन शीर्षों में बदलाव करे जिनके तहत शुल्क लिया जा सकता है।

डी.

ई.

2. पक्षकार और मध्यस्थ न्यायाधिकरण संदर्भ की शर्तों में एक उत्कीर्णन कर सकते हैं कि उसमें निर्धारित शुल्क का विश्लेषण अभिवचनों के पूरा होने पर किया जा सकता है।विवाद के अंतिम निर्णय के लिए आवश्यक बैठकों की संख्या का पता लगाने के लिए पक्षकार और मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक और बैठक आयोजित कर सकते हैं, जिसके बाद संदर्भ की शर्तों को एक अतिरिक्त कार्यकाल के रूप में शामिल किया जा सकता है।

एफ.

3. ऐसे मामलों में जहां न्यायालय द्वारा मध्यस्थ (ओं) की नियुक्ति की जाती है, न्यायालय के आदेश में आदर्श रूप से स्पष्ट रूप से वह शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण लेने का हकदार होगा।तथापि, जहां न्यायालय अपने नियुक्ति आदेश में इस निर्धारण को मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर छोड़ देता है, वहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण और पक्षों को उपरोक्त प्रारूप व्यवहार निर्देश (1) में निर्दिष्ट तरीके से निर्दिष्ट संदर्भ की शर्तों पर सहमत होना चाहिए।

जी.

एच.

4. संदर्भ की शर्तों से कोई एकतरफा विचलन नहीं हो सकता है।संदर्भ की शर्तें पक्षों और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता होने के कारण, इसमें कोई भी संशोधन, संशोधन, परिवर्धन या संशोधन केवल पक्षों की सहमति से किया जा सकता है।

5. सभी उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (14) के प्रयोजनों के लिए मध्यस्थ शुल्क के लिए नियम तैयार करेंगे।"

बी.

39. इन प्रस्तुतियों के आधार पर, इस न्यायालय को अब मध्यस्थों की फीस के संबंध में निम्नलिखित मुद्दों को निर्धारित करने के लिए बुलाया गया हैः

सी.

(i) क्या मध्यस्थ (ओं) एकतरफा रूप से अपनी फीस निर्धारित करने के हकदार हैं;

((ख) क्या मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची में "विवादग्रस्त राशि" शब्द का अर्थ दावे और प्रति-दावे की राशियों का संचयी कुल है;

डी.

(iii) क्या मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची की क्रम संख्या 6 में प्रविष्टि में रुपये 30,00,000 की सीमा केवल शुल्क की परिवर्तनीय राशि या पूरी शुल्क राशि पर लागू होती है; और

ई.

(iv) क्या रुपये 30,00,000 की अधिकतम सीमा मध्यस्थ न्यायाधिकरण को देय संचयी शुल्क के रूप में लागू होती है या यह प्रत्येक मध्यस्थ को देय शुल्क का प्रतिनिधित्व करती है।

सी मध्यस्थों के शुल्क का निर्धारण सी**. 1** तुलनात्मक दृष्टिकोण

एफ.

40. यह मुद्दा कि क्या मध्यस्थों का पारिश्रमिक पक्षों द्वारा या मध्यस्थों द्वारा अपने दम पर तय किया जाना है, भारत में पूरी तरह से संबोधित नहीं किया गया है।वैश्वीकरण के आगमन के साथ दुनिया भर के लोग और व्यवसाय तेजी से आपस में जुड़े हुए हैं।इसलिए, मध्यस्थों के शुल्क के निर्धारण पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों द्वारा अपनाई गई प्रथाओं को देखना उपयोगी होगा।हमें शुरुआत में संस्थानों द्वारा प्रशासित मध्यस्थता और तदर्थ मध्यस्थता के बीच अंतर करना चाहिए।आमतौर पर, जब एक मध्यस्थ संस्था के तत्वावधान में एक मध्यस्थता आयोजित की जाती है, तो मध्यस्थों को देय शुल्क संस्थान द्वारा निर्धारित किया जाता है, कभी-कभी स्वतंत्र रूप से या एकमात्र या पीठासीन मध्यस्थ के परामर्श से।द ए.

जी.

एच.

707

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

पक्ष शुल्क तय करने के लिए मध्यस्थ (ओं) के साथ बातचीत में शामिल नहीं हैं।हालांकि, तदर्थ मध्यस्थता में, पक्षकार अपने पारिश्रमिक के संबंध में मध्यस्थों के साथ अपनी व्यवस्था करते हैं।

C. 1 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थिति

(i) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संयुक्त राष्ट्रीय आयोग 29

बी.

41. UNCITRAL ने 21 जून 1985 को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर एक मॉडल कानून अपनाया।यह आशा की गई थी कि राज्य अपने स्वयं के घरेलू कानून बनाते समय आदर्श कानून पर उचित विचार करेंगे।यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. मॉडल कानून को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता अधिनियम भी लागू किया गया है। अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया हैः

सी.

“जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCITRAL) ने 1985 में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर UNCITRAL मॉडल कानून को अपनाया हैः

और क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मध्यस्थता प्रक्रियाओं के कानून की एकरूपता की वांछनीयता और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता अभ्यास की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी देशों को उक्त मॉडल कानून पर उचित विचार करने की सिफारिश की है;

डी.

और जहाँ UNCITRAL ने 1980 में UNCITRAL सुलह नियमों को अपनाया है;

ई.

और जहां संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने उन मामलों में उक्त नियमों के उपयोग की सिफारिश की है जहां अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक संबंधों के संदर्भ में कोई विवाद उत्पन्न होता है और पक्ष सुलह का सहारा लेकर उस विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान चाहते हैं;

एफ.

और चूंकि उक्त आदर्श कानून और नियम अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक संबंधों में उत्पन्न होने वाले विवादों के निष्पक्ष और कुशल समाधान के लिए एक एकीकृत कानूनी ढांचे की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं;

और चूंकि उपरोक्त आदर्श कानून और नियमों को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता और सुलह के संबंध में कानून बनाना समीचीन है;

जी.

28 निगेल ब्लैकबी, कांस्टेनटाइन पार्टासाइड्स, एलन रेडफर्न और मार्टिन हंटर, रेडफर्न और हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (छठा संस्करण, 2015), अध्याय 4, पैराग्राफ

4.203 (" रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ") 29" UNCITRAL "

एच.

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाएः-"

42. UNCITRAL मॉडल कानून स्पष्ट रूप से मध्यस्थ (ओं) के पारिश्रमिक के अधिकार को मान्यता नहीं देता है।हालांकि, मध्यस्थों को उनकी सेवाओं के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए।यह पक्षों और मध्यस्थ के बीच संविदात्मक संबंध और प्रथागत अभ्यास से प्रवाहित होता है।

बी.

43. 1976 में शुरू किए गए मूल UNCITRAL नियमों का उपयोग एक अस्थायी मध्यस्थता के साथ-साथ मध्यस्थता को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है जहां एक मध्यस्थ संस्था शामिल थी।1976 के नियमों ने मध्यस्थ को अपनी फीस निर्धारित करने की अनुमति दी, जो विवाद की राशि और विवाद की जटिलता को ध्यान में रखते हुए उचित थी।यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. के नियमों के अनुसार मध्यस्थ को उन शुल्कों की अनुसूची को भी ध्यान में रखना चाहिए जो किसी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी या प्रदान किए गए हैं, यदि पक्ष 32 द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं।इस तरह की शुल्क अनुसूची के अभाव में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण नियुक्ति प्राधिकरण के साथ परामर्श करने के बाद ही अपनी शुल्क निर्धारित कर सकता है यदि किसी पक्ष ने नियुक्ति प्राधिकरण से शुल्क निर्धारित करने के लिए एक बयान प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है और नियुक्ति प्राधिकरण ने ऐसा विवरण प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की

है।हालांकि, नियुक्ति प्राधिकरण के पास मध्यस्थों को देय पारिश्रमिक के संबंध में न्यायाधिकरण के निर्णय को बदलने की शक्ति नहीं थी।34 मध्यस्थों के पास अपना पारिश्रमिक निर्धारित करने का अंतिम अधिकार था।टिप्पणीकारों ने नोट किया है कि यह मध्यस्थों के शुल्क को स्थापित करने के लिए एक "असामान्य दृष्टिकोण" था और आलोचना के अधीन था क्योंकि इसने मध्यस्थों को उनके मुआवजे को निर्धारित करने का अनुचित अधिकार दिया था।

सी.

डी.

ई.

44. UNCITRAL नियमों को 2010 में संशोधित किया गया था।नियम मध्यस्थों को अपनी फीस तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करना जारी रखते हैं, लेकिन नियुक्त करने वाले अधिकारियों का, यदि पक्षों द्वारा नामित किया जाता है, या स्थायी मध्यस्थता न्यायालय 36 का इन पर अधिक नियंत्रण होता है।

एफ.

30 गैरी बी बोर्न, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता (तीसरा संस्करण, 2021), अध्याय 13

(“ मध्यस्थता पर गैरीबोर्न ")

जी.

31 अनुच्छेद 39 (1) के साथ पठित अनुच्छेद 38 (ए), UNCITRAL नियम 1976 32 अनुच्छेद 39 (2)-(3), UNCITRAL नियम 1976

33 अनुच्छेद 39 (3)-(4), UNCITRAL नियम 1976

34 डी कैरन और एल कैप्लान, द UNCITRAL आर्बिट्रेशन रूल्सःएक टिप्पणी (2nd)

संस्करण, 2013), नोट 30 पर पृष्ठ 863 35 सुप्रा

36 “ पीसीए "

एच.

709

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

दृढ़ संकल्प।यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. नियम 2010 के अनुच्छेद 41 के साथ पठित अनुच्छेद 40 (2) (ए) मध्यस्थ न्यायाधिकरण को 1976 के नियम 37 के तहत निर्धारित समान तर्कसंगतता आवश्यकता और अन्य मानदंडों के अधीन अपनी फीस निर्धारित करने का

अधिकार देता है।मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अपने गठन के तुरंत बाद पक्षों को सूचित करना आवश्यक है कि "वह अपने शुल्क और खर्चों को कैसे निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें वह लागू करने का इरादा रखने वाली कोई भी दर भी शामिल है"।यह ध्यान दिया जाता है कि यह शुल्क निर्धारित करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाता है।मध्यस्थों द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा की जा सकती है, वे उचित नहीं हैं।यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. नियम 2010 के अनुच्छेद 41 (3) 40 और 41 (4) (बी) 41 के तहत, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा शुल्क के निर्धारण को प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर, पक्षकार मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क को समीक्षा के लिए नियुक्ति प्राधिकरण को भेज सकते हैं और यदि ऐसा कोई प्राधिकरण नामित नहीं किया गया है, तो समीक्षा पी. सी. ए. के महासचिव द्वारा की जाएगी। यदि पी. सी. ए. के महासचिव या नियुक्ति प्राधिकरण (यदि नामित किया गया है) को लगता है कि प्रस्तावित शुल्क अत्यधिक है, तो वह अनुच्छेद 41 (4) (सी) 42 के संदर्भ में आवश्यक समायोजन कर सकता है।इस प्रकार संशोधित शुल्क न्यायाधिकरण 43 पर बाध्यकारी हैं।

बी.

सी.

डी.

37 अनुच्छेद 41 (1) में कहा गया है:"मध्यस्थों का शुल्क और व्यय विवाद की राशि, विषय की जटिलता, मध्यस्थों द्वारा बिताए गए समय और मामले की किसी भी अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राशि में उचित होगा।"

ई.

38 अनुच्छेद 41 (3), UNCITRAL नियम 2010 39 टिप्पणी 34 पर उपर्युक्त

40 अनुच्छेद 41 (3) में कहा गया है:"उस प्रस्ताव को प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर, कोई भी पक्ष प्रस्ताव को समीक्षा के लिए नियुक्ति प्राधिकरण को भेज सकता है।यदि, इस तरह के निर्देश की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर, नियुक्ति प्राधिकरण पाता है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का प्रस्ताव अनुच्छेद 1 के साथ असंगत है, तो वह उसमें कोई भी आवश्यक समायोजन करेगा, जो मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर बाध्यकारी होगा।"

एफ.

41 अनुच्छेद 41 (4) (बी) में कहा गया है:"मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा शुल्क और व्यय के निर्धारण को प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर, कोई भी पक्ष इस तरह के निर्धारण की समीक्षा के लिए नियुक्ति प्राधिकरण को भेज सकता है। यदि किसी नियुक्ति प्राधिकरण पर सहमति नहीं बनी है या नामित नहीं किया गया है, या यदि नियुक्ति प्राधिकरण इन नियमों में निर्दिष्ट समय के भीतर कार्य करने में विफल रहता है, तो समीक्षा पीसीए के महासचिव द्वारा की जाएगी।

जी.

42 अनुच्छेद 41 (4) (सी) में कहा गया है:"यदि नियुक्ति प्राधिकारी या पी. सी. ए. के महासचिव को लगता है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्धारण अनुच्छेद 3 के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण के प्रस्ताव (और उसमें कोई समायोजन) के साथ असंगत है या अन्यथा स्पष्ट रूप से अत्यधिक है, तो वह इस तरह का निर्देश प्राप्त करने के 45

दिनों के भीतर, मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निर्धारण में कोई भी समायोजन करेगा जो अनुच्छेद 1 में मानदंडों को पूरा करने के लिए आवश्यक है।इस तरह का कोई भी समायोजन मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर बाध्यकारी होगा; "43 अनुच्छेद 41 (3), UNCITRAL नियम 2010

एच.

((ii) स्थायी मध्यस्थता न्यायालय

45. पी. सी. ए. नियम यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. नियम 2010 के आधार पर बनाए गए हैं।मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क और खर्चों की एक अनिवार्य स्वचालित समीक्षा प्रत्येक मामले के समापन पर पी. सी. ए. के महासचिव (पी. सी. ए. नियमों के तहत नियुक्ति प्राधिकरण के रूप में) द्वारा की जाती है।मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा की प्रक्रिया UNCITRAL नियम 2010 के तहत स्वचालित नहीं है।पक्ष न्यायाधिकरण को परेशान करने के डर से समीक्षा के प्रावधानों को लागू करने में संकोच कर सकते हैं या यदि वे निर्णय से असंतुष्ट हैं तो वे समीक्षा के लिए अनुचित अनुरोध कर सकते हैं।पी. सी. ए. नियम इन नुकसानों से बचाते हैं।पी. सी. ए. को मध्यस्थों द्वारा किए गए खर्चों के अग्रिमों का प्रबंधन करने का भी अधिकार है।हर बार जब किसी मध्यस्थ को जमा राशि से भुगतान किया जाता है, तो यह समीक्षा के अधीन होता है। पी. सी. ए. के नियम प्रासंगिक हो जाते हैं क्योंकि भारत ने पी. सी. ए. के साथ एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और भारत में पी. सी. ए. सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

बी.

सी.

(iii) लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन 46

डी.

46. एल. सी. आई. ए. की मध्यस्थता की लागत की अनुसूची मध्यस्थ (ओं) को देय शुल्क को नियंत्रित करती है।मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के लिए लिखित रूप में सहमत होना आवश्यक है।न्यायाधिकरण के शुल्क की गणना मध्यस्थता के संबंध में मध्यस्थ (ओं) द्वारा किए गए कार्य, मामले की जटिलता और मध्यस्थ (ओं) की योग्यता से संबंधित आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है।शुल्क एक घंटे के आधार पर लिया जाता है जो 500 पाउंड से अधिक नहीं होता है जब तक कि असाधारण परिस्थितियाँ न हों।इस प्रकार मध्यस्थ की भूमिका काम के घंटों की सूचना देने तक सीमित है जो भुगतान किए जाने वाले शुल्क का आधार है।

ई.

(iv) अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान केंद्र 48

एफ.

47. आई. सी. डी. आर. मामला प्रशासक मध्यस्थ (ओं) 49 के लिए दैनिक या प्रति घंटा दर तय करता है।शुल्क के निर्धारण में एक तत्व शामिल हो सकता है -

44 अनुच्छेद 41 (3) (ए), पी. सी. ए. नियम 2010

45 पी. सी. ए. नियमों का अनुच्छेद 43 कहता हैः“[टी] वह [पी. सी. ए.] यह सुनिश्चित करेगा कि अनुच्छेद 40 के अनुसार मध्यस्थता की लागत निर्धारित करने से पहले मध्यस्थता न्यायाधिकरण शुल्क और खर्चों का कोई भी संवितरण अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 1 और मध्यस्थता न्यायाधिकरण के प्रस्ताव (और उसमें कोई भी समायोजन) के मानदंडों के अनुरूप है।

जी.

46 “ एलसीआईए "

47 मध्यस्थता शुल्क और लागत की अनुसूची, एल. सी. आई. ए. नियम 2020

48 “ आईसीडीआर "

49 अनुच्छेद 38 (2), आईसीडीआर नियम 2021 ए

एच.

711

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

50 पक्षकारों और मध्यस्थों के बीच बातचीत।आई. सी. डी. आर. नियम 2021 के अनुच्छेद 38 में प्रावधान किया गया है कि "मध्यस्थों द्वारा खर्च किए गए समय, मामले के आकार और जटिलता और किसी भी अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थों की फीस और खर्च राशि में उचित होंगे।"

(v) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल 51

बी.

48. आई. सी. सी. नियम 2021 में कहा गया है कि आई. सी. सी. न्यायालय अपने विवेकाधिकार 53 के आधार पर विवाद की राशि के आधार पर या जहां राशि नहीं बताई गई है, उसके आधार पर मध्यस्थों के शुल्क 52 का निर्धारण करेगा।आई. सी. सी. न्यायालय को मध्यस्थ (ओं) की फीस निर्धारित करते समय "मध्यस्थ की परिश्रम और दक्षता, खर्च किया गया समय, कार्यवाही की तेजी, विवाद की जटिलता और मसौदा पुरस्कार प्रस्तुत करने की समयबद्धता" जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करना पड़ता है।54. आई. सी. सी. न्यायालय को

शुल्क बढ़ाने का अधिकार है यदि मध्यस्थता शीघ्रता से आयोजित की गई है और यदि निर्णय देने में देरी हुई है तो शुल्क को कम किया जा सकता है।

सी.

डी.

(vi) सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र 56

49. शुल्क पंजीयक द्वारा विवादग्रस्त राशि 57 के आधार पर शुल्क की अनुसूची के अनुसार निर्धारित किया जाता है।खर्च किया गया समय

50 आई. सी. डी. आर. नियम 2021 का अनुच्छेद 38 (2) प्रदान करता है:"मध्यस्थता शुरू होने के तुरंत बाद, प्रशासक पक्षकारों और सभी मध्यस्थों के परामर्श से मध्यस्थों की मुआवजे की बताई गई दर और मामले के आकार और जटिलता को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की एक उचित दैनिक या प्रति घंटा दर निर्धारित करेगा।

ई.

51 " आईसीसी "

52 आई. सी. सी. नियम 2021 का अनुच्छेद 38 (1) प्रदान करता है:"मध्यस्थता की लागत में मध्यस्थता की शुरुआत के समय लागू पैमाने के अनुसार न्यायालय द्वारा निर्धारित मध्यस्थता शुल्क और व्यय और आई. सी. सी. प्रशासनिक व्यय, साथ ही मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त किसी भी विशेषज्ञ के शुल्क और व्यय और मध्यस्थता के लिए पक्षों द्वारा किए गए उचित कानूनी और अन्य खर्च शामिल होंगे।" अनुच्छेद 38 (2) प्रदान करता है:"न्यायालय मध्यस्थों की फीस उस संख्या से अधिक या कम निर्धारित कर सकता है जो प्रासंगिक पैमाने के आवेदन के परिणामस्वरूप होगी यदि मामले की असाधारण परिस्थितियों के कारण इसे आवश्यक समझा जाता है।

एफ.

जी.

53 अनुच्छेद 2 (1), परिशिष्ट III (मध्यस्थता लागत और शुल्क), आईसीसी नियम 2021 54 अनुच्छेद 2 (2), परिशिष्ट III (मध्यस्थता लागत और शुल्क), आईसीसी नियम 2021

55 अनुच्छेद 118-22, मध्यस्थता के ICC नियमों (2019) के तहत मध्यस्थता के संचालन पर पार्टियों और मध्यस्थता न्यायाधिकरणों को टिप्पणी

56 " एस. आई. सी. "

57 एस. आई. ए. सी. नियम 2016 का नियम 36 (1) प्रदान करता है:न्यायाधिकरण का शुल्क पंजीयक द्वारा शुल्क की लागू अनुसूची के अनुसार या यदि लागू हो तो निर्धारित किया जाएगा -

एच.

शुल्क 58 के निर्धारण के लिए मामले और विवाद की जटिलता पर विचार किया जाता है। पक्षकारों के पास मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन से पहले शुल्क निर्धारित करने का एक वैकल्पिक तरीका प्रदान करने का विवेकाधिकार है।

(vii) हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र 60

बी.

50. पक्षकार या तो विवादग्रस्त राशि के आधार पर या प्रति घंटा 61 की दर से मध्यस्थों के शुल्क का निर्धारण करते हैं।यदि शुल्क का निर्णय विवादग्रस्त राशि के आधार पर किया जाता है, तो शुल्क नियमों में दिए गए दिशानिर्देशों और शुल्क तालिका के आधार पर तय किया जाएगा। यदि शुल्क प्रति घंटा दरों पर निर्धारित किया जाना है, तो सह-मध्यस्थ नामित करने वाले पक्ष के साथ बातचीत करेगा और उनके शुल्क पर सहमत होगा, और एक एकमात्र या पीठासीन मध्यस्थ पक्षों के साथ संयुक्त रूप से बातचीत करेगा।

सी.

नियम 34.1 के अनुसार पक्षों द्वारा सहमत विधि, और कार्यवाही का वह चरण जिस पर मध्यस्थता समाप्त हुई। असाधारण परिस्थितियों में, पंजीयक यह निर्धारित कर सकता है कि शुल्क की लागू अनुसूची में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

डी.

58 नोट 30 पर सुप्रा

59 एस. आई. ए. सी. नियम 2016 का नियम 34 (1) प्रदान करता हैः“न्यायाधिकरण की फीस और एस. आई. ए. सी. की फीस का निर्धारण मध्यस्थता शुरू होने के समय लागू फीस की अनुसूची के अनुसार किया जाएगा। न्यायाधिकरण के गठन से पहले पक्ष न्यायाधिकरण की फीस निर्धारित करने के वैकल्पिक तरीकों पर सहमत हो सकते हैं।

ई.

60 “ एचकेआईएसी "

61 एच. के. आई. ए. सी. नियम 2018 का अनुच्छेद 10.1 प्रदान करता हैः“मध्यस्थ न्यायाधिकरण के शुल्क और व्यय का निर्धारण इन दोनों में से किसी एक के अनुसार किया जाएगाः

(क) अनुसूची 2 के अनुसार एक घंटे की दर; या

(ख) अनुसूची 3 के अनुसार विवादग्रस्त राशि के आधार पर शुल्क की अनुसूची।पक्ष मध्यस्थता न्यायाधिकरण के शुल्क और व्यय निर्धारित करने के तरीके पर सहमत होंगे, और जिस तारीख को प्रत्यर्थी को मध्यस्थता की सूचना प्राप्त होती है, उसके 30 दिनों के भीतर एच. के. आई. ए. सी. को लागू विधि के बारे में सूचित करेंगे।यदि पक्ष लागू विधि पर सहमत होने में विफल रहते हैं, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण की फीस और खर्च अनुसूची 2 के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।

एफ.

62 एच. के. आई. ए. सी. नियम 2018 का अनुच्छेद 10.2 प्रदान करता हैः“जहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण की फीस अनुसूची 2 के अनुसार निर्धारित की जानी है,

जी.

(क) प्रत्येक सह-मध्यस्थ के लिए लागू दर उस सह-मध्यस्थ और नामित करने वाले पक्ष के बीच सहमत दर होगी।

(ख) पक्षकारों या सह-मध्यस्थों द्वारा नामित एकल या पीठासीन मध्यस्थ के लिए लागू दर, अनुसूची 2 के पैराग्राफ 9.3 से 9.5 के अधीन, उस मध्यस्थ और पक्षों के बीच सहमत दर होगी।जहां एक मध्यस्थ की दर अनुच्छेद 10.2 (ए) या (बी) के अनुसार सहमत नहीं है, या जहां एचकेआईएसी एक मध्यस्थ की नियुक्ति करता है, वहां एचकेआईएसी उस मध्यस्थ की दर निर्धारित करेगा।

एच.

713

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

(viii) निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र **63**

51. महासचिव, अध्यक्ष (प्रशासनिक परिषद के अध्यक्ष) की मंजूरी के साथ, आई. सी. एस. आई. डी. प्रशासनिक और वित्तीय विनियम 2022 64 के विनियम 14 के संदर्भ में प्रत्येक मध्यस्थ (ओं) को देय शुल्क और प्रति दिन भत्ता निर्धारित और प्रकाशित करेगा।विनियमों के पुराने 2006 संस्करण ने पक्षों को आई. सी. एस. आई. डी. 65 द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना से बाहर निकलने की अनुमति दी।

बी.

(ix) सारांश

52. आमतौर पर, जब एक मध्यस्थ संस्था के तत्वावधान में एक मध्यस्थता आयोजित की जाती है, तो मध्यस्थ (ओं) को देय शुल्क संस्था द्वारा ही तय किया जाता है।हालांकि, आई. सी. डी. आर., एस. आई. ए. सी. और एच. के. आई. ए. सी. जैसे कुछ मध्यस्थ संस्थान पक्षकारों को देय शुल्क के निर्धारण के लिए पक्षों और मध्यस्थों के बीच एक निश्चित स्तर की बातचीत की अनुमति देते हैं, जो पक्ष की स्वायत्तता के सिद्धांत को बनाए रखते हैं।आई. सी. डी. आर. प्रशासक द्वारा मध्यस्थ और पक्षों के परामर्श से मुआवजे के निर्धारण की अनुमति देता है। एस. आई. ए. सी. पक्षकारों को न्यायाधिकरण के गठन से पहले शुल्क की गणना करने की एक वैकल्पिक विधि का प्रस्ताव करने की अनुमति देता है।एच. के. आई. ए. सी. पक्षों को विवाद की राशि या प्रति घंटा दरों के आधार पर पारिश्रमिक के बीच चयन करने में सक्षम बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि UNCITRAL नियम 2013 मध्यस्थ को अपनी फीस निर्धारित करने में अधिक नियंत्रण की अनुमति देता है।हालांकि, नामित नियुक्ति प्राधिकरण या पी. सी. ए. के

महासचिव मध्यस्थ (ओं) द्वारा प्रस्तावित शुल्क में समायोजन कर सकते हैं।इस प्रकार, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय निकाय (मध्यस्थ संस्थानों सहित) मध्यस्थ को अपनी फीस तय करने के लिए पूर्ण या एकतरफा शक्ति प्रदान नहीं करता है।गैरी बॉर्न ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है कि, "कई अन्य संस्थागत नियम भी भूमिका को कम करते हैं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

63 " आई. सी. एस. आई. डी "

64 विनियम 14 (2) में कहा गया है:"महासचिव, अध्यक्ष की मंजूरी से, अनुच्छेद (1) (ए) और (सी) में निर्दिष्ट शुल्क की राशि और प्रति दिन भत्ते का निर्धारण और प्रकाशन करेगा।किसी सदस्य द्वारा अधिक राशि के लिए कोई भी अनुरोध महासचिव के माध्यम से लिखित रूप में किया जाएगा, न कि सीधे पक्षों को।इस तरह का अनुरोध आयोग, न्यायाधिकरण या समिति के गठन से पहले किया जाना चाहिए और अनुरोध की गई वृद्धि को उचित ठहराएगा।

जी.

65 विनियम 14 में कहा गया है:"(1) जब तक कन्वेंशन के अनुच्छेद 60 (2) के अनुसार अन्यथा सहमति नहीं हो जाती है, और किसी भी प्रत्यक्ष खर्च के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के अलावा, एक आयोग, एक न्यायाधिकरण या कन्वेंशन के अनुच्छेद 52 (3) के अनुसार मध्यस्थों के पैनल से नियुक्त एक तदर्थ समिति (जिसे इसके बाद "समिति" के रूप में संदर्भित किया गया है) को प्राप्त होगा।

एच.

न्यायाधिकरण की फीस तय करने में मध्यस्थों की।ये नियम आम तौर पर विवाद "66 में राशि के संदर्भ में मध्यस्थ के शुल्क की राशि तय करते हैं।

ग**. 2** अन्य राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों में स्थिति

53. यद्यपि मध्यस्थों को पारिश्रमिक के भुगतान को नियंत्रित करने वाली कानूनी व्यवस्था के संबंध में सभी विदेशी क्षेत्राधिकारों की व्यापक समीक्षा करना संभव नहीं होगा, हमने कुछ ऐसे क्षेत्राधिकारों पर चर्चा की है जिन्होंने या तो स्पष्ट रूप से मध्यस्थों के पारिश्रमिक के अधिकार को मान्यता दी है और/या मध्यस्थों की अपने स्वयं के पारिश्रमिक को निर्धारित करने की शक्ति के मुद्दे से निपटा है।

बी.

((i) इंग्लैंड

सी.

54. अंग्रेजी अदालतों ने माना है कि मध्यस्थ के अधिकार और कर्तव्य अनुबंध और स्थिति 67 के संयोजन से उत्पन्न होते हैं।नियुक्ति स्वीकार करने पर, मध्यस्थ मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष बन जाता है, जिससे पक्षों और मध्यस्थ के बीच एक त्रिपक्षीय अनुबंध होता है।हालाँकि, अंग्रेजी अदालतें स्वीकार करती हैं कि मध्यस्थ और पक्षों के बीच संबंधों के कुछ पहलू भी मध्यस्थ की अर्ध-न्यायिक स्थिति से प्रभावित होते हैं, जिसके लिए मध्यस्थ को पक्षों से स्वतंत्र होने की आवश्यकता होती है।

डी.

55. अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम 1996 70 की धारा 28 एक मध्यस्थ की पारिश्रमिक की पात्रता को मान्यता देती है।यह एक अनिवार्य प्रावधान है जिसे 71 से कम नहीं किया जा सकता है।धारा 28 (1) सामान्य कानून की स्थिति 72 को संहिताबद्ध करती है कि पक्षकार संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से मध्यस्थ (ओं) को उचित शुल्क और खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं जैसा कि परिस्थितियों में उचित है।धारा 28 (5) के संदर्भ में, मध्यस्थ (ओं) पक्षकारों के साथ उनके द्वारा सहमत शुल्क और खर्चों का भुगतान करने के हकदार हैं।हालाँकि, यदि ऐसा कोई समझौता नहीं है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण मांग कर सकता है

ई.

एफ.

66 नोट 30 पर सुप्रा

67 के. एस. नोरजार्ल ए. एस. बनाम हुंडई हैवी इंडस।कं., [1992] 1 क्यू. बी. 863,884

68 कम्पैग्नी यूरोपीने डी सेरियल्स एसए बनाम ट्रेडैक्स एक्सप। SA, [1986] 2 लॉयड्स

प्रतिनिधि 301 (क्यू. बी.)

69 जीवराज बनाम हाशवानी, [2011] यूकेएससी 40

जी.

70 “ अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम "

71 अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम की धारा 4 (1) और अनुसूची 1

72 लुकास ए मिस्टेलिस (संस्करण), संक्षिप्त अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता (दूसरा संस्करण, 2015), अध्याय

23 (“ मध्यस्थता पर गलती ")

73 धारा 28 (5) में प्रावधान है:"इस धारा में कुछ भी मध्यस्थता की सभी या किसी भी लागत का भुगतान करने के लिए किसी अन्य पक्ष के लिए किसी भी पक्ष के दायित्व को प्रभावित नहीं करता है (धारा 59 से 65 देखें) या मध्यस्थ के अपने शुल्क और खर्चों के भुगतान के लिए कोई संविदात्मक अधिकार।"

एच.

715

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

एक, कुछ या सभी पक्षों से इस तरह के शुल्क और खर्चों का भुगतान।शुल्क और खर्चों का भुगतान करने के लिए पक्षों की देयता अदालतों द्वारा निर्धारित की जा सकती है।न्यायालय मध्यस्थ (ओं) के मानक शुल्क, निवेशित समय, विवाद की जटिलता और क्या न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं उपयुक्त थीं, जैसे कारकों पर विचार कर सकता है।धारा 33 (1) (बी) में कहा गया है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का कर्तव्य है कि वह उन प्रक्रियाओं को अपनाए जो मामले की परिस्थितियों के अनुकूल हों और अनावश्यक देरी या खर्चों से बचने के लिए, ताकि विवाद के समाधान के लिए एक उचित साधन प्रदान किया जा सके।न्यायालय मध्यस्थ (ओं) या मध्यस्थ संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क 76 की समीक्षा करने का भी हकदार है, जिस पर पक्षकारों द्वारा संविदात्मक रूप से सहमति नहीं दी गई है।हालाँकि, यदि किसी मध्यस्थ या मध्यस्थ संस्था के साथ समझौता भुगतान की शर्तों के बारे में स्पष्ट नहीं है, तो अदालत शुल्क की समीक्षा करने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है, ताकि यह जांच की जा सके कि क्या वे उचित 78 हैं।यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां केवल एक पक्ष शुल्क के लिए सहमत हुआ है और शुल्क को अनुचित माना गया है, तो दूसरा पक्ष केवल संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उस राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जिसे अदालत ने उचित निर्धारित किया है, लेकिन पहला पक्ष संविदात्मक रूप से सहमत राशि 79 का भुगतान करने के लिए संविदात्मक रूप से उत्तरदायी हो सकता है।

बी.

सी.

डी.

((ii) इटली

56. इतालवी सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 814 में प्रावधान है कि मध्यस्थों को किए गए काम के लिए खर्च और शुल्क का अधिकार है, जब तक कि उन्होंने स्वीकृति के समय या बाद में लिखित बयान के माध्यम से इस अधिकार को माफ नहीं कर दिया हो।अनुच्छेद 814 में यह भी प्रावधान किया गया है कि पक्षकार मध्यस्थता कार्यवाही के शुल्क और खर्चों का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी हैं, चाहे उनके बीच मध्यस्थता

लागत कैसे विभाजित की जाए।यदि एक पक्ष ने मध्यस्थ को देय शुल्क और खर्चों के सभी भुगतान कर दिए हैं, तो वे निर्णय में निर्धारित सीमाओं के अधीन दूसरे पक्ष से इस राशि की वसूली करने के हकदार हैं।

ई.

एफ.

74 नोट 72 पर सुप्रा

75 आई. बी. आई. डी.

76 धारा 28 (2) में प्रावधान है:"कोई भी पक्ष न्यायालय में आवेदन कर सकता है (अन्य पक्षों और मध्यस्थों को सूचना देने पर) जो आदेश दे सकता है कि मध्यस्थों के शुल्क और खर्चों की राशि पर विचार किया जाएगा और ऐसे साधनों और ऐसी शर्तों पर समायोजित किया जाएगा जो वह निर्देशित करे।"

जी.

77 हुसमैन (यूरोप) लिमिटेड बनाम अल अमीन डेवलपमेंट एंड ट्रेड, [2000] 2 लॉयड्स

प्रतिनिधि. 83.क्वींस बेंच डिवीजन (वाणिज्यिक न्यायालय)), पैराग्राफ 71-72

78 आई. बी. आई. डी.

79 नोट 72 पर सुप्रा

एच.

57. अनुच्छेद 814 यह भी मानता है कि मध्यस्थ (ओं) निर्णय में अपनी शुल्क निर्धारित करते हैं और ऐसे शुल्क के भुगतान की जिम्मेदारी आवंटित करते हैं।हालांकि, इस तरह का निर्धारण तब तक बाध्यकारी नहीं है जब तक कि पक्ष मध्यस्थ (ओं) द्वारा प्रस्तावित शुल्क को मंजूरी नहीं देते।यदि शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, तो मध्यस्थ शुल्क के निर्धारण के लिए उस जिले में न्यायालय के अध्यक्ष से संपर्क कर सकता है जहां मध्यस्थता बैठती है।यह आदेश 80 पक्षों के खिलाफ लागू करने योग्य है।शुल्क की अनुसूची घरेलू तदर्थ मध्यस्थता 81 के लिए इतालवी न्याय मंत्रालय द्वारा जारी मंत्रिस्तरीय फरमान में प्रदान की गई है।

बी.

(iii) स्वीडन

58. मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपनी फीस निर्धारित करने का अधिकार है जब तक कि पक्षों के बीच कोई समझौता न हो।स्वीडिश मध्यस्थता अधिनियम 83 की धारा 37 (1) में यह प्रावधान है कि पक्षकार काम और खर्चों के लिए मध्यस्थ को उचित मुआवजा देने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी हैं।स्वीडिश सुप्रीम कोर्ट ने "उचित मुआवजे" शब्दों की व्याख्या मध्यस्थ (ओं) द्वारा बिताए गए समय का आकलन और मध्यस्थ (ओं) 84 की योग्यता के लिए की है।स्वीडिश सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि विवाद में राशि के मूल्य की तुलना में मध्यस्थता की असमान रूप से उच्च लागत के लिए मुआवजे में कमी की आवश्यकता नहीं है।

सी.

डी.

59. स्वीडिश मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 तब तक लागू होती है जब तक कि पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से इस तरीके से निर्णय नहीं लिया जाता है जो मध्यस्थों पर बाध्यकारी हो। टिप्पणीकारों ने इस प्रकार नोट किया है कि धारा 37 गैर -

ई.

80 सीएमएस एक्सपर्ट गाइड, "इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन लॉ एंड रूल्स इन इटली", पर उपलब्ध है।//सीएमएस।29 जून 2022 को कानून/एन/इंट/विशेषज्ञ-गाइड/सी. एम. एस.-विशेषज्ञ-गाइड-से-अंतर्राष्ट्रीय-मध्यस्थता/इटली तक पहुँचा गया; यह भी देखें, इतालवी सिविल प्रक्रिया संहिता, जो यहां उपलब्ध हैः//डब्ल्यू. डब्ल्यू.अंतर्राष्ट्रीय-मध्यस्थता-अधिवक्ता।कॉम/डब्ल्यूपी-सामग्री/अपलोड/2013/07 Italy-Arbitration-Law.pdf> 29 जून 2022 को पहुँचा गया

एफ.

81 सेसिलिया कैरारा, स्टेफानो पार्लटोर, डेनियल गेरोंज़ी आदि।अल, इटली में मध्यस्थता प्रक्रियाएँ और अभ्यास, पर उपलब्ध <HTTPS://ब्रिटेन।व्यावहारिक रूप से।थॉमसनरेटर्स।com/6-383-9187?ट्रांजिशन टाइप = डिफ़ॉल्ट & कॉन्टेक्स्टडेटा = (sc.Default) & फर्स्टपेज = true#co_anchor_a719112> को 29 जून 2022 को एक्सेस किया गया

82 एनेट मैग्नसन, जैकब रागनवाल्ड और मार्टिन वालिन (संस्करण), अंतर्राष्ट्रीय

जी.

स्वीडन में मध्यस्थताः ए प्रैक्टिशनर्स गाइड (दूसरा संस्करण, 2021), अध्याय 9

83 स्वीडिश मध्यस्थता अधिनियम (एस. एफ. एस. 1999:116), यहाँ उपलब्ध हैः//संस्थान। से/मीडिया/1773096/द-स्वीडिश-आर्बिट्रेशन-एक्ट _ 1 मार्च 2019 _ इंग-2।पी. डी. एफ.> 29 जून 2022 को पहुँचा गया

84 नोट 82 पर सुप्रा

85 एनईएमयू मिट आई स्वेरिगे एबी बनाम जान एच, गुन्नार बी और बो एन (मध्यस्थ),

उच्चतम न्यायालय, 22 अक्टूबर 1998, एन. जे. ए. 1998 पी.574 (टी 105-98)

एच.

717

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

86 अनिवार्य है और पार्टियों द्वारा बदला या माफ किया जा सकता है।हालाँकि, यह समझा जाता है कि यदि मध्यस्थ अपने मुआवजे के संबंध में किसी समझौते के पक्षकार नहीं हैं, तो यह मध्यस्थ पर तभी बाध्यकारी हो जाता है जब वे नियुक्ति स्वीकार करने पर समझौते को जानते और समझते हैं।स्वीडिश मध्यस्थता अधिनियम की धारा 39 में आगे यह प्रावधान किया गया है कि मध्यस्थ (ओं) को मुआवजे के संबंध में एक समझौता जो पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से दर्ज नहीं किया गया है, अमान्य है।

बी.

60. धारा 41 एक पक्ष या एक मध्यस्थ को मध्यस्थ (ओं) को मुआवजे के भुगतान के संबंध में पुरस्कार के संशोधन के संबंध में जिला न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर करने में सक्षम बनाती है।जिला न्यायालय को मध्यस्थ के मुआवजे को कम करने का अधिकार है।राष्ट्रीय न्यायालयों के पास मध्यस्थ संस्थानों द्वारा निर्धारित शुल्क को संशोधित करने की भी शक्ति है, यदि मध्यस्थता का स्थान स्वीडन में है।यह एक असामान्य अपवाद है क्योंकि आम तौर पर शुल्क निर्धारित करने वाले मध्यस्थ संस्थानों के नियम कभी भी न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होते हैं।

सी.

डी.

((iv) जर्मनी

61. जर्मन मध्यस्थता कानून सिविल प्रक्रिया संहिता की दसवीं पुस्तक (ज़िविलप्रोज़ेसॉर्डनुंग) 90 द्वारा शासित है।तदर्थ मध्यस्थता में एक समझौते के अभाव में, जेड. पी. ओ. में मध्यस्थ (ओं) को देय शुल्क को विनियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है।फिर जर्मन सिविल कोड (Bürgerliches Gesetzbuch) 91 के नियमों के अनुसार शुल्क लिया जाना है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि पार्टियों के बीच अनुबंध को सेवा अनुबंध या काम के लिए अनुबंध के रूप में वर्गीकृत किया जाना है या नहीं।बी. जी. बी. के प्रावधानों में प्रावधान है कि ऐसे अनुबंधों के लिए पारिश्रमिक को पक्षों के बीच समझौते के अभाव में मध्यस्थ (ओं) का शुल्क माना जाता है।

ई.

एफ.

62. हालाँकि, जर्मनी में, मध्यस्थ (ओं) को समझौते के अभाव में अपने स्वयं के शुल्क का निर्धारण करने से प्रतिबंधित किया गया है

86 नोट 82 पर सुप्रा

87 आई. बी. आई. डी.

जी.

88 सोयाक इंटरनेशनल कंस्ट्रक्टर।& इनव। इंक. वी.होबर, क्रॉस और मेलिस, केस नं। ओ 4227-06

(स्वीडिश एस. सी. 2008) 89 सुप्रा नोट 30 पर

90 “ जेडपीओ "91" बीजीबी "

92 के. बॉकस्टीगल, स्टीफन क्रॉल और पेट्रीसिया नासिमेंटो (संस्करण), जर्मनी में मध्यस्थताः

व्यवहार में आदर्श कानून (दूसरा संस्करण, 2015), अध्याय VI

एच.

इन रेम सुम निर्णयों के निषेध का सिद्धांत, अर्थात, मध्यस्थ अपने स्वयं के कारण का न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं।इससे पहले, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विवादग्रस्त राशि के संबंध में निर्णय को भी अप्रत्यक्ष रूप से शुल्क की राशि निर्धारित करने के रूप में देखा जाता था जब शुल्क की गणना दांव पर लगी राशि के प्रतिशत के रूप में की जाती थी और इस प्रकार, उपरोक्त सिद्धांत 94 का उल्लंघन माना जाता था।हालांकि, हाल ही में, फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस (बुंडेसगेरिचशॉफ) 95 ने माना कि विवाद में राशि के संबंध में न्यायाधिकरण का निर्णय, भले ही यह मध्यस्थ (ओं) को देय शुल्क को प्रभावित करता हो, इन रेम सुम निर्णय 96 के निषेध के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है।बी. जी. एच. ने कहा कि चूंकि जेड. पी. ओ. माध्यस्थम न्यायाधिकरण को लागत पर निर्धारण करने के लिए बाध्य करता है, जिसमें अक्सर विवाद में राशि के संबंध में निर्धारण शामिल होता है, इस तरह का निर्धारण, भले ही इसमें अप्रत्यक्ष रूप से शुल्क पर निर्णय शामिल हो, यह निर्णय नहीं होगा।बी. जी. एच. ने आगे कहा कि जबकि विवाद में राशि का निर्धारण केवल पक्षों को बांधता है, यह वास्तव में मध्यस्थों के दृष्टिकोण से एक निर्णय नहीं है।किसी भी स्थिति में, मध्यस्थ (ओं) द्वारा अपने स्वयं के शुल्क के रूप में एक अप्रत्यक्ष निर्धारण केवल एक पक्ष के खिलाफ एक मध्यस्थ के दावे का आधार बनता है और केवल अदालत की कार्रवाई के माध्यम से लागू किया जा सकता है यदि पक्ष राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।बी. जी. बी. के संदर्भ में, अदालतें यह तय करने के लिए इस तरह के

दावे की समीक्षा कर सकती हैं कि क्या यह न्यायसंगत है।इस प्रकार, मध्यस्थ मनमाने ढंग से अपनी फीस 99 निर्धारित नहीं कर सकते हैं।

बी.

सी.

डी.

(v) जापान

ई.

63. जापानी मध्यस्थता कानून 100 के अनुच्छेद 47 (1) के तहत, मध्यस्थ (ओं) को देय शुल्क पक्षों के बीच समझौते द्वारा नियंत्रित किया जाना है।यदि कोई समझौता नहीं है, तो अनुच्छेद 47 (2) के संदर्भ में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास मध्यस्थ (ओं) का पारिश्रमिक निर्धारित करने की शक्ति है।ऐसे मामलों में पारिश्रमिक उचित राशि का होना चाहिए।

एफ.

93 आई. बी. आई. डी. 94 आई. बी. आई. डी

95 “ बीजीएच "

जी.

96 BGH 28.03.2012, SchiedsVZ 2012,154 नोट 30 पर ऊपर उद्धृत; नोट 92 पर ऊपर भी देखें।

97 आईबीआईडी 98 आईबीआईडी 99 आईबीआईडी

100 2003 का कानून संख्या 138, यहाँ उपलब्ध है:://जापान।कुछ नहीं।जाओ।जे. पी./नीति/सिहौ/मध्यस्थता कानून।पी. डी. एफ.> 29 जून 2022 ए. पर पहुँचा गया

एच.

(vi) सिंगापुर

64. मध्यस्थता अधिनियम 2001 101 की धारा 40 (1) में यह प्रावधान है कि पक्षकार संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से मध्यस्थों को उचित शुल्क और खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं।धारा 40 (2) में प्रावधान है कि मध्यस्थ (ओं) को देय शुल्क के बारे में पक्षों के बीच लिखित समझौते के अभाव में, कोई भी पक्ष

शुल्क के मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक अधिनियम 1969 के अर्थ के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के पंजीयक से संपर्क कर सकता है।सिंगापुर मध्यस्थता अधिनियम की धारा 41 (1) मध्यस्थता न्यायाधिकरण को यह अधिकार देती है कि यदि पक्षकारों ने अपने शुल्क और खर्चों का पूरा भुगतान नहीं किया है तो वे निर्णय देने से इनकार कर सकते हैं, धारा 41 (2) एक पक्ष को शुल्क 102 की समीक्षा के लिए अदालत में आवेदन करने की अनुमति देती है। इसे अनुचित शुल्क 103 को चुनौती देने के पक्षों के अधिकार के रूप में समझा गया है।

बी.

सी.

(vii) संयुक्त राज्य अमेरिका

65. संयुक्त राज्य संघीय मध्यस्थता अधिनियम 1925 104 स्पष्ट रूप से मध्यस्थ (ओं) के अधिकारों या कर्तव्यों का संदर्भ नहीं देता है।1955 में अधिनियमित समान मध्यस्थता अधिनियम भी प्रासंगिक है।यह प्रत्येक राज्य को एक समान मध्यस्थता कानून अपनाने में सक्षम बनाने के लिए एक आदर्श मध्यस्थता क़ानून के रूप में कार्य करता है।इसे 2000 में संशोधित किया गया था।अधिनियम के संशोधित संस्करण की धारा 21 (डी) में प्रावधान है कि "एक मध्यस्थ के खर्च और शुल्क, अन्य खर्चों के साथ, पुरस्कार में प्रदान किए गए अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।" अधिनियम के तहत इस धारा पर टिप्पणी में कहा गया है कि "धारा 21 (डी) मध्यस्थों को अनुमति देती है, जब तक कि समझौते में इसके विपरीत प्रावधान न हो।

डी.

ई.

101 <HTTPS पर उपलब्धः//एस. ओ.एजीसी।गव.एस. जी./एक्ट/ए. ए. 2001 #:~:पाठ = 1।,यह% 20 है % 20 मध्यस्थता% 20 अधिनियम% 202001।&पाठ =% 20-आर्बिट्रल% 20-ट्रिब्यूनल% 20% 20 अधिकृत, और% 20-ऑल% 20-% 20-प्रासंगिक% 20-परिस्थितियाँ> 29 जून 2022 को पहुँचा गया

एफ.

(" सिंगापुर मध्यस्थता अधिनियम ")

102 धारा 41 (2) में कहा गया हैः"(2) जहां उप-धारा (1) लागू होती है, मध्यस्थता कार्यवाही का एक पक्ष अन्य पक्षों और मध्यस्थता न्यायाधिकरण को नोटिस देने पर न्यायालय में आवेदन कर सकता है, जो आदेश दे सकता है कि -

(क) मध्यस्थता न्यायाधिकरण को आवेदक द्वारा मांगे गए शुल्क और खर्चों के भुगतान पर, या कोई कम राशि जो न्यायालय निर्दिष्ट कर सकता है, न्यायालय को अधिनिर्णय देना चाहिए; (ख) मांगे गए शुल्क और खर्चों की राशि का मूल्यांकन सर्वोच्च न्यायालय के पंजीयक द्वारा किया जाना है; और

जी.

(ग) न्यायालय में भुगतान किए गए धन में से, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को शुल्क और खर्चों का भुगतान किया जाना चाहिए जो उचित रूप से देय पाए जा सकते हैं और धन की शेष राशि (यदि कोई हो) का भुगतान आवेदक को किया जाना चाहिए।

103 बर्नार्ड हनोटियाउ और एलेक्सिस मौर्रे (संस्करण), प्लेयर्स इंटरैक्शन इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (आईसीसी, 2012), अध्याय 12

104 " एफ. ए. ए. "

एच.

720

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 10 एस सी आर।

मध्यस्थ के खर्च और शुल्क सहित खर्चों के भुगतान के निर्णय में निर्धारित करें "105. संयुक्त राज्य अमेरिका में, यह माना गया है कि यह सार्वजनिक नीति का उल्लंघन है यदि मध्यस्थ (ओं) इस चिंता के कारण कि पक्ष प्रतिकूल परिणामों के डर से मांग को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, उनकी नियुक्ति के बाद बाद के चरण में शुल्क पर फिर से बातचीत करने का प्रयास करते हैं।

बी.

(viii) सारांश

66. यद्यपि अधिकारिता संबंधी मतभेद हैं, उपरोक्त हमारी चर्चा से निम्नलिखित व्यापक सिद्धांत उभरते हैं:

(i) आमतौर पर, मध्यस्थ (ओं) को देय शुल्क पक्षों के बीच एक समझौते (जिसके बारे में मध्यस्थ (ओं) को पता चलता है कि वे कब कार्य करते हैं) या मध्यस्थ (ओं) के साथ पक्षों के एक अलग समझौते के माध्यम से निर्धारित किया जाता है।मध्यस्थ तब इस तरह के संविदात्मक रूप से सहमत शुल्क से बाध्य हो जाता है; और

सी.

डी.

(ii) कुछ मध्यस्थता कानून मध्यस्थ (ओं) को अपनी फीस निर्धारित करने की प्रभावी शक्ति देते हैं, आमतौर पर जब इस विषय पर पक्षों के बीच समझौते का अभाव होता है।हालाँकि, शुल्क का ऐसा निर्धारण अदालतों द्वारा समीक्षा के अधीन है जो शुल्क को कम कर सकते हैं यदि वे उचित नहीं हैं।

ई.

67. इस प्रकार, मध्यस्थों के पास अपने स्वयं के शुल्क निर्धारित करने की पूर्ण या एकतरफा शक्ति नहीं है।पक्ष किसी न किसी रूप में मध्यस्थ (ओं) की फीस निर्धारित करने में शामिल होते हैं।यह हो सकता हैः(i) मध्यस्थता समझौते में सीमा पर शुल्क का निर्धारण; या (ii) देय शुल्क के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर मध्यस्थों के साथ बातचीत; या (iii) न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क को अदालत के समक्ष चुनौती देकर।

एफ.

जी.

105 समान मध्यस्थता अधिनियम (अंतिम संशोधन वर्ष 2000 में पूरा किया गया), यहाँ उपलब्ध हैः/ /डब्ल्यू. डब्ल्यू.वर्दी कानून।ओ. आर. जी./हायरलॉजिक/सिस्टम/डाउनलोडडॉक्यूमेंटफाइल।ऐश?दस्तावेज़फ़ाइलकी = 8fff228f-9517-f 310-36 a 1-989 efa4a826e & forceDialog = 0> 29 जून 2022 को पहुँचा गया

106 डबल-एम निर्माण निगम।v. केंद्रीय विद्यालय जिला संख्या 1 का शहर

हाइलैंड्स ऑरेंज काउंटी**, (1978) 402** एनवाईएस **2** डी **442** जेफरी वेन्सीमर में उद्धृत**,**

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में प्रक्रिया और साक्ष्य (वाल्टर्स क्लूवर, 2012)

एच.

सी**. 2** में मध्यस्थों को शुल्क के भुगतान पर सांविधिक योजना

भारत

C. 2.1 पार्टी की स्वायत्तता

68. पार्टी की स्वायत्तता मध्यस्थता का एक प्रमुख सिद्धांत है।मध्यस्थता समझौता मध्यस्थता प्रक्रिया की नींव का गठन करता है।मध्यस्थता न्यायाधिकरण को पक्षकारों द्वारा सहमत प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थता का संचालन करने की आवश्यकता होती है।प्रक्रिया संस्थागत नियमों या तदर्थ नियमों या दोनों के संयोजन का पालन निर्धारित कर सकती है।

(उपर्युक्त) मध्यस्थता की तुलना एक जहाज से करता है, जो मध्यस्थता कार्यवाही पर नियंत्रण पक्षों के अभ्यास की सीमा को उजागर करता हैः

सी.

“कुछ मामलों में, एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता एक जहाज की तरह है।एक मध्यस्थता को पक्षों द्वारा 'स्वामित्व' कहा जा सकता है, जैसे एक जहाज जहाज के मालिकों के स्वामित्व में होता है। लेकिन जहाज कप्तान की दिन-प्रतिदिन की कमान के तहत होता है, जिसे मालिक नियंत्रण सौंपते हैं।यदि वे चाहें तो मालिक कप्तान को बर्खास्त कर सकते हैं और एक प्रतिस्थापन को काम पर रख सकते हैं, लेकिन बोर्ड पर हमेशा कोई न कोई होगा जो कमान में होगा (5)-और, कप्तान के पीछे, हमेशा अंतिम नियंत्रण वाला कोई होगा।”

डी.

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर प्रमुख ग्रंथ में आगे कहा गया है कि पक्ष की स्वायत्तता का सिद्धांत मध्यस्थता पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शासनों में निहित हैः

ई.

“अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करने में दल की स्वायत्तता मार्गदर्शक सिद्धांत है।यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसका समर्थन न केवल राष्ट्रीय कानूनों में किया जाता है, बल्कि दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ संस्थानों के साथ-साथ न्यूयॉर्क कन्वेंशन और मॉडल लॉ जैसे अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों द्वारा भी किया जाता है। आदर्श कानून के विधायी इतिहास से पता चलता है कि इस सिद्धांत को बिना विरोध के अपनाया गया था, (7) और आदर्श कानून के अनुच्छेद 19 (1) में ही यह प्रावधान है किः‘इस कानून के प्रावधानों के अधीन, पक्षकार कार्यवाही के संचालन में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।’ यह सिद्धांत 1923 के जिनेवा प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 2 का अनुसरण करता है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि 'मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन सहित मध्यस्थता प्रक्रिया, पक्षों की इच्छा द्वारा शासित होगी।', और न्यूयॉर्क कन्वेंशन का अनुच्छेद V (1) (d), जिसके तहत किसी विदेशी मध्यस्थ की मान्यता और प्रवर्तन किया जाता है।

एफ.

जी.

एच.

मध्यस्थता पुरस्कार को अस्वीकार किया जा सकता है यदि 'मध्यस्थता प्रक्रिया पक्षों के समझौते के अनुसार नहीं थी'।”

69. मध्यस्थता अधिनियम विभिन्न प्रावधानों में पार्टी की स्वायत्तता के सिद्धांत को मान्यता देता है।यह पक्षकारों को कुछ मामलों पर अधिनियम के प्रावधानों का अपमान करने की अनुमति देता है।मध्यस्थता अधिनियम के कई प्रावधान स्पष्ट रूप से पार्टी की स्वायत्तता के सिद्धांत को मूर्त रूप देते हैं।मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (6) 107 में प्रावधान है कि पक्षों को किसी भी व्यक्ति को, जिसमें एक मध्यस्थ संस्था भी शामिल है, अपने बीच के मुद्दे को निर्धारित करने के लिए अधिकृत करने की स्वतंत्रता है।धारा 19 (2) 108 में प्रावधान है कि पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।धारा 11 (2) 109 में प्रावधान है कि पक्ष मध्यस्थों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।भारत में

बी.

सी.

एल्यूमीनियम कं. वी.कैसर एल्यूमीनियम तकनीकी सेवा 110, यह

अदालत ने कहा कि पार्टी की स्वायत्तता "विचारशील और मार्गदर्शक भावना" है।

मध्यस्थता का।सेन्ट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल इंक. बनामहिन्दुस्तान

कॉपर लिमिटेड 111, इस न्यायालय ने पक्ष की स्वायत्तता को मध्यस्थता की रीढ़ के रूप में संदर्भित किया।

डी.

70. भारत में मध्यस्थता के मूल सिद्धांत के रूप में पक्ष की स्वायत्तता को स्पष्ट करने के बाद, जिन धाराओं का पालन किया जाता है, उनमें हम विश्लेषण करते हैं कि इस सिद्धांत के आलोक में मध्यस्थों को शुल्क के भुगतान से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए।

ई.

C. 2.2 चौथी अनुसूची और मध्यस्थों के शुल्क का विनियमन

71. भारत में मध्यस्थ की नियुक्ति या तो पक्षों के बीच एक समझौते के माध्यम से या मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (3) और 11 (6) के तहत अदालतों का सहारा लेकर की जा सकती है। मध्यस्थता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा मध्यस्थता अधिनियम के संशोधन से पहले, एक प्रथा उभरी, विशेष रूप से तदर्थ मध्यस्थता के मामलों में, जहां मध्यस्थ एकतरफा रूप से और कुछ मामलों में मनमाने ढंग से निर्णय लेते हैं

एफ.

107 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (6) में कहा गया है:“जहां यह भाग, धारा 28 को छोड़कर, पक्षों को एक निश्चित मुद्दे का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है, उस स्वतंत्रता में पार्टियों का अधिकार शामिल होगा कि वे किसी संस्था सहित किसी भी व्यक्ति को उस मुद्दे का निर्धारण करने के लिए अधिकृत करें।108 मध्यस्थता

अधिनियम की धारा 19 (2) में कहा गया है:"इस भाग के अधीन रहते हुए, पक्षकार मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा अपनी कार्यवाहियों के संचालन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।

जी.

109 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (2) में कहा गया है:"उप-धारा (6) के अधीन, पक्षकार मध्यस्थ या मध्यस्थ नियुक्त करने की प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।

110 (2016) 4 एससीसी 126, पैराग्राफ 5 111 (2017) 2 एससीसी 228, पैराग्राफ 38 ए

एच.

723

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

अपने लिए अत्यधिक शुल्क।सिंह बिल्डर्स (ऊपर) में, इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि मध्यस्थों, विशेष रूप से अदालत द्वारा नियुक्त मध्यस्थों द्वारा शुल्क के इस तरह के मनमाने निर्धारण ने मध्यस्थता को एक महंगा प्रस्ताव बना दिया है, जिससे इसकी बदनामी हुई है। न्यायालय ने कुछ संभावित समाधान सुझाए।इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

"22. जब अदालत द्वारा शुल्क का संकेत दिए बिना एक मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है, तो दोनों पक्षों या कम से कम एक पक्ष को नुकसान होता है।सबसे पहले, पक्षकार मध्यस्थ द्वारा सुझाए गए किसी भी शुल्क पर सहमत होने के लिए विवश महसूस करते हैं, भले ही वह उनकी क्षमता से अधिक हो या उससे अधिक हो।दूसरा, यदि मध्यस्थ द्वारा एक उच्च शुल्क का दावा किया जाता है और एक पक्ष इस तरह के शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत होता है, तो दूसरा पक्ष, जो इस तरह के शुल्क का वहन करने में असमर्थ है या इस तरह के उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए अनिच्छुक है, एक शर्मनाक स्थिति में डाल दिया जाता है।वह उच्च शुल्क पर अपनी आपत्ति या आपत्ति व्यक्त करने की स्थिति में नहीं होगा, इस आशंका के कारण कि मध्यस्थ द्वारा सुझाए गए शुल्क के लिए सहमत होने से इनकार करने से उसके मामले में पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है या दूसरे पक्ष के पक्ष में पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है जो उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तुरंत सहमत हो गया था।

बी.

सी.

डी.

23. मध्यस्थता लागत से मध्यस्थता को बचाने के लिए इस समस्या का तत्काल समाधान खोजना आवश्यक है।संस्थागत मध्यस्थता ने एक समाधान प्रदान किया है क्योंकि मध्यस्थों की फीस स्वयं मध्यस्थों द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर तय नहीं की जाती है, बल्कि उस

संस्था द्वारा निर्धारित एक समान दर द्वारा शासित होती है जिसके तत्वावधान में मध्यस्थता आयोजित की जाती है।एक अन्य समाधान यह है कि न्यायालय संबंधित मध्यस्थ के परामर्श से यदि आवश्यक हो तो पक्षकारों की सहमति से मध्यस्थ की नियुक्ति के समय शुल्क तय करे। तीसरा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए है जो मध्यस्थ के रूप में सेवा करने की पेशकश करते हैं, ताकि वे संबंधित उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को अपनी शुल्क संरचना का संकेत दे सकें ताकि पक्षों के पास एक मध्यस्थ का चयन करने का विकल्प हो, जिसकी शुल्क उनकी सीमा में हो।

ई.

एफ.

24. जो आपत्तिजनक पाया जाता है वह यह है कि पक्षों को अदालत द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के पास जाने के लिए मजबूर किया जाता है और फिर ऐसे मध्यस्थ द्वारा निर्धारित शुल्क के लिए सहमत होने के लिए मजबूर किया जाता है।यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विभिन्न चरणों में देरी, उच्च लागत, बार-बार और कभी-कभी अनुचित न्यायिक व्यवधान एक प्रभावी विवाद समाधान प्रक्रिया के रूप में मध्यस्थता के विकास में गंभीर रूप से बाधा डाल रहे हैं।विलंब और उच्च लागत दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मध्यस्थ स्व-विनियमन द्वारा उल्लेखनीय सुधार ला सकते हैं।"

जी.

एच.

72. संजीव कुमार जैन बनाम रघुबीर सरन चैरिटेबल ट्रस्ट

और ओआरएस। 112, इस न्यायालय ने इसी तरह से कहा कि भारत में तदर्थ मध्यस्थता में मध्यस्थ असमान रूप से उच्च शुल्क ले रहे हैं।मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि "नियुक्ति" शब्द का अर्थ केवल किसी व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करना या नामित करना नहीं है, बल्कि इसमें अदालत द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा शुल्क निर्धारित करने की अदालत की शक्ति शामिल है।पक्षकारों को सुनने के बाद और यदि आवश्यक हो, तो संभावित मध्यस्थों से शुल्क संरचना का पता लगाने के बाद शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए।इससे ऐसी स्थिति से बचा जा सकेगा जहां पक्षों को मध्यस्थों की नियुक्ति के बाद उनके शुल्क की शर्तों पर बातचीत करनी होगी।सिंह बिल्डर्स (उपरोक्त) का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने मध्यस्थों द्वारा ली जा रही असमान शुल्क के खिलाफ बढ़ती शिकायतों को स्वीकार किया और भारत में मध्यस्थता के स्वस्थ विकास के लिए कुछ सुझाव दिए।इस न्यायालय द्वारा सुझाए गए ऐसे ही एक उपाय में मध्यस्थों की नियुक्ति से पहले शुल्क संरचना का खुलासा करना था ताकि कोई भी पक्ष इस तरह के खर्चों को वहन करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त कर सके।इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

बी.

सी.

डी.

“41. मध्यस्थता के उपभोक्ताओं (मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा करने वाले पक्षों) के बीच एक सामान्य भावना है कि भारत में तदर्थ मध्यस्थता-या तो अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू, समय लेने वाली और असमान रूप से महंगी है।एक दिन में दो सत्रों के बारे में बार-बार शिकायतें की जाती हैं जिन्हें शुल्क लेने के उद्देश्य से दो सुनवाई के रूप में माना जाता है; या शुल्क के उद्देश्यों के लिए दो घंटे के सत्र को पूर्ण सत्र के रूप में माना जाता है; या गैर-उत्पादक बैठकों को पूरी तरह से प्रभार्य सुनवाई के रूप में माना जाता है।यह इंगित किया जाता है कि यदि तीन मध्यस्थों के साथ एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण है और यदि मध्यस्थ विभिन्न शहरों से हैं और मध्यस्थता आयोजित की जानी है और मध्यस्थों को पांच सितारा होटलों में समायोजित किया जाता है, तो प्रति सुनवाई लागत (मध्यस्थ का शुल्क, वकील का शुल्क, यात्रा की लागत, आवास की लागत, आदि)।यह आसानी से प्रति बैठक दस लाख से डेढ़ लाख रुपये तक हो सकता है।जहां दांव बहुत अधिक हैं, उस तरह के खर्च पर टिप्पणी नहीं की जाती है।लेकिन अगर सुनवाई की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, तो लागत कारक और दक्षता/प्रभावशीलता कारक पर टिप्पणी की जाती है।यही कारण है कि सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट [(2009) 4 एस. सी. सी. 523: (2009) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 246] ने कहा कि मध्यस्थता को मध्यस्थता लागत से बचाना होगा।

ई.

एफ.

जी.

112 (2012) 1 एससीसी 455 ए

एच.

725

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

42. यद्यपि भारत में मध्यस्थता के बारे में ऊपर जो कहा गया है, वह थोड़ा कठोर प्रतीत हो सकता है, या छिटपुट विचलन के सार्वभौमिकरण के रूप में, हमने इन पहलुओं का उल्लेख करने का साहस किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में विवाद समाधान के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक मंच के रूप में मध्यस्थता बनी रहे।इस आधार पर कि अधिक पेशेवर या संस्थागत मध्यस्थता, जो कम लागत पर तेजी से संपन्न होती हैं, वहां उपलब्ध हैं, ऐसे उदाहरण

नहीं हैं जहां मध्यस्थता को पड़ोसी सिंगापुर, कुआलालंपुर आदि में स्थानांतरित किया जा रहा है।भारत में मध्यस्थता के स्वस्थ विकास का उपाय मध्यस्थों की नियुक्ति से पहले शुल्क संरचना का खुलासा करना है ताकि कोई भी पक्ष जो इस तरह के खर्चों को वहन करने के लिए तैयार नहीं है, वह अपनी अनिच्छा व्यक्त कर सके।एक अन्य उपाय संस्थागत मध्यस्थता है जिसमें मध्यस्थ का शुल्क पूर्व निर्धारित किया जाता है।तीसरा प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए है कि वह विवाद में शामिल राशि के संदर्भ में मध्यस्थ के शुल्क का एक पैमाना उपयुक्त रूप से निर्धारित करे।इससे अलग-अलग शुल्क संरचना निर्धारित करने वाले अलग-अलग पदनामों से भी बचा जा सकेगा।इन तरीकों से, शुल्क और मध्यस्थता की लागत पर एक उचित नियंत्रण हो सकता है, जिससे मध्यस्थता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों, वादी जनता के लिए आकर्षक हो सकती है।कुल लागत के बारे में तर्कसंगतता और निश्चितता मध्यस्थता के विकास की कुंजी है। जो भी हो सकता है।”

बी.

सी.

डी.

ई.

73. यह उपरोक्त संदर्भ में था कि एल. सी. आई. की 246 वीं रिपोर्ट (ऊपर दी गई) ने तदर्थ मध्यस्थता में मध्यस्थों के शुल्क को विनियमित करने के लिए सुधारों का प्रस्ताव किया था। आयोग ने सिफारिश की कि मध्यस्थता अधिनियम में शुल्क की एक आदर्श अनुसूची शामिल की जानी चाहिए, जो उच्च न्यायालयों के लिए मध्यस्थता शुल्क के निर्धारण को नियंत्रित करने वाले अपने स्वयं के नियम बनाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी।आयोग ने स्वीकार किया कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं में शुल्क के विभिन्न मूल्यों और मानकों को अपनाया जा सकता है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं के लिए मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची की प्रयोज्यता को हटा दिया गया।आयोग ने तदर्थ मध्यस्थता में "प्रति बैठक" के आधार पर शुल्क लेने की प्रथा पर प्रतिकूल टिप्पणी की, जहां कभी-कभी एक ही मामले में एक ही पक्ष के बीच एक दिन में 2-3 बैठकें होती हैं।आयोग ने यह भी नोट किया कि वर्षों तक कार्यवाही जारी रखने से लागत में और वृद्धि होती है क्योंकि महत्वपूर्ण अंतराल के साथ तिथियां दी जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित पक्ष को समय पर न्याय देने से इनकार किया जाता है।

एफ.

जी.

74. मध्यस्थता संशोधन अधिनियम 2015 ने मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची को शुल्क की एक मॉडल अनुसूची के रूप में पेश किया

एल. सी. आई. की 246 वीं रिपोर्ट (उपर्युक्त) की सिफारिशें।चौथी अनुसूची 23 अक्टूबर 2015 को लागू हुई।मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 को भी धारा 11 में उप-धारा (14) जोड़ने के लिए तदनुसार संशोधित किया गया था, जो इस प्रकार हैः

" धारा 11.मध्यस्थों की नियुक्ति

बी.

[...]

(14) माध्यस्थम न्यायाधिकरण की फीस के निर्धारण और माध्यस्थम न्यायाधिकरण को इसके भुगतान के तरीके के उद्देश्य से, उच्च न्यायालय चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दरों को ध्यान में रखते हुए ऐसे नियम बना सकता है जो आवश्यक हों।व्याख्याःसंदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह उप-धारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और मध्यस्थता (अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा) में लागू नहीं होगी, जहां पक्ष मध्यस्थता के नियमों के अनुसार शुल्क के निर्धारण के लिए सहमत हुए हैं।"

सी.

डी.

चौथी अनुसूची को धारा 11 की उप-धारा (14) के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।धारा 11 (14) के स्पष्टीकरण के संदर्भ में, चौथी अनुसूची अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं पर लागू नहीं होगी।इसके अलावा, चौथी अनुसूची लागू नहीं होगी जहां पक्ष एक मध्यस्थ संस्थान के नियमों के अनुसार मध्यस्थों के शुल्क के निर्धारण के लिए सहमत हुए हैं।चौथी अनुसूची विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए मध्यस्थों की फीस निर्धारित करने के लिए नियम बनाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करने वाली थी।इन नियमों को तैयार करने में उच्च न्यायालयों ने अगर देरी नहीं की है, तो वे सुस्त रहे हैं।राजस्थान, केरल और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों के अलावा, अन्य उच्च न्यायालयों ने शुल्क के निर्धारण के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (14) के तहत नियम नहीं बनाए हैं।इसके अलावा बॉम्बे और राजस्थान के उच्च न्यायालयों द्वारा बनाए गए नियम केवल अदालतों द्वारा नियुक्त मध्यस्थों को नियंत्रित करते हैं।इस प्रकार, तदर्थ मध्यस्थता में शुल्क को विनियमित करने के लिए धारा 11 (14) का उद्देश्य अवास्तविक बना हुआ है।

ई.

एफ.

75. दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता समझौते के लिए चौथी अनुसूची के लागू होने के संबंध में एक विवाद उत्पन्न हुआ, ऐसी स्थिति में जहां मध्यस्थ (ओं) को देय शुल्क पहले ही मध्यस्थता समझौते में निर्धारित किया जा चुका है।गैमन इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनामएनएचएआई 113, शुल्क अनुसूची पार्टियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के एक नीतिगत निर्णय के अनुसार तय की गई थी

जी.

113 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 10183 (गैमन)

एच.

727

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

भारतीय प्राधिकरण दिनांक 31 मई 2004।हालाँकि, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने निर्णय लिया कि उसके शुल्क को मध्यस्थता संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से शुरू की गई चौथी अनुसूची के संदर्भ में विनियमित किया जाएगा, यह देखते हुए कि संशोधित अधिनियम के नवीनतम प्रावधान इसे एकतरफा रूप से अपने स्वयं के शुल्क निर्धारित करने का अधिकार देते हैं, चाहे दोनों पक्षों के बीच कोई भी समझौता हो।एनएचएआई ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 14 के तहत एक आवेदन दायर किया क्योंकि उसने जानबूझकर पक्षों के बीच समझौते को खारिज कर दिया था।दिल्ली उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि शुल्क निर्धारण के संबंध में पक्षों के बीच एक समझौता था, इसलिए चौथी अनुसूची लागू नहीं होगी।एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31 ए एक निर्णय पारित करते समय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित की जाने वाली "लागत" के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करती है, लेकिन यह एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय लागत निर्धारित करने के लिए न्यायाधिकरण द्वारा विचार किए जाने वाले पहलुओं में से केवल एक है।"जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती" शब्दों को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31 (8) (मध्यस्थता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित) से हटा दिया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पक्षकार लागत का भुगतान करने से अनुबंध नहीं कर सकते हैं और सफल पक्षकार के पक्ष में लागत देने की न्यायाधिकरण की क्षमता को कम कर सकते हैं।इस प्रकार एकल न्यायाधीश ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश को समाप्त कर दिया क्योंकि उसने जानबूझकर पक्षों के बीच समझौते

की अनदेखी की थी।ऐसा करने में, एकल न्यायाधीश ने एनएचएआई बनाम गायत्री मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अन्य एकल न्यायाधीश के विचार से असहमति जताई।

बी.

सी.

डी.

झांसी रोडवेज लिमिटेड 114. 76.गायत्री झांसी (दिल्ली उच्च न्यायालय) (ऊपर) में, यह आयोजित किया गया था

ई.

कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31 (8) और धारा 31 ए शुल्क के निर्धारण को नियंत्रित करती है और चूंकि मध्यस्थता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा धारा 31 (8) से "जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" अभिव्यक्ति को हटा दिया गया है, इसलिए मध्यस्थों की शुल्क तय करने की पक्षों की शक्ति को विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और मध्यस्थता को छोड़कर हटा दिया गया है, जहां पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि शुल्क एक मध्यस्थ संस्था के नियमों के तहत तय किया जाएगा।इस प्रकार, गायत्री झांसी (दिल्ली उच्च न्यायालय) (ऊपर) में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को पक्षकारों के बीच समझौते की चौथी अनुसूची के अनुसार अपनी फीस निर्धारित करने की अनुमति दी गई थी।

एफ.

जी.

77. दिल्ली उच्च न्यायालय के दोनों फैसलों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई इस न्यायालय द्वारा गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड (उपरोक्त) में की गई थी, जहां इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ को

एच.

114 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 10285 (गायत्री झांसी (दिल्ली उच्च न्यायालय))

चौथी अनुसूची की प्रयोज्यता का निर्धारण तब करें जब मध्यस्थों का शुल्क पक्षों के बीच एक समझौते द्वारा तय किया गया हो।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 31 ए के साथ पठित धारा 31 (8) लागू नहीं होगी यदि मध्यस्थ (ओं) की फीस एक समझौते द्वारा निर्धारित

की गई है।इस न्यायालय ने इस संबंध में गैमन (उपरोक्त) में दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश की टिप्पणियों को बरकरार रखा।पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन ने कहाः

बी.

“14. हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि धारा 31-ए के साथ पठित धारा 31 (8) की भाषा में परिवर्तन जो केवल आम तौर पर लागतों से संबंधित है और मध्यस्थ की फीस से संबंधित नहीं है, कानून में सही है।यह सच है कि मध्यस्थ की फीस भुगतान की जाने वाली लागत का एक घटक हो सकती है, लेकिन इसके बाद यह कहना बहुत दूर की बात है कि धारा 31 (8) और 31-ए सीधे उन अनुबंधों को नियंत्रित करेंगे जिनमें शुल्क संरचना पहले ही निर्धारित की जा चुकी है।इस हद तक, विद्वान एकल न्यायाधीश सही है।हम यह भी कह सकते हैं कि गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कानून की घोषणा [एनएचएआई बनाम गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड, 2017 एससीसी ऑनलाइन डेल 10285] कानून का सही दृष्टिकोण नहीं है।” हालाँकि, इस न्यायालय ने कहा कि एनएचएआई के 1 जून 2017 के परिपत्र में निहित शुल्क अनुसूची पहले की अनुसूची को प्रतिस्थापित करेगी और मध्यस्थ अद्यतन शुल्क अनुसूची के अनुसार अपनी शुल्क लेने के हकदार होंगे, लेकिन मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची के संदर्भ में नहीं। इस न्यायालय ने आगे कहा कि गैमन (ऊपर) में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मध्यस्थ ने केवल उस कानून का पालन किया था जो इसमें निर्धारित किया गया था।

सी.

डी.

ई.

गायत्री झांसी (दिल्ली उच्च न्यायालय) (ऊपर)।

78. मध्यस्थता संशोधन अधिनियम 2019 को संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए 30 जुलाई 2017 की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर पेश किया गया था।उप-धारा 11 (14) को बाद में मध्यस्थता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित किया गया है।धारा 11 की संशोधित उप-धारा (14) इस प्रकार प्रदान करती हैः

एफ.

“ धारा 11.मध्यस्थों की नियुक्ति

जी.

[...]

(14) मध्यस्थ संस्था मध्यस्थ न्यायाधिकरण की फीस और मध्यस्थ न्यायाधिकरण को उसके भुगतान का तरीका चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अधीन निर्धारित करेगी।

एच.

729

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

व्याख्याःसंदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह उप-धारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और मध्यस्थता (अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा) में लागू नहीं होगी, ऐसे मामले में जहां पक्ष एक मध्यस्थ संस्था के नियमों के अनुसार शुल्क के निर्धारण के लिए सहमत हुए हैं।"

इसके अलावा, धारा 11 में उप-धारा (3 ए) लागू की गई है, जो इस प्रकार निर्धारित करती हैः

बी.

" धारा 11.मध्यस्थों की नियुक्ति

[...]

(3 क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर मध्यस्थ संस्थानों को नामित करने की शक्ति होगी, जिन्हें परिषद द्वारा धारा 43-I के तहत वर्गीकृत किया गया हैः

सी.

बशर्ते कि उन उच्च न्यायालय की अधिकारिताओं के संबंध में, जहां कोई श्रेणीबद्ध मध्यस्थ संस्था उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मध्यस्थ संस्था के कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए मध्यस्थों का एक पैनल रख सकता है और मध्यस्थ के लिए किसी भी संदर्भ को इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक मध्यस्थ संस्था माना जाएगा और एक पक्ष द्वारा नियुक्त मध्यस्थ चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर ऐसे शुल्क का हकदार होगाः

डी.

ई.

बशर्ते कि संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर मध्यस्थों के पैनल की समीक्षा कर सकता है।" मध्यस्थता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा धारा 11 में पेश किए गए संशोधन 30 अगस्त 2019 को लागू हुए।हालांकि, तीन साल बीतने के बाद भी मध्यस्थता संशोधन अधिनियम 2019 के भाग आई. ए. के अनुसार मध्यस्थता परिषद की स्थापना नहीं

की गई है।भारतीय मध्यस्थता परिषद की अनुपस्थिति में, धारा 11 में संशोधनों को लागू करने के उद्देश्य से श्रेणीबद्ध मध्यस्थ संस्थान अभी तक अस्तित्व में नहीं आए हैं।जबकि कई उच्च न्यायालयों ने मामलों को अदालत के सहायक मध्यस्थता केंद्रों को स्थापित करने और संदर्भित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, तदर्थ मध्यस्थता जारी है क्योंकि मध्यस्थता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा किए गए संशोधन non-starters.However हैं, संशोधन विधायी इरादे को इंगित करते हैं कि आगे बढ़ते हुए, मध्यस्थ (ओं) के शुल्क का निर्धारण उप-के संदर्भ में ऐसे उद्देश्य के लिए नामित एक मध्यस्थ संस्थान द्वारा किया जाएगा।

एफ.

जी.

एच.

धारा 11 की धारा (14)।इसके अलावा, उप-धारा (14) के बीच एक उल्लेखनीय अंतर है क्योंकि यह संशोधन से पहले और बाद में चौथी अनुसूची की प्रयोज्यता के संदर्भ में था।इससे पहले, चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दरों को केवल उच्च न्यायालय द्वारा शुल्क निर्धारण से संबंधित नियम बनाते समय ध्यान में रखा जाना था।हालाँकि, अब प्रावधान में कहा गया है कि "मध्यस्थ संस्था मध्यस्थ न्यायाधिकरण की फीस और मध्यस्थ न्यायाधिकरण को इसके भुगतान के तरीके को चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अधीन निर्धारित करेगी।"इसके दो अपवाद हैं-धारा 11 (14) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं पर लागू नहीं होती है और ऐसी स्थिति में जहां पक्षकार धारा 11 (14) के स्पष्टीकरण में निर्धारित मध्यस्थ संस्था के नियमों के संदर्भ में शुल्क निर्धारित करने के लिए सहमत हुए हैं।यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नई शुरू की गई धारा 11 (3 ए) में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास समय-समय पर मध्यस्थ संस्थानों को नामित करने की शक्ति होगी, जिन्हें भारतीय मध्यस्थता परिषद द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 (1) के तहत वर्गीकृत किया गया है। धारा 11 की उप-धारा (3 ए) के पहले परंतुक में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालयों के उन क्षेत्राधिकारों में जहां कोई श्रेणीबद्ध मध्यस्थ संस्थान उपलब्ध नहीं हैं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी मध्यस्थ संस्थान के कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए मध्यस्थों का एक पैनल रख सकता है।पहले परंतुक के संदर्भ में, ऐसे मध्यस्थ के संदर्भ को धारा 11 के उद्देश्य के लिए एक मध्यस्थ संस्था के लिए संदर्भ माना जाएगा और एक पक्ष द्वारा नियुक्त मध्यस्थ चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर इस तरह के शुल्क का हकदार है।धारा 11 की उप-धारा (3 ए) और धारा 11 की उप-धारा (14) के पहले परंतुक का सामंजस्यपूर्ण अध्ययन इंगित करता है कि चौथी अनुसूची का शुल्क

संरचना को नियंत्रित करने वाले मध्यस्थता समझौते के अभाव में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में ऐसे उद्देश्य के लिए नामित मध्यस्थ संस्थानों द्वारा नियुक्त मध्यस्थों के लिए शुल्क की शर्त पर अनिवार्य प्रभाव पड़ेगा।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

79. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, हम स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैंः

जी.

(i) गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय और पक्ष की स्वायत्तता के मूल सिद्धांत के संदर्भ में, चौथी अनुसूची अनिवार्य नहीं है और यह पक्षकारों के लिए उनके समझौते द्वारा मध्यस्थ (ओं) को देय शुल्क या मध्यस्थ शुल्क के निर्धारण के लिए तौर-तरीकों को निर्दिष्ट करने के लिए खुला है; और

एच.

(ii) चूंकि अधिकांश उच्च न्यायालयों ने मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता शुल्क निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बनाए हैं, इसलिए संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अभाव में चौथी अनुसूची स्वयं न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थों के लिए अनिवार्य नहीं है।इसके अलावा, चौथी अनुसूची अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और मध्यस्थता पर लागू नहीं होती है, जहां पक्ष इस बात पर सहमत होते हैं कि शुल्क का निर्धारण मध्यस्थ संस्थानों के नियमों के अनुसार किया जाना है।नियमों को अधिसूचित करने में कई उच्च न्यायालयों की विफलता ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि धारा 11 में चौथी अनुसूची और उप-धारा (14) को लागू करने का उद्देश्य निरर्थक हो गया है और अदालत द्वारा नियुक्त मध्यस्थ पक्षकारों पर एकतरफा और मनमाना शुल्क लगाना जारी रखे हुए हैं।जैसा कि हमने धारा सी. 2 में चर्चा की है, शुल्क का इस तरह का एकतरफा निर्धारण पक्ष की स्वायत्तता के सिद्धांत के खिलाफ जाता है जो मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए केंद्रीय है।इसके अलावा, मध्यस्थता अधिनियम के तहत कोई सक्षम प्रावधान नहीं है जो

मध्यस्थ (ओं) को उनके शुल्क के संबंध में एकतरफा रूप से बाध्यकारी या लागू करने योग्य आदेश जारी करने का अधिकार देता है।इस निर्णय की धारा सी. 2.3 में इसकी चर्चा की गई है। इसलिए, यह न्यायालय तदर्थ मध्यस्थता में शुल्क निर्धारित करने के लिए कुछ निर्देश जारी करेगा, जहां इस निर्णय की धारा सी. 2.4 में न्यायालयों द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति की जाती है।

बी.

सी.

डी.

ई.

C. 2.3 लागत और शुल्कःदो अलग प्रतिमान

80. मध्यस्थता संशोधन अधिनियम 2015 से पहले, मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता की लागत के निर्धारण को नियंत्रित करने वाली धारा 31 (8) इस प्रकार पढ़ती हैः

एफ.

“ धारा 31.मध्यस्थता पुरस्कार का प्रपत्र और विषय-वस्तु

[...]

(8) जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाएः-

जी.

(क) मध्यस्थता की लागत मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी; (ख) मध्यस्थता न्यायाधिकरण निर्दिष्ट करेगा -

((i) खर्च का हकदार पक्ष,

((ii) वह पक्ष जो लागत का भुगतान करेगा,

एच.

((ग) उस राशि को निर्धारित करने की लागत या विधि की राशि, और

((iv) जिस तरीके से लागत का भुगतान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण।—खंड (क) के प्रयोजन के लिए, "लागत" का अर्थ है -

बी.

((i) मध्यस्थों और गवाहों की फीस और खर्च, (ii) कानूनी फीस और खर्च,

((ग) मध्यस्थता की देखरेख करने वाली संस्था का कोई भी प्रशासनिक शुल्क, और

सी.

((iv) मध्यस्थता कार्यवाही और मध्यस्थता निर्णय के संबंध में किया गया कोई अन्य खर्च।"

धारा 31 की असंशोधित उप-धारा (8) ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण को लागत तय करने में सक्षम बनाया, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए।"लागत" शब्द का अर्थ धारा 31 (8) के स्पष्टीकरण के संदर्भ में मध्यस्थों और गवाहों को देय शुल्क और खर्चों से संबंधित "उचित लागत" था।एल. सी. आई. की 246 वीं रिपोर्ट (ऊपर दी गई) ने पार्टियों की सापेक्ष सफलता और विफलता को दर्शाने के लिए लागत के लिए "हारे हुए भुगतान" सिद्धांत को मान्यता देने की सिफारिश की थी।विधि आयोग ने कहा कि "हारे हुए भुगतान" सिद्धांत विवादों के तुच्छ आह्वान के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करता है और संविदात्मक अनुपालन को प्रोत्साहित करता है।

डी.

ई.

81. एल. सी. आई. की 246 वीं रिपोर्ट (उपर्युक्त) के अनुसार, मध्यस्थता संशोधन अधिनियम 2015 ने उप-धारा 31 (8) से "जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" वाक्यांश को हटा दिया और मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31 ए के संदर्भ में लागत निर्धारित करने की शक्ति दी गई। संशोधित धारा 31 (8) इस प्रकार हैः

एफ.

" धारा 31.मध्यस्थता पुरस्कार का प्रपत्र और विषय-वस्तु

[.....]

(8) मध्यस्थता की लागत धारा 31 ए के अनुसार मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी।

जी.

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31 ए इस प्रकार निर्धारित करती हैः

" 31 ए. लागतों के लिए व्यवस्था

(1) मध्यस्थता से संबंधित इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही या कार्यवाही के संबंध में, ए

एच.

733

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, न्यायालय या मध्यस्थता न्यायाधिकरण को यह निर्धारित करने का विवेकाधिकार होगा -

(क) क्या लागत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय है; (ख) ऐसी लागतों की राशि; और

बी.

((ग) जब ऐसी लागतों का भुगतान किया जाना है।

स्पष्टीकरण।—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, "लागत" का अर्थ है -

((i) मध्यस्थों, न्यायालयों और गवाहों की फीस और खर्च; (ii) कानूनी फीस और खर्च;

सी.

((ग) मध्यस्थता की देखरेख करने वाली संस्था का कोई भी प्रशासनिक शुल्क; और

((iv) मध्यस्थता या न्यायालय की कार्यवाही और मध्यस्थता निर्णय के संबंध में किया गया कोई अन्य खर्च।

डी.

(2) यदि न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण लागत के भुगतान के संबंध में आदेश देने का निर्णय लेता है, तो -

(क) सामान्य नियम यह है कि असफल पक्ष को सफल पक्ष की लागत का भुगतान करने का आदेश दिया जाएगा; या

ई.

(ख) न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए एक अलग आदेश दे सकता है।

(3) लागत निर्धारित करने में, न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा, जिनमें शामिल हैं -

एफ.

((क) सभी पक्षों का आचरण;

(ख) क्या कोई पक्ष मामले में आंशिक रूप से सफल हुआ है;

(ग) क्या पक्ष ने एक तुच्छ जवाबी दावा किया था जिससे मध्यस्थता कार्यवाही के निपटारे में देरी हुई थी; और

(घ) क्या विवाद को निपटाने के लिए कोई उचित प्रस्ताव किसी पक्ष द्वारा दिया गया है और दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

जी.

(4) न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस धारा के तहत कोई भी आदेश दे सकता है जिसमें यह आदेश भी शामिल है कि एक पक्ष भुगतान करेगा -

(क) किसी अन्य पक्ष की लागत का एक अनुपात;

एच.

(बी) किसी अन्य पक्ष की लागतों के संबंध में एक निर्दिष्ट राशि; (सी) केवल एक निश्चित तिथि से या तब तक की लागत;

(घ) कार्यवाही शुरू होने से पहले की गई लागत;

(ई) कार्यवाहियों में उठाए गए विशेष कदमों से संबंधित लागतें; (च) केवल कार्यवाहियों के एक विशिष्ट भाग से संबंधित लागतें; और (छ) एक निश्चित तिथि से या तब तक की लागतों पर ब्याज।

बी.

(5) एक समझौता जिसका प्रभाव है कि एक पक्ष को किसी भी स्थिति में मध्यस्थता की पूरी या आंशिक लागत का भुगतान करना है, केवल तभी मान्य होगा जब ऐसा समझौता विचाराधीन विवाद उत्पन्न होने के बाद किया जाता है।"

सी.

धारा 31 ए में प्रावधान है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण या अदालत को मध्यस्थता की लागत निर्धारित करने का विवेकाधिकार है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मध्यस्थों, अदालतों और गवाहों की फीस और खर्चों से संबंधित उचित लागत शामिल है।धारा 31 ए की उप-धारा (5) निर्दिष्ट करती है कि लागतों को विभाजित करने वाले पक्षों के बीच एक समझौता केवल तभी मान्य होता है जब यह विवाद उत्पन्न होने के बाद किया जाता है।यह प्रावधान पार्टी की स्वायत्तता को सीमित करने का प्रभाव डालता है जब पार्टियों के बीच लागतों के विभाजन के संबंध में एक समझौता किया जा सकता है।हालाँकि, यह पार्टी की स्वायत्तता के सिद्धांत को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है।

डी.

ई.

82. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 38 भी प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि यह मध्यस्थ न्यायाधिकरण को जमा के रूप में लागत के लिए अग्रिम की मांग करने में सक्षम बनाती है। प्रावधान इस प्रकार हैः

" धारा 38-जमा

(1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण, यथास्थिति, धारा 31 की उप-धारा (8) में निर्दिष्ट लागतों के लिए अग्रिम के रूप में जमा या पूरक जमा की राशि निर्धारित कर सकता है, जिसकी वह अपेक्षा करता है कि उसे प्रस्तुत किए गए दावे के संबंध में खर्च किया जाएगाः

एफ.

बशर्ते कि जहां दावे के अलावा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को एक प्रति-दावा प्रस्तुत किया गया है, वह दावे और प्रति-दावे के लिए अलग-अलग जमा राशि तय कर सकता है।

जी.

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जमा पक्षकारों द्वारा समान शेयरों में देय होगीः

बशर्ते कि जहां एक पक्ष जमा के अपने हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो दूसरा पक्ष उस हिस्से का भुगतान कर सकता हैः

एच.

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

बशर्ते कि जहां दूसरा पक्ष भी दावे या प्रति-दावे के संबंध में उपरोक्त हिस्से का भुगतान नहीं करता है, वहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, ऐसे दावे या प्रति-दावे के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही को निलंबित या समाप्त कर सकता है।(3) मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण प्राप्त जमाओं के पक्षों को एक लेखा प्रदान करेगा और पक्ष या पक्षों को, जैसा भी मामला हो, कोई भी बिना खर्च की गई शेष राशि वापस कर देगा।"

बी.

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 38 (1) मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अपने स्वयं के मूल्यांकन के आधार पर लागत पर अग्रिम के रूप में देय जमा का निर्धारण करने का अधिकार देती है कि उसके समक्ष दावे और प्रति-दावे (यदि कोई हो) पर निर्णय लेने के लिए लागत के रूप में क्या खर्च किया जा सकता है।धारा 38 (2) भी मध्यस्थता न्यायाधिकरण को कार्यवाही को निलंबित या समाप्त करने का अधिकार देती है यदि पक्ष जमा का भुगतान करने में विफल रहते हैं।

सी.

83. इसके अतिरिक्त, धारा 39 (1) मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता के किसी भी अवैतनिक लागत होने पर मध्यस्थता पुरस्कार पर ग्रहणाधिकार रखने में सक्षम बनाती है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 39 इस प्रकार प्रदान करती हैः

डी.

" धारा 39-मध्यस्थता अधिनिर्णय और लागत के रूप में जमा पर ग्रहणाधिकार

(1) उप-धारा (2) के प्रावधानों और मध्यस्थता समझौते में इसके विपरीत किसी भी प्रावधान के अधीन रहते हुए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को मध्यस्थता की किसी भी अवैतनिक लागत के लिए मध्यस्थता पुरस्कार पर ग्रहणाधिकार होगा।

ई.

(2) यदि किसी भी मामले में कोई मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपने द्वारा मांगे गए खर्चों के भुगतान के अलावा अपना पुरस्कार देने से इनकार कर देता है, तो न्यायालय इस ओर से एक आवेदन पर आदेश दे सकता है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण आवेदक द्वारा अदालत में भुगतान किए जाने पर मध्यस्थता पुरस्कार प्रदान करेगा और ऐसी जांच के बाद, जैसा कि वह उचित समझता है, आगे आदेश देगा कि न्यायालय में इस तरह से भुगतान किए गए धन में से मध्यस्थता न्यायाधिकरण को ऐसी राशि के रूप में भुगतान किया जाएगा जिसे न्यायालय उचित समझे और यह कि धन की शेष राशि, यदि कोई हो, आवेदक को वापस कर दी जाएगी।(3) उप-धारा (2) के तहत एक आवेदन किसी भी पक्ष द्वारा तब तक किया जा सकता है जब तक कि मांगी गई फीस उसके और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बीच लिखित समझौते द्वारा निर्धारित नहीं की गई हो, और मध्यस्थ न्यायाधिकरण ऐसे किसी भी आवेदन पर उपस्थित होने और सुनवाई का हकदार होगा।

एफ.

जी.

एच.

736

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 10 एस सी आर।

(4) न्यायालय मध्यस्थता की लागतों के संबंध में ऐसे आदेश दे सकता है जो वह उचित समझता है जहां ऐसी लागतों के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है और मध्यस्थता पुरस्कार में उनके बारे में कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं है।"

84. मध्यस्थता अधिनियम के तहत लागत पर कानूनी व्यवस्था को ऊपर कुछ विस्तार से निर्धारित किया गया है क्योंकि उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की धारा 31 (8) के तहत लागत तय करने की शक्ति, जिसे 31 ए के साथ पढ़ा जाता है, मध्यस्थों की फीस तय करने की शक्ति प्रदान करती है, जो धारा 31 ए के स्पष्टीकरण के संदर्भ में लागत का एक घटक भी है। प्रत्यर्थियों के अनुसार, इस स्थिति को इस तथ्य से बल मिलता है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास जमा की राशि तय करने की शक्ति है जो लागत पर अग्रिम के रूप में देय है और यदि ऐसी लागतें अवैतनिक रहती हैं तो यह मध्यस्थता पुरस्कार पर ग्रहणाधिकार भी रख सकता है।

बी.

सी.

85. गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

"14. तथापि, विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि धारा 31 ए के साथ पठित धारा 31 (8) की भाषा में परिवर्तन जो केवल आम तौर पर लागतों से संबंधित है और मध्यस्थ की फीस से संबंधित नहीं है, कानून में सही है।यह सच है कि मध्यस्थ की फीस भुगतान की जाने वाली लागत का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन इसके बाद यह कहना बहुत दूर की बात है।

डी.

कि धारा 31 (8) और 31 ए सीधे उन अनुबंधों को नियंत्रित करेंगे जिनमें शुल्क संरचना पहले ही निर्धारित की जा चुकी है।

ई.

86. इस न्यायालय की उपरोक्त व्याख्या एल. सी. आई. की 246 वीं रिपोर्ट (उपर्युक्त) में विधि आयोग की टिप्पणियों के अनुरूप है, जिसमें उसने केवल "हारे हुए भुगतान" सिद्धांत को वैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए लागत की व्यवस्था में बदलाव की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियां थीं:

एफ.

"70.मध्यस्थता, पारंपरिक प्रतिकूल विवाद समाधान की तरह, एक महंगा प्रस्ताव हो सकता है।अदालत शुल्क के भुगतान से बचने में एक पक्ष की बचत, आमतौर पर मध्यस्थता की अन्य लागतों द्वारा ऑफसेट की जाती है-जिसमें मध्यस्थ की फीस और खर्च, संस्थागत शुल्क और खर्च, वकीलों, गवाहों, स्थान, सुनवाई आदि के संबंध में शुल्क और खर्च शामिल हैं। महत्वपूर्ण लागतों को बढ़ाने की क्षमता इस तरह की लागतों के विभाजन और वसूली से संबंधित नियमों में पूर्वानुमेयता और स्पष्टता की आवश्यकता को उचित ठहराती है।आयोग का मानना है कि, एक नियम के रूप में, यह केवल इस तरह से लागत आवंटित करने के लिए है जो मध्यस्थता में पक्षों की सापेक्ष सफलता और विफलता को दर्शाता है, जब तक कि विशेष परिस्थितियों में ए की आवश्यकता न हो।

जी.

एच.

737

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

अपवाद या पक्ष अन्यथा सहमत होते हैं (उनके बीच विवाद उत्पन्न होने के बाद ही)।

71.हारने वाला-भुगतान नियम तार्किक रूप से, कानून के मामले में, अंतर्निहित विवाद को एक विशेष तरीके से तय करने के आधार से अनुसरण करता है; और आर्थिक नीति के मामले में, तुच्छ आचरण के खिलाफ आर्थिक रूप से कुशल प्रतिरोध प्रदान करता है और संविदात्मक दायित्वों के अनुपालन को आगे बढ़ाता है।"

बी.

विधि आयोग लागत पर कानूनी ढांचे में संशोधन का सुझाव देकर पक्षों के बीच लागतों को कैसे विभाजित और वसूल किया जाता है, इसे विनियमित करने का प्रयास कर रहा था।वही एल. सी. आई. 246 वीं रिपोर्ट (ऊपर दी गई) मध्यस्थों द्वारा लिए जा रहे अत्यधिक शुल्क के मुद्दे के निवारण से संबंधित थी और शुल्क की एक मॉडल अनुसूची शुरू करने की सिफारिश की, जिसके आधार पर उच्च न्यायालय शुल्क तय करने पर नियम बना सकते हैं, ताकि मध्यस्थों के अपने स्वयं के शुल्क तय करने पर नियंत्रण को कम किया जा सके।अतः, यह स्पष्ट है कि विधि

आयोग ने समझा कि मध्यस्थ शुल्क का मुद्दा लागत के आवंटन के मुद्दे से स्वतंत्र है।एल. सी. आई. की 246 वीं रिपोर्ट (ऊपर दी गई) मध्यस्थों द्वारा शुल्क के मनमाने और एकतरफा निर्धारण की चिंता को दूर करने का प्रयास कर रही थी।प्रत्यर्थियों द्वारा सुझाई गई व्याख्या, कि लागत आवंटित करते समय मध्यस्थ न्यायाधिकरण शुल्क का एक नया और एकतरफा निर्धारण कर सकता है, विधि आयोग द्वारा मध्यस्थों द्वारा लगाए गए शुल्क के विनियमन की सिफारिश करके जो हासिल करने की कोशिश की गई थी, उसके विपरीत होगी।

सी.

डी.

ई.

87. मध्यस्थता में लागत और शुल्क की अवधारणाओं को अलग किया जाना चाहिए।शुल्क में मध्यस्थों को उनकी सेवा के लिए देय मुआवजा या पारिश्रमिक शामिल है।मध्यस्थ "अपने जनादेश के प्रदर्शन के बदले में पक्षों द्वारा वित्तीय पारिश्रमिक" के हकदार हैं।115. जहाँ मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय कानून मध्यस्थों को अर्ध-न्यायिक दर्जा देते हैं जहाँ उन्हें निष्पक्ष न्यायनिर्णायक होना पड़ता है, पक्षकारों और मध्यस्थों के बीच संबंधों के कई पहलू अनुबंधात्मक प्रकृति के होते हैं।संबंध की संविदात्मक प्रकृति को स्वीकार किए बिना, मध्यस्थ (ओं) को नियुक्त करने के पक्षों के अधिकार (और ऐसी नियुक्ति को अस्वीकार करने के लिए मध्यस्थ (ओं) के संबंधित अधिकार), मध्यस्थों के पारिश्रमिक, मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में मध्यस्थता करने के लिए मध्यस्थों के कर्तव्य (निष्पक्षता और समानता की आवश्यकता से स्वतंत्र) के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है।

एफ.

जी.

115 नोट 30 पर सुप्रा

116 आई. बी. आई. डी.

एच.

और मध्यस्थ (ओं) 117 को संयुक्त रूप से हटाने का पक्षों का अधिकार।वोएस्टाल्पाइन में शियेनन जीएमबीएच बनाम दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन।लिमिटेड 118, यह न्यायालय,

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि मध्यस्थ को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करना है, निम्नलिखित उद्धरण में पक्षों और मध्यस्थों के बीच संबंधों की संविदात्मक प्रकृति को मान्यता दी गई हैः

"20. मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही की पहचान है। पक्षपात के खिलाफ शासन प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों में से एक है जो सभी न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है।यही कारण है कि

बी.

कि इस तथ्य के बावजूद कि मध्यस्थता के पक्षकारों और स्वयं मध्यस्थों के बीच संबंध संविदात्मक प्रकृति के हैं और मध्यस्थ की नियुक्ति का स्रोत पक्षकारों के बीच किए गए समझौते से निकाला जाता है**,** इसके बावजूद कि ऐसे मध्यस्थ की समान गैर**-**स्वतंत्रता और गैर**-**पक्षपात **(**हालांकि संविदात्मक रूप से सहमत**)** उसे मध्यस्थता का संचालन करने के लिए अयोग्य बना देगा।इस तर्क के पीछे की उत्पत्ति यह है कि जब एक मध्यस्थ को अनुबंध के संदर्भ में और अनुबंध के पक्षों द्वारा नियुक्त किया जाता है**,** तब भी वह है

सी.

डी.

दलों से स्वतंत्र।कार्यों और कर्तव्यों के लिए उसे पक्षों के पक्षपातपूर्ण हित से ऊपर उठने की आवश्यकता होती है और किसी भी पक्ष के विशेष हित में कार्य करने या आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है।आखिरकार, मध्यस्थ को न्यायनिर्णायक की भूमिका निभानी होती है और इसलिए, उसे पक्षों से स्वतंत्र होने के साथ-साथ निष्पक्ष भी होना चाहिए।यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट ने हाशवानी बनाम जीवराज [हाशवानी बनाम जीवराज, (2011) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1872 में इस पहलू को खूबसूरती से उजागर किया हैः2011 यूकेएससी 40] निम्नलिखित शब्दों मेंः(डब्ल्यूएलआर पी। 1889, पैरा 45) "45. मध्यस्थ या मध्यस्थ नियुक्त करने का प्रमुख उद्देश्य समझौते की शर्तों के अनुसार पक्षों के बीच विवाद का निष्पक्ष समाधान है और हालांकि पक्षों और मध्यस्थों के बीच अनुबंध व्यक्तिगत सेवाओं के प्रावधान के लिए एक अनुबंध होगा, वे पक्षों के निर्देश के तहत व्यक्तिगत सेवाएं नहीं थीं।"

ई.

एफ.

जी.

(जोर दिया गया)

117 आई. बी. आई. डी.

118 (2017) 4 एससीसी 665 ए

एच.

739

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

88. पक्षकारों और मध्यस्थों के बीच संबंध प्रकृति में संविदात्मक है।उस संबंध पर, कानून मध्यस्थ (ओं) पर एक निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णायक के रूप में कार्य करने का कर्तव्य अधिरोपित करता है।पक्ष की स्वायत्तता का सिद्धांत मध्यस्थों की फीस के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।हमने इस निर्णय की धारा सी. 1 में उल्लेख किया है कि पक्ष की स्वायत्तता अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ संस्थानों के नियमों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों में मध्यस्थों के शुल्क के निर्धारण में केंद्रीय भूमिका निभाती है।संस्थागत मध्यस्थता के अलावा, तदर्थ मध्यस्थता में मध्यस्थों की फीस पक्षों और मध्यस्थों के बीच बातचीत के माध्यम से तय की जाती है।गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा मध्यस्थों के शुल्क के निर्धारण में पक्षों के समझौते की प्रधानता की भी पुष्टि की गई थी।हालाँकि, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहाँ पक्षों ने शुल्क के संबंध में कोई समझौता नहीं किया है।तदर्थ मध्यस्थता में यह एक विचित्र स्थिति की ओर ले जाता है जहाँ यह निर्धारित करना होता है कि ऐसी परिस्थितियों में शुल्क कौन तय करेगा।जबकि कुछ विदेशी क्षेत्राधिकार माध्यस्थम न्यायाधिकरण को आम तौर पर अदालतों द्वारा समीक्षा के अधीन शुल्क तय करने में सक्षम बनाते हैं, ऐसे क्षेत्राधिकार हैं जो मध्यस्थों के लिए पारिश्रमिक निर्धारित करने में पक्षों की सहमति को महत्व देते हैं।जैसा कि धारा सी. 1 में ऊपर चर्चा की गई है, जर्मनी जैसे कुछ क्षेत्राधिकारों में, मध्यस्थों को एकतरफा रूप से अपनी फीस तय करने से प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि यह इन रेम सुम निर्णयों के निषेध के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, अर्थात, मध्यस्थ अपने स्वयं के शुल्क पर एक प्रवर्तनीय निर्णय नहीं दे सकते हैं।ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड भी मध्यस्थों को अपने स्वयं के शुल्क के निर्धारण के संबंध में बाध्यकारी और लागू करने योग्य आदेश जारी करने की अनुमति नहीं देते हैं।इटली में, जबकि पक्षकारों के बीच समझौते के अभाव में मध्यस्थ शुल्क निर्धारित कर सकते हैं, ऐसे शुल्क केवल तभी बाध्यकारी हो जाते हैं जब पक्षकारों की सहमति होती है।सिंगापुर में, एक लिखित समझौते के अभाव में, एक पक्ष शुल्क के मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक अधिनियम 1969 के अर्थ के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के पंजीयक से संपर्क कर सकता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

89. इसके विपरीत, लागत आम तौर पर हारने वाले पक्ष द्वारा विजेता पक्ष को उसके द्वारा किए गए खर्चों के लिए देय क्षतिपूर्ति होती है।

जी.

119 टिप्पणी 28 पर सुप्रा

120 माइकल विट्ज़ोरेक, "अध्याय II:मध्यस्थ और मध्यस्थता प्रक्रियाःक्या मध्यस्थ स्वयं शुल्क निर्धारित कर सकते हैं?" क्रिश्चियन क्लॉज़गर, पीटर क्लेन आदि में

(ई. डी. एस.), ऑस्ट्रियाई ईयरबुक ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन 2012, ऑस्ट्रियाई ईयरबुक ऑन इन टेरनेशनल आर्बिट्रेशन, वॉल्यूम 2012 (मैनजशे वेर लैग्स-यू.

यूनिवर्सिटाट्सबुच्हैंडलुंग; मेंज़ 'शे वर्लैग्स-एंड यूनिवर्सिटाट्सबुच्हैंडलुंग, 2012)।

एच.

कार्यवाही 121 में भाग लेना।सलेम में अधिवक्ता बार एसोसिएशन। (II)

v. भारत संघ 122, इस न्यायालय ने मुकदमेबाजी के संदर्भ में लागत को इसी तरह से परिभाषित किया हैः

"37. इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है कि कई बेईमान पक्ष इस तथ्य का लाभ उठाते हैं कि या तो लागत नहीं दी जाती है या असफल पक्ष के खिलाफ नाममात्र की लागत दी जाती है।दुर्भाग्य से, पार्टियों को अपनी लागत खुद वहन करने का निर्देश देना एक प्रथा बन गई है।बड़ी संख्या में मामलों में, संहिता की धारा 35 (2) के बावजूद ऐसा आदेश पारित किया जाता है।इस तरह की प्रथा तुच्छ मुकदमों को दायर करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है।यह तुच्छ बचाव करने की ओर भी ले जाता है।इसके अलावा, जहां भी लागतें दी जाती हैं, आमतौर पर वे यथार्थवादी नहीं होती हैं और नाममात्र होती हैं।जब धारा 35 (2) घटना का पालन करने के लिए लागत का प्रावधान करती है, तो यह है

बी.

सी.

यह निहित है कि लागतें वे होनी चाहिए जो एक सफल पक्ष द्वारा उचित रूप से वहन की जाती हैं, सिवाय उन मामलों के जहां अदालत अपने विवेक से कारणों को दर्ज करके अन्यथा निर्देश देती है।लागत वास्तविक उचित लागत होनी चाहिए जिसमें सफल पक्ष द्वारा बिताए गए समय की लागत, परिवहन और आवास, यदि कोई हो, या अदालत शुल्क, वकील शुल्क, टाइपिंग और अन्य लागतों के भुगतान के अलावा कोई अन्य आकस्मिक लागत शामिल है।

डी.

मुकदमेबाजी।यह उच्च न्यायालयों पर है कि वे इन पहलुओं की जांच करें और जहां भी आवश्यक हो, आवश्यक नियम, विनियम या व्यवहार निर्देश बनाए ताकि अधीनस्थ न्यायालयों को पालन करने के लिए उचित दिशानिर्देश प्रदान किए जा सकें।"

ई.

(जोर दिया गया)

90. "लागत" के भुगतान का सिद्धांत मुकदमेबाजी और मध्यस्थता में समान रहता है, भले ही खर्चों का रूप भिन्न हो सकता है।

एफ.

रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन

(उपर्युक्त) ने लागत के विभिन्न घटकों को निम्नलिखित शीर्षक 123 के तहत वर्गीकृत किया हैः

जी.

121 जॉन वाई. गोटांडा, "भाग I:अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, अध्याय 7:अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में शुल्क और लागतों के पुरस्कार में दक्षता लाना ", स्टीफन में

एम. क्रॉल, लुकास ए. मिस्टेलिस आदि।(ई. डी. एस.), अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक कानूनःसिनर्जी, कन्वर्जेंस एंड इवोल्यूशन (क्लूवर लॉ इंटरनेशनल,

2011)

122 (2005) 6 एस. सी. सी. 344

123 टिप्पणी 28, अध्याय 9 ए पर सुप्रा

एच.

741

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

" •'न्यायाधिकरण की लागत (किसी भी मध्यस्थ संस्था द्वारा मध्यस्थता के प्रशासन के लिए शुल्क सहित);

•'मध्यस्थता की लागत (सुनवाई कक्ष, दुभाषियों को काम पर रखने, प्रतिलिपि तैयार करने सहित); और•'पक्षकारों की लागत (कानूनी प्रतिनिधित्व की लागत, विशेषज्ञ गवाह, गवाह और अन्य यात्रा से संबंधित खर्च सहित)।"

बी.

"न्यायाधिकरण की लागत" की पहली श्रेणी में मध्यस्थों को देय शुल्क, यात्रा से संबंधित और अन्य खर्च शामिल हैं।हालांकि, इस श्रेणी में न्यायाधिकरण, प्रशासनिक सचिव या पंजीयक द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों से संबंधित शुल्क और खर्च और मामले 124 के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा किए गए अन्य आनुषंगिक खर्च भी शामिल हैं।मध्यस्थों का शुल्क विविध तत्वों का एक घटक है जो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय लागतों को पूरा करता है।लागत प्रदान करने का उद्देश्य "विजेता पक्ष को क्षतिपूर्ति" करना है।"हारने वाला भुगतान करता है" सिद्धांत विभाजन लागत के माध्यम से पार्टियों के बीच लागत घटना 125 विधि का पालन करता है।सी. एफ. ई. पद्धति का प्राथमिक उद्देश्य "दावेदार को संपूर्ण बनाना" है।126. सी. एफ. ई. पद्धति को कुछ राष्ट्रीय कानूनों में वैधानिक रूप से मान्यता दी गई है।अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि "जब तक पक्षकार अन्यथा सहमत नहीं होते हैं, तब तक न्यायाधिकरण इस सामान्य सिद्धांत पर लागत का फैसला करेगा कि लागत घटना का पालन करती है, सिवाय इसके कि न्यायाधिकरण को यह प्रतीत होता है कि यह सिद्धांत पूरे या लागत के हिस्से के संबंध में उचित नहीं है।"127. चूँकि लागत आम तौर पर पक्षकारों की सापेक्ष सफलता या विफलता के आधार पर कार्यवाही के समापन पर दी जाती है, लागत का पुरस्कार अंतिम पुरस्कार का एक हिस्सा है। हालाँकि, लागत पर अंतरिम पुरस्कार या निर्णय भी जारी किए जा सकते हैं।अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान मध्यस्थता न्यायाधिकरणों को लागत आवंटित करने का विवेकाधिकार देते हैं जब तक कि लागतों के विभाजन के संबंध में पक्षों के बीच कोई समझौता न हो।यह ध्यान दिया गया है कि "हारे हुए भुगतान" सिद्धांत एक सामान्य दृष्टिकोण है जिसका पुरस्कार देने के लिए 128 का पालन किया जाता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

124 आई. बी. आई. डी.

125 “ सी. एफ. ई. "

जी.

126 नोट 121 पर सुप्रा

127 धारा 61 (2), अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम

128 कुछ संस्थान नियम हैं जो एक सामान्य नियम निर्धारित नहीं करते हैं और लागत के विभाजन को मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देते हैं।आई. सी. डी. आर. (अनुच्छेद 34) और एच. के. आई. ए. सी. (34.3) न्यायाधिकरण से लागतों का उचित विभाजन करने की अपेक्षा करते हैं।आई. सी. सी. नियम (अनुच्छेद 38 (5) और एस. आई. ए. सी. नियम (अनुच्छेद 35) लागत के विभाजन को न्यायाधिकरण के विवेक पर छोड़ते हैं।

एच.

इसकी कीमत 129 है।UNCITRAL नियम, यह प्रावधान करते हुए कि मध्यस्थता की लागत एक सामान्य सिद्धांत के रूप में "असफल पक्ष द्वारा वहन की जाएगी", मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अंतिम निर्णय लेने की अनुमति देता है।एल. सी. आई. ए. नियम मध्यस्थता न्यायाधिकरण को सामान्य सिद्धांत से अलग होने की अनुमति देते हैं "उन परिस्थितियों में (जिनमें) इस तरह के सामान्य सिद्धांत का अनुप्रयोग अनुचित होगा"।131. मध्यस्थता अधिनियम धारा 31 ए (2) 132 में "हारे हुए भुगतान" के सिद्धांत को लागत आवंटित करने के सामान्य सिद्धांत के रूप में वैधानिक मान्यता भी प्रदान करता है, जिसे न्यायाधिकरण के विवेक से कम किया जा सकता है बशर्ते वह अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करे।इसके अलावा, मध्यस्थता अधिनियम धारा 31 ए (5) में निर्दिष्ट करके अनुबंधित रूप से शुल्क आवंटित करने की पक्षों की क्षमता को सीमित करने का प्रयास करता है कि ऐसा समझौता केवल तभी मान्य होगा जब ऐसा समझौता विवाद उत्पन्न होने के बाद किया जाता है।लागत के आवंटन में पार्टी की स्वायत्तता को सीमित करने का विधायिका का इरादा संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से धारा 31 (8) से "जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" वाक्यांश को हटाने से भी स्पष्ट है।

बी.

सी.

डी.

91. हम देख सकते हैं कि लागत और शुल्क की कार्यात्मक भूमिका अलग है।जबकि शुल्क मध्यस्थों को पारिश्रमिक के भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है, लागत मध्यस्थता के संबंध में किए गए सभी खर्चों को संदर्भित करती है जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण या अदालत द्वारा कुछ मापदंडों के मूल्यांकन पर पक्षों के बीच आवंटित किए जाने हैं।धारा 31 ए (3) में प्रावधान है कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण या न्यायालय को लागत निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना होगाः

ई.

“((क) सभी पक्षों का आचरण;

(ख) क्या कोई पक्ष मामले में आंशिक रूप से सफल हुआ है;

एफ.

(ग) क्या पक्ष ने एक तुच्छ जवाबी दावा किया था जिससे मध्यस्थता कार्यवाही के निपटारे में देरी हुई थी; और

129 आरिफ हैदर अली, जेन वेसल आदि।(एड), द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन रूलबुकः ए.

मध्यस्थ शासनों के लिए मार्गदर्शिका (क्लूवर लॉ इंटरनेशनल, 2019), अध्याय 8 130 अनुच्छेद 42 (1), UNCITRAL नियम

जी.

131 अनुच्छेद 28 (4), एल. सी. आई. ए नियम

132 धारा 31 ए (2) में प्रावधान हैः

"(2) यदि न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण लागत के भुगतान के संबंध में कोई आदेश देने का निर्णय लेता है, तो (क) सामान्य नियम यह है कि असफल पक्ष को सफल पक्ष की लागत का भुगतान करने का आदेश दिया जाएगा; या

(ख) न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए एक अलग आदेश दे सकता है।"

एच.

743

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

((घ) क्या विवाद को निपटाने के लिए कोई उचित प्रस्ताव किसी पक्ष द्वारा दिया गया है और दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।"

इसके साथ धारा 31 ए (2) के तहत सामान्य नियम है कि असफल पक्ष को मध्यस्थता की लागत वहन करनी होगी।

92. लागत और शुल्क के बीच के अंतर को समझने का एक और तरीका दावे की प्रकृति के बीच अंतर करना है जो दोनों प्रतिबिंबित करते हैं।

बी.

रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन

(उपर्युक्त) अध्याय 9 में "पुरस्कार" शीर्षक से लागतों पर चर्चा करता है।इसमें कहा गया है कि "एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के संबंध में एक पक्ष द्वारा किए गए खर्च के संबंध में [ए] दावा, सिद्धांत रूप में, किसी अन्य दावे से अलग नहीं है, सिवाय इसके कि इसे आमतौर पर मध्यस्थता कार्यवाही के अंत तक निर्धारित नहीं किया जा सकता है"133. एक पक्ष को मध्यस्थता लागत का भुगतान करने का आदेश देने वाले एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय

को न्यूयॉर्क कन्वेंशन और UNCITRAL मॉडल कानून के अर्थ के भीतर एक "पुरस्कार" माना जाता है क्योंकि निर्णय दूसरे पक्ष द्वारा किए गए खर्चों के लिए भुगतान किए जाने के अधिकार के संबंध में एक पक्ष के दूसरे पक्ष के प्रति दावे का समाधान करता है।

सी.

डी.

मध्यस्थता 134 के दौरान।गैरी बोर्नन आर्बिट्रेशन (ऊपर) विशेष रूप से नोट करता है

लागत और शुल्क के बीच का अंतर, और यह बताता है कि न्यायाधिकरण के सदस्यों को शुल्क के भुगतान से संबंधित मध्यस्थ न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय को एक पुरस्कार नहीं माना जाता है क्योंकि यह पक्षों के बीच एक दावे का समाधान नहीं करता है; बल्कि यह पक्षकारों के खिलाफ मध्यस्थ (ओं) के बीच एक दावे का समाधान करता है।स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल ने इस संदर्भ में कहा है कि 136:

ई.

“[ए] अधिकांश कानूनी लेखन के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास मध्यस्थता समझौते (रिसेप्टम आर्बिट्री) से प्राप्त होने वाले शुल्क के बारे में एक प्रवर्तनीय निर्णय जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण और पक्षों के बीच संबंधों के परिणामस्वरूप होने वाले दावे मध्यस्थता खंड के भीतर नहीं आते हैं; क्योंकि यह स्वयं के मामले में एक अस्वीकार्य निर्णय होगा।इसलिए एक मध्यस्थ निर्णय में लागत पर निर्णय खाते के प्रतिपादन के रूप में और कुछ नहीं है जो पक्षकारों को बाध्य नहीं करता है या मध्यस्थता समझौते के आधार पर मध्यस्थों के निजी कानून के दावे की सीमा नहीं है, जिस पर विवाद के मामले में राज्य न्यायालय को निर्णय लेना होगा।”

एफ.

जी.

133 नोट 123 पर सुप्रा

134 टिप्पणी 30, अध्याय 23 पर सुप्रा

135 आई. बी. आई. डी.

136 10 नवंबर 2010 का निर्णय, डी. एफ. टी. 136 III 597,603 आई. बी. आई. डी. में उद्धृत

एच.

जर्मन मध्यस्थता कानून भी उपरोक्त स्थिति लेता है, जहां मध्यस्थता की लागत से संबंधित निर्णय के एक हिस्से को लागू करने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि मध्यस्थों को अपने स्वयं के शुल्क और लागत तय करने से प्रतिबंधित किया गया है, सिवाय इसके कि पक्षकारों और मध्यस्थों के बीच कोई समझौता हो।

93. चूंकि मध्यस्थों की फीस एक दावा नहीं है जिसे कार्यवाही के अंत में, अन्य बातों के साथ-साथ, पक्षों के आचरण और कार्यवाही के परिणाम के आधार पर निर्धारित करने की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें उस स्तर पर निर्धारित किया जा सकता है जब मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया जा रहा हो।रेडफर्न और

बी.

हंटर ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन (ऊपर) चर्चा करता है

अध्याय 4 में मध्यस्थों के शुल्क की अवधारणा, जिसका शीर्षक "मध्यस्थ न्यायाधिकरण की स्थापना और संगठन" है, यह दर्शाता है कि शुल्क का निर्धारण कार्यवाही की शुरुआत में बहुत पहले किया जाना है।वास्तव में, टिप्पणी में कहा गया है कि तदर्थ मध्यस्थता में, "पक्षों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने शुल्क के बारे में मध्यस्थों के साथ अपनी व्यवस्था करें।मध्यस्थों को कार्यवाही के प्रारंभिक चरण में ऐसा करना चाहिए, ताकि बाद में गलतफहमी से बचा जा सके।

सी.

डी.

94. प्रत्यर्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 38 (1) के तहत मध्यस्थ की दावे और प्रतिवाद (यदि कोई हो) के संबंध में "जो वह उम्मीद करता है कि खर्च किया जाएगा" उस पर अग्रिम के रूप में जमा की मांग करने की शक्ति इंगित करती है कि न्यायाधिकरण अपनी फीस निर्धारित करने का हकदार है।यदि ऐसी जमा राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो न्यायाधिकरण मध्यस्थता अधिनियम की धारा 38 (2) के तहत कार्यवाही को निलंबित या समाप्त कर सकता है। यदि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 39 (1) के तहत मध्यस्थता की लागत का भुगतान नहीं किया जाता है तो यह निर्णय पर ग्रहणाधिकार भी रख सकता है। 95.गैरी बॉर्न ऑन आर्बिट्रेशन (ऊपर) निम्नलिखित शब्दों 139 में लागत या जमा पर अग्रिम की अवधारणा की व्याख्या करता हैः

ई.

एफ.

“एक बार मध्यस्थता न्यायाधिकरण स्थापित हो जाने के बाद, पक्षकारों को आम तौर पर मध्यस्थों के शुल्क और लागत के लिए प्रतिभूति प्रदान करने की आवश्यकता होती है।अधिकांश

संस्थागत मध्यस्थता नियमों में लागत (या जमा) पर अग्रिम के पक्षों द्वारा भुगतान के लिए स्पष्ट प्रावधान होते हैं, और मध्यस्थों के पास अक्सर राष्ट्रीय कानून के तहत मध्यस्थता समझौते या संस्थागत नियमों में से किसी में भी उस प्रभाव के लिए स्पष्ट प्रावधान के बिना भी अग्रिम भुगतान की आवश्यकता होती है।

जी.

137 24 अक्टूबर 2008 का निर्णय, XXXIV Y. B. कॉम।अरब। 533 (ओबरलैंडेसगेरिच्ट फ्रैंकफर्ट) (2009) नोट 123 पर उपर्युक्त में उद्धृत किया गया है।

138 टिप्पणी 28 पर सुप्रा

एच.

139 टिप्पणी 30, अध्याय 15 ए पर सुप्रा

लागत पर अग्रिम राशि मध्यस्थों के अपेक्षित कुल शुल्क और खर्चों और संस्थागत प्रशासनिक लागतों पर आधारित होती है।यदि पक्ष अग्रिम भुगतान नहीं करते हैं, तो मध्यस्थता आगे नहीं बढ़ेगी; यदि एक पक्ष भुगतान करने में विफल रहता है, तो दूसरा पक्ष अपनी ओर से ऐसा कर सकता है, ताकि मध्यस्थता आगे बढ़े, उम्मीद है कि उसके पक्ष में निर्णय के साथ समाप्त हो, जिसमें प्रचलित पक्ष को (अन्य बातों के अलावा) अपने विरोधी पक्ष की ओर से अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।"

बी.

उपरोक्त उद्धरण और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 38 140 इंगित करती है कि जमा की मांग करने का उद्देश्य केवल भविष्य के खर्चों या मध्यस्थता से संबंधित "लागतों" को सुरक्षित करना है, जिसमें मध्यस्थों की फीस भी शामिल है।जब तक ऐसा भुगतान नहीं किया जाता, तब तक मध्यस्थ इस्तीफा दे सकता है या अपना काम बंद कर सकता है।इस सिद्धांत को यह स्थापित करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है कि मध्यस्थ (ओं) के पास जमा की मांग करते समय अपनी फीस तय करने की एकतरफा शक्ति है।मध्यस्थ न्यायाधिकरण पूरक जमा के लिए भी कह सकता है, जो इंगित करता है कि जमा में निर्धारित राशि अस्थायी प्रकृति की है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिदेश की समाप्ति पर, जमाओं का एक खाता प्रदान करना आवश्यक है और यदि जमा लागत की कुल राशि से अधिक है, तो न्यायाधिकरण को शेष राशि वापस करनी आवश्यक है।यह इंगित करता है कि जमा पर आदेश लागत (मध्यस्थ शुल्क सहित) के रूप में एक बाध्यकारी निर्धारण नहीं है।यह भविष्य के खर्चों के भुगतान को सुरक्षित करने के उद्देश्य से जारी किया गया एक प्रक्रियात्मक आदेश है।

सी.

डी.

ई.

140 " धारा 38-जमा

(1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण, यथास्थिति, धारा 31 की उप-धारा (8) में निर्दिष्ट लागतों के लिए अग्रिम के रूप में जमा या पूरक जमा की राशि निर्धारित कर सकता है, जिसकी वह अपेक्षा करता है कि उसे प्रस्तुत किए गए दावे के संबंध में खर्च किया जाएगाः

एफ.

बशर्ते कि जहां दावे के अलावा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को एक प्रति-दावा प्रस्तुत किया गया है, वह दावे और प्रति-दावे के लिए अलग-अलग जमा राशि तय कर सकता है।(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जमा पक्षकारों द्वारा समान शेयरों में देय होगीः

बशर्ते कि जहां एक पक्ष जमा के अपने हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो दूसरा पक्ष उस हिस्से का भुगतान कर सकता हैः

जी.

बशर्ते कि जहां दूसरा पक्ष भी दावे या प्रति-दावे के संबंध में उपरोक्त हिस्से का भुगतान नहीं करता है, वहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, ऐसे दावे या प्रति-दावे के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही को निलंबित या समाप्त कर सकता है।(3) मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण प्राप्त जमाओं के पक्षों को एक लेखा प्रदान करेगा और पक्ष या पक्षों को, जैसा भी मामला हो, कोई भी बिना खर्च की गई शेष राशि वापस कर देगा।”

एच.

96. जबकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थता अधिनियम की धारा 39 (1) के तहत मध्यस्थता की किसी भी अवैतनिक लागत के लिए मध्यस्थता पुरस्कार पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग कर सकता है, एक पक्ष भी पुरस्कार जारी करने के लिए अदालत से संपर्क कर सकता है और जांच पर अदालत यह आकलन कर सकती है कि क्या मांग की गई लागत धारा 39 (2) के तहत उचित है।इन लागतों में मध्यस्थों की फीस शामिल होगी जिस पर पहले सहमति हो चुकी है।हालांकि, भले ही मध्यस्थ (ओं) को देय शुल्क के संबंध में पक्षों और मध्यस्थ (ओं) के बीच कोई समझौता न हो, न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थ शुल्क से संबंधित लागत का कोई भी निर्धारण एक गैर-बाध्यकारी मांग है जिसे न्यायाधिकरण द्वारा उठाया गया है।जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, जबकि लागत, सामान्य रूप से, न्यायाधिकरण या अदालत के विवेक पर तय की

जानी है क्योंकि उनमें यह दावा शामिल है कि एक पक्ष का दूसरे के खिलाफ मध्यस्थता समझौते से उत्पन्न विवाद के समाधान से संबंधित है, मध्यस्थों की फीस पक्षकारों के बीच तय किए जाने वाले दावे नहीं हैं।बल्कि, यह एक स्वतंत्र दावा है कि मध्यस्थ पक्ष 141 के खिलाफ है।यह अदालत को तय करना होगा कि उनके पारिश्रमिक के संबंध में मध्यस्थ का दावा उचित है या नहीं।यह धारा 39 की उप-धाराओं (2) और (3) से भी स्पष्ट हो जाता है, जो प्रदान करती हैं:

बी.

सी.

डी.

" धारा 39-मध्यस्थता अधिनिर्णय और लागत के रूप में जमा पर ग्रहणाधिकार

[...]

(2) यदि किसी भी मामले में कोई मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपने द्वारा मांगे गए खर्चों के भुगतान के अलावा अपना पुरस्कार देने से इनकार कर देता है, तो न्यायालय इस ओर से एक आवेदन पर आदेश दे सकता है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण आवेदक द्वारा अदालत में भुगतान किए जाने पर मध्यस्थता पुरस्कार प्रदान करेगा और ऐसी जांच के बाद, जैसा कि वह उचित समझता है, आगे आदेश देगा कि न्यायालय में इस तरह से भुगतान किए गए धन में से मध्यस्थता न्यायाधिकरण को ऐसी राशि के रूप में भुगतान किया जाएगा जिसे न्यायालय उचित समझे और यह कि धन की शेष राशि, यदि कोई हो, आवेदक को वापस कर दी जाएगी।(3) उप-धारा (2) के तहत एक आवेदन किसी भी पक्ष द्वारा तब तक किया जा सकता है जब तक कि मांगी गई फीस उसके और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बीच लिखित समझौते द्वारा निर्धारित नहीं की गई हो, और मध्यस्थ न्यायाधिकरण ऐसे किसी भी आवेदन पर उपस्थित होने और सुनवाई का हकदार होगा।

ई.

एफ.

जी.

[...]"

(जोर दिया गया)

141 इस निर्णय के अनुच्छेद 91-92 ए

एच.

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

उप-धारा (2) में प्रावधान है कि न्यायालय में एक आवेदन किया जा सकता है यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण निर्णय देने से इनकार कर रहा है, सिवाय उसके द्वारा मांगी गई लागत के भुगतान के।अदालत तब मध्यस्थ न्यायाधिकरण को न्यायाधिकरण द्वारा अदालत को मांगे गए खर्च के भुगतान पर आवेदक को पुरस्कार देने का आदेश दे सकती है।महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए एक जांच कर सकता है कि क्या लागत उचित है और न्यायालय को भुगतान किए गए धन से, वह न्यायाधिकरण को उचित लागत का भुगतान करने और शेष (यदि कोई हो) आवेदक को वापस करने का निर्देश दे सकता है।उप-धारा (3) में प्रावधान है कि उप-धारा (2) के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा रोके गए निर्णय के वितरण के लिए आवेदन केवल तभी किया जा सकता है जब मांगे गए शुल्क को पक्ष और मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा लिखित समझौते द्वारा निर्धारित नहीं किया गया हो।मध्यस्थता अधिनियम की धारा 39 अब निरस्त मध्यस्थता अधिनियम 1940 की धारा 38 के समान है।पूर्ववर्ती विधान की धारा 38 इस प्रकार प्रदान करती हैः

बी.

सी.

“38. मध्यस्थ के पारिश्रमिक या लागत के बारे में विवादः

(1) यदि किसी भी मामले में कोई मध्यस्थ या अंपायर अपने द्वारा मांगे गए शुल्क के भुगतान के अलावा अपना पुरस्कार देने से इनकार कर देता है, तो न्यायालय कर सकता है।इस ओर से एक आवेदन पर, आदेश दें कि मध्यस्थ या अंपायर आवेदक द्वारा मांगी गई फीस के भुगतान पर अदालत में पुरस्कार प्रदान करेगा, और ऐसी जांच के बाद, यदि कोई हो, जो वह उचित समझे, आगे आदेश देगा कि अदालत में इस तरह से भुगतान किए गए धन में से मध्यस्थ या अंपायर को शुल्क के रूप में ऐसी राशि का भुगतान किया जाएगा जिसे अदालत उचित समझे और यह कि धन की शेष राशि, यदि कोई हो, आवेदक को वापस कर दी जाएगी।

डी.

ई.

(2) उप-धारा (1) के तहत किसी भी पक्ष द्वारा संदर्भ के लिए आवेदन किया जा सकता है जब तक कि मांगी गई फीस उसके और मध्यस्थ या अंपायर के बीच लिखित समझौते द्वारा तय नहीं की गई हो, और मध्यस्थ या अंपायर ऐसे किसी भी आवेदन पर उपस्थित होने और सुनवाई का हकदार होगा।

एफ.

(3) न्यायालय मध्यस्थता की लागतों के संबंध में ऐसे आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे जहां ऐसी लागतों के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है और निर्णय में उनके बारे में कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं है।"

जी.

मध्यस्थता अधिनियम 1940 की धारा 38 (1) एक मध्यस्थ या अंपायर को एक पुरस्कार देने से इनकार करने में सक्षम बनाती है यदि उनके द्वारा मांगे गए शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, और ऐसे मामलों में अदालत निर्देश दे सकती है

एच.

मध्यस्थ या अंपायर आवेदक द्वारा अदालत को इस तरह की फीस के भुगतान पर पुरस्कार देने के लिए।इसके बाद, यह मांगी गई फीस की औचित्य का आकलन कर सकता है और अदालत में जमा की गई राशि में से, यह न्यायाधिकरण को भुगतान और आवेदक को वापस की जाने वाली शेष राशि (यदि कोई हो) का निर्देश दे सकता है।मध्यस्थता अधिनियम 1940 की धारा 38 (1) और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 39 (1) के बीच अंतर यह है कि पहला विशेष रूप से मध्यस्थ शुल्क के भुगतान को संदर्भित करता है, जबकि दूसरा न्यायाधिकरण द्वारा मांगी गई लागत को संदर्भित करता है।धारा 39 (1) का दायरा व्यापक प्रतीत होता है।हालाँकि, चूंकि धारा 39 के तहत लागतों का भुगतान मध्यस्थता न्यायाधिकरण को किया जाना है, ये आम तौर पर न्यायाधिकरण के सदस्यों के शुल्क और मध्यस्थों को देय अन्य जेब से बाहर के खर्चों से संबंधित लागतों को दर्शाते हैं जो मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक हैं जैसे कि यात्रा, आवास और किसी भी अन्य भत्ते से संबंधित खर्च।

बी.

सी.

97. धारा 39 के तहत लागतों की यह व्याख्या केवल मध्यस्थ न्यायाधिकरण को देय लागतों तक सीमित होने के रूप में भी धारा 39 के उद्देश्य के अनुरूप है, जो यह है कि यह मध्यस्थ न्यायाधिकरण को मध्यस्थ पुरस्कार पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है।त्रिवेणी शंकर सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। 142, इस न्यायालय ने ग्रहणाधिकार को निम्नानुसार परिभाषित कियाः

डी.

“17...'ग्रहणाधिकार' शब्द का मूल अर्थ लैटिन लिगैमेन से "बाध्यकारी" है।इसका शाब्दिक अर्थ "बनाए रखने का अधिकार" है।'ग्रहणाधिकार' शब्द का अब विभिन्न संदर्भों जैसे 'संविदात्मक ग्रहणाधिकार', 'न्यायसंगत ग्रहणाधिकार', 'विशिष्ट ग्रहणाधिकार', 'सामान्य ग्रहणाधिकार', 'भागीदार ग्रहणाधिकार' आदि के तहत विभिन्न रूप से वर्णन और उपयोग किया जाता है।हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथे संस्करण, खंड 28 में पृष्ठ 221, पैरा 502 में कहा गया हैः

ई.

“अपने प्राथमिक या कानूनी अर्थों में "ग्रहणाधिकार" का अर्थ है एक व्यक्ति को सामान्य कानून में उस अधिकार को बनाए रखना जो वर्तमान और अर्जित दावों के संतुष्ट होने तक दूसरे के स्वामित्व में है।””

एफ.

“ग्रहणाधिकार को पी रामनाथ अय्यर में परिभाषित किया गया हैः143 के रूप में प्रमुख कानून कोशः

जी.

“”ग्रहणाधिकार "परिभाषित।एक अधिकार जिसके द्वारा संपत्ति का कब्जा रखने वाला व्यक्ति पक्ष द्वारा इसे बनाए रखने के कारण मांग की संतुष्टि के लिए इसे दूसरे के खिलाफ रखता है और रखता है।[ओ. VIII, आर. 6 (2), सी. पी. सी. (1908 का 5) और एस. 47, मार्जिन, (1930 का 3)।

142 1992 पूरक।1 एस. सी. सी. 524

एच.

143 पी. रामनाथ अय्यरः द मेजर लॉ लेक्सिकन (लेक्सिसनेक्सिस, चौथा संस्करण)

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

एक व्यक्ति का दूसरे की संपत्ति/संपत्ति पर कब्जा करके या उसे बनाए रखते हुए दूसरे के खिलाफ दावे को पूरा करने का अधिकार।(वित्त) संपत्ति के कब्जे का अधिकार तब तक जब तक कि बकाया देयता का भुगतान नहीं किया जाता है।एक बैंकर का ग्रहणाधिकार एक बैंक को भुगतान के बदले में देनदार की संपत्ति को बनाए रखने या बेचने का अधिकार देता है।(बैंकिंग; बीमा और अंतर्राष्ट्रीय लेखा)।”

बी.

मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थता पुरस्कार पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग कर सकता है और यदि न्यायाधिकरण को बकाया भुगतान किया जाना बाकी है तो इसे देने से इनकार कर सकता है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता निर्णय पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देने के पीछे का सिद्धांत यह सुनिश्चित करना है कि न्यायाधिकरण अपने खर्चों को पूरा किए बिना अधर में न रह जाए, जबकि निर्णय के लाभार्थी को इसका लाभ मिलता है।असम राज्य में बुनाई और

सी.

विनिर्माण कंपनी लिमिटेड बनामविन्नी इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज **(**पी**)**

लिमिटेड 144, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा किः“1996 के अधिनियम की धारा 39, पुराने अधिनियम की धारा 38 की तरह, निर्णय पर एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के ग्रहणाधिकार को मान्यता देती है।इस धारा में ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जहां मध्यस्थता की लागत के संबंध में मध्यस्थता न्यायाधिकरण और एक या अधिक पक्षों के बीच विवाद हो सकता है।जब एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपना निर्णय देने से इनकार कर देता है जब तक कि लागत के भुगतान की उसकी मांग एक पक्ष द्वारा पूरी नहीं की जाती है, तो न्यायाधिकरण को आवेदक को निर्णय देने का निर्देश देने के लिए अदालत में एक आवेदन लाया जा सकता है।उप-धारा (2) इसके तहत एक आवेदक को मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा मांगे गए खर्चों को अदालत में रखने के लिए विचार करती है।इस तरह की लागत जमा होने पर अदालत न्यायाधिकरण को आवेदक को पुरस्कार देने का आदेश दे सकती है।इसके बाद अदालत मांग की गई लागत की औचित्य की जांच कर सकती है और जांच के बाद मामले से निपट सकती है।

डी.

ई.

एफ.

धारा 39 की उप-धारा (3) किसी भी पक्ष द्वारा उप-धारा (2) के तहत आवेदन को केवल इस शर्त पर संदर्भ में ले जाने की अनुमति देती है कि मांगी गई फीस आवेदक और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बीच लिखित समझौते द्वारा निर्धारित नहीं की गई थी।उप-धारा केवल उस पक्ष द्वारा उप-धारा (2) के तहत किए जाने वाले आवेदन को सीमित नहीं करती है जिसे पुरस्कार देने से इनकार कर दिया गया है।धारा 39 जिस वितरण की बात करती है, वह पुरस्कार को मूर्त रूप देने वाले दस्तावेज़ का भौतिक वितरण है, न कि केवल पुरस्कार की घोषणा।के लिए, यह भौतिक रसीद है

जी.

एच.

दस्तावेज़ जो किसी पक्ष को पुरस्कार को अलग करने या इसे लागू करने के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है।"

98. इसलिए, धारा 39 की उप-धारा (2) और (3), एक साथ पढ़कर, ऐसी स्थिति को नियंत्रित करती है जहां मध्यस्थों को देय शुल्क और अन्य खर्चों का निर्णय पक्ष और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बीच एक लिखित समझौते के माध्यम से नहीं किया गया है।जबकि आदर्श रूप से, पक्षों और मध्यस्थों को मध्यस्थों के पारिश्रमिक के संबंध में एक व्यवस्था पर पहुंचना चाहिए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थता लागत (यानी, मध्यस्थों को देय शुल्क और खर्च) के संबंध में एक गैर-बाध्यकारी चालान उठा सकता है और जब तक कि बकाया भुगतान नहीं किया गया है, तब तक पुरस्कार देने से इनकार कर सकता है।पक्ष इस तरह की लागतों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं हैं यदि वे मानते हैं कि ऐसी लागतें अनुचित हैं।ऐसे मामले में, यह न्यायालय है जो यह निर्धारित करता है कि क्या न्यायाधिकरण द्वारा मांगी गई फीस और अन्य खर्च धारा 39 (2) के संदर्भ में उचित हैं।99. निष्कर्ष निकालने के लिए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण 31 ए के साथ पठित धारा 31 (8) के तहत लागत के आवंटन या धारा 38 के तहत लागत के अग्रिम का निर्णय लेते समय अपने स्वयं के पारिश्रमिक के संबंध में कोई बाध्यकारी या प्रवर्तनीय आदेश जारी नहीं कर सकता है।यह पक्ष की स्वायत्तता के सिद्धांत और इन रेम सुम निर्णय 145 के निषेध के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा, जो यह मानता है कि मध्यस्थ अपने पारिश्रमिक के संबंध में पक्षों के खिलाफ अपने स्वयं के दावे के न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं।पक्ष की स्वायत्तता के सिद्धांत और इन रेम सुम निर्णयों के निषेध का सिद्धांत मध्यस्थता न्यायाधिकरण को पक्षों के बीच लागत (मध्यस्थ (ओं) पारिश्रमिक सहित) को विभाजित करने से प्रतिबंधित नहीं करते हैं क्योंकि यह केवल उन खर्चों की प्रतिपूर्ति है जो सफल पक्ष ने मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने में किए हैं।इसी तरह, मध्यस्थ न्यायाधिकरण भी जमा और पूरक जमा की मांग कर सकता है क्योंकि लागतों पर ये अग्रिम केवल अस्थायी प्रकृति के होते हैं।यदि लागत या जमा निर्धारित करते समय, मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थों के शुल्क (समझौते के अभाव में) से संबंधित कोई निष्कर्ष निकालता है, तो इसे मध्यस्थों के पक्ष में लागू नहीं किया जा सकता है।पक्ष मध्यस्थों द्वारा मांगे गए शुल्क की समीक्षा के लिए अदालत से संपर्क कर सकता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

100. आदर्श रूप से, तदर्थ मध्यस्थता में, मध्यस्थ (ओं) को देय शुल्क पक्षों और मध्यस्थ (ओं) के बीच एक व्यवस्था के माध्यम से तय किया जाना चाहिए।अगले खंड में, हम इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कुछ निर्देश जारी कर रहे हैं कि मध्यस्थ (ओं) को देय शुल्क को तदर्थ मध्यस्थता में कैसे तय किया जाना है।

जी.

145 120 ए नोट पर सुप्रा

एच.

751

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

C. 2.2 तदर्थ मध्यस्थताओं में मध्यस्थों के शुल्क को नियंत्रित करने वाले निर्देश

101. मध्यस्थता कार्यवाही में प्रारंभिक बैठकों में मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा पक्षों के साथ एक आम समझ पर पहुंचने के लिए बुलाई गई बैठक होती है कि मध्यस्थता कैसे आयोजित की जानी है।यह आम तौर पर "कार्यवाही के लिखित चरण" से पहले, विवाद समाधान प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में होता है।कुछ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थानों के नियमों में प्रारंभिक बैठक आयोजित करने या मामला प्रबंधन सम्मेलन 147 आयोजित करने का प्रावधान है।शुल्क और खर्चों को आम तौर पर इस स्तर 148 पर संबोधित किया जाता है।हम प्रस्ताव करते हैं कि भारत में तदर्थ मध्यस्थता आयोजित करने की प्रक्रिया में प्रारंभिक सुनवाई के इस चरण को अपनाया जाना चाहिए क्योंकि यह इस बात पर बहुत आवश्यक स्पष्टता प्रदान करेगा कि मध्यस्थों को कैसे भुगतान किया जाना है और इस मुद्दे पर संघर्ष और मुकदमेबाजी को कम करेगा।

बी.

सी.

102. ये प्रारंभिक सुनवाई तब भी आयोजित की जानी चाहिए जब मध्यस्थता समझौते में शुल्क निर्दिष्ट किए गए हों।मध्यस्थता समझौता कई साल पहले भी हो सकता है।यह संभव है कि उस समय जब पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं, मध्यस्थता समझौते में निर्धारित शुल्क समय बीतने के कारण मध्यस्थ की सेवाओं के लिए दिए जाने वाले पारिश्रमिक का अवास्तविक

अनुमान बन गया हो।प्रारंभिक सुनवाई में, यदि सभी पक्ष और मध्यस्थ न्यायाधिकरण संशोधित शुल्क के लिए सहमत होते हैं, तो वह शुल्क मध्यस्थ (ओं) को देय होगा।हालाँकि, यदि कोई भी पक्ष मध्यस्थ (ओं) द्वारा मांगे जा रहे शुल्क पर आपत्ति उठाता है और ऐसे पक्ष और न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरण के सदस्य के बीच कोई सहमति नहीं बन सकती है, तो न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरण के सदस्य को असाइनमेंट को अस्वीकार कर देना चाहिए।चूँकि पक्षों और मध्यस्थों के बीच संबंध प्रकृति में संविदात्मक है, विशेष रूप से पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में, भुगतान किए जाने वाले शुल्क पर आम सहमति होनी चाहिए।

डी.

ई.

एफ.

103. यह संभव है कि प्रारंभिक सुनवाई के दौरान, पक्षकार और मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थ (ओं) द्वारा निवेश किए जाने वाले समय की सीमा और विवाद की जटिलता के बारे में अनिश्चित हो।यह भी संभव है कि मध्यस्थता की कार्यवाही बहुत समय तक जारी रह सकती है।

जी.

146 नियम 19.3, एस. आई. ए. सी. नियम 147 अनुच्छेद 24, आई. सी. सी. नियम 148 ऊपर

एच.

उम्मीद से अधिक समय।इस तरह की आकस्मिकताओं का अनुमान लगाने के लिए, प्रारंभिक सुनवाई के दौरान, पक्षों और मध्यस्थों को यह निर्धारित करना चाहिए कि एक निश्चित संख्या में बैठकों के बाद, शुल्क एक निर्दिष्ट दर पर संशोधित होगा।बैठकों की संख्या जिसके बाद संशोधन होगा और संशोधन की मात्रा पर पक्षकारों और मध्यस्थों के बीच बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से प्रारंभिक सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से चर्चा और निर्धारण किया जाना चाहिए।मध्यस्थ (ओं) के पास अपनी शर्तों पर शुल्क को संशोधित करने की कोई एकतरफा शक्ति नहीं है यदि वे मानते हैं कि विवाद को निपटाने के लिए अतिरिक्त संख्या में बैठकों की आवश्यकता होगी।एक तदर्थ मध्यस्थता में मध्यस्थता न्यायाधिकरण को देय शुल्क का निपटारा प्रारंभिक सुनवाई के दौरान मध्यस्थता न्यायाधिकरण और सीमा पर पक्षकारों के बीच किया जाना चाहिए।प्रारंभिक सुनवाई के दौरान पारस्परिक समझौते द्वारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण को देय शुल्क का समाधान आवश्यक है।इस तरह के समझौते में विफल होने पर, मध्यस्थ जो पक्षों (या उनमें से किसी) द्वारा सुझाए गए शुल्क को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, उन्हें असाइनमेंट को अस्वीकार

करने की स्वतंत्रता है।सीमा पर मध्यस्थ शुल्क का निर्धारण इस शिकायत को दूर करेगा कि मध्यस्थ विवाद समाधान प्रक्रिया के एक उन्नत चरण में पक्षकार हैं।ऐसी स्थिति में, एक पक्ष जो कार्यवाही के बीच मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा मांगे गए शुल्क के एकतरफा संशोधन के लिए सहमत नहीं है, उसे वास्तविक आशंका है कि इसके इनकार के परिणामस्वरूप विवाद के सार पर शर्मनाक परिणाम हो सकते हैं।104. हमारा मानना है कि न्यायमित्र द्वारा प्रस्तावित निर्देश, उपयुक्त संशोधनों के साथ, इन प्रारंभिक सुनवाई को कैसे आयोजित किया जाए, इसकी संरचना में उपयोगी होंगे।संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हम भारत में तदर्थ मध्यस्थता के संचालन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों को अपनाने का निर्देश देते हैंः

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

“1. मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन पर, पक्षकार और मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता न्यायाधिकरण के संदर्भ की शर्तों ("संदर्भ की शर्तों") को अंतिम रूप देने के लिए आपस में अधिकतम चार सुनवाई की सीमा के साथ प्रारंभिक सुनवाई करेंगे।मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भ की शर्तों में अपने शुल्क के घटकों को निर्धारित करना चाहिए जो पक्षों और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के रूप में काम करेंगे।

जी.

2. ऐसे मामलों में जहां पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थता समझौते में निर्धारित तरीके से की जाती है, मध्यस्थों को देय शुल्क मध्यस्थता ए के अनुसार होगा।

एच.

753

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

समझौता।हालाँकि, यदि मध्यस्थता न्यायाधिकरण मानता है कि मध्यस्थता समझौते में निर्धारित शुल्क अस्वीकार्य है, तो मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा प्रस्तावित शुल्क को इन निर्देशों के अनुसार प्रारंभिक सुनवाई के दौरान स्पष्टता के साथ इंगित किया जाना चाहिए। प्रारंभिक सुनवाई में, यदि सभी पक्ष और मध्यस्थ न्यायाधिकरण संशोधित शुल्क के लिए सहमत

होते हैं, तो वह शुल्क मध्यस्थ (ओं) को देय होगा।हालाँकि, यदि कोई भी पक्ष मध्यस्थ (ओं) द्वारा प्रस्तावित शुल्क पर आपत्ति उठाता है और ऐसे पक्ष और न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरण के सदस्य के बीच कोई सहमति नहीं बन सकती है, तो न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरण के सदस्य को असाइनमेंट को अस्वीकार कर देना चाहिए।

बी.

सी.

3. एक बार संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देने और जारी करने के बाद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए यह खुला नहीं होगा कि वह निर्धारित शुल्क या उन शीर्षों में बदलाव करे जिनके तहत शुल्क लिया जा सकता है।

4. पक्षकार और मध्यस्थ न्यायाधिकरण प्रारंभिक सुनवाई के दौरान संदर्भ की शर्तों में यह स्पष्ट कर सकते हैं कि उसमें निर्धारित शुल्क को एक विशिष्ट संख्या में बैठकों के पूरा होने पर संशोधित किया जा सकता है।पुनरीक्षण की मात्रा और इस तरह का पुनरीक्षण किस स्तर पर होगा, यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।पक्षकार और मध्यस्थ न्यायाधिकरण, विवाद के अंतिम निर्णय के लिए आवश्यक बैठकों की अतिरिक्त संख्या का पता लगाने के लिए संशोधन के लिए निर्दिष्ट स्तर पर एक और बैठक आयोजित कर सकते हैं, जो संख्या तब एक अतिरिक्त अवधि के रूप में संदर्भ की शर्तों में शामिल की जा सकती है।

डी.

ई.

5. ऐसे मामलों में जहां न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है, न्यायालय के आदेश में स्पष्ट रूप से वह शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण लेने का हकदार होगा।तथापि, जहां न्यायालय अपने नियुक्ति आदेश में इस निर्धारण को मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर छोड़ देता है, वहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण और पक्षों को उपरोक्त प्रारूप व्यवहार निर्देश (1) में निर्दिष्ट तरीके से निर्दिष्ट संदर्भ की शर्तों पर सहमत होना चाहिए।

एफ.

6. संदर्भ की शर्तों से कोई एकतरफा विचलन नहीं हो सकता है।संदर्भ की शर्तें पार्टियों और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता होने के कारण, कोई भी संशोधन, संशोधन, परिवर्धन या संशोधन केवल पार्टियों की सहमति से ही किया जा सकता है।

जी.

7. सभी उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (14) के प्रयोजनों के लिए मध्यस्थों की फीस को नियंत्रित करने वाले नियम तैयार करेंगे।

एच.

8. चौथी अनुसूची को अंततः वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था।चौथी अनुसूची में निहित शुल्क संरचना स्थिर नहीं हो सकती है और समय-समय पर संशोधित की जानी चाहिए।इसलिए हम भारत संघ को चौथी अनुसूची में निहित शुल्क संरचना को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का निर्देश देते हैं और तीन साल की अवधि में कम से कम एक बार ऐसा करना जारी रखते हैं।"

बी.

105. जैसा कि हम सचेत और जागरूक हैं कि (i) मध्यस्थता कार्यवाही तेजी से संचालित की जानी चाहिए; (ii) अदालत का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए; और (iii) कुछ वादी न्यायसंगत और निष्पक्ष मध्यस्थता शुल्क पर भी आपत्ति करेंगे, हम मॉडल शुल्क अनुसूची को लागू करने के पीछे के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावी बनाना चाहते हैं।जब एक या दोनों पक्ष, या पक्ष और मध्यस्थता न्यायाधिकरण आम सहमति तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं, तो मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए चौथी अनुसूची में निर्धारित शुल्क लेने का अधिकार होता है, जिसे हम आदर्श शुल्क अनुसूची मानते हैं और जिसे सभी के लिए बाध्यकारी माना जा सकता है। नतीजतन, जब एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण चौथी अनुसूची के संदर्भ में शुल्क निर्धारित करता है, तो पक्षों को शुल्क निर्धारण पर आपत्ति करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।यह डिफ़ॉल्ट शुल्क है, जिसे आपसी सहमति से बदला जा सकता है और अन्यथा नहीं।

सी.

डी.

D चौथी अनुसूची में "विवादग्रस्त राशि" की व्याख्या **D. 1** सांविधिक ढांचा

106. हमें मध्यस्थता अधिनियम के वैधानिक ढांचे को देखकर शुरुआत करनी चाहिए। प्रतिस्पर्धी व्याख्याओं की उत्पत्ति को समझने के लिए, पहले धारा 31 (8), धारा 31ए (1) और धारा 38 (1) के स्पष्टीकरण पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

ई.

107. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31 (8) इस प्रकार हैः

एफ.

"31. मध्यस्थता पुरस्कार का प्रपत्र और विषय-वस्तु।—

[...]

(8) मध्यस्थता की लागत धारा 31-ए के अनुसार मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा तय की जाएगी।

धारा 31 की उप-धारा (8) को मध्यस्थता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसने मध्यस्थता अधिनियम में धारा 31 ए को भी जोड़ा था।

जी.

108. धारा 31 ए (1) निम्नलिखित शब्दों में हैः

" 31-उ. लागतों के लिए व्यवस्था।—(1) इस क के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही या कार्यवाही के संबंध में

एच.

755

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

मध्यस्थता से संबंधित अधिनियम, न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण को, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, यह निर्धारित करने का विवेकाधिकार होगा -

(क) क्या लागत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय है; (ख) ऐसी लागतों की राशि; और

बी.

((ग) जब ऐसी लागतों का भुगतान किया जाना है।

स्पष्टीकरण।—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, "लागत" का अर्थ है -

((i) मध्यस्थों, न्यायालयों और गवाहों की फीस और खर्च;

सी.

((ख) कानूनी शुल्क और व्यय।

((ग) मध्यस्थता की देखरेख करने वाली संस्था का कोई भी प्रशासनिक शुल्क; और

((iv) मध्यस्थता या न्यायालय की कार्यवाही और मध्यस्थता निर्णय के संबंध में किया गया कोई अन्य खर्च।

डी.

[...]"

(जोर दिया गया)

धारा 31 ए की उप-धारा (1) न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण को लागत के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करती हैः((i) क्या वे एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय हैं; (ii) उनकी राशि; और (iii) जब वे देय हों।धारा 31 ए (1) के स्पष्टीकरण में चार घटकों को शामिल करने के लिए "लागत" को परिभाषित किया गया है, जिनमें से पहला "मध्यस्थों, अदालतों और गवाहों की फीस और खर्च" है।

ई.

एफ.

109. धारा 31 (8) धारा 38 (1) से भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार हैः

“38. जमा।—(1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण, यथास्थिति, धारा 31 की उप-धारा (8) में निर्दिष्ट लागतों के लिए अग्रिम के रूप में जमा या पूरक जमा की राशि निर्धारित कर सकता है, जिसकी वह अपेक्षा करता है कि उसे प्रस्तुत किए गए दावे के संबंध में खर्च किया जाएगाः

जी.

बशर्ते कि जहां दावे के अलावा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को एक प्रति-दावा प्रस्तुत किया गया है, वह दावे और प्रति-दावे के लिए अलग-अलग जमा राशि तय कर सकता है।” (जोर दिया गया)

एच.

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (1) के अनुसार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण पक्षों को धारा 31 (8) में निर्दिष्ट लागतों के लिए अग्रिम के रूप में जमा करने का निर्देश दे सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, धारा 31 (8) में कहा गया है कि ऐसी लागतों का निर्धारण धारा 31 ए के अनुसार किया जाना है। महत्वपूर्ण रूप से, धारा 38 (1) के परंतुक में यह प्रावधान है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक मध्यस्थता में दावा और प्रतिवाद के लिए जमा की एक अलग राशि तय कर सकता है, जहां एक प्रतिवाद दायर किया गया है।

बी.

110. धारा 31 (8), धारा 31 ए और धारा 38 (1) के बीच अंतर-संबंध सीधे मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची की व्याख्या पर निर्भर करता है। चौथी अनुसूची नीचे दी गई है:"चौथी अनुसूची

सी.

धारा 11 (3-ए) देखें।

एस. एल. नहीं।	विवाद में राशि	मॉडल शुल्क
(1)	(2)	(3)
1	रुपये 5,00,000 तक	45, 000 रुपये
2	रुपये 5,00,000 से ऊपर और रुपये 20,00,000 तक	45, 000 रुपये और दावे की राशि का 3.5 प्रतिशत रुपये 5,00,000 से अधिक।
3	रुपये 20,00,000 से ऊपर और रुपये 1,00,00,000 तक	97, 500 रुपये और दावे की राशि का 3 प्रतिशत रुपये 20,00,000 से अधिक।
4	रुपये 1,00,00,000 से अधिक और रुपये 10,00,00,000 तक	रुपये 3,37,500 और दावे की राशि का 1 प्रतिशत, रुपये 1,00,00,000 से अधिक।
5	रुपये 10,00,00,000 से अधिक और रुपये 20,00,00,000 तक	रुपये 12,37,500 और दावे की राशि का 0.75 प्रतिशत, रुपये 10,00,00,000 से अधिक।
6	रुपये 20,00,00,000 से अधिक	रुपये 19,87,500 और दावे की राशि का 0.5 प्रतिशत, रुपये 20,00,00,000 से अधिक और रुपये 30,00,000 की अधिकतम

		सीमा के साथ।

डी.

ई.

एफ.

जी.

ध्यान दें:यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण एकमात्र मध्यस्थ है, तो वह उपरोक्त के अनुसार देय शुल्क पर पच्चीस प्रतिशत की अतिरिक्त राशि का हकदार होगा।"

एच.

757

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा "विवाद में राशि" शब्द की व्याख्या को चालू करता है, जो चौथी अनुसूची के दूसरे कॉलम का शीर्षक है।यह कॉलम राशियों की विभिन्न श्रेणियां प्रदान करता है, जिसके अनुरूप तीसरा कॉलम प्रासंगिक शुल्क प्रदान करता है जो मध्यस्थ उस श्रेणी के लिए ले सकते हैं।

बी.

111. एक ओर, हमारे सामने यह तर्क दिया गया है कि "विवाद में राशि" अभिव्यक्ति पक्षों द्वारा उठाए गए दावे और प्रति-दावे का संचयी योग होना चाहिए।यदि ऐसी स्थिति अपनाई जाती है, तो मध्यस्थ दावा और प्रति-दावा दोनों की सुनवाई के लिए एक सामान्य शुल्क लेंगे, और चौथी अनुसूची में निर्धारित सीमा उनके संचयी कुल पर लागू होगी।दूसरी ओर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि "विवाद में राशि" दावे और प्रति-दावे में विवाद में व्यक्तिगत राशि को संदर्भित करती है।इस स्थिति को अपनाने का परिणाम यह होगा कि मध्यस्थ दावे और प्रति-दावे के लिए अलग-अलग शुल्क लेंगे, और इसलिए, दोनों पर अलग-अलग शुल्क सीमा लागू होगी।

सी.

डी.

डी**. 2** दावे और प्रति**-**दावे की परिभाषा डी**. 2** पुनः मध्यस्थता कार्यवाही में

(i) मध्यस्थता अधिनियम की सांविधिक रूपरेखा

112. मध्यस्थता अधिनियम विशेष रूप से "दावा" या "प्रति-दावा" अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं करता है।हालाँकि, इन अभिव्यक्तियों को कई उदाहरणों में संदर्भित किया गया है, जिन्हें अब हम रेखांकित करेंगे।

ई.

113. मध्यस्थता अधिनियम के भाग I का शीर्षक "मध्यस्थता" है।धारा 2 भाग I के लिए परिभाषा खंड है. धारा 2 (1) पूरे भाग I में उपयोग किए गए विभिन्न शब्दों को परिभाषित करती है. धारा 2 (2) से 2 (5) उन विवादों के दायरे को स्पष्ट करती है जो भाग I द्वारा कवर किए जाएंगे। धारा 2 (6) नोट करती है कि जहां भाग I पक्षों को किसी भी मुद्दे को निर्धारित करने की अनुमति देता है, वह उन्हें किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उनके लिए मुद्दे को निर्धारित करने का अधिकार भी प्रदान करता है।धारा 2 (7) में कहा गया है कि भाग I के तहत पारित पुरस्कार घरेलू पुरस्कार होंगे।धारा 28 (1) स्पष्ट करती है कि पक्षों द्वारा किए गए समझौते (या जो किया जा सकता है) के किसी भी संदर्भ में समझौते में निर्दिष्ट किसी भी मध्यस्थता नियमों का संदर्भ भी शामिल होगा।महत्वपूर्ण रूप से, धारा 2 (9) में कहा गया है कि "यहाँ धारा 25 के खंड (ए) या धारा 32 की उप-धारा (2) के खंड (ए) के अलावा, एक दावे को संदर्भित करता है, यह एक प्रति-दावे पर भी लागू होगा, और जहां यह एक बचाव को संदर्भित करता है, यह उस प्रति-दावे के बचाव पर भी लागू होगा।"यह

एफ.

जी.

एच.

यह यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. मॉडल कानून के अनुच्छेद 2 (एफ) 149 से मेल खाता है, जिस पर मध्यस्थता अधिनियम आधारित है।धारा 25 (ए) में कहा गया है कि यदि दावेदार धारा 23 की उप-धारा (1) के अनुसार अपने दावे के बयान को संप्रेषित करने में विफल रहता है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण कार्यवाही को समाप्त कर देगा, जबकि धारा 32 (2) (ए) में प्रावधान है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त करने के लिए एक आदेश जारी करेगा जहां दावेदार अपना दावा वापस ले लेता है, जब तक कि प्रतिवादी आदेश पर आपत्ति नहीं करता है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण विवाद का अंतिम निपटान प्राप्त करने में उसकी ओर से एक वैध हित को मान्यता नहीं देता है।इसलिए, जैसा कि स्पष्ट है, इन विशिष्ट

प्रावधानों के अलावा जो केवल दावेदार द्वारा दायर दावे को संदर्भित करते हैं, मध्यस्थता अधिनियम दावों और जवाबी दावों को समान रूप से मानता है।

बी.

सी.

114. इसके बाद धारा 23 की उप-धारा (2-ए) में प्रति-दावों के लिए एक और संदर्भ दिया जाता है, जो निम्नानुसार प्रदान करता हैः

"23. दावा और बचाव के बयान।

[...]

डी.

(2-ए) प्रतिवादी, अपने मामले के समर्थन में, एक जवाबी दावा भी प्रस्तुत कर सकता है या एक सेट-ऑफ का अनुरोध कर सकता है, जिस पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाएगा, यदि ऐसा जवाबी दावा या सेट-ऑफ मध्यस्थता समझौते के दायरे में आता है।"

धारा 23 (2-ए) स्पष्ट करती है कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस सीमा के साथ कि वे मध्यस्थता समझौते के दायरे में आने चाहिए, मध्यस्थता कार्यवाही में एक पक्ष द्वारा दायर प्रति-दावे या सेट-ऑफ पर भी निर्णय लेने के लिए बाध्य है।यह UNCITRAL मॉडल लॉ 150 के तहत आवश्यकताओं के अनुरूप है।यदि कोई पक्ष एक तुच्छ जवाबी दावा दायर करता है जिससे मध्यस्थता कार्यवाही में देरी होती है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण धारा 31 ए (3) (सी) के अनुसार लागत का निर्धारण करते समय इसे ध्यान में रख सकता है।

ई.

एफ.

115. धारा **23 (2-**ए**)** को मध्यस्थता संशोधन अधिनियम **2015** द्वारा एल**.** सी**.** आई**.** की **246** वीं रिपोर्ट **(**उपर्युक्त**)** की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया था।रिपोर्ट में जोड़ने की सिफारिश की गई थी

जी.

149 अनुच्छेद 2 (च) प्रदान करता हैः"(च) जहां अनुच्छेद 25 (क) और 32 (2) (क) के अलावा इस कानून का कोई प्रावधान किसी दावे को संदर्भित करता है, यह प्रति-दावे पर भी लागू होता है, और जहां यह बचाव को संदर्भित करता है, यह ऐसे प्रति-दावे के बचाव पर भी लागू होता है।

150 हावर्ड एम होल्ट्ज़मैन और जोसेफ ई न्यूहॉस, ए गाइड टू द UNCITRAL मॉडल

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर कानूनःविधायी इतिहास और टिप्पणी

(वाल्टर क्लूवर्स, 1989), पृष्ठ 649 ए

एच.

759

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

निम्नलिखित टिप्पणी के साथ धारा 23 (1) (एक अलग उप-धारा के बजाय) का स्पष्टीकरणः

“धारा 23 का संशोधन

13.धारा 23 में, उप-धारा (1) के बाद और उप-धारा (2) से पहले, "स्पष्टीकरणःअपने बचाव में प्रत्यर्थी एक जवाबी दावा भी प्रस्तुत कर सकता है या एक छूट का अनुरोध कर सकता है, जिसे संदर्भ के दायरे में माना जाएगा और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाएगा, इसके बावजूद कि यह मध्यस्थता के प्रारंभिक संदर्भ के दायरे में नहीं आ सकता है, लेकिन बशर्ते कि यह मध्यस्थता समझौते के दायरे में आता है।”

बी.

सी.

[नोटःयह स्पष्टीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए है कि पक्षकारों के बीच विवादों का अंतिम निपटान सुनिश्चित करने और मुकदमेबाजी की बहुलता को रोकने के लिए, जब तक यह मध्यस्थता समझौते के दायरे में आता है, तब तक प्रत्यर्थी द्वारा एक अलग/नए संदर्भ की मांग किए बिना एक मध्यस्थ द्वारा जवाबी दावों और स्थगन पर निर्णय लिया जा सकता है।]”

डी.

इस प्रकार, एक ही कार्यवाही में दावे के साथ जवाबी दावा करने का उद्देश्य इसलिए नहीं है कि जवाबी दावा दावे के कारण उत्पन्न होता है (जो वह नहीं कर सकता है), बल्कि कार्यवाही की बहुलता को रोकने के लिए है।

116. हम इस निर्णय में पहले ही धारा 38 (1) का उल्लेख कर चुके हैं, जहां परंतुक मध्यस्थता न्यायाधिकरण को उन उदाहरणों में जमा की एक अलग राशि (धारा 31 (8) के तहत निर्धारित लागत की) तय करने की शक्ति प्रदान करता है जहां एक दावा और जवाबी दावा दोनों एक मध्यस्थता कार्यवाही में दायर किए गए हैं।हमें मध्यस्थता अधिनियम की धारा 38 (2) पर भी ध्यान देना चाहिए, जो प्रदान करती हैः

ई.

एफ.

“(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जमा पक्षकारों द्वारा समान शेयरों में देय होगीः

बशर्ते कि जहां एक पक्ष जमा के अपने हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो दूसरा पक्ष उस हिस्से का भुगतान कर सकता हैः

जी.

बशर्ते कि जहां दूसरा पक्ष भी दावे या प्रति-दावे के संबंध में उपरोक्त हिस्से का भुगतान नहीं करता है, वहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, ऐसे दावे या प्रति-दावे के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही को निलंबित या समाप्त कर सकता है।" एक सामान्य नियम के रूप में, धारा 38 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि धारा 38 (1) के तहत निर्धारित जमा दोनों पक्षों द्वारा साझा की जानी चाहिए।

एच.

पहले परंतुक में कहा गया है कि यदि एक पक्ष अपने हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो दूसरा पक्ष हस्तक्षेप कर सकता है और इसका भुगतान कर सकता है।इसके अलावा, दूसरे परंतुक में कहा गया है कि यदि दूसरा पक्ष भी उस हिस्से का भुगतान नहीं करता है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण कार्यवाही को निलंबित कर सकता है।महत्वपूर्ण रूप से, यह प्रावधान करता है कि यह दावा या प्रति-दावा या दोनों के संबंध में कार्यवाही को समाप्त कर सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें से किसी एक के लिए उचित जमा किया गया है या नहीं।

बी.

117. नतीजतन, उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैंः

(i) मध्यस्थता अधिनियम दावों और प्रति-दावों को समान रूप से मानता है, और उन्हें समान प्रक्रियात्मक समयसीमा और आवश्यकताओं के अधीन रखता है;

सी.

((ii) मध्यस्थता अधिनियम मध्यस्थता न्यायाधिकरण को दावों और प्रति-दावों के लिए अलग से लागत जमा करने की अनुमति देता है, यह मानते हुए कि वे अलग-अलग कार्यवाहियां हैं क्योंकिः(क) दावे पर निर्णय लेने की कार्यवाही प्रति-दावे पर निर्णय लेने की कार्यवाही से स्वतंत्र है; (ख) दावे और प्रति-दावे पर निर्णय लेते समय न्यायाधिकरण के समक्ष अलग-अलग मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं; (ग) दावे के समर्थन में पेश किया गया साक्ष्य उस सामग्री का निष्पादन नहीं हो सकता है जिस पर प्रति-दावे का निर्णय करने के लिए भरोसा किया जाएगा; और (घ) दावे पर निर्णय आवश्यक रूप से प्रति-दावे के निर्णय को समाप्त नहीं करता है; और

डी.

ई.

(iii) मध्यस्थता अधिनियम दावों और प्रति-दावों को स्वतंत्र कार्यवाही मानता है क्योंकि उत्तरार्द्ध पूर्व पर आकस्मिक नहीं है।बल्कि, यह किसी भी प्रत्यर्थी के मध्यस्थता कार्यवाही में जवाबी दावा करने के अधिकार की रक्षा करता है, बशर्ते कि यह विवाद के तहत मध्यस्थता समझौते से उत्पन्न हो।इसके अलावा, दावे या प्रति-दावे के लिए जमा के भुगतान में चूक की स्थिति में, यह विशेष रूप से नोट करता है कि कार्यवाही केवल दावे के संबंध में समाप्त की जाएगी, या जैसा भी मामला हो, प्रति-दावा जिसके संबंध में चूक हुई है; (iv) हालांकि एक प्रति-दावा दावे के समान तथ्यों से उत्पन्न हो सकता है, प्रति-दावा एक सेट ऑफ नहीं है और दावे के बचाव की प्रकृति में नहीं है; और ए

एफ.

जी.

एच.

761

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

(v) एक प्रति-दावा स्वतंत्र निर्णय के लिए जीवित रहेगा, भले ही दावा खारिज या वापस ले लिया गया हो और दावे का प्रत्यर्थी दावे की खोज या निर्णय की परवाह किए बिना अपने प्रति-दावे को आगे बढ़ाने का हकदार होगा।

((ii) अकादमिक प्रवचन

बी.

118. मध्यस्थता और सुलह के कानून पर न्यायमूर्ति आर. एस. बचावत के मौलिक ग्रंथ में, यह उल्लेख किया गया है कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास उसे निर्दिष्ट किए गए विवाद से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे और प्रति-दावे पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है, और बाद वाले पर निर्णय नहीं लेना निर्णय को रद्द करने का आधार होगा।

सी.

"[एस**. 7.44**।**3]** प्रतिवाद**-**दावा

जब किसी लंबित मुकदमे में विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाता है, तो मध्यस्थ के पास दावे और counterclaim.An पुरस्कार दोनों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होता

है, जो प्रतिदावे को तय किए बिना दावे की अनुमति देता है, जिसे दरकिनार किया जा सकता है। जहाँ मध्यस्थता समझौते ने सभी विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की अनुमति दी थी, वहाँ यह नहीं कहा जा सकता था कि प्रतिदावे पर विचार करके मध्यस्थ ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया था।"

डी.

119. इसी तरह, मध्यस्थता और सुलह के कानून पर सी. आर. दत्ता का ग्रंथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता है कि मध्यस्थता अधिनियम एक दावे और प्रति-दावे को दो अलग-अलग और स्वतंत्र कार्यवाही के रूप में मानता हैः

ई.

"4. समान रूप से भुगतान किया जाए

जमा की जाने वाली लागत राशि दावे के संबंध में और समान शेयरों में पक्षों द्वारा जवाबी दावे के संबंध में अलग से होगी।यदि कोई पक्ष भुगतान नहीं करता है तो दूसरे पक्ष को दोनों पक्षों के शेयरों का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है।यदि दावे के संबंध में जमा की जाने वाली राशि नहीं की जाती है, तो दावे के संबंध में कार्यवाही निलंबित या समाप्त की जा सकती है, लेकिन जवाबी दावे के संबंध में कार्यवाही आगे बढ़ सकती है यदि उसके संबंध में राशि जमा की गई है।लागत और व्यय जमा करने के उद्देश्यों के लिए, दावे और प्रति-दावे को दो अलग-अलग स्वतंत्र कार्यवाही के रूप में माना गया है।"

एफ.

जी.

151 अनिरुद्ध वाधा और अनिरुद्ध कृष्णन, न्यायमूर्ति आर. एस. बचावत का मध्यस्थता का कानून और सुलह (छठा संस्करण, 2017)

एच.

152 सी. आर. दत्ता का मध्यस्थता और सुलह का नियम (लेक्सिसनेक्सिस)

120. गैरी बॉर्न ऑन आर्बिट्रेशन (उपरोक्त) ने नोट किया कि एक पक्ष आम तौर पर अपने प्रति-दावे के संबंध में किसी भी प्रतिबंध से बाध्य नहीं है, सिवाय इसके कि यह मध्यस्थता समझौते 153 के दायरे में आना चाहिएः"सामान्य तौर पर, राष्ट्रीय कानून के तहत प्रत्यर्थी के प्रतिदावे के

विषय पर कोई सीमा नहीं है, इससे परे कि पक्षकारों के मध्यस्थता समझौते में जो भी प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं:प्रत्यर्थी किसी भी प्रतिदावे का दावा कर सकता है जो मध्यस्थता समझौते के दायरे में आता है।यह सामान्य स्वतंत्रता पक्षों के मध्यस्थता समझौते या लागू होने वाले संस्थागत नियमों द्वारा सीमित हो सकती है (जो, हालांकि, आमतौर पर आगे की सीमाएं नहीं लगाते हैं)।"

बी.

सी.

121. अंत में, प्रक्रिया और साक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय

मध्यस्थता, एक प्रति-दावा को सेट-ऑफ से यह देखते हुए अलग किया जाता है कि यह प्रतिवादी द्वारा लाया गया दावा है और दावेदार के दावे का बचाव नहीं है:

" 4.4.एक प्रतिदावे को आमतौर पर दावेदार के खिलाफ एक दीवानी मुकदमे में एक प्रतिवादी द्वारा लाए गए दावे के रूप में देखा जाता है जो प्राथमिक दावे से स्वतंत्र है, हालांकि इसे समान तथ्यों से जोड़ा जा सकता है।इस शब्द का उपयोग एक सेट-ऑफ के विरोधाभास में किया जाता है जिसे प्राथमिक दावे के बचाव के रूप में देखा जाता है, हालांकि यह हमेशा अलग-अलग तथ्यों से संबंधित होता है।क्योंकि यह केवल एक बचाव नहीं है, एक प्रतिवाद एक अलग निर्णय की ओर ले जाता है जो प्राथमिक दावे के तहत निर्णय से अधिक हो सकता है।इसके अलावा, प्रारंभिक दावा वापस लिए जाने पर भी जवाबी दावा जीवित रहता है।इस प्रकार, यह वास्तव में एक उल्टा दावा है न कि बचाव।"

डी.

ई.

122. ये अकादमिक लेखन इस निष्कर्ष का समर्थन करते हैं कि मध्यस्थता कार्यवाही के भीतर दावे और प्रतिवाद अपने आप में अलग और स्वतंत्र कार्यवाही हैं।

एफ.

((iii) न्यायिक घोषणाएँ

123. मध्यस्थता संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से धारा 23 (2-ए) के लागू होने से पहले भी, मध्यस्थता कार्यवाही में पक्षों द्वारा जवाबी दावे किए गए थे।इंडियन ऑयल कार्पोरेशन में।लिमिटेड वी.अमृतसर गैस सेवा 155, इस न्यायालय को एक निर्णय की वैधता पर निर्णय लेना था

जी.

153 नोट 30 पर सुप्रा

154 जेफरी वेन्सीमर, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में प्रक्रिया और साक्ष्य (वाल्टर्स)

क्लूवर, 2012)

155 (1991) 1 एस. सी. सी. 533 (अमृतसर गैस सेवा)

एच.

763

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

मध्यस्थता अधिनियम 1940 जहाँ अपीलार्थी के प्रतिदावे को मध्यस्थ द्वारा खारिज कर दिया गया था क्योंकि यह संदर्भ का हिस्सा नहीं था।तीन-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा ने कहा कि जब मध्यस्थता समझौते के तहत सभी विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है, तो एक पक्ष मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष अपना प्रतिवाद दायर कर सकता हैः

“15. पुरस्कार में दिए गए कारण के लिए अपने प्रति-दावे पर विचार न करने के संबंध में अपीलार्थी की शिकायत में कुछ योग्यता प्रतीत होती है।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार करने से उत्पन्न अपील में मध्यस्थ का संदर्भ दिया गया था और मुकदमे में पक्षों के बीच सभी विवादों का संदर्भ दिया गया था, लिखित बयान में जवाबी दावा करने का अवसर संदर्भ के आदेश के बाद ही उत्पन्न हो सकता है।पक्षकारों की दलीलें मध्यस्थ के समक्ष दायर की गई थीं, और संदर्भ में मुकदमे में पक्षकारों के बीच सभी विवाद शामिल थे।तदनुसार, जवाबी दावा किसी भी प्रारंभिक चरण में नहीं किया जा सकता था।पुरस्कार में दिए गए एकमात्र कारण के लिए प्रति-दावे पर विचार करने से इनकार करना, इसलिए, पुरस्कार के सामने स्पष्ट रूप से कानून की त्रुटि का खुलासा करता है।हालांकि, वर्तमान मामले में, अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा इस स्तर पर जवाबी दावे पर जोर नहीं दिया जा रहा है, इस मामले की आगे जांच करना अनावश्यक है।”

बी.

सी.

डी.

124. गोवा राज्य बनाम प्रवीण एंटरप्राइजेज 156 में दो-न्यायाधीश

ई.

पीठ ने मध्यस्थता अधिनियम के तहत उत्पन्न एक मामले में अमृतसर गैस सेवा (उपरोक्त) में प्रतिपादित सिद्धांत का पालन किया। दो-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन ने कानून की एक विद्वतापूर्ण व्याख्या के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला कि किसी दावे का प्रतिवादी प्रति-दावे पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थता का स्वतंत्र सहारा ले सकता है, लेकिन प्रति-दावा उठाना मुकदमेबाजी की बहुलता को दूर करता हैः

एफ.

"32. प्रत्यर्थी द्वारा किया गया प्रतिवाद दावेदार द्वारा उठाए गए विवादों से संबंधित कार्यवाही के लंबित होने का अनुमान लगाता है।प्रत्यर्थी इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्यस्थता के संदर्भ के लिए एक नोटिस जारी करके (प्रतिदावे के विषय के संबंध में) एक विवाद उठा सकता है और लंबित मध्यस्थता कार्यवाही में प्रतिदावे को उठाने के बजाय मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन द्वारा इसका पालन कर सकता है।प्रतिदावा प्रदान करने का उद्देश्य कार्यवाही की बहुलता से बचना है।

जी.

156 (2012) 12 एस. सी. सी. 581 (प्रवीण एंटरप्राइजेज)

एच.

और भिन्न निष्कर्षों से बचने के लिए।मध्यस्थता कार्यवाही में प्रत्यर्थी की स्थिति किसी वाद में प्रतिवादी के समान होने के कारण, उसके पास दावेदार को नोटिस जारी करके विवाद को उठाने का विकल्प होता है, जिसमें उसे मध्यस्थता के लिए अपने विवाद के संदर्भ के लिए सहमत होने के लिए कहा जाता है और फिर एक स्वतंत्र मध्यस्थता कार्यवाही का सहारा लेता है या लंबित मध्यस्थता कार्यवाही में प्रतिवाद के माध्यम से विवाद को उठाता है।"

बी.

इसके बाद, वोल्टास लिमिटेड बनाम.रोल्टा इंडिया लिमिटेड 157, अन्य दो -

इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने प्रवीण एंटरप्राइजेज (उपरोक्त) में इस तर्क का पालन किया कि प्रतिवाद प्रतिवादी द्वारा स्वतंत्र दावा कार्यवाही थी।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिदावे की सीमा का निर्धारण मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष इसे स्थापित किए जाने की तारीख के संदर्भ में किया जाएगा।हालाँकि, इसने उन उदाहरणों के लिए इस सामान्य नियम के लिए एक अपवाद तैयार किया जहां प्रतिवादी ने पहले दावेदार को भेजे गए मध्यस्थता के लिए

एक नोटिस में दावे के रूप में जवाबी दावा किया था, लेकिन बाद में मध्यस्थता की धारा 11 के तहत एक आवेदन दायर नहीं किया और इसे सीधे जवाबी दावे के रूप में उठाया।ऐसे मामलों में, यह देखा गया था कि सीमा की तारीख तब से शुरू होगी जब दावेदार को मध्यस्थता की सूचना पहली बार प्राप्त हुई थी।

सी.

डी.

D. 2 सिविल कार्यवाहियों में **(i)** सी**.** पी**.** सी**.** का सांविधिक ढांचा

ई.

125. सी. पी. सी. के आदेश VIII में प्रतिवादी द्वारा लिखित बयानों, चूक और जवाबी दावों से संबंधित प्रावधान हैं।नियम 6 एक लिखित कथन में दिए जाने वाले सेट-ऑफ के विवरणों को स्पष्ट करता हैः

"6. सेट-ऑफ का विवरण लिखित बयान में दिया जाना है।—

(1) जहां धन की वसूली के लिए एक मुकदमे में प्रतिवादी वादी की मांग के खिलाफ अदालत की अधिकारिता की आर्थिक सीमाओं से अधिक नहीं, वादी से उसके द्वारा कानूनी रूप से वसूली योग्य किसी भी निश्चित राशि को जमा करने का दावा करता है, और दोनों पक्ष उसी चरित्र को भरते हैं जिसे वे वादी के मुकदमे में भरते हैं, तो प्रतिवादी मुकदमे की पहली सुनवाई में, लेकिन उसके बाद नहीं, जब तक कि अदालत द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, एक लिखित बयान प्रस्तुत कर सकता है जिसमें ऋण का विवरण होता है जिसे बंद करने की मांग की जाती है।

एफ.

जी.

(2) सेट-ऑफ का प्रभाव।—लिखित कथन का वही प्रभाव होगा जो एक प्रति-वाद में एक वादी का होगा ताकि न्यायालय को सक्षम बनाया जा सके -

157 (2014) 4 एससीसी 516 ए

एच.

765

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

मूल दावे और प्रतिदान दोनों के संबंध में अंतिम निर्णय सुनाएँ, लेकिन यह डिक्री के तहत किसी भी वादी को देय लागतों के संबंध में निर्धारित राशि पर ग्रहणाधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

(3) एक प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान से संबंधित नियम सेट-ऑफ के दावे के जवाब में एक लिखित बयान पर लागू होते हैं।"

बी.

नियम 6 (1) निर्दिष्ट करता है कि अपना लिखित बयान दाखिल करते समय, एक प्रतिवादी वादी से कानूनी रूप से वसूली योग्य एक निश्चित राशि के विवरण का उल्लेख कर सकता है।नियम 6 (2) में कहा गया है कि एक लिखित बयान में एक सेट-ऑफ का अनुरोध करने का प्रभाव एक प्रति-मुकदमे में शिकायत दायर करने के समान है।नियम 6 (3) तब नोट करता है कि प्रतिवादी के सेट-ऑफ दावे के प्रत्यर्थी में वादी का लिखित बयान वादी की शिकायत के जवाब में प्रतिवादी के लिखित बयान के समान नियमों का पालन करेगा।126. दूसरी ओर, सी. पी. सी. के आदेश VIII के नियम 6-ए के तहत जवाबी दावे के लिए एक अलग प्रावधान किया गया हैः

सी.

डी.

" 6-ए. प्रतिवादी द्वारा जवाबी दावा।—(1) मुक़दमे में एक प्रतिवादी

(ख) नियम 6 के अधीन प्रतिदावे का अभिवचन करने के अपने अधिकार के अतिरिक्त, वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिदावे के रूप में, वादी के विरुद्ध कार्रवाई के कारण के संबंध में कोई अधिकार या दावा, वाद दायर करने से पहले या बाद में, लेकिन प्रतिवादी के अपना बचाव करने से पहले या अपना बचाव देने के लिए सीमित समय समाप्त होने से पहले, चाहे ऐसा प्रतिदावे नुकसान के दावे की प्रकृति का हो या न होः

ई.

बशर्ते कि ऐसा प्रतिदावा न्यायालय की अधिकारिता की आर्थिक सीमाओं से अधिक नहीं होगा।

एफ.

(2) इस तरह के प्रति-दावे का एक प्रति-मुकदमे के समान प्रभाव होगा ताकि न्यायालय मूल दावे और प्रति-दावे दोनों पर एक ही मुकदमे में अंतिम निर्णय देने में सक्षम हो सके।(3) वादी को अदालत द्वारा निर्धारित की जाने वाली अवधि के भीतर प्रतिवादी के जवाबी दावे के जवाब में एक लिखित बयान दायर करने की स्वतंत्रता होगी।

जी.

(4) प्रतिदावे को एक वाद के रूप में माना जाएगा और वादियों पर लागू नियमों द्वारा शासित किया जाएगा।"

नियम 6-ए (1) में प्रावधान है कि प्रतिवादी का जवाबी दावा नियम 6 के तहत सेट-ऑफ के दावे के अलावा है।इसमें प्रावधान है कि प्रतिवादी वादी के खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले या बाद में, लेकिन प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव करने से पहले या अपना बचाव देने के लिए सीमित समय समाप्त होने से पहले, कार्रवाई के कारण के आधार पर जवाबी दावा दायर कर सकता है।परंतुक में कहा गया है कि जवाबी दावे का मूल्य उस अदालत के आर्थिक अधिकार क्षेत्र से अधिक नहीं हो सकता है जहां इसे दायर किया जा रहा है।नियम 6-ए (2) में प्रावधान है कि प्रतिदावे का प्रभाव प्रतिदावे के समान है।नियम 6-ए (3) वादी को प्रतिवादी के जवाबी दावे के खिलाफ लिखित बयान दायर करने की अनुमति देता है।अंत में, नियम 6-ए (4) में कहा गया है कि प्रति-दावे को एक वाद के रूप में माना जाएगा और वाद-विवाद को नियंत्रित करने वाले नियम उस पर लागू होंगे।

बी.

सी.

127. आदेश VIII का नियम 6-डी विशेष महत्व का है, और यह इस प्रकार प्रदान करता हैः

" 6-घ. मुक़दमे को बंद करने का प्रभाव।—अगर किसी भी मामले में

प्रतिवादी एक प्रति-दावा स्थापित करता है, वादी का मुकदमा रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है, और प्रति-दावा फिर भी आगे बढ़ाया जा सकता है।"

डी.

नियम 6-डी, बिना किसी अनिश्चित शब्दों में, स्पष्ट करता है कि भले ही वादी द्वारा दायर किए गए मुकदमे पर रोक लगा दी जाए, बंद कर दिया जाए या खारिज कर दिया जाए, यह प्रतिवादी के जवाबी दावे को प्रभावित नहीं करेगा।यह एक बार फिर इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रति-दावे दावों से अलग और स्वतंत्र हैं।प्रतिवादी का जवाबी दावा एक वाद के बराबर है।प्रति-दावा एक स्वतंत्र मुकदमे के रूप में दायर नहीं किया जा रहा है, बल्कि पहले से मौजूद मुकदमे के भीतर एक प्रति-दावे के रूप में दायर किया जा रहा है ताकि मुकदमेबाजी की बहुलता से बचा जा सके।हालांकि, यह मूल मुकदमे के परिणाम पर निर्भर नहीं है और एक स्वतंत्र कार्यवाही है।

ई.

एफ.

((ii) अकादमिक प्रवचन

128. सिविल प्रक्रिया संहिता पर मुल्ला के ग्रंथ में कहा गया है कि एक प्रति-दावा एक स्वतंत्र मुकदमा है जो एक अन्य पूर्व-मौजूदा मुकदमे के भीतर मौजूद है, ताकि अदालत दावे और प्रति-दावे पर अंतिम निर्णय देने में सक्षम हो सके।

जी.

"नियम 6 ए का उद्देश्य एक प्रतिदावे को वादी के मुकदमे के साथ एक स्वतंत्र मुकदमे के रूप में सुनना है ताकि अदालत अंतिम निर्णय दे सके।"

158 मुल्ला, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, (खंड 2,18 वां संस्करण) पृष्ठ 1925 ए

एच.

767

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

129. सरकार की सिविल प्रक्रिया संहिता नोट करती है कि एक काउंटर -

दावा एक स्वतंत्र कार्रवाई है न कि वादी के मूल दावे का बचाव 159:

"नियम 6 ए (1) के प्रावधान आरएससी, 1965 [यूके के सर्वोच्च न्यायालय के नियम, 1965], आदेश 15, नियम 2 (1) के समान हैं।सी. एफ. आदेश 8 के साथ नियम 6 (2), संहिता के नियम 6 (2) और आर. एस. सी. 1965, आदेश 18, नियम 18 के साथ नियम 6 ए (4)।इस नियम का प्रभाव एक वाद में एक वाद के साथ एक प्रति-दावे को आत्मसात करने का अनुरोध करने के दृष्टिकोण से है और इसलिए उसी के द्वारा शासित है।

बी.

वाद के रूप में अभिवचन के नियम।एक प्रति-दावा काफी हद तक एक प्रति-कार्रवाई है, न कि केवल वादी के दावे का बचाव।

सी.

यह ऐसी प्रकृति का होना चाहिए कि अदालत के पास इसे एक अलग कार्रवाई के रूप में स्वीकार करने का अधिकार क्षेत्र होगा।"

(जोर दिया गया)

सरकार (ऊपर) ने आगे नोट किया कि यह समझ आदेश VIII नियम 6-डी में स्पष्ट है, जहां वादी द्वारा एक तुच्छ कार्रवाई को खारिज करने से प्रतिवादी के जवाबी दावे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगाः

डी.

"[नियम 6-डी] आगे इस सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि एक प्रति-दावे को एक प्रति-कार्रवाई के रूप में माना जाना चाहिए, और किसी भी ऐसी चीज से प्रभावित नहीं होता है जो केवल वादी के दावे से संबंधित हो।इस प्रकार, जहां वादी जवाबी-दावा की गई कार्रवाई को बंद कर देता है, वह प्रतिवादी को जवाबी-दावे में निहित कार्रवाई के कारणों को उसके खिलाफ लागू करने से नहीं रोक सकता है।इसलिए यदि किसी कार्रवाई को तुच्छ बताते हुए खारिज कर दिया जाता है, तो जवाबी दावा प्रभावित नहीं होता है और प्रतिवादी को वह राहत दी जा सकती है जो वह चाहता है।"

ई.

130. एक प्रति-दावे की उपरोक्त व्याख्या में विस्तार से बताया गया है

एफ.

हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंडिया (सिविल प्रोसीजर) 160:

"एक "प्रति-दावा" एक प्रतिवादी द्वारा उसके खिलाफ एक मुकदमे में किया गया दावा है।

एक वादी।यह एक दावा है, जो वादी के दावे से स्वतंत्र और अलग किया जा सकता है, जिसे क्रॉस-एक्शन द्वारा लागू किया जा सकता है।

यह वादी के खिलाफ प्रतिवादी के पक्ष में कार्रवाई का कारण है।

जी.

(जोर दिया गया)

159 सुदिप्तो सरकार और आदित्य स्वरूप, सरकार की सिविल प्रक्रिया संहिता (लेक्सिसनेक्सिस, 13 वां संस्करण) ("सरकार")

एच.

160 हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंडिया (सिविल प्रोसीजर) (दूसरा संस्करण)

131. सिविल प्रक्रिया पर ज़ुकरमैन का ग्रंथ, के सिद्धांत

अभ्यास यह भी देखता है कि प्रति-दावे एक स्वतंत्र कार्यवाही है 161:

" 4.52.एक प्रतिदावा मुख्य दावे से स्वतंत्र है।यह उसी लेन-देन से संबंधित हो सकता है, जहां दावेदार माल की कीमत का दावा करता है और प्रतिवादी देरी से डिलीवरी या दोषों के लिए हर्जाने का दावा करता है।समान रूप से, एक प्रतिदावा दावे से पूरी तरह से अलग हो सकता है, जहां प्रतिवादी दावेदार के दावे में उठाई गई घटनाओं से पूरी तरह से अलग घटनाओं के संबंध में मुकदमा करता है।"

बी.

((iii) न्यायिक घोषणाएँ

सी.

132. जग मोहन चावला बनाम डेरा राधा स्वामी सतसंग 162 में,

इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ को यह तय करना था कि क्या सी. पी. सी. के तहत, प्राथमिक दावे से अलग कार्रवाई के कारण पर जवाबी दावा किया जा सकता है।दो-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति के. रामास्वामी ने कहाः

डी.

"5...नियम **6-**ए के उप**-**नियम **(1)** में**,** भाषा को इस तरह से जोड़ा गया है

व्यापक शब्दों के साथ जो पक्षों को किसी भी दावे के संबंध में कार्रवाई का अपना स्वतंत्र कारण लाने में सक्षम बनाता है जो एक स्वतंत्र मुकदमे का विषय होगा।

इस प्रकार, यह अब धन के दावे या वादी की मूल कार्रवाई के समान प्रकृति की कार्रवाई के कारण तक सीमित नहीं है।इसे वादी द्वारा की गई कार्रवाई या मामले के मूल कारण से संबंधित या संबंधित होने की आवश्यकता नहीं है।"प्रतिवादी के साथ उपार्जित कार्रवाई के कारण के संबंध में कोई भी अधिकार या दावा" शब्दों से पता चलेगा कि कार्रवाई का कारण जिससे प्रति-दावा उत्पन्न होता है, आवश्यक रूप से वादी की कार्रवाई के कारण से उत्पन्न नहीं होता है या उसका कोई संबंध नहीं होता है।

ई.

एफ.

प्रतिदावे को स्पष्ट रूप से वाद के सभी संकेतों के साथ एक प्रतिदावे के रूप में माना जाता है**,** जिसमें उसकी कार्रवाई के कारण को टालने का कर्तव्य और उस पर आवश्यक अदालत शुल्क का भुगतान भी शामिल है।कार्यवाही की बहुलता और अनावश्यक संरक्षण को रोकने के लिए प्रतिवादी को एक स्वतंत्र मुकदमे में धकेलने के बजाय**,** विधायिका

जी.

161 सिविल प्रक्रिया पर जुकरमैन (स्वीट एंड मैक्सवेल, चौथा संस्करण)

एच.

769

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

मुक़दमा और प्रति-दावा दोनों को मुक़दमा और प्रति-मुक़दमा के रूप में एक ही मुक़दमे में आज़माने और उनका निपटारा करने का इरादा है

उसी मुक़दमे में।दूसरे शब्दों में, एक प्रतिवादी किसी भी कार्रवाई के कारण के संबंध में जवाबी दावे के माध्यम से किसी भी अधिकार का दावा कर सकता है जो उसे प्राप्त हुआ है, भले ही यह वादी द्वारा की गई कार्रवाई के कारण से स्वतंत्र हो और प्रतिवादी को एक अलग मुकदमा दायर करने के लिए प्रेरित किए बिना कार्रवाई के समान कारण का निर्णय लिया जाए।

बी.

(जोर दिया गया)

इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि प्रति-दावा प्रभावी रूप से दावे से पूरी तरह से स्वतंत्र मुकदमा था, इसलिए यह कार्रवाई के किसी भी असंबंधित कारण से उत्पन्न हो सकता है।

सी.

133. रजनी रानी बनाम खैराती लाल 163 में, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए आदेश VIII के प्रावधानों का विश्लेषण किया और कहाः

डी.

“ 9.6... मुक़दमे में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत एक प्रतिदावा एक प्रतिदावे की प्रकृति का होता है और एक वैधानिक आदेश द्वारा**,** भले ही मुक़दमा खारिज कर दिया जाए**,** प्रतिदावे जीवित रहेंगे।

न्यायनिर्णयन के लिए।अदालत द्वारा प्रतिदावे को मनोरंजक बनाने के लिए, प्रतिवादी को प्रतिदावे के मूल्यांकन पर आवश्यक अदालत शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।वादी एक लिखित बयान दायर करने के लिए बाध्य है और यदि चूक होती है तो अदालत प्रतिवादी द्वारा रखे गए प्रतिवाद के संबंध में वादी के खिलाफ फैसला सुना सकती है क्योंकि उसके पास एक स्वतंत्र अधिकार है।

ई.

स्थिति.प्रतिवाद से संबंधित योजना का उद्देश्य कार्यवाही की बहुलता से बचना है।जब ए.

एफ.

प्रतिवाद को गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने पर खारिज कर दिया जाता है और यह प्रतिवादी के अधिकारों को समाप्त कर देता है।नियम 6-ए (2) के अनुसार अदालत को मूल दावे और प्रतिवाद दोनों पर एक ही मुकदमे में अंतिम निर्णय सुनाने की आवश्यकता होती है। The.purpose टुकड़ों में निर्णय लेने से बचने के लिए है।

जी.

134. थॉमस मैथ्यू बनाम के. एल. डी. सी. लिमिटेड में, इस न्यायालय की एक अन्य दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि एक प्रति-दावा एक स्वतंत्र मुकदमा है और इसके परिणामस्वरूप, सीमा की अवधि कार्रवाई के कारण के संचय की तारीख से तीन साल होगी।

163 (2015) 2 एससीसी 682 164 (2018) 12 एससीसी 560

एच.

डी**. 3** विश्लेषण

135. मध्यस्थता अधिनियम और सी. पी. सी. के वैधानिक ढांचे, संबंधित शैक्षणिक विमर्श और न्यायिक घोषणाओं के हमारे विश्लेषण पर, निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं:

((i) दावे और प्रति-दावे स्वतंत्र और विशिष्ट कार्यवाही हैं।

बी.

((ख) प्रति-दावा किसी दावे का बचाव नहीं है और इसका परिणाम दावे के परिणाम पर निर्भर नहीं है।

(iii) प्रति-दावे स्वतंत्र दावे हैं जिन्हें अलग-अलग कार्यवाही में उठाया जा सकता था, लेकिन कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए दावे के रूप में उसी कार्यवाही में उठाए जाने की अनुमति है; और

सी.

((iv) मूल दावे के संबंध में कार्यवाही को खारिज करने से जवाबी दावे के संबंध में कार्यवाही प्रभावित नहीं होती है।

डी.

136. अब हमें इन सिद्धांतों पर धारा 31 (8), धारा 31 ए और धारा 38 (1) और मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची के बीच अंतर-संबंध के संदर्भ में विचार करना चाहिए। धारा 31 (8), धारा 31 ए और धारा 38 (1) के संयुक्त पठन पर, यह स्पष्ट है किः(i) मध्यस्थता कार्यवाही में दावे और प्रति-दावे के लिए अलग-अलग जमा किए जाने हैं; और (ii) ये जमा मध्यस्थता की लागत के संबंध में हैं, जिसमें मध्यस्थों का शुल्क शामिल है।इसलिए, प्रथम दृष्टया, चौथी अनुसूची के तहत शुल्क के निर्धारण की गणना भी दावे और प्रति-दावे के लिए अलग से की जानी चाहिए-यानी, "विवाद में राशि" शब्द दावे और प्रति-दावे के लिए स्वतंत्र दावे की राशि को संदर्भित करता है।इस तरह की व्याख्या का समर्थन दावे और प्रति-दावे की परिभाषा द्वारा भी किया जाता है, और इस तथ्य से कि बाद वाली कार्यवाही पूर्व से स्वतंत्र और अलग होती है।

ई.

एफ.

137. यदि इस व्याख्या को "विवाद की राशि" को दावे और प्रति-दावे के लिए दावे की राशि के संचय के रूप में समझने के पक्ष में खारिज कर दिया जाता है, तो प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के संदर्भ में इसके दूरगामी परिणाम होंगे।पहला, धारा 38 (1) के प्रावधान के तहत, मध्यस्थ न्यायाधिकरण दावे और प्रतिवाद के लिए अलग-अलग जमा का निर्देश दे सकता है।ये धारा 31 (8) और 31 ए के संयुक्त पठन द्वारा परिभाषित मध्यस्थता की लागत पर आधारित हैं, जिसमें मध्यस्थों का शुल्क शामिल है।इसलिए, यदि मध्यस्थ दोनों ए के लिए एक सामान्य शुल्क लेते हैं

जी.

एच.

771

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

दावा और प्रतिवाद, उन्हें तब धारा 38 (1) के परंतुक के उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत जमा की गणना करते समय उस शुल्क को समान रूप से विभाजित करना होगा।दूसरा, धारा 38 (2) के दूसरे परंतुक में प्रावधान है कि यदि दोनों पक्षों द्वारा जमा नहीं किया जाता है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण दावे और/या जवाबी दावे को खारिज कर सकता है, जैसा भी मामला हो।यदि दावे को इस तरह से खारिज किया जाना था, तो यह एक बेतुकी स्थिति पैदा कर देगा जहां मध्यस्थों के शुल्क को केवल जवाबी दावे की राशि के आधार पर मध्यस्थता कार्यवाही के बीच में संशोधित करना होगा।तीसरा, धारा 23 (2-ए) के तहत, प्रतिदावे की एकमात्र आवश्यकता यह है कि यह दावे के समान मध्यस्थता समझौते से उत्पन्न होना चाहिए।हालाँकि, एक प्रति-दावे की कार्रवाई का कारण दावे से पूरी तरह से अलग हो सकता है और संभवतः कहीं अधिक जटिल हो

सकता है।इसलिए, दावा और प्रतिवाद दोनों के लिए संयुक्त आधार पर मध्यस्थों के शुल्क का निर्धारण इस प्रकार दावे और प्रतिवाद में प्रत्येक व्यक्तिगत विवाद के लिए किए जाने वाले अलग-अलग प्रयास से मेल नहीं खाएगा।

बी.

सी.

138. इस प्रस्ताव के समर्थन में कि चौथी अनुसूची में "विवाद की राशि" में दावे और प्रति-दावे की राशि का संचयन शामिल है, हमें एल. सी. आई. की 246 वीं रिपोर्ट (उपर्युक्त) में भी भेजा गया है।यह तर्क दिया गया है कि विधि आयोग ने तदर्थ मध्यस्थता में मध्यस्थों द्वारा अत्यधिक शुल्क लेने की समस्या को उजागर किया, जिसके कारण मध्यस्थता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा चौथी अनुसूची की शुरुआत हुई।इस प्रकार, यह आग्रह किया गया है कि चौथी अनुसूची में "विवादग्रस्त राशि" की व्याख्या उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए जिसके साथ इसे पेश किया गया था।हालाँकि, हमें इस तर्क को अस्वीकार करना चाहिए क्योंकि यह आज के मध्यस्थता अधिनियम के वैधानिक ढांचे के खिलाफ होगा।यदि संसद का इरादा था कि किसी दावे और प्रति-दावे के लिए एक सामान्य शुल्क लिया जाए, तो उसने मध्यस्थता अधिनियम के बाकी हिस्सों में भी संशोधन किया होगा या चौथी अनुसूची में एक विशिष्ट खंड पेश किया होगा। संसद अपने विधायी विवेक में अभी भी ऐसा कर सकती है।

डी.

ई.

एफ.

एफाली फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाममहाराष्ट्र राज्य 165 बोलने वाला

इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ के लिए, न्यायमूर्ति के एन सैकिया ने निर्णय दियाः“31. संसद के एक अधिनियम में एक अनुसूची केवल drafting.The अनुसूची का प्रश्न है जिसका उपयोग अधिनियम के मुख्य भाग में प्रावधानों के अर्थ में किया जा सकता है। यह उतना ही विधायी अधिनियम है जितना कि स्वयं अधिनियम और इसे सभी उद्देश्यों के लिए अधिनियम के साथ पढ़ा जाना चाहिए

जी.

165 (1989) 4 एस. सी. सी. 378

एच.

निर्माण।अनुसूची में अभिव्यक्तियाँ स्पष्ट अधिनियम के खिलाफ नियंत्रण या प्रबल नहीं हो सकती हैं और अनुसूची और अधिनियम के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, अधिनियम प्रबल है और यदि अनुसूची के किसी भी हिस्से को अनुरूप नहीं बनाया जा सकता है तो इसे अधिनियम के अनुरूप होना चाहिए।

(जोर दिया गया**)**

बी.

139. एक अंतिम प्रयास में, हमें कई मध्यस्थ संस्थानों के नियमों को भी संदर्भित किया गया है जो दावे और प्रति-दावे की राशि के संचयन पर मध्यस्थों के शुल्क की गणना के लिए प्रदान करते हैं-जैसे डी. आई. ए. सी. 166, मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन 167, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन 168, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आर्बिट्रेशन काउंसिल 169, एस. आई. ए. सी., एच. के. आई. ए. सी. 170, स्टॉकहोम।

सी.

140. चैंबर ऑफ कॉमर्स 171 और यूरोपीय मध्यस्थता न्यायालय 172।लेकिन इसका हमारे फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।जैसा कि इस फैसले में पहले उल्लेख किया गया है, पक्षों को संस्थागत मध्यस्थता का विकल्प चुनने और संस्थान के नियमों से बंधे रहने की स्वतंत्रता है। हालाँकि, निर्णय वर्तमान में तदर्थ मध्यस्थता के उदाहरणों से संबंधित है जहाँ मध्यस्थ शुल्क की गणना के लिए चौथी अनुसूची लागू की गई है।ऐसे मामलों में, हमारा मानना है कि मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची में "विवाद की राशि"

डी.

ई.

166 डी. आई. ए. सी. नियमों के नियम 3 (ii) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:"3. मध्यस्थ शुल्क-(ii) शुल्क का निर्धारण और मूल्यांकन दावे और जवाबी दावों की कुल राशि के आधार पर किया जाएगा।167 इसके ऑनलाइन शुल्क गणक के आधार पर जो <HTTPS पर उपलब्ध है://एमसीए।org.में/mcia-अनुसूची-शुल्क/गणना _ शुल्क/#> 29 जून 2022 को प्राप्त किया गया

168 घरेलू वाणिज्यिक मध्यस्थता और सुलह के नियमों का नियम 31 (2)

169 शुल्क की अनुसूची <HTTP: पर उपलब्ध है://डब्ल्यू. डब्ल्यू.सिया.इन/फीस _ आर्बिट्रेटर।एच. टी. एम. एल.> 29 जून 2022 को पहुँचा गया

एफ.

170 एच. के. आई. ए. सी. प्रशासित मध्यस्थता नियम 2013 की अनुसूची III का अनुच्छेद 6.3 प्रदान करता है:" 6.3 विवादग्रस्त राशि के निर्धारण के लिए दावे और प्रतिदावे जोड़े जाते हैं।यही नियम किसी भी निर्धारित बचाव पर लागू होता है, जब तक कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण, पक्षों के साथ परामर्श करने के बाद, यह निष्कर्ष नहीं निकालता है कि इस तरह के निर्धारित बचाव के लिए महत्वपूर्ण अतिरिक्त काम की आवश्यकता नहीं होगी।

171 2017 के मध्यस्थता नियमों के परिशिष्ट IV का अनुच्छेद 2 प्रदान करता हैः“(3) विवादग्रस्त राशि सभी दावों, प्रतिदावाओं और प्रतिदानों का कुल मूल्य होगी।जहां विवाद की राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है, बोर्ड सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के शुल्क का निर्धारण करेगा।”.

जी.

172 यूरोपीय मध्यस्थता न्यायालय-2021 के मध्यस्थता नियमों का परिशिष्ट 3 प्रदान करता हैः“पैमाने की सीमा को लागू करने के उद्देश्यों के लिए इस पैमाने को लागू करने के लिए ध्यान में रखी जाने वाली राशि पक्षों द्वारा किए गए दावों की कुल राशि होगी, यानी दावों और प्रतिवादों की।”.

एच.

773

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

दावा और प्रति-दावे में विवाद में दावा राशि के लिए अलग से विचार किया जाता है।नतीजतन, मध्यस्थ शुल्क की गणना दावे और प्रति-दावे के लिए अलग से की जाएगी, और शुल्क की अधिकतम सीमा भी दोनों पर अलग-अलग लागू होगी।

चौथी अनुसूची में ई शुल्क की अधिकतम सीमा

बी.

141. यह मुद्दा चौथी अनुसूची की छठी प्रविष्टि की व्याख्या के इर्द-गिर्द घूमता है।पाठकों की सुविधा के लिए चौथी अनुसूची फिर से निकाली जा रही हैः

“चौथी अनुसूची धारा 11 (3-ए) देखें।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

ध्यान दें:यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण एकमात्र मध्यस्थ है, तो वह उपरोक्त के अनुसार देय शुल्क पर पच्चीस प्रतिशत की अतिरिक्त राशि का हकदार होगा।"

(जोर दिया गया)

एच.

142. इस न्यायालय के समक्ष विकल्प मॉडल शुल्क की दो प्रतिस्पर्धी व्याख्याओं के बीच है जहां विवाद में राशि 20,00,00,000 रुपये से अधिक है।प्रतिस्पर्धी व्याख्याओं की व्याख्या करने से पहले, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित पर एक समझौता है:

(i) विवादग्रस्त राशि के साथ मध्यस्थता के लिए 20,00,00,000 रुपये, शुल्क 19,87,500 रुपये होगा।इसे आधार राशि के रूप में संदर्भित किया जाएगा;

बी.

(ii) 1000 रुपये से अधिक की विवाद राशि में किसी भी वृद्धि के लिए 1000 रुपये से अधिक की राशि का 0.5 प्रतिशत शुल्क में जोड़ा जाएगा।इसे परिवर्तनीय राशि के रूप में संदर्भित किया जाएगा।उदाहरण के लिए, यदि विवादग्रस्त राशि 21,00,00,000 रुपये थी, तो 20,00,00,000 रुपये से ऊपर की राशि 1,00,00,000 रुपये है।इसलिए, रुपये 1,00,00,000 का 0.5 प्रतिशत परिवर्तनीय राशि के रूप में जोड़ा जाएगा; और

सी.

(iii) रुपये की अधिकतम सीमा 30,00,000 है।

डी.

इस न्यायालय के समक्ष विवाद तीसरे बिंदु के संबंध में है, अर्थात्, अधिकतम सीमा क्या लागू होती है।दो संभावित व्याख्याएँ हैं:

(i) सबसे पहले, अधिकतम सीमा आधार राशि और परिवर्तनीय राशि के योग के लिए है।यदि इस व्याख्या को स्वीकार किया जाता है, तो उच्चतम संभव शुल्क रुपये 30,00,000 होगा; या

ई.

((ii) दूसरा, अधिकतम सीमा केवल परिवर्तनीय राशि के लिए है।यदि इस व्याख्या को स्वीकार किया जाता है, तो उच्चतम संभव शुल्क 49,87,500 रुपये होगा।

ई**. 1** अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद के बीच अंतर

एफ.

143. हमारे सामने पहला निवेदन यह है कि प्रासंगिक पाठ के अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद में अंतर है।तैयार संदर्भ के लिए, दोनों संस्करणों को नीचे निकाला जा रहा हैः

Rs.19,87,500 प्लस दावे की राशि का 0.5 प्रतिशत Rs.20,00,00,000 के ऊपर और Rs.30,00,000 की अधिकतम सीमा के साथ।	19]87]500 : i, $20] 00] 00] 000: i, ls vf/kd dh nkok jde dk 0-5 izfr "kr] 30] 00] 000: आई, डीएच वीएफ/केड्रे लेक एलएफजीआरए

जी.

(जोर दिया गया**)**

एच.

775

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

दोनों के बीच का अंतर हिंदी अनुवाद में अल्पविराम ("",) की उपस्थिति है, जो अंग्रेजी संस्करण में अनुपस्थित है।यह प्रस्तुत किया गया है कि अल्पविराम अनजाने में अंग्रेजी संस्करण से छूट

गया था, और इसलिए हिंदी अनुवाद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।इस प्रस्ताव के समर्थन में, संविधान के अनुच्छेद 343 (1) पर भी निर्भरता रखी गई है जिसमें प्रावधान है कि "संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी"।

बी.

144. हमें इस निवेदन को सीमा पर अस्वीकार करना चाहिए क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 348 (1) (बी) (ii) के अंतर्गत आता है, जो इस प्रकार हैः

“348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों**,** विधेयकों आदि के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा।**— (1)** इसके बावजूद

सी.

इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी, जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करती है -

[...]

(ख) आधिकारिक ग्रंथ -

डी.

((i) संसद के किसी भी सदन में या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किए जाने वाले सभी विधेयकों या उनमें संशोधनों के बारे में,

[...]

यह अंग्रेजी भाषा में होगा।”

ई.

अनुच्छेद 348 एक गैर-अस्थाई खंड के साथ शुरू होता है, जो स्पष्ट करता है कि इसे अनुच्छेद 343 (1) सहित भाग XVII के अन्य अनुच्छेदों पर प्राथमिकता दी जाएगी।

145. नित्यानंद शर्मा बनाम बिहार राज्य 173 में, एक तीन-न्यायाधीश

एफ.

इस न्यायालय की पीठ को यह तय करना था कि क्या 'लोहार' समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाएगा क्योंकि उनका नाम हिंदी अनुवाद में अनुसूची में आया था जबकि अंग्रेजी मूल में समुदाय 'लोहरा' था।पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति के. रामास्वामी ने कहाः

“19. संविधान के अनुच्छेद **348 (1) (**बी**)** में प्रावधान है कि भाग **II** में कुछ भी होने के बावजूद **(**अध्याय **II** में अनुच्छेद **346** और **347** क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित हैं**)** पेश किए

जाने वाले सभी विधेयकों का आधिकारिक पाठ और संसद के किसी भी सदन में पेश किए जाने वाले संशोधन।

जी.

173 (1996) 3 एस. सी. सी. 576

एच.

776 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 10 एस. सी. आर.

राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश**.** और संविधान के तहत या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत जारी किए गए सभी आदेश**,** नियम**,** विनियम और उप**-**कानून

अंग्रेजी भाषा में।किसी अबाधित खंड के साथ उसके उप-अनुच्छेद (3) के प्रवर्तन द्वारा, जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने राज्य के विधानमंडल में या राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में या उस उपखंड के पैराग्राफ (iii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उप-कानून में पेश किए गए विधेयकों या पारित अधिनियमों में उपयोग के लिए अंग्रेजी भाषा के अलावा कोई अन्य भाषा निर्धारित की है, उस राज्य के राज्यपाल के अधिकार के तहत उस राज्य के राजपत्र में प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इसके तहत अंग्रेजी भाषा में उसका आधिकारिक पाठ माना जाएगा।

बी.

सी.

लेख।इसलिए, अधिनियम और उसकी अनुसूची अधिनियम का हिस्सा हैं, जैसा कि संसद द्वारा अंग्रेजी भाषा में अधिनियमित किया गया है।यह.

आधिकारिक पाठ है।जब अनुसूचियों का हिंदी में अनुवाद किया गया, तो अनुवादक ने 'ए' अक्षर को छोड़कर लोहार का गलत अनुवाद किया, जबकि लोहरा अंग्रेजी संस्करण में लिखा गया है। यह भी स्पष्ट है कि जब हम पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित दूसरी अनुसूची के भाग XVI की तुलना करते हैं, तो लोहार शब्द का अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी संस्करण में भी उल्लेख नहीं किया गया था।न्यायालय संसद के अधिनियमों का न्यायिक संज्ञान लेगा और अनुसूची की व्याख्या अंग्रेजी संस्करण के अधिनियम और दूसरी अनुसूची का एक आधिकारिक पाठ होने के आलोक में करेगा।"

डी.

ई.

(जोर दिया गया**)**

इसी तरह, वर्तमान मामले में, यह न्यायालय चौथी अनुसूची के क्रम संख्या 6 में प्रविष्टि की व्याख्या करते हुए अनुच्छेद 348 (1) (बी) (आई) द्वारा शासित होगा।

एफ.

ई**. 2** शाब्दिक व्याख्या के लिए अपवाद

146. चौथी अनुसूची की छठी प्रविष्टि के अंग्रेजी संस्करण में कोई अल्पविराम नहीं है।इसलिए, निर्णायक रूप से (हिंदी अनुवाद के विपरीत) यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि 30,00,000 की सीमा आधार राशि और परिवर्तनीय राशि के योग पर संचयी रूप से लागू होती है।147. अल्पविराम की अनुपस्थिति प्रावधान के अर्थ का एक संकेतक हो सकता है। हालाँकि, वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों पर अपने मौलिक ग्रंथ में, न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने 174 का अवलोकन किया हैः

जी.

174 न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह, सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत (14 वां संस्करण, लेक्सिसनेक्सिस)

एच.

777

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

“इंग्लैंड में, 1850 से पहले, किसी भी अधिनियम की पांडुलिपि प्रति में कोई विराम चिह्न नहीं था, जिसे शाही सहमति मिली थी; इसलिए, अदालतों को पुराने अधिनियमों का अर्थ लगाने के लिए विराम चिह्न का कोई सम्मान नहीं हो सकता है।जहाँ तक अधिक आधुनिक अधिनियमों का संबंध है, यह बहुत संदिग्ध है कि क्या निर्माण के उद्देश्यों के लिए विराम चिह्न को देखा जा सकता है।भारतीय कानूनों पर राय बहुत अलग नहीं है।”

बी.

148. इसी तरह, बेनिओन ने सांविधिक व्याख्या पर अपने ग्रंथ में 175 का उल्लेख किया हैः

“ 16.8.विराम चिह्न एक अधिनियम का एक हिस्सा है और एक प्रावधान का अर्थ लगाने में विचार किया जा सकता है।यह आमतौर पर कम वजन का होता है, हालांकि, क्योंकि एक अधिनियम का अर्थ इसके punctuation.Although विराम चिह्न के साथ या उसके बिना समान होना चाहिए, यह आम तौर पर बहुत कम उपयोगी होगा क्योंकि एक अधिनियम का अर्थ इसके साथ या उसके बिना समान होना चाहिए।विराम चिह्न एक उपकरण है जो अर्थ बनाने के लिए नहीं है, बल्कि अर्थ को सरल बनाने के लिए है।इसका उद्देश्य मौखिक पठन में किए जाने वाले कदमों को इंगित करना और अर्थ को इंगित करना है।एक अच्छी तरह से तैयार किए गए

विधायी प्रस्ताव का अर्थ विराम चिह्न की उपस्थिति या अनुपस्थिति को चालू नहीं करना चाहिए।”

सी.

डी.

149. कुमार घोष बनाम अरबिंद बोस 176 में, ए

इस न्यायालय की संविधान पीठ को बार काउंसिल अधिनियम 1926 के प्रावधानों की व्याख्या करनी थी।एक प्रमुख प्रस्तुति गैर-अस्थायी प्रावधान में "या" शब्द से पहले अल्पविराम की उपस्थिति के संदर्भ में थी।न्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी ने अपने फैसले में कहाः

ई.

“56...कानून के निर्माण में विराम चिह्न एक मामूली तत्व है, और अंग्रेजी अदालतों द्वारा इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।कॉकबर्न, सी. जे. ने स्टीफेंसन बनाम टेलर [(1861) 1 बी एंड एस पी में कहा।101] :“संसद की सूची में कोई विराम चिह्न नहीं है और इसलिए हम मुद्रित प्रतियों में उससे बाध्य नहीं हैं।हालाँकि, ऐसा लगता है कि 1850 से मुद्रित वेल्लम प्रतियों में विराम चिह्न के कुछ मामले हैं, और जब वे होते हैं तो उन्हें एक प्रकार की समकालीन व्याख्या के रूप में देखा जा सकता है।पृ. 185]।जब एक क़ानून को सावधानीपूर्वक विराम चिह्न दिया जाता है और इसके अर्थ के बारे में संदेह होता है, तो एक वजन निस्संदेह होना चाहिए

एफ.

जी.

175 डिग्गोरी बेली और ल्यूक नॉर्बरी, बेनिओन ऑन स्टैच्युटरी इंटरप्रिटेशन (7 वां संस्करण,

लेक्सिसनेक्सिस)

176 1953 एससीआर 1

एच.

विराम चिह्न को दिया गया [वैधानिक निर्माण पर क्रॉफर्ड के माध्यम से,पृ. 343]।मुझे इस बात से इनकार करने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ मामलों में विराम चिह्न के अपने उपयोग हो सकते हैं, लेकिन इसे निश्चित रूप से एक नियंत्रक तत्व के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसे किसी पाठ [इबिद] के सादे अर्थ को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”

इस प्रकार, न्यायमूर्ति मुखर्जी ने एक मध्यम मार्ग चुना जहां विद्वान न्यायाधीश ने विराम चिह्न के उपयोग को स्वीकार किया, लेकिन यह माना कि यह अभी भी एक प्रावधान की व्याख्या करने में एक नियंत्रक तत्व नहीं हो सकता है।

बी.

150. इंदौर में इस न्यायालय की एक और संविधान पीठ

विकास प्राधिकरण (एल. ए. पी. एस. ई.-5 जे.) बनाम मनोहरलाल 177 ने नोट किया है कि

व्याख्या के एक उपकरण के रूप में विराम चिह्न के उपयोग का समर्थन और टेलर बनाम कैरिबू 178 से निम्नलिखित उद्धरण को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गयाः

सी.

"हम जानते हैं कि अदालतों और न्यायविदों द्वारा बार-बार यह दावा किया गया है कि विराम चिह्न किसी क़ानून का हिस्सा नहीं है, और इसे निर्माण में नहीं माना जाना चाहिए।यह नियम अपने मूल में सामान्य ज्ञान पर स्थापित किया गया था, क्योंकि इंग्लैंड में 1849 तक विधियों को चर्मपत्र पर प्रविष्ट किया गया था और बिना punctuation.Such के अधिनियमित किया गया था, एक नियम उन शर्तों पर लागू नहीं होता है जहां, इस राज्य की तरह, एक विधेयक मुद्रित होता है और विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य की मेज पर होता है, विराम चिह्न और सभी, इसके अंतिम पारित होने से पहले।ऐसा कोई कारण नहीं है कि विराम चिह्न, जो अंग्रेजी भाषा में अन्य सभी चीजों के अर्थ को स्पष्ट और स्पष्ट करने में सहायता करता है, को कानूनों की व्याख्या के मामले में अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।"कानून व्यवस्था बंद हो गई है।तदनुसार हम पाते हैं कि यह कहा गया है कि किसी कानून की व्याख्या करने में विराम चिह्न का सहारा तब लिया जा सकता है जब अन्य साधन विफल हो जाते हैं; ताकि यह इसके निर्माण में सहायता कर सके; ताकि इसके द्वारा अक्सर अर्थ निर्धारित किया जा सके; कि यह विधायी इरादे की खोज करने के साधनों में से एक है; कि यह विधायी इरादे को निर्धारित करने में भौतिक सहायता हो सकती है।

डी.

ई.

एफ.

दरअसल, मोहम्मद में।शब्बीर बनाम महाराष्ट्र राज्य, दो-न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ ने कहा कि "स्टॉक" शब्द के बाद अल्पविराम की अनुपस्थिति के कारण औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27 के तहत केवल भंडारण अपराध नहीं था।

जी.

177 (2020) 8 एस. सी. सी 129

178 102 मी 401:67 ए 2 (1907) 179 (1979) 1 एस. सी. सी. 568 ए

एच.

779

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

151. वर्तमान मामले में, चौथी अनुसूची के क्रम संख्या 6 में प्रविष्टि के अंग्रेजी संस्करण में कोई अल्पविराम नहीं है।इसकी अनुपस्थिति के कारण, यह माना जा सकता है कि प्रावधान का शाब्दिक अर्थ यह है कि अधिकतम सीमा केवल परिवर्तनीय राशि पर लागू होनी चाहिए।हालांकि, मैक्सवेल ने द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पर नोट किया है कि किसी प्रावधान के शाब्दिक अर्थ को तब खारिज किया जाना चाहिए जब यह अधिनियम 180 के पीछे के विधायी इरादे के खिलाफ स्पष्ट रूप से जाता हैः

बी.

“जहाँ किसी कानून की भाषा, अपने सामान्य अर्थ और व्याकरणिक निर्माण में, अधिनियम के स्पष्ट उद्देश्य के एक स्पष्ट विरोधाभास की ओर ले जाती है, या कुछ असुविधा या बेतुकेपन की ओर ले जाती है जिसका शायद ही कोई इरादा हो सकता है, वहाँ उस पर एक निर्माण किया जा सकता है जो शब्दों के अर्थ और यहाँ तक कि वाक्य की संरचना को भी संशोधित करता है।यह व्याकरण के नियमों से हटकर, विशेष शब्दों को एक असामान्य अर्थ देकर, या उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार करके, इस आधार पर किया जा सकता है कि विधायिका संभवतः अपने शब्दों का अर्थ नहीं बता सकती थी, और किए गए संशोधन केवल लापरवाह भाषा के सुधार हैं और वास्तव में सही अर्थ देते हैं।जहां किसी कानून का मुख्य उद्देश्य और इरादा स्पष्ट है, वहां आवश्यकता के मामले में या उपयोग की गई भाषा की पूर्ण अस्पष्टता को छोड़कर, कानून के बारे में प्रारूपक की लापरवाही या अज्ञानता से इसे शून्य नहीं किया जाना चाहिए।”

सी.

डी.

ई.

इसलिए, वर्तमान मामले में, हमें चौथी अनुसूची के पीछे के विधायी इरादे का पता लगाने का लक्ष्य रखना चाहिए।

ई**. 3** विधायी आशय पर आधारित व्याख्या

152. चौथी अनुसूची को मध्यस्थता संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार मध्यस्थता अधिनियम में जोड़ा गया था, जो अपने आप में एल. सी. आई. की 246 वीं रिपोर्ट (उपरोक्त) की सिफारिशों पर आधारित था।रिपोर्ट में सिंह बिल्डर्स (उपरोक्त) के फैसले का उल्लेख किया गया है, जिसमें मध्यस्थों द्वारा अत्यधिक शुल्क लेने का मुद्दा उठाया गया हैः

एफ.

"20. हालाँकि, अपीलार्थी द्वारा निर्दिष्ट एक अन्य पहलू पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।जब मध्यस्थता एक न्यायाधिकरण द्वारा की जाती है जिसमें सेवारत अधिकारी होते हैं, तो मध्यस्थता की लागत बहुत कम होती है।दूसरी ओर, मध्यस्थता की लागत अधिक हो सकती है यदि मध्यस्थता न्यायाधिकरण में सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल हैं।

जी.

180 पी सेंट जे लंगन, मैक्सवेल ने क़ानूनों की व्याख्या पर (एन. एम. त्रिपाठी प्राइवेट लिमिटेड,

एच.

1976)

780

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 10 एस सी आर।

21. जब एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सेवारत अधिकारियों के स्थान पर मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो सरकार निजी मध्यस्थ शुल्क के माध्यम से मध्यस्थता की उच्च लागत वहन करने के लिए मजबूर होती है, भले ही उसने ऐसे गैर-तकनीकी गैर-सेवारत व्यक्तियों की मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति के लिए सहमति नहीं दी थी।इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक प्रचलित राय है कि कई मामलों में मध्यस्थता की लागत बहुत अधिक हो जाती है जहां सेवानिवृत्त न्यायाधीश मध्यस्थ होते हैं।बड़ी संख्या में बैठकें और प्रति बैठक बहुत अधिक शुल्क का शुल्क, कई अतिरिक्त के साथ, बिना किसी सीमा के, कई बार मध्यस्थता की लागत विवाद में शामिल राशि या पुरस्कार की राशि के करीब या उससे अधिक हो गई है।

बी.

सी.

22. जब किसी न्यायालय द्वारा शुल्क का संकेत दिए बिना मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है, तो दोनों पक्षों या कम से कम एक पक्ष को नुकसान होता है।सबसे पहले, पक्षकार मध्यस्थ द्वारा सुझाए गए किसी भी शुल्क पर सहमत होने के लिए विवश महसूस करते हैं, भले ही वह उनकी क्षमता से अधिक हो या उससे अधिक हो।दूसरा, यदि मध्यस्थ द्वारा उच्च शुल्क का दावा किया

जाता है और एक पक्ष इस तरह के शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत होता है, तो दूसरा पक्ष, जो इस तरह के शुल्क का वहन करने में असमर्थ है या इस तरह के उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए अनिच्छुक है, उसे शर्मनाक स्थिति में डाल दिया जाता है।वह उच्च शुल्क पर अपनी आपत्ति या आपत्ति व्यक्त करने की स्थिति में नहीं होगा, इस आशंका के कारण कि मध्यस्थ द्वारा सुझाए गए शुल्क के लिए सहमत होने से इनकार करने से उसके मामले में पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है या दूसरे पक्ष के पक्ष में पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है जो उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तुरंत सहमत हो गया था।

डी.

ई.

23. मध्यस्थता लागत से मध्यस्थता को बचाने के लिए इस समस्या का तत्काल समाधान खोजना आवश्यक है।संस्थागत मध्यस्थता ने एक समाधान प्रदान किया है क्योंकि मध्यस्थों की फीस स्वयं मध्यस्थों द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर तय नहीं की जाती है, बल्कि उस संस्था द्वारा निर्धारित एक समान दर द्वारा शासित होती है जिसके तत्वावधान में मध्यस्थता आयोजित की जाती है।एक अन्य समाधान यह है कि न्यायालय संबंधित मध्यस्थ के परामर्श से यदि आवश्यक हो तो पक्षकारों की सहमति से मध्यस्थ की नियुक्ति के समय शुल्क तय करे। तीसरा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए है जो मध्यस्थ के रूप में सेवा करने की पेशकश करते हैं, ताकि वे संबंधित उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को अपनी शुल्क संरचना का संकेत दे सकें ताकि पक्षों के पास एक मध्यस्थ का चयन करने का विकल्प हो, जिसकी शुल्क उनकी सीमा में हो।"153. सिंह बिल्डर्स (ऊपर) में निर्णय पर ध्यान देने के बाद, एल. सी. आई. की 246 वीं रिपोर्ट (ऊपर) में इस प्रकार कहा गया हैः

एफ.

जी.

एच.

781

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

"11. इस समस्या का एक व्यावहारिक समाधान प्रदान करने के लिए, आयोग ने शुल्क की एक मॉडल अनुसूची की सिफारिश की है और उच्च न्यायालय को मध्यस्थों के लिए शुल्क निर्धारित करने के लिए उचित नियम बनाने का अधिकार दिया है और किस उद्देश्य के लिए वह शुल्क की उक्त मॉडल अनुसूची को ध्यान में रख सकता है।शुल्क की मॉडल अनुसूची दिल्ली उच्च न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र द्वारा निर्धारित शुल्क अनुसूची पर आधारित है, जो 5 साल से

अधिक पुरानी है और जिसे उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है।शुल्क की अनुसूची को नियमित रूप से अद्यतन करने की आवश्यकता होगी, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे यथार्थवादी बने रहें, हर तीन-चार साल में इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

बी.

12.आयोग ने नोट किया कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में विदेशी पक्ष शामिल होते हैं जिनके पास मध्यस्थों के लिए शुल्क के लिए अलग-अलग मूल्य और मानक हो सकते हैं; इसी तरह, संस्थागत नियमों में शुल्क की अपनी अनुसूची हो सकती है; और दोनों मामलों में पक्ष की स्वायत्तता को अधिक सम्मान दिया जाना चाहिए।इसलिए आयोग ने विशुद्ध रूप से घरेलू, तदर्थ, मध्यस्थता के संदर्भ में अपनी सिफारिशों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।"

सी.

डी.

मध्यस्थों के बढ़ते शुल्क को नियंत्रित करने के साधन के रूप में, विधि आयोग ने डी. आई. ए. सी. द्वारा उपयोग किए जाने वाले शुल्क अनुसूची के आधार पर एक मॉडल शुल्क अनुसूची का प्रस्ताव रखा। डी. आई. ए. सी. नियमों की अनुसूची बी में प्रावधान किया गया है कि जब विवादग्रस्त राशि रुपये 20,00,00,000 से अधिक है, तो शुल्क "Rs.19,87,500/- + दावे की राशि का 0.5%, Rs.20 करोड़ से अधिक, Rs.30,00,000/- की अधिकतम सीमा के साथ" होगा।जाहिर है, डी. आई. ए. सी. नियमों में अल्पविराम होता है, जिसका अर्थ होगा कि अधिकतम सीमा आधार राशि और परिवर्तनीय राशि पर लागू होती।

ई.

154. मिथिलाश कुमारी बनाम प्रेम बिहारी खरे 181 में, दो -

इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, विधियों के अधिनियमन से पहले की विधि आयोग की रिपोर्ट पर व्याख्या में सहायता के रूप में भरोसा किया जा सकता है।पीठ की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति के एन सैकिया ने कहाः

एफ.

"15...जहां कोई विशेष अधिनियम या संशोधन भारत के विधि आयोग की सिफारिश का परिणाम है, वहां इस मामले में प्रासंगिक रिपोर्ट को संदर्भित करने की अनुमति हो सकती है।इसे क्या महत्व दिया जा सकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।"

जी.

181 (1989) 2 एससीसी 95

155. एल. सी. आई. की 246 वीं रिपोर्ट (उपर्युक्त) इंगित करती है कि चौथी अनुसूची को लागू करने के पीछे विधायी इरादा तदर्थ मध्यस्थता में अपनी सेवाएं लेने वाले पक्षों से अत्यधिक शुल्क लेने वाले मध्यस्थों की प्रथा को समाप्त करना था।नतीजतन, जब हमारे पास चौथी अनुसूची में शुल्क की सीमा रुपये 30,00,000 या रुपये 49,87,500 निर्धारित करने का विकल्प होता है, तो हमारा मानना है कि कम राशि का चयन करना उचित होगा क्योंकि यह विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए होगा।2015 का मध्यस्थता संशोधन अधिनियम स्पष्ट रूप से इस मुद्दे पर एल. सी. आई. की 246 वीं रिपोर्ट की सिफारिश को प्रभावी बनाने के इरादे से लागू किया गया था।इस प्रकार, हमारा मानना है कि चौथी अनुसूची के क्रम संख्या 6 में प्रविष्टि में रुपये 30,00,000 की सीमा केवल परिवर्तनीय राशि पर ही नहीं, बल्कि आधार राशि और परिवर्तनीय राशि के योग पर भी लागू होती है।

बी.

सी.

एफ व्यक्तिगत मध्यस्थों पर लागू अधिकतम सीमा

156. इस न्यायालय के समक्ष अंतिम निवेदन यह था कि चौथी अनुसूची के क्रम संख्या 6 में प्रविष्टि में निर्धारित रुपये की अधिकतम सीमा पूरे मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भुगतान किए गए संचयी शुल्क पर लागू होगी, यानी तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण में, प्रत्येक व्यक्तिगत मध्यस्थ को रुपये की अधिकतम सीमा प्राप्त होगी।

डी.

157. इस तरह की प्रस्तुति गलत है, और इसलिए हमें इसे अस्वीकार करना चाहिए।पहला, चौथी अनुसूची की भाषा में ऐसी व्याख्या का समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं है।तीसरे कॉलम के शीर्षलेख में "मॉडल शुल्क" कहा गया है और यह पूरे न्यायाधिकरण के संबंध में निर्दिष्ट नहीं है।दूसरा, यदि इस तरह की व्याख्या को अपनाया जाता है, तो इसके बेतुके परिणाम होंगे। उदाहरण के लिए, एक मध्यस्थता में जहां विवाद की राशि रुपये की अधिकतम सीमा को लागू करने के लिए पर्याप्त है और इसका निर्णय तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना था, अधिकतम शुल्क को तीन मध्यस्थों के बीच विभाजित करना होगा।दूसरी ओर, यदि एक ही विवाद का निर्णय एकमात्र मध्यस्थ द्वारा किया जाता है, तो एकमात्र मध्यस्थ को अधिकतम शुल्क की पूरी राशि प्राप्त होगी, यानी प्रत्येक व्यक्तिगत मध्यस्थ को तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण

में प्राप्त होने वाली राशि का तीन गुना।इस तरह की असमानता अकल्पनीय है, भले ही एक एकल मध्यस्थ को अतिरिक्त काम करना पड़े।इसे चौथी अनुसूची के नोट द्वारा और बल दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि "यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण एकमात्र मध्यस्थ है, तो वह उपरोक्त के अनुसार देय शुल्क पर पच्चीस प्रतिशत की अतिरिक्त राशि का हकदार होगा।"नतीजतन, एकमात्र मध्यस्थ को न केवल 30,00,000 रुपये मिलेंगे, बल्कि इसके अलावा 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी मिलेगी।वास्तव में, यह स्पष्ट है कि नोट को चौथी अनुसूची में एकमात्र मध्यस्थों को उचित रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए जोड़ा गया था जो यकीनन ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

783

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जे. वी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

उन्हें एक बड़े न्यायाधिकरण के सदस्य की तुलना में अधिक काम करना पड़ता है; यही कारण है कि उन्हें चौथी अनुसूची में दी गई तालिका के अनुसार जो भुगतान किया जाएगा, उससे अधिक शुल्क का 25 प्रतिशत भुगतान करने की अनुमति है।इसका परिणाम यह है कि चौथी अनुसूची में प्रदान किया गया शुल्क प्रत्येक व्यक्तिगत मध्यस्थ के लिए है, चाहे वे बहु-सदस्य न्यायाधिकरण के सदस्य हों या एकमात्र मध्यस्थ।अंत में, चौथी अनुसूची की यह व्याख्या, कि उसमें प्रदान किया गया शुल्क प्रत्येक व्यक्तिगत मध्यस्थ के लिए लागू होता है न कि पूरे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए, इस न्यायालय के समक्ष विद्वान महान्यायवादी द्वारा भी उचित रूप से स्वीकार किया गया है।

बी.

जी निष्कर्ष जी**. 1** निष्कर्ष

सी.

158. हम निम्नलिखित शब्दों में मामलों के इस समूह में उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हैं:

(i) मध्यस्थों के पास एकतरफा रूप से अपने स्वयं के शुल्क निर्धारित करने वाले बाध्यकारी और लागू करने योग्य आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है।शुल्क का एकतरफा निर्धारण पक्ष की स्वायत्तता के सिद्धांतों और निर्णयों के निषेध के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, यानी मध्यस्थ अपने पारिश्रमिक के संबंध में पक्षों के खिलाफ अपने निजी दावे के न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं।

हालांकि, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31 (8) और धारा 31 ए के संदर्भ में पक्षों के बीच लागत (मध्यस्थों के शुल्क और खर्चों सहित) को विभाजित करने का विवेकाधिकार है और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 38 के अनुसार जमा (लागत पर अग्रिम) की भी मांग करता है। यदि लागत या जमा निर्धारित करते समय, मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थों के शुल्क (पक्षों और मध्यस्थों के बीच समझौते के अभाव में) से संबंधित कोई निष्कर्ष निकालता है, तो इसे मध्यस्थों के पक्ष में लागू नहीं किया जा सकता है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता पुरस्कार के वितरण पर केवल तभी ग्रहणाधिकार का प्रयोग कर सकता है जब धारा 39 (1) के तहत उसे भुगतान बकाया रहता है।पक्ष मध्यस्थों द्वारा मांगी गई फीस की समीक्षा के लिए अदालत से संपर्क कर सकता है यदि उसे लगता है कि धारा 39 (2) के तहत फीस अनुचित है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

((ii) चूंकि इस निर्णय में कहा गया है कि मध्यस्थों की फीस शुरुआत में ही तय की जानी चाहिए ताकि पक्षकारों और मध्यस्थों के बीच अनावश्यक मुकदमेबाजी और टकराव से बचा जा सके।

एच.

बाद के चरण में, इस न्यायालय ने धारा सी. 2.4 में तदर्थ मध्यस्थता में कार्यवाही को नियंत्रित करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं;

(iii) मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची में "विवाद में राशि" शब्द किसी दावे और प्रति-दावे में विवाद में राशि को अलग से संदर्भित करता है, न कि संचयी रूप से।नतीजतन, मध्यस्थ एक तदर्थ मध्यस्थता कार्यवाही में दावे और प्रति-दावे के लिए एक अलग शुल्क लेने के हकदार होंगे, और चौथी अनुसूची में निहित शुल्क सीमा दोनों पर अलग-अलग लागू होगी, जब चौथी अनुसूची की शुल्क संरचना को तदर्थ मध्यस्थता पर लागू किया गया है।

बी.

सी.

(iv) चौथी अनुसूची के क्रम संख्या 6 में प्रविष्टि में रुपये 30,00,000 की अधिकतम सीमा आधार राशि (रुपये 19,87,500) और उसके ऊपर और उसके ऊपर की परिवर्तनीय राशि के योग पर लागू होती है।नतीजतन, देय उच्चतम शुल्क रुपये 30,00,000 होगा; और

डी.

(v) यह सीमा प्रत्येक व्यक्तिगत मध्यस्थ पर लागू होती है, न कि समग्र रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर, जहां इसमें तीन या अधिक मध्यस्थ होते हैं।बेशक, एकमात्र मध्यस्थ को चौथी अनुसूची के नोट के अनुसार इस राशि के अलावा 25 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।

ई.

जी**. 2** दिशा निर्देश

159. हम इस न्यायालय के समक्ष प्रत्येक मामले में निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैंः

(i) 2022 की मध्यस्थता याचिका (सिविल) संख्या 5 के संबंध में, एल. एस. टी. के. अनुबंध में मध्यस्थों के लिए एक शुल्क अनुसूची पहले से ही निर्धारित की गई थी।हालाँकि, 25 नवंबर 2015 को प्रारंभिक बैठक के दौरान, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पाया कि एल. एस. टी. के. अनुबंध में शुल्क अनुसूची अवास्तविक थी।एफकॉन्स ने शुल्क में संशोधन करने पर सहमति व्यक्त की, जबकि ओएनजीसी ने अपनी असहमति व्यक्त की।न्यायाधिकरण ने ओ. एन. जी. सी. को शुल्क में संशोधन करने पर विचार करने का निर्देश दिया।16 अप्रैल 2016 को, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने ओ. एन. जी. सी. को सूचित किया कि यदि ओ. एन. जी. सी. प्रत्येक मध्यस्थ के लिए 6 लाख रुपये के पठन शुल्क के साथ मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची में प्रदान किए गए शुल्क के लिए सहमत है, तो वह अब शुल्क की राशि पर सौदेबाजी नहीं करेगा।ओ. एन. जी. सी. ने 22 अप्रैल, 2016 को अपने पत्र में संकेत दिया कि ए.

एफ.

जी.

एच.

चौथी अनुसूची के संदर्भ में शुल्क को संशोधित करना।इसने केवल पठन शुल्क पर आपत्ति जताई।इसके बाद, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 4 अगस्त 2016 को एक प्रक्रियात्मक आदेश

पारित किया जिसमें पक्षों को मध्यस्थता शुल्क का 25 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया गया, जो 30 लाख रुपये के रूप में दर्ज किया गया था।ऐसा लगता है कि मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची के बाद 30 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई थी। हालाँकि, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने तब एकतरफा रूप से शुल्क को संशोधित करने का निर्णय लिया और तीन घंटे की अवधि की प्रत्येक बैठक के लिए प्रत्येक मध्यस्थ के लिए डेढ़ लाख रुपये का शुल्क तय करते हुए एक प्रक्रियात्मक आदेश पारित किया।न्यायाधिकरण ने यह भी संकेत दिया कि वह पढ़ने या सम्मेलन शुल्क भी ले सकता है, जिस पर बाद में निर्णय लिया जाएगा।25 जुलाई 2019 के एक आदेश द्वारा, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने अपनी फीस को प्रति बैठक 1 लाख रुपये में समायोजित किया।25 जुलाई 2019 के मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश के संदर्भ में लगभग 54 बैठकें आयोजित की गई हैं।इस पृष्ठभूमि में, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले शुल्क के बारे में पक्षों और मध्यस्थों के बीच कोई सहमति नहीं थी।मध्यस्थता न्यायाधिकरण को जारी रखने की अनुमति देने का अर्थ पक्षकारों और मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर शुल्क लगाना होगा जिसके लिए वे सहमत नहीं हैं। धारा ग. 2.4 में हमारे निर्देशों और पहले उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और मध्यस्थता समझौते के अनुसार एक नए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन का निर्देश देते हैं।इस उद्देश्य के लिए, 2022 की मध्यस्थता याचिका (सी) संख्या 5 को 21 सितंबर 2022 को इस न्यायालय के समक्ष निर्देशों के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।उपरोक्त निर्देशों को मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन पर एक निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।ये निर्देश यह सुनिश्चित करने का एक प्रयास है कि मध्यस्थता कार्यवाही बिना किसी द्वेष के संचालित की जाए जो कार्यवाही को पटरी से उतार सकती है।हमारे निष्कर्षों के अनुरूप, पूर्ववर्ती मध्यस्थ न्यायाधिकरण को देय शुल्क मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची के संदर्भ में देय शुल्क होगा। यद्यपि चौथी अनुसूची स्वयं अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर लागू नहीं होती है, क्योंकि ओ. एन. जी. सी. ने (मध्यस्थता न्यायाधिकरण के सुझाव के बाद) संकेत दिया था कि वह अनुसूची के संदर्भ में देय शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत होगी, अब वह कम शुल्क का भुगतान करने के लिए पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते का सहारा नहीं ले सकती है।हम.

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

आगे यह स्पष्ट करें कि यदि चौथी अनुसूची के तहत देय राशि से अधिक शुल्क का भुगतान मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्यों को किया गया है, तो ऐसी राशि उनसे वसूल नहीं की जाएगी।

(ii) 2021 की विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 13426 से उत्पन्न दीवानी अपील को खारिज कर दिया जाता है और 6 अगस्त 2021 के दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा जाता है।

बी.

(iii) 2020 की विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 10358 से उत्पन्न दीवानी अपील की अनुमति दी जाती है और 10 जुलाई 2020 के दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले को खारिज कर दिया जाता है; और

सी.

(iv) 2019 के विविध आवेदन संख्या 1990-1991 को खारिज कर दिया जाता है।

160. विदा लेने से पहले, हम न्यायमित्र श्री हुज़ेफा अहमदी द्वारा की गई दलीलों के लिए अपनी ईमानदारी से सराहना दर्ज करना चाहते हैं, जिन्हें सुश्री अनुष्का शाह द्वारा कुशलता से सहायता प्रदान की गई थी।

डी.

161. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

ई.

संजीव खन्ना, जे।

मेरे अलग फैसले का कारण और कारण।

यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मुकदमा है जिसमें एक या दोनों पक्षों ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दावा किए गए शुल्क की वैधता और तर्कसंगतता पर सवाल उठाया है।

एफ.

2. जबकि मैं सम्मानित भाई डी. वाई. द्वारा व्यक्त किए गए विचार से पूरी तरह सहमत हूं। न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि-(ए) पक्ष की स्वायत्तता और मध्यस्थता समझौता मध्यस्थता

प्रक्रिया की नींव है, और इसलिए, जब पक्ष मध्यस्थता न्यायाधिकरण को देय शुल्क तय करते हैं, तो कानून मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अवमूल्यन करने और अतिरिक्त या अधिक शुल्क मांगने की अनुमति नहीं देता है; (बी) जहां अदालत एक मध्यस्थ की नियुक्ति करते समय शुल्क तय करती है, मध्यस्थता न्यायाधिकरण पूरक या अधिक शुल्क नहीं मांग सकता है; और (सी) दोनों मामलों में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को देय शुल्क को पक्षों के बीच लिखित समझौते द्वारा या अदालत के आदेश द्वारा बढ़ाया जा सकता है।हालांकि, मैं इस बात से सहमत होने में असमर्थ हूं कि पक्षों, या पक्षों और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बीच किसी भी समझौते के अभाव में, ए

जी.

एच.

787

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जेवी [संजीव खन्ना, जे.] ए.

या शुल्क निर्धारित करने वाला अदालती आदेश, मध्यस्थता न्यायाधिकरण शुल्क निर्धारित करने का हकदार नहीं है, क्योंकि मेरी राय है कि अनुबंध की निहित शर्तों और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार, एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण एक उचित शुल्क निर्धारित कर सकता है, जिसे एक पीड़ित पक्ष, जो लिखित समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ए एंड सी अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (3) के तहत सवाल कर सकता है, या यदि मध्यस्थता न्यायाधिकरण ए एंड सी अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (2) के संदर्भ में निर्णय पर ग्रहणाधिकार का दावा करता है। साथ ही, मैं भाई डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. से सम्मानपूर्वक सहमत हूं कि जब कोई मध्यस्थ न्यायाधिकरण, पक्षों की सहमति के अभाव में भी, चौथी अनुसूची 2 के संदर्भ में शुल्क निर्धारित करता है, तो पक्षों को शुल्क निर्धारण पर आपत्ति करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।चौथी अनुसूची डिफ़ॉल्ट शुल्क है, जिसे विधायिका द्वारा उचित और उचित घोषित किया गया है, जिसे आपसी सहमति से बदला जा सकता है, अन्यथा नहीं।इसके अलावा, 30 अगस्त 2019 को 2019 के अधिनियम 33 के माध्यम से मध्यस्थता संशोधन अधिनियम, 2019 के प्रवर्तन और धारा 11 में उप-धारा (3 ए) को शामिल करने के बाद, उप-धारा के प्रावधान में कहा गया है कि चौथी अनुसूची में निर्धारित शुल्क अनिवार्य है और तदर्थ मध्यस्थता सहित सभी मध्यस्थताओं पर लागू होता है, भले ही संस्थागत मध्यस्थता के मामले में, ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (14) के अनुसार, संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क "चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अधीन" देय होगा।3. चौथी अनुसूची की व्याख्या पर, मैं सीरियल नंबर 6 की व्याख्या पर विद्वान डी. वाई. चंद्रचूड़ जे. द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सम्मानपूर्वक सहमत हूं और यह कि निर्धारित शुल्क मध्यस्थता न्यायाधिकरण के प्रत्येक सदस्य के लिए है, जिसमें एकमात्र/एकल सदस्य मध्यस्थता न्यायाधिकरण के मामले में पच्चीस प्रतिशत की अतिरिक्त राशि

का प्रावधान है।फिर भी, इन पहलुओं पर मैं एक अलग तर्क देना चाहूंगा, साथ ही चौथी अनुसूची में विसंगतियों को भी इंगित करना चाहूंगा।हालाँकि, मेरी राय में, "विवाद में राशि" अभिव्यक्ति का अर्थ है दावों और जवाबी दावों दोनों का योग।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

मध्यस्थता की उच्च लागत की समस्या की पृष्ठभूमि**,** विधायी इतिहास और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम**, 1996** में उपचारात्मक परिवर्तन।

जी.

4. मध्यस्थता की आसमान छूती लागत का मुद्दा भारत संघ में इस न्यायालय के दो फैसलों में चिंता और विलाप का विषय रहा है।

1 संक्षेप में, 'ए एंड सी एक्ट'।

2 ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 (14) या धारा 11 (3 ए) के तहत निर्धारित शुल्क अनुसूची, जैसा भी मामला हो।

एच.

सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट 3 और संजीव कुमार जैन बनाम रघुबीर सरन चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य। 4 सिंह बिल्डर्स में अदालत

सिंडिकेट (ऊपर) ने न्यायिक रूप से इस प्रचलित राय को देखा कि जब सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है तो मध्यस्थता की लागत बहुत अधिक हो जाती है। बड़ी संख्या में बैठकें, "प्रति बैठक" आधार पर शुल्क लिया जा रहा है, और बिना किसी सीमा के कई अन्य अतिरिक्त मध्यस्थता की लागत में योगदान करते हैं या कभी-कभी विवाद या पुरस्कार राशि में शामिल राशि से भी अधिक हो जाते हैं।जब न्यायालय द्वारा शुल्क के पूर्व निर्धारण के बिना एक मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है, तो दोनों पक्षों में से किसी को भी नुकसान हो सकता है क्योंकि वे मध्यस्थ द्वारा सुझाए गए किसी भी शुल्क के लिए सहमत होने के लिए हमेशा मजबूर महसूस करते हैं, भले ही वह असाधारण हो और उनकी भुगतान क्षमता से परे हो।दूसरा, यदि एक पक्ष इस तरह के शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत होता है, तो

दूसरा पक्ष जो इस तरह के शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ या अनिच्छुक है, उसे शर्मनाक स्थिति में डाल दिया जाता है।पार्टी इस आशंका के कारण आरक्षण व्यक्त करने या उच्च शुल्क पर आपत्ति जताने के लिए अनिच्छुक हो सकती है कि इससे उसके मामले में पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है या दूसरे पक्ष के पक्ष में पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है।संजीव कुमार जैन (उपर्युक्त) में निर्णय ए एंड सी अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों को संदर्भित करता है, अर्थात् धारा 31 (8), जो मध्यस्थता की लागतों से संबंधित है, और वह स्पष्टीकरण जो 'लागत' अभिव्यक्ति को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है (i) मध्यस्थों और गवाहों की फीस और खर्च, (ii) कानूनी शुल्क और खर्च, (iii) मध्यस्थता की देखरेख करने वाली संस्था का कोई भी प्रशासनिक शुल्क, और (iv) मध्यस्थता कार्यवाही और मध्यस्थता निर्णय के संबंध में किए गए अन्य खर्च।ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 की व्याख्या करते हुए, जो एक मध्यस्थ की नियुक्ति से संबंधित है, अदालत ने कहा कि 'नियुक्ति' शब्द का अर्थ न केवल एक व्यक्ति को नामित करना या नामित करना है जो एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा, बल्कि निर्धारित शर्तों को शामिल करने के लिए पर्याप्त है जिस पर उसे नियुक्त किया जाता है।इसलिए, न्यायालय के लिए यह खुला है कि वह धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के समय न्यायाधिकरण को देय शुल्क निर्धारित करे। अदालत ने कहा कि यह पक्षकारों को सुनने के बाद किया जाना चाहिए, और यदि आवश्यक हो, तो संभावित मध्यस्थों से शुल्क संरचना का पता लगाने के बाद, ऐसी स्थिति से बचने के लिए जहां पक्षकारों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के बाद शुल्क की शर्तों पर बातचीत करनी पड़े।निर्णय संस्थागत मध्यस्थता को पसंदीदा माध्यम बताता है क्योंकि निश्चित शुल्क उस संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसके तत्वावधान में मध्यस्थता आयोजित की जाती है, अर्थात तदर्थ मध्यस्थता, जहां पक्षकारों द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति की जाती है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

3 (2009) 4 एससीसी 523 4 (2012) 1 एससीसी 455 ए

एच.

न्यायालय के हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना, यद्यपि पालन की जाने वाली प्रक्रिया पर पक्षों के बीच किसी समझौते के अभाव में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण, ए एंड सी अधिनियम के भाग 1 के अधीन, कार्यवाही का संचालन उस तरीके से करता है जो उसे उचित लगता है।5 भारत में तदर्थ मध्यस्थता का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने न्यायिक रूप से स्वीकार किया कि मध्यस्थता की लागत के बारे में लगातार शिकायतों, जिसमें मध्यस्थों द्वारा लिए गए उच्च शुल्क भी शामिल हैं, ने मध्यस्थता की दक्षता और प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।हालांकि कुछ आलोचनाएँ कठोर हो सकती हैं क्योंकि यह कहना गलत होगा कि छिटपुट विचलनों का सार्वभौमिकरण हो रहा है, अदालत का मानना है कि ये अभी भी चिंता के विषय हैं और भारत में मध्यस्थता के स्वस्थ विकास का उपाय मध्यस्थों की नियुक्ति से पहले शुल्क संरचना का खुलासा करना है ताकि कोई भी पक्ष जो इस तरह के खर्चों को वहन करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी अनिच्छा व्यक्त कर सके।नतीजतन, निर्णय संस्थागत या तदर्थ मध्यस्थता की ओर झुकता है, जहां मध्यस्थ का शुल्क पूर्व निर्धारित किया जाता है।एक अन्य उपाय जो अदालत ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए मध्यस्थ शुल्क का एक पैमाना होना चाहिए, जो विवाद में राशि के संदर्भ में उपयुक्त रूप से कैलिब्रेटेड हो।अदालत ने महसूस किया कि ये कदम मध्यस्थता को वादी जनता के लिए आकर्षक बना देंगे।कुल लागतों के बारे में तर्कसंगतता और निश्चितता मध्यस्थता के विकास की कुंजी है।

बी.

सी.

डी.

5. 5 अगस्त 2014 की भारतीय विधि आयोग की 246 वीं रिपोर्ट, 'मध्यस्थों की फीस' शीर्षक के तहत, उच्च लागत की समस्या पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से तदर्थ मध्यस्थता से जुड़ी, और इस शिकायत पर कि कई मध्यस्थ मनमाने ढंग से और एकतरफा रूप से असमान शुल्क तय करते हैं।इसका मुकाबला करने के लिए, विधि आयोग ने शुल्क की एक मॉडल अनुसूची की सिफारिश करके मध्यस्थता के लिए शुल्क संरचना को तर्कसंगत बनाने के लिए एक तंत्र का सुझाव दिया।रिपोर्ट ने फिर भी स्वीकार किया कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में शुल्क के विभिन्न मूल्यों और मानकों का भुगतान किया जा सकता है।रिपोर्ट में 'प्रति बैठक' के आधार पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है, जिसके आधार पर तदर्थ मध्यस्थता में शुल्क लिया जाता है, कभी-कभी एक ही पक्षकारों के बीच एक ही मामले में दिन में 2-3 बैठकों के साथ, और यह लागत वर्षों तक कार्यवाही जारी रखने से और बढ़ जाती है क्योंकि तिथियां लंबी अवधि में फैली होती हैं।आयोग ने शुल्क की मॉडल अनुसूची का सुझाव दिया जिसे ए एंड सी अधिनियम में जोड़ा जाना चाहिए।

ई.

एफ.

जी.

5 तदर्थ मध्यस्थता पर टिप्पणियां ए एंड सी अधिनियम की धारा 19 की उप-धाराओं (2) और (3) के संदर्भ में मेरी टिप्पणियां हैं, जो यह अभिनिर्धारित करती हैं कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण, पक्षों के बीच समझौते के अधीन, कार्यवाही का संचालन करने का हकदार है जिस तरह से वह उचित समझता है।

एच.

6. विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, मध्यस्थों को देय शुल्क की अनुसूची का उदाहरण देते हुए, ए एंड सी अधिनियम में चौथी अनुसूची को शामिल करने के साथ, 2016 के अधिनियम संख्या 3 के माध्यम से ए एंड सी अधिनियम में 23 अक्टूबर 2015 से प्रभावी संशोधन किया गया था।धारा 11 की उप-धारा (14) अधिनियमित की गई थी और इसे इस प्रकार पढ़ा गया थाः

"(14) माध्यस्थम न्यायाधिकरण के शुल्क के निर्धारण और माध्यस्थम न्यायाधिकरण को इसके भुगतान के तरीके के उद्देश्य से, उच्च न्यायालय चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दरों को ध्यान में रखते हुए ऐसे नियम बना सकता है जो आवश्यक हों।स्पष्टीकरण।– संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह उप-धारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और मध्यस्थता (अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा) में लागू नहीं होगी, ऐसे मामले में जहां पक्ष एक मध्यस्थ संस्था के नियमों के अनुसार शुल्क के निर्धारण के लिए सहमत हुए हैं।"

बी.

सी.

चौथी अनुसूची में शुल्क संरचना विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरणों को देय शुल्क निर्धारित करने के लिए नियम बनाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करने वाली थी।हालांकि, अधिकांश उच्च न्यायालयों ने शुल्क के निर्धारण और मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भुगतान के तरीके के उद्देश्य से धारा 11 (14) के तहत नियम नहीं बनाए।6 इसके अलावा, केरल उच्च न्यायालय को छोड़कर उच्च न्यायालयों द्वारा बनाए गए नियम तब लागू होते हैं जब मध्यस्थों की नियुक्ति न्यायालय द्वारा की जाती है या पक्षकार समझौते या आपसी सहमति से लागू नियमों द्वारा शासित होने के लिए सहमत होते हैं।परिणामस्वरूप, धारा 11 (14) का वांछित उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, और अवास्तविक बना हुआ है।

डी.

ई.

7. 30 जुलाई 2017 की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर, 2019 के अधिनियम संख्या 33 के अनुसार, संस्थागत मध्यस्थता की संस्कृति को बढ़ावा देने और स्थापित करने के लिए ए एंड सी अधिनियम में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे।प्रासंगिक संशोधनों में, हमारे उद्देश्य के लिए, धारा 2 (1) में संशोधन शामिल है, जिसमें खंड (सीए) डाला गया है जो "मध्यस्थ संस्था" अभिव्यक्ति को "इस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा नामित एक मध्यस्थ संस्था" के रूप में परिभाषित करता है।भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना और निगमन के लिए धारा 43 ए से लेकर 43 एम तक के पार्टआईए को शामिल किया गया है, जिसमें धारा 43 डी उक्त परिषद के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करती है, जिसमें मध्यस्थ संस्थानों के श्रेणीकरण को नियंत्रित करने वाली नीतियां तैयार करना, पेशेवरों को मान्यता देना शामिल है।

एफ.

जी.

6 केरल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक और मद्रास के उच्च न्यायालयों ने नियम बनाए हैं।

एच.

791

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जेवी [संजीव खन्ना, जे.] ए.

ए.

मध्यस्थों की मान्यता प्रदान करने वाले संस्थान, मध्यस्थ संस्थानों या मध्यस्थों की समीक्षा या श्रेणीकरण, अपनाए जाने वाले विभिन्न उपायों पर केंद्र सरकार को सिफारिशें करना और वाणिज्यिक विवादों के आसान समाधान के लिए प्रावधान करना।साथ ही, धारा 11 की उप-धारा (3 ए) को अंतःस्थापित किया गया है और लिखा गया हैः

बी.

“(3 क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर मध्यस्थ संस्थानों को नामित करने की शक्ति होगी, जिन्हें परिषद द्वारा धारा 43-I के तहत वर्गीकृत किया गया हैः

बशर्ते कि उन उच्च न्यायालय की अधिकारिताओं के संबंध में, जहां कोई श्रेणीबद्ध मध्यस्थ संस्था उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मध्यस्थ संस्था के कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए मध्यस्थों का एक पैनल रख सकता है और मध्यस्थ के

लिए किसी भी संदर्भ को इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक मध्यस्थ संस्था माना जाएगा और एक पक्ष द्वारा नियुक्त मध्यस्थ चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर ऐसे शुल्क का हकदार होगाः

सी.

डी.

बशर्ते कि संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर मध्यस्थों के पैनल की समीक्षा कर सकता है।" धारा 11 की उप-धाराओं (4), (5), (6), (8) और (9) में इन प्रावधानों को लागू करने के लिए अनुरूप प्रतिस्थापन/समावेशन किए गए हैं कि मध्यस्थ की नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या अन्य मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा नामित मध्यस्थ संस्था द्वारा किसी पक्षकार के आवेदन पर की जाएगी।धारा 11 की उप-धारा (11) से (14) को प्रतिस्थापित किया गया हैः

ई.

एफ.

"(11) जहाँ उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के तहत विभिन्न मध्यस्थ संस्थानों से एक से अधिक अनुरोध किए गए हैं, वहाँ वह मध्यस्थ संस्थान जिसे प्रासंगिक उप-धारा के तहत पहले अनुरोध किया गया है, नियुक्त करने के लिए सक्षम होगा।

जी.

(12) जहां उप-धारा (4), (5), (6) और (8) में निर्दिष्ट मामला किसी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता या किसी अन्य मध्यस्थता में उत्पन्न होता है, उन उप-धाराओं में मध्यस्थ संस्था के संदर्भ को उप-धारा (3ए) के तहत नामित मध्यस्थ संस्था के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

एच.

(13) इस धारा के तहत मध्यस्थ या मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए किए गए आवेदन का निपटारा मध्यस्थ संस्था द्वारा विरोधी पक्ष को नोटिस देने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(14) मध्यस्थ संस्था मध्यस्थ न्यायाधिकरण की फीस और मध्यस्थ न्यायाधिकरण को उसके भुगतान का तरीका चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अधीन निर्धारित करेगी।"

बी.

8. हालाँकि, लगभग तीन साल बीतने के बाद भी, भारतीय मध्यस्थता परिषद को पूरी तरह से चालू नहीं किया गया है, और भारतीय मध्यस्थता परिषद से संबंधित धारा 43 ए से लेकर 43 एम तक के भाग आई. ए. को लागू नहीं किया गया है।ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 7 की उप-धारा (11) से (14) के प्रतिस्थापित प्रावधान, जो 30 अगस्त 2019 को एस. ओ. संख्या 3154 (ई) दिनांक 30 अगस्त 2019 के माध्यम से लागू हुए थे, प्रभावी रूप से केवल आंशिक रूप से लागू और कार्यान्वित किए गए हैं।हालांकि, सकारात्मक पक्ष पर, मैं यह दर्ज करूंगा कि कई उच्च न्यायालयों ने मामलों को अदालत के सहायक मध्यस्थता केंद्रों को स्थापित करने और संदर्भित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।इन प्रयासों के बावजूद, तदर्थ मध्यस्थता जारी है और 2019 के अधिनियम संख्या 33 के अधिनियमन और प्रवर्तन से पहले की तरह ही जारी है।इसलिए, 2019 के अधिनियम संख्या 33 द्वारा किए गए संशोधन कुछ हद तक गैर-प्रारंभिक रहे हैं और इस प्रकार, विधायिका द्वारा परिकल्पित तदर्थ मध्यस्थता से संस्थागत मध्यस्थता में बदलाव को पूरा नहीं किया गया है।

सी.

डी.

ई.

कानूनी मुद्दों पर निर्णय लेने की आवश्यकता है।

9. मध्यस्थों को देय शुल्क की मात्रा के प्रश्न को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:(i) संस्थागत मध्यस्थता जहां मध्यस्थ को देय शुल्क निर्धारित शुल्क अनुसूची द्वारा शासित होता है।वर्तमान याचिका/अपीलों में, हम ऐसे मामलों से संबंधित नहीं हैं 8; (ii) तदर्थ मध्यस्थता जहां (क) पक्षों के बीच समझौते में शुल्क निर्धारित किया गया है, (ख) जहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण की नियुक्ति करते समय न्यायालय द्वारा शुल्क निर्धारित किया गया है, (ग) जहां पक्षों के बीच समझौते में कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है, या जहां न्यायालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण की नियुक्ति करते समय शुल्क निर्धारित नहीं करता है या मध्यस्थता न्यायाधिकरण को शुल्क निर्धारित करने की अनुमति नहीं देता है; और (iii) जहां मध्यस्थता शुल्क निर्धारित किया गया है और ए एंड सी अधिनियम की चौथी अनुसूची द्वारा शासित है।

एफ.

जी.

7 ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 में नई अंतःस्थापित उप-धारा (3 ए) को शामिल करना।

8 2019 के अधिनियम 33 द्वारा धारा 11 में प्रतिस्थापित उप-धारा (14) के कानूनी प्रभाव के लिए वर्तमान निर्णय के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और इसकी व्याख्या की गई है।

एच.

ए.

10. दूसरी श्रेणी से संबंधित प्रश्नों का निर्णय लेते समय, मैं 2016 के संशोधन अधिनियम संख्या 3 और 2019 के संशोधन अधिनियम संख्या 1 से पहले और बाद के वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख और व्याख्या करूंगा, और शुल्क निर्धारण में पक्षों/वादियों के अधिकारों पर स्पष्टीकरण दूंगा।अपने निर्णय के दूसरे भाग में, मैं चौथी अनुसूची की जांच और व्याख्या करूंगा।

बी.

मध्यस्थ न्यायाधिकरण को देय शुल्क कौन तय करता है**?**

(क**)** जहाँ देय शुल्क पक्षों के बीच एक समझौते द्वारा या अदालत के आदेश द्वारा निर्धारित किया जाता है।

11. मध्यस्थता अनुबंध केंद्रित है और पार्टी की स्वायत्तता पर संरचित है।पक्ष मध्यस्थता के संचालन की प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें मध्यस्थ को देय शुल्क तय करने का अधिकार शामिल है।जबकि पक्षों और मध्यस्थ के बीच संबंध अनुबंध पर आधारित होता है, एक न्यायिक निर्णयकर्ता के रूप में मध्यस्थ की स्थिति सीधे कानून से उत्पन्न होती है।पक्षकारों और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बीच संबंध संविदात्मक और वैधानिक दोनों हैं।नतीजतन, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संविदात्मक शर्तों के अलावा, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए जो किसी भी विवाद समाधान प्रणाली की आवश्यक पूर्व-आवश्यकताएं हैं।9 संजीव कुमार जैन (उपरोक्त) मामले में, इस अदालत ने निर्णय दिया है कि जब कोई अदालत एक मध्यस्थ की नियुक्ति करती है, और शुल्क भी निर्धारित करती है, चाहे वह चौथी अनुसूची के संदर्भ में हो या अन्यथा, तो शुल्क मध्यस्थ/न्यायाधिकरण पर बाध्यकारी है।मध्यस्थ न्यायाधिकरण को नियुक्ति स्वीकार करते समय पक्षकारों द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक या न्यायाधिकरण की नियुक्ति करने वाले न्यायालय के आदेश में निर्धारित पारिश्रमिक को स्वीकार करना चाहिए।रसेल विशेष रूप से यह मानते हैं कि एक मध्यस्थ की नियुक्ति अनुबंध का मामला है, जो कानून के अनिवार्य प्रावधानों के अधीन है एक मध्यस्थ आमतौर पर अपने शुल्क और खर्चों को बढ़ाने का हकदार नहीं होगा जब तक कि पक्षकारों के साथ उसका समझौता उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है।10 मध्यस्थों को अपने अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, या तो अपने शुल्क को निर्धारित करने वाले मध्यस्थता समझौते की शर्तों के तहत, या कानून में अपनी शक्तियों के तहत, जो उन्हें समझौते को फिर से लिखने की अनुमति नहीं देता है या शुल्क निर्धारित करने वाले अदालत के आदेश की अनदेखी नहीं करता है।यह इस प्रकार है कि

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

9 जूलियन डी. एम. ल्यू, लुकास ए. मिस्टेलिस आदि।, तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, 'अध्याय 12 मध्यस्थों और दलों के अधिकार और कर्तव्य', पृष्ठ 276-277 10 मध्यस्थता पर रसेल (24 वां संस्करण)।रसेल का यह भी मानना है कि शुल्क बढ़ाने के प्रयासों से मध्यस्थों के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगा है और जिसे 'कदाचार' कहा जाता था, और यदि अनुचित तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, तो मध्यस्थ को हटाने के लिए आवेदन होगा या यहां तक कि अनावश्यक खर्च से बचने के लिए कर्तव्य के उल्लंघन के कारण उसके द्वारा दिए गए पुरस्कार को चुनौती दी जाएगी।

एच.

मध्यस्थ न्यायाधिकरण, कार्यवाही के दौरान, एकतरफा रूप से अपनी फीस बढ़ाने का हकदार नहीं है, जब तक कि जिस समझौते पर इसका गठन किया गया है, वह इसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है, या सभी पक्ष स्वेच्छा से वृद्धि के लिए सहमत नहीं होते हैं।जहां अदालत के आदेश द्वारा शुल्क निर्धारित किया जाता है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण उसे उचित ठहराते हुए कारण बताकर शुल्क में संशोधन/वृद्धि के लिए अदालत से संपर्क कर सकता है।एकतरफा वृद्धि अस्वीकार्य है, जैसा कि D.Y.Chandrachud J. द्वारा निर्णय में समझाया गया है और मेरी राय में यह ए एंड सी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा। यह सिद्धांत संस्थागत मध्यस्थता पर लागू होता है, क्योंकि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ/न्यायाधिकरण संस्थान के नियमों से बंधा होता है और उसे नियुक्ति की शर्तों का पालन करना चाहिए।जहां एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण अधिक शुल्क का अनुरोध करता है, एक पीड़ित पक्ष, मेरी राय में, जैसा कि नीचे बताया गया है, ए एंड सी अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (2) या (3) के तहत उचित आदेशों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।

बी.

सी.

(ख**)** जहां शुल्क अदालत के आदेश या पक्षों के बीच एक समझौते द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है।

12. काफी न्यायशास्त्र और कानूनी राय है जो स्वीकार करती है कि पक्षों के बीच एक समझौते या आम सहमति के अभाव में, या शुल्क तय करने वाले अदालत के आदेश के अभाव में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थता के संचालन के लिए देय शुल्क तय करने का हकदार है, हालांकि इस तरह से निर्धारित शुल्क उचित और उचित होना चाहिए।रॉबर्ट मर्किन 11 में कहा गया है कि, जहां पक्षों के बीच या मध्यस्थ के साथ समझौता शुल्क के बारे में चुप है, मध्यस्थ फिर भी समझौते में निहित अवधि के आधार पर या क्वांटम मेरिट के सिद्धांत के अनुप्रयोग पर उचित शुल्क का हकदार है।ऐसी परिस्थितियों में उचित शुल्क और उचित खर्च मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।प्रोफेसर सुंदरा राजू, 12, यह स्वीकार करते हुए कि मध्यस्थ का शुल्क एक महत्वपूर्ण विचार है जब पक्षकार किसी विवाद का मध्यस्थता करने पर विचार करते हैं, इस बात से सहमत हैं कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए अपना शुल्क तय करना तदर्थ मध्यस्थता कार्यवाही में आम बात है।13 उनका मानना है कि यदि पक्षकार अग्रिम पारिश्रमिक पर सहमत नहीं हो सकते हैं, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण आमतौर पर वास्तव में किए गए कार्य के मूल्य के लिए योग्यता के आधार पर उचित पारिश्रमिक का हकदार है।रसेल, अपने काम में, 14 का मानना है कि जहां मध्यस्थ के साथ कोई स्पष्ट समझौता नहीं है, मध्यस्थ भी हो सकता है

डी.

ई.

एफ.

जी.

11 रॉबर्ट मर्किन क्यूसी, एलएलडी, "आर्बिट्रेशन लॉ", सर्विस इश्यू No.83, नवंबर 2019।

12 दातुक प्रोफेसर सुंदरा राजू, विधि, व्यवहार और मध्यस्थता की प्रक्रिया (द्वितीय)

संस्करण), 2016, पृष्ठ पर।341 और 346, अनुच्छेद 24.4 और 24.7।

13 माइकल मिकिलराथ और जॉन सैवेज, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का संदर्भ दिया गया है।

और मध्यस्थताः ए प्रैक्टिकल गाइड, (2010) पी।267, पैरा 5-112।

14 मध्यस्थता पर रसेल, 24 वां संस्करण, पृष्ठ।150 और 152, पैराग्राफ 4-052 और 4-056।

एच.

795

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जेवी [संजीव खन्ना, जे.] ए.

ए.

उन परिस्थितियों में जहां कोई पक्ष मध्यस्थता में भाग लेता है, आचरण द्वारा निहित अनुबंध के तहत उचित शुल्क के भुगतान का अधिकार, भले ही वह पक्ष न्यायाधिकरण की अधिकारिता पर विवाद करता हो।अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि अधिनियम में प्रावधान है कि पक्षकार मध्यस्थों को इस तरह के उचित शुल्क और खर्चों का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी हैं।शुल्क के स्तर पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण के साथ सीधे सहमति हो सकती है, जो आम तौर पर तदर्थ मध्यस्थता में होता है।हालांकि, किसी भी स्थापित व्यवस्था के अभाव में, यह वांछनीय है कि पक्षकारों और न्यायाधिकरण को पहले से देय शुल्क पर बातचीत करनी चाहिए और सहमत होना चाहिए, जो उचित होना चाहिए।गैरी बी. बोर्न, 15,2010 के UNICITRAL नियमों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जहां पक्ष मध्यस्थ के पारिश्रमिक की गणना की एक विधि पर चर्चा नहीं करते हैं, मध्यस्थ एक उचित शुल्क का हकदार है।'उचित' क्या है, यह तथ्यों और राष्ट्रीय प्रणालियों द्वारा निर्धारित किए जाने पर निर्भर करता है।इसमें उचित राशि का न्यायिक मूल्यांकन शामिल है, 16 एक ऐसा पहलू जिसे मैं बाद में स्पष्ट करूंगा।अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर UNCITRAL द्वारा अपनाया गया मॉडल कानून मानता है कि मध्यस्थों को उनकी सेवाओं के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए और यह पक्षों और मध्यस्थ के बीच संविदात्मक संबंध के साथ-साथ प्रथागत प्रथाओं से प्रवाहित होता है।1976 के UNCITRAL नियमों ने स्पष्ट रूप से मध्यस्थों को अपना शुल्क निर्धारित करने की अनुमति दी थी, जो विवाद की राशि और विवाद की जटिलता को ध्यान में रखते हुए उचित होना चाहिए।इसके अलावा, नियमों में मध्यस्थों से उस शुल्क की अनुसूची को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है जो एक नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा जारी या प्रदान की गई है, यदि पक्षकारों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।1976 के UNICTRAL नियम की स्थिति की मध्यस्थों को उनके मुआवजे को निर्धारित करने के लिए अनुचित अधिकार देने के रूप में आलोचना की गई थी।2010 में जारी किए गए संशोधित नियमों में, 'उचित' शुल्क तय करने में मध्यस्थों की महत्वपूर्ण भूमिका को जारी रखते हुए, मध्यस्थों को पक्षों को सूचित करने की आवश्यकता है कि वह अपने गठन के तुरंत बाद अपने शुल्क और खर्चों को कैसे निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।इस प्रकार शुल्क निर्धारित करने की प्रक्रिया पारदर्शी है।मध्यस्थों द्वारा निर्धारित शुल्क को कम किया जा सकता है यदि यह उचित नहीं है और नियुक्त/नामित प्राधिकारी के पास जाने वाले पक्ष द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर चुनौती दी जाती है, और नामित प्राधिकारी के अभाव में, समीक्षा स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के महासचिव द्वारा की जाती है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

15 'अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता ', दूसरा संस्करण, 2914 @अनुच्छेद 13.04।16 जूलियन डी. एम. ल्यू, लुकास ए. मिस्टेलिस आदि।, तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, 'अध्याय 12 मध्यस्थों और दलों के अधिकार और कर्तव्य', पीपी।

एच.

13. अब मैं ए एंड सी अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों की ओर अपना ध्यान दूंगा और कहूंगा कि मेरा ध्यान किसी भी ऐसे प्रावधान की ओर नहीं खींचा गया है जो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपने शुल्क का निर्धारण करने से रोकता है, या यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि भारत में मध्यस्थता पर लागू होता है।ए एंड सी अधिनियम की धारा 5 17 में कहा गया है कि भाग 1 द्वारा शासित मामलों में, कोई भी न्यायिक प्राधिकरण भाग 1 में प्रदान किए जाने के अलावा हस्तक्षेप नहीं करेगा।इसलिए, जब तक ए एंड सी अधिनियम के भाग 1 में कोई प्रावधान मामले के संबंध में अदालत को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है, तब तक विषय-वस्तु निष्कर्ष द्वारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निहित अधिकार क्षेत्र में आएगा।ए एंड सी अधिनियम की धारा 2 (6) में कहा गया है कि जहां धारा 28 को छोड़कर, भाग 1 पक्षों को एक निश्चित मुद्दे का निर्धारण करने के लिए छोड़ देता है, वह स्वतंत्रता मध्यस्थ न्यायाधिकरण सहित किसी भी व्यक्ति को उस मुद्दे का निर्धारण करने के लिए अधिकृत करेगी। धारा 19-19 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि भाग 1 के प्रावधानों के अधीन, पक्ष मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं। धारा 19 20 की उप-धारा (3) में कहा गया है कि जहां पक्ष भाग 1 के प्रावधानों का पालन करने के अधीन रहते हुए किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को उस तरीके से कार्यवाही करने का अधिकार है जिसे वह उचित समझता है।यह इस प्रकार है कि, जहां पक्ष शुल्क पर सहमत नहीं होते हैं, या एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति करते समय अदालत शुल्क तय नहीं करती है, तो निहितार्थ से मध्यस्थ न्यायाधिकरण शुल्क तय करने के लिए अधिकृत है, जो उचित होना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

ई.

14. मैं न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ से सम्मानपूर्वक सहमत हूँ कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा शुल्क निर्धारित करने की प्रक्रिया मध्यस्थता की अंतर्निहित सार्वजनिक नीति के अनुसार होनी चाहिए, यानी मध्यस्थता की लागत वहन करने वाले पक्षों की सहमति और सहमति के साथ।मध्यस्थता न्यायाधिकरण को पारदर्शी होना चाहिए और प्रारंभिक चरण में शुल्क संरचना और भुगतान की शर्तों का खुलासा करना चाहिए, ताकि एक अनिच्छुक पक्ष व्यक्त कर सके।

एफ.

17 "5. न्यायिक हस्तक्षेप का विस्तार।— तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस भाग द्वारा शासित मामलों में, कोई भी न्यायिक प्राधिकारी हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिवाय इसके कि इस भाग में ऐसा उपबंध किया गया हो।"

18 धारा 2 (6) में कहा गया है:"(6) जहां यह भाग, धारा 28 को छोड़कर, पक्षों को एक निश्चित मुद्दे का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है, उस स्वतंत्रता में पार्टियों का अधिकार शामिल होगा कि वे किसी संस्था सहित किसी भी व्यक्ति को उस मुद्दे का निर्धारण करने के लिए अधिकृत करें।"

जी.

19 धारा 19 (2) में कहा गया है:"(2) इस भाग के अधीन रहते हुए, पक्षकार मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा अपनी कार्यवाहियों के संचालन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।" 20 धारा 19 (3) में कहा गया है:"(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी समझौते में विफल रहने पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण, इस भाग के अधीन रहते हुए, उस तरीके से कार्यवाहियों का संचालन कर सकता है जिसे वह उचित समझता है।"

एच.

797

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जेवी [संजीव खन्ना, जे.] ए.

ए.

उसकी अनिच्छा।किसी भी पक्ष को सहमत होने के लिए मजबूर महसूस नहीं करना चाहिए और इसलिए, यह आवश्यक है कि लिखित रूप में पक्षों की सहमति ली जाए।प्रारंभिक चरण में की गई इस कवायद से शर्मनाक स्थितियों से बचा जा सकेगा और देरी और मुकदमेबाजी को रोका जा सकेगा।संजीव कुमार जैन (ऊपर) में यह सुझाव कि नामांकन से पहले पक्षों को संभावित मध्यस्थों से शुल्क संरचना का पता लगाना चाहिए, हितकर है।साथ ही, मैं स्वीकार करूँगा कि शुल्क निर्धारण प्रक्रिया का एक मामला है और मध्यस्थता के संचालन से संबंधित है, और उपरोक्त कारणों से और जैसा कि नीचे माना गया है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को एक दायित्व के साथ-साथ एक अधिकार भी प्रदान किया गया है।इसलिए, उन मामलों में भी जहां पक्षों के बीच या मध्यस्थता न्यायाधिकरण के साथ आम सहमति संभव नहीं है, मध्यस्थता न्यायाधिकरण निर्णय के लिए देय पेशेवर शुल्क तय करने का हकदार है, क्योंकि शुल्क निर्धारण के बिना, निःशुल्क मध्यस्थता के मामलों को छोड़कर, मध्यस्थता न्यायाधिकरण विवादों पर निर्णय लेने और निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने में असमर्थ होगा।यह कहने की जरूरत नहीं है कि इस तरह

से निर्धारित शुल्क उचित और उचित होना चाहिए।21 15.अब मैं उन विशिष्ट प्रावधानों की जांच करने के लिए आगे बढ़ूंगा, जो मेरे अनुसार, कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं क्योंकि वे एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपना शुल्क तय करने का अधिकार देते हैं।धारा 31,22 की उप-धारा (8), जैसा कि मूल रूप से 2016 के अधिनियम संख्या 3 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से पहले अधिनियमित किया गया था, ने निर्धारित किया था कि जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता की लागत तय करेगा।इस धारा के स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि उप-धारा के उद्देश्य के लिए 'लागत' अभिव्यक्ति का अर्थ उचित लागत है।

बी.

सी.

डी.

ई.

21 'उचित' शब्द का उपयोग 'लागत' शब्द से पहले धारा 31 की पूर्व-संशोधित उप-धारा (8) और ए एंड सी अधिनियम की संशोधन के बाद की धारा 31 ए के स्पष्टीकरण में किया गया है।धारा 39 की उप-धारा (2) में उस राशि के रूप में खर्च का भी प्रावधान है जिसे न्यायालय 'उचित' समझता है, यदि आवश्यक जांच के बाद, न्यायालय इसे उचित समझता है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भुगतान किया जाएगा।

एफ.

22 “(8) जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो,--

(क) मध्यस्थता की लागत मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी; (ख) मध्यस्थता न्यायाधिकरण निर्दिष्ट करेगा -

((i) खर्च का हकदार पक्ष,

((ii) वह पक्ष जो लागत का भुगतान करेगा,

((iii) उस राशि को निर्धारित करने की लागत की राशि या विधि, और (iv) जिस तरीके से लागत का भुगतान किया जाएगा।

जी.

स्पष्टीकरण।––खंड (क) के प्रयोजन के लिए, "लागत" का अर्थ है -

((i) मध्यस्थों और गवाहों की फीस और खर्च, (ii) कानूनी फीस और खर्च,

((iii) मध्यस्थता की देखरेख करने वाली संस्था का कोई भी प्रशासनिक शुल्क, और (iv) मध्यस्थता कार्यवाही और मध्यस्थता निर्णय के संबंध में किया गया कोई अन्य खर्च।”

एच.

मध्यस्थ और गवाहों की फीस और खर्चों से संबंधित।23 उप-धारा में इस बात पर जोर दिया गया कि पक्षों के बीच समझौता सर्वोपरि और बाध्यकारी है।मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता की लागत तय करने का हकदार है, जिसमें मध्यस्थ का शुल्क और खर्च शामिल हैं, यदि पक्षकारों के बीच समझौता मध्यस्थता न्यायाधिकरण को देय शुल्क के बारे में शब्दहीन और मौन है।

बी.

16. 2016 के अधिनियम संख्या 3 के प्रवर्तन के बाद, धारा 31 की उप-धारा (8) में कहा गया है कि मध्यस्थता की लागत ए एंड सी अधिनियम की धारा 31 ए के अनुसार मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी। 2016 के अधिनियम संख्या 3 द्वारा अंतःस्थापित और 23 अक्टूबर 2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू धारा 31 ए में कहा गया हैः

सी.

"31 उ. लागतों के लिए व्यवस्था।––(1) मध्यस्थता से संबंधित इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही या कार्यवाही के संबंध में, न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण को, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, यह निर्धारित करने का विवेकाधिकार होगा -

डी.

(क) क्या लागत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय है; (ख) ऐसी लागतों की राशि; और

((ग) जब ऐसी लागतों का भुगतान किया जाना है।

स्पष्टीकरण।—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, "लागत" का अर्थ है -

ई.

((i) मध्यस्थों, न्यायालयों और गवाहों की फीस और खर्च;

((ख) कानूनी शुल्क और व्यय।

एफ.

((ग) मध्यस्थता की देखरेख करने वाली संस्था का कोई भी प्रशासनिक शुल्क; और

((iv) मध्यस्थता या न्यायालय की कार्यवाही और मध्यस्थता निर्णय के संबंध में किया गया कोई अन्य खर्च।

(2) यदि न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण लागत के भुगतान के संबंध में आदेश देने का निर्णय लेता है, तो -

जी.

(क) सामान्य नियम यह है कि असफल पक्ष को सफल पक्ष की लागत का भुगतान करने का आदेश दिया जाएगा; या

23 ऊपर पैराग्राफ 4 में संदर्भित संजीव कुमार जैन (ऊपर) में टिप्पणियाँ देखें।

एच.

799

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जेवी [संजीव खन्ना, जे.] ए.

ए.

(ख) न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए एक अलग आदेश दे सकता है।

(3) लागत निर्धारित करने में, न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा, जिनमें शामिल हैं -

((क) सभी पक्षों का आचरण;

बी.

(ख) क्या कोई पक्ष मामले में आंशिक रूप से सफल हुआ है;

(ग) क्या पक्ष ने एक तुच्छ जवाबी दावा किया था जिससे मध्यस्थता कार्यवाही के निपटारे में देरी हुई थी; और (घ) क्या विवाद को निपटाने के लिए कोई उचित प्रस्ताव किसी पक्ष द्वारा किया गया था और दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

सी.

(4) न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस धारा के तहत कोई भी आदेश दे सकता है जिसमें यह आदेश भी शामिल है कि एक पक्ष भुगतान करेगा -

(क) किसी अन्य पक्ष की लागत का एक अनुपात;

(बी) किसी अन्य पक्ष की लागतों के संबंध में एक निर्दिष्ट राशि; (सी) केवल एक निश्चित तिथि से या तब तक की लागत;

डी.

(घ) कार्यवाही शुरू होने से पहले की गई लागत;

(ई) कार्यवाहियों में उठाए गए विशेष कदमों से संबंधित लागतें; (च) केवल कार्यवाहियों के एक विशिष्ट भाग से संबंधित लागतें; और (छ) एक निश्चित तिथि से या तब तक की लागतों पर ब्याज।

ई.

(5) एक समझौता जिसका प्रभाव है कि एक पक्ष को किसी भी स्थिति में मध्यस्थता की पूरी या आंशिक लागत का भुगतान करना है, केवल तभी मान्य होगा जब ऐसा समझौता विचाराधीन विवाद उत्पन्न होने के बाद किया जाता है।"

एफ.

17. धारा 31 ए की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि, उप-धारा के प्रयोजन के लिए, 'लागत' का अर्थ है मध्यस्थ, न्यायालय और गवाहों के शुल्क और खर्चों से संबंधित उचित लागत।इसके अलावा, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उप-धारा (1) के संदर्भ में धारा 31 ए के सम्मिलन द्वारा शुरू की गई लागतों की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाना है। 24 धारा 31 ए मध्यस्थ न्यायाधिकरण को यह निर्धारित करने का विवेकाधिकार देती है-(ए) एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय लागत; (बी) ऐसी राशि की राशि।

जी.

24 इसके बाद 'कोड' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

एच.

लागत; और (ग) जब ऐसी लागतों का भुगतान किया जाना है।धारा 31 ए की उप-धाराएं (2), (3) और (4) उन नियमों और सिद्धांतों को निर्धारित करती हैं जिन्हें मध्यस्थ न्यायाधिकरण को खर्चों को विभाजित करने और अधिनिर्णय करने के विवेक का प्रयोग करते समय ध्यान में रखना चाहिए।महत्वपूर्ण रूप से, धारा 31 ए की उप-धारा (5) किसी भी पूर्व-विवाद समझौते को निरस्त और निरस्त करती है जिसका प्रभाव यह है कि एक पक्ष को मध्यस्थता की पूरी या आंशिक लागत का भुगतान करना है।दूसरे शब्दों में, लागत के 'भुगतान' के रूप में पक्षों के बीच एक समझौता केवल तभी मान्य होगा जब ऐसा समझौता पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने के बाद किया जाता है।धारा 31 ए की उप-धारा (5) के पीछे का उद्देश्य और उद्देश्य मानक रूप के समझौतों या असमान अनुबंधों में कदाचार की जांच करना है, जिसके द्वारा प्रमुख पक्ष अनुबंध

या मध्यस्थता समझौते में एक खंड को शामिल कर सकता है, जिससे पक्षकारों में से एक पर पूर्ण या आंशिक रूप से मध्यस्थता की लागत वहन करने का बोझ पड़ता है।मैं धारा 31 ए की उप-धारा (5) के अधिदेश की व्याख्या अनुबंध करने की स्वतंत्रता या पक्षों की स्वायत्तता को रौंदने के प्रयास के रूप में नहीं करूंगा।दूसरी ओर, यह प्रमुख पक्ष पर एक अनुचित अवधि को शामिल करने से रोक है कि मध्यस्थता की लागत का भुगतान पूरी तरह से या आंशिक रूप से एक पक्ष द्वारा किया जाएगा, और धारा 31 ए की उप-धारा (2) के खंड (ए) में शामिल सामान्य नियम में कहा गया है कि जब तक कि विवादों के बाद पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं होता है, तब तक असफल पक्ष को सफल पक्ष को लागत का भुगतान करने का आदेश दिया जाएगा।दूसरे शब्दों में 'लागत' घटना का अनुसरण करती है।'

बी.

सी.

डी.

ई.

18. वर्तमान मामले में उठाए गए निर्णय और मुद्दे के लिए ए एंड सी अधिनियम की धारा 38 महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार हैः

"38. जमा।—(1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण, यथास्थिति, धारा 31 की उप-धारा (8) में निर्दिष्ट लागतों के लिए अग्रिम के रूप में जमा या पूरक जमा की राशि निर्धारित कर सकता है, जिसकी वह अपेक्षा करता है कि उसे प्रस्तुत किए गए दावे के संबंध में खर्च किया जाएगाः

एफ.

बशर्ते कि जहां दावे के अलावा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को एक प्रति-दावा प्रस्तुत किया गया है, वह दावे और प्रति-दावे के लिए अलग-अलग जमा राशि तय कर सकता है।

जी.

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जमा पक्षकारों द्वारा समान शेयरों में देय होगीः

बशर्ते कि जहां एक पक्ष जमा के अपने हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो दूसरा पक्ष उस हिस्से का भुगतान कर सकता हैः

एच.

801

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जेवी [संजीव खन्ना, जे.] ए.

ए.

बशर्ते कि जहां दूसरा पक्ष भी दावे या प्रति-दावे के संबंध में उपरोक्त हिस्से का भुगतान नहीं करता है, वहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, ऐसे दावे या प्रति-दावे के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही को निलंबित या समाप्त कर सकता है।

बी.

(3) मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण प्राप्त जमाओं के पक्षों को एक लेखा प्रदान करेगा और पक्ष या पक्षों को कोई भी बिना खर्च की गई शेष राशि, जैसा भी मामला हो, वापस कर देगा।"

धारा 38 को 2016 के अधिनियम संख्या 3 द्वारा प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया गया है। इसलिए, धारा 31 की धारा 38 से उप-धारा (8) में दिए गए संदर्भ में, 2016 के अधिनियम संख्या 3 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले उक्त उप-धारा का उल्लेख किया गया है।हालांकि, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई महत्वपूर्ण अंतर आएगा, क्योंकि प्रतिस्थापन के बाद, धारा 31 की उप-धारा (8) धारा 31 ए को संदर्भित करती है, जिसे 2016 के अधिनियम संख्या 3 द्वारा जोड़ा गया था।वास्तव में, धारा 31 ए की उप-धारा (1) धारा 31 की पूर्ववर्ती (पूर्व-प्रतिस्थापन) उप-धारा (8) के लिए काफी हद तक समरूपता है, सिवाय धारा 31 की उप-धारा (8) के उस भाग के जिसने मध्यस्थता समझौते को पूर्ण प्रधानता दी थी।मुझे फिर से ए एंड सी अधिनियम की धारा 31 ए की उप-धारा (1) और (5) का उल्लेख और व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 38 की उप-धारा (1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण को धारा 31 की उप-धारा (8) में निर्दिष्ट लागतों के लिए अग्रिम के रूप में जमा या पूरक जमा की राशि निर्धारित करने का अधिकार देती है।दूसरे शब्दों में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण पक्षों को अग्रिम रूप से लागत जमा करने के लिए कह सकता है और लागत के लिए ऐसी जमा राशि को एक से अधिक अवसरों पर निर्देशित किया जा सकता है।धारा 38 में 'लागत' अभिव्यक्ति में स्पष्ट रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण के शुल्क और व्यय शामिल होंगे।परंतुक की भाषा और धारा 38 की उप-धारा (2) और (3) की भाषा और शब्दों को देखते हुए यह स्थिति निस्संदेह स्पष्ट है।उप-धारा (2) में कहा गया है कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट लागत पक्षकारों द्वारा समान शेयरों में देय होगी।हालाँकि, यदि एक पक्ष जमा के अपने हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो दूसरा पक्ष उस हिस्से का भुगतान करेगा।इसके अलावा, यदि दूसरा पक्ष भी दावे या प्रति-दावे के संबंध में उपरोक्त हिस्से का भुगतान नहीं करता है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण ऐसे दावे या प्रति-दावे के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही को निलंबित या समाप्त कर सकता है।धारा 38 की उप-धारा (2) के दूसरे परंतुक का सीमित अनुप्रयोग होगा जहां चौथी अनुसूची मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होती है, जिस स्थिति में शुल्क का भुगतान दावे या प्रति-दावे के संदर्भ में नहीं किया जाएगा, लेकिन

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

802

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 10 एस सी आर।

"विवाद में राशि" के संदर्भ में।मैं बाद में "विवाद में राशि" अभिव्यक्ति की व्याख्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष विवादों की कुल या कुल राशि विषय वस्तु के रूप में करूंगा।धारा 38 की उप-धारा (2) का प्रभाव, जिसे धारा 31 ए की उप-धारा (5) द्वारा निगमित सीमा के साथ पढ़ा जाना है, यह है कि एक सामान्य नियम के रूप में, मध्यस्थों के शुल्क सहित लागत, अग्रिम रूप से देय होगी और पक्षों द्वारा समान रूप से साझा की जाएगी।यह दावा या जवाबी दावा करने वाली पार्टी की एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है।इन भुगतानों को, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, अग्रिम भुगतान के रूप में माना जाता है और धारा 38 की उप-धारा (3) के संदर्भ में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति पर, प्राप्त जमाओं के पक्षों को एक लेखा देना चाहिए।किसी भी खर्च न की गई शेष राशि को उस पक्ष या पक्षों को वापस किया जाना है, जिन्होंने भुगतान किया था।"मध्यस्थता कार्यवाहियों की समाप्ति" पद न केवल धारा 38 की उप-धारा (2) के दूसरे परन्तुक के तहत होने वाली कार्यवाहियों की समाप्ति को संदर्भित करता है, बल्कि धारा 32 के साथ-साथ ए एंड सी अधिनियम की धारा 14 और 15 के तहत निर्णय की घोषणा/बनाने पर कार्यवाहियों की समाप्ति को भी संदर्भित करता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास ऐसे मामले हैं जिनमें मध्यस्थ बिना कोई निर्णय सुनाए इस्तीफा दे देते हैं या अलग हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद वे उन्हें भुगतान किए गए शुल्क सहित लागत का लेखा देने के लिए बाध्य होते हैं।धारा 38 की उप-धारा (3) के वैधानिक अधिदेश के अनुसार, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति पर प्राप्त जमाओं का पक्षकारों को लेखा देना चाहिए।25

बी.

सी.

डी.

ई.

19. धारा 31 ए की उप-धारा (5) इस तरह से लागू नहीं होती है कि मध्यस्थों को देय शुल्क की मात्रा पर एक समझौते को ओवरराइड किया जा सके, क्योंकि उक्त प्रावधान केवल तभी लागू

होता है जब एक समझौते का प्रभाव होता है कि एक पक्ष को मध्यस्थता की लागत का पूरा या आंशिक भुगतान करना होता है।उप-धारा (5) मध्यस्थता की लागतों को विभाजित करने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण के विवेकाधिकार से संबंधित है, और मध्यस्थता की लागत निर्धारित करने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करती है, जिसमें मात्रा भी शामिल है -

एफ.

जी.

25 मध्यस्थ के आदेश की समय से पहले समाप्ति के समय, धन के नुकसान के साथ-साथ कार्यवाही की पुनरावृत्ति के रूप में गंभीर परिणाम होते हैं, और देरी से अतिरिक्त नुकसान और ब्याज हो सकता है।नियुक्ति स्वीकार करके, एक मध्यस्थ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का कार्य करता है।त्यागपत्र एक अच्छे उद्देश्य के लिए होना चाहिए, विशेष रूप से जब कार्यवाही जारी रही हो और पर्याप्त समय और धन खर्च किया गया हो।(देखें-जूलियन डी. एम. ल्यू, लुकास ए. मिस्टेलिस, और अन्य।, तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, 'अध्याय 12 मध्यस्थों और दलों के अधिकार और कर्तव्य', पृष्ठ 281 -282)

एच.

803

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जेवी [संजीव खन्ना, जे.] ए.

ए.

इसके लिए देय शुल्क।हालांकि, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को देय शुल्क तय करने वाली कोई भी संविदात्मक अवधि बाध्यकारी है, और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा ओवरराइड नहीं की जा सकती है।

20. उपरोक्त कानूनी व्याख्या के अनुरूप है

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड, 26 में इस न्यायालय का निर्णय, जिसमें इसकी एक खंड पीठ

बी.

न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

“

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

11. हमने दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।हमारे विचार में, श्री नरसिम्हा, विद्वान वरिष्ठ वकील, यह कहने में सही हैं कि इस मामले के तथ्यों में, शुल्क अनुसूची, वास्तव में, पक्षों के बीच समझौते द्वारा निर्धारित की गई थी।यह शुल्क अनुसूची, 2004 के पहले के परिपत्र पर आधारित होने के कारण, अब समझौते की तारीख और समझौते के तहत उत्पन्न हुए विवादों की तारीख के बीच लंबे समय तक चले जाने को देखते हुए समय-समय पर संशोधित होने के लिए उत्तरदायी थी।इसलिए, हमारा मानना है कि पहले की शुल्क अनुसूची को प्रतिस्थापित करते हुए, दिनांक 1 के परिपत्र में निहित शुल्क अनुसूची अब काम करेगी और मध्यस्थ इस अनुसूची के अनुसार अपनी शुल्क लेने के हकदार होंगे, न कि मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची के अनुसार।

सी.

डी.

ई.

12. तथापि, हम यह संकेत दे सकते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थों को हटाने के लिए जो आवेदन दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उनका अधिदेश समाप्त होना चाहिए, वह पूरी तरह से कपटपूर्ण है और इस सरल कारण से झूठ नहीं बोलेगा कि एक मध्यस्थ अपने कार्यों को करने में असमर्थ नहीं हो जाता है, यदि ऐसे मध्यस्थ (ओं) द्वारा पारित एक आदेश द्वारा, उन्होंने जो कुछ भी किया है, वह यह कहना है कि, वास्तव में, समझौता शुल्क लेने के लिए मध्यस्थता शुल्क को नियंत्रित करता है, लेकिन वे गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का पालन करने के लिए बाध्य थे, जो स्पष्ट रूप से अनिवार्य था कि चौथी अनुसूची और समझौता नहीं।

एफ.

जी.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

14. हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश का निष्कर्ष है कि धारा 31 (8) की भाषा में परिवर्तन धारा 31-ए के साथ पढ़ा जाता है जो संबंधित है।

26 (2020) 17 एस. सी. सी. 626

एच.

केवल आम तौर पर लागतों के साथ और मध्यस्थ के शुल्क के साथ नहीं कानून में सही है।यह सच है कि मध्यस्थ की फीस भुगतान की जाने वाली लागत का एक घटक हो सकती है, लेकिन इसके बाद यह कहना बहुत दूर की बात है कि धारा 31 (8) और 31-ए सीधे उन अनुबंधों को नियंत्रित करेंगे जिनमें शुल्क संरचना पहले ही निर्धारित की जा चुकी है।इस हद तक, विद्वान एकल न्यायाधीश सही है।हम यह भी कह सकते हैं कि गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कानून की घोषणा कानून का सही दृष्टिकोण नहीं है।"

बी.

हालाँकि, हम इस निर्णय में पैराग्राफ 12 और 14 में बताए गए जनादेश की व्याख्या करेंगे।

सी.

21. अनुच्छेद 14, जैसा कि उद्धृत किया गया है, धारा 31 ए के साथ पठित धारा 31 (8) को संदर्भित करता है, यह बताने के लिए कि यह सामान्य रूप से लागतों से संबंधित है न कि मध्यस्थ के शुल्क से।इस तर्क को मेरी व्याख्या के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो ए एंड सी अधिनियम की धारा 38 को संदर्भित करता है और ध्यान में रखता है। मेरी राय में, मध्यस्थ का शुल्क, लागत का एक घटक होने के नाते, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है जब यह पहले से ही पक्षों के बीच एक समझौते के माध्यम से या अदालत के आदेश द्वारा पूर्व निर्धारित नहीं है।ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास पक्षकारों को अग्रिम रूप से और मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान जमा का भुगतान करने के लिए निर्धारित करने और निर्देश देने की शक्ति है, बशर्ते मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति पर एक लेखा प्रदान करे।गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड (उपरोक्त) में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को देय शुल्क की मात्रा पर पक्षों के बीच एक समझौता था, और इस संदर्भ में खंड पीठ ने कहा है कि धारा 31 (8) और 31 ए सीधे उन अनुबंधों को नियंत्रित नहीं करेंगे जिनमें शुल्क संरचना निर्धारित की गई है।

डी.

ई.

एफ.

22. निर्णय का पैराग्राफ 12 अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्याख्या करता है और मानता है कि शुल्क के भुगतान के बारे में विवाद के परिणामस्वरूप ए एंड सी अधिनियम की धारा 14 के खंड (ए) से उप-धारा (1) के तहत कार्यवाही समाप्त नहीं होती है। यदि एक या दोनों पक्ष मध्यस्थ की फीस सहित मध्यस्थता लागत जमा करने में विफल रहते हैं, तो मध्यस्थ का

आदेश समाप्त नहीं किया जाता है क्योंकि वह धारा 14 (1) (ए) के तहत अपने कार्यों को करने में न्यायिक या वास्तविक रूप से असमर्थ हो गया है।दूसरी ओर, ऐसी स्थितियों में, धारा 38 की उप-धारा (2) के दो परंतुक लागू होते हैं।जहां एक पक्ष जमा के अपने हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह दूसरे पक्ष के लिए उस हिस्से का भुगतान करने के लिए खुला है। हालाँकि, यदि दूसरा पक्ष भी हिस्से का भुगतान नहीं करता है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण ए का हकदार है।

जी.

एच.

805

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जेवी [संजीव खन्ना, जे.] ए.

मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त या निलंबित करें।27 यह कानूनी स्थिति कुछ वकीलों द्वारा उठाए गए इस तर्क का भी ध्यान रखती है कि मध्यस्थता की कार्यवाही को समाप्त माना जाना चाहिए, जहां किसी भी लिखित समझौते के अभाव में, मध्यस्थ द्वारा निर्धारित शुल्क किसी पक्ष को इस आधार पर अस्वीकार्य है कि यह बहुत अधिक है या इस कारण से भी कि वे उक्त शुल्क का भुगतान करने या वित्तीय बोझ वहन करने में असमर्थ हैं, और ऐसे मामलों को ए एंड सी अधिनियम की धारा 14 (1) (ए) के तहत 'डी ज्यूर' असंभवता के रूप में माना जाना चाहिए। यह तर्क धारा 38 की उप-धारा (2) के दो प्रावधानों को देखते हुए विपरीत और अस्वीकार्य होगा।पूरी निष्पक्षता में, यह कहा जाना चाहिए कि श्री के. के. वेणुगोपाल, भारत के लिए विद्वान अटॉर्नी जनरल, ने इस कानूनी स्थिति को स्वीकार किया था, और मैं उद्धृत करता हूं। "निश्चित रूप से उनका यह संकेत होगा कि पक्षपात का कोई आधार नहीं उठाया जा सकता है यदि मध्यस्थ एक पक्ष को पक्ष द्वारा देय शुल्क का भुगतान करने का निर्देश देता है, यदि दूसरा पक्ष शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है।पक्षपात का कोई सवाल ही नहीं उठेगा।28

बी.

सी.

23. यह तर्क दिया जाता है कि 'लागत' शब्द, मध्यस्थ के शुल्क से अलग है और इसलिए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण कारण के आधार पर, अर्थात् 'किसी को भी अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए' के सिद्धांत पर अपना शुल्क निर्धारित करने के लिए सक्षम या अधिकृत नहीं है।यह सिद्धांत वहां लागू होगा जहां पक्षों ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण को देय शुल्क निर्धारित किया है, या तो मध्यस्थता समझौते में एक अवधि के रूप में या अन्यथा मध्यस्थता न्यायाधिकरण की नियुक्ति से पहले या बाद में एक समझौते द्वारा।यह सिद्धांत समान रूप से लागू होगा जहां अदालत नियुक्ति की अवधि के रूप में शुल्क निर्धारित करती है।हालाँकि,

इस सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा जहाँ पक्षों या अदालत ने इसे अपना शुल्क तय करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया है।दूसरे शब्दों में, जब मध्यस्थता समझौता मौन रहता है और पक्ष मध्यस्थता न्यायाधिकरण को देय शुल्क की मात्रा पर सहमत नहीं होते हैं, या अदालत का आदेश शुल्क तय नहीं करता है, तो मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अपना शुल्क तय करने का अधिकार और शक्ति होती है।

डी.

ई.

एफ.

27 अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता नियमपुस्तिकाःक्लूवर आर्बिट्रेशन द्वारा अध्याय 8 में प्रकाशित मध्यस्थ शासनों के लिए एक मार्गदर्शिकाःलागत और शुल्क का मानना है कि मध्यस्थों और मध्यस्थता संस्थानों को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति करनी होगी।प्रत्येक पक्ष को अग्रिम रूप से लागत के समान अनुपात का भुगतान करना होता है।इसके अलावा पक्ष संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होते हैं, और यदि एक पक्ष भुगतान करने में विफल रहता है, तो दूसरे पक्ष को अपने स्वयं के अलावा लागत के उस हिस्से का भुगतान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।यदि शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो एक सामान्य मामले के रूप में, यह काफी संभव है कि मध्यस्थता आगे न बढ़े।

जी.

28 अधिवक्ता श्री गुन्नम वेंकटेश्वर राव द्वारा दायर 2022 के मध्यस्थता मामले (सी) संख्या 5 में याचिकाकर्ता का उत्तर।

एच.

24. धारा 31 की पूर्व-संशोधित उप-धारा (8) और ए एंड सी अधिनियम की धारा 31 ए और धारा 38 में संशोधन के बाद 'लागत' शब्द का उपयोग किया जाता है, हालांकि वे मध्यस्थ/न्यायाधिकरण के शुल्क और खर्चों को भी संदर्भित करते हैं।अतः ये धाराएँ व्यापक और सर्वसमावेशक प्रावधान हैं जो पक्षकारों के बीच किसी समझौते या मध्यस्थता न्यायाधिकरण को देय शुल्क निर्धारित करने वाले अदालत के आदेश के अभाव में शुल्क तय करने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण को समान रूप से सशक्त और अधिकृत करती हैं।कोई भी अन्य व्याख्या ए एंड सी अधिनियम को अव्यवहारिक और धारा 31 ए, 38 और 39 को अनावश्यक बना देगी।इन प्रावधानों को उनका पूर्ण इच्छित प्रभाव दिया जाना चाहिए और वे प्रकृति में अतिवादी नहीं हैं।जब वे मध्यस्थता शुल्क का उल्लेख करते हैं तो धाराओं को अनावश्यक नहीं माना जाना चाहिए।विशेष रूप से, मध्यस्थता न्यायाधिकरण, अनादिकाल से, मध्यस्थता शुल्क

तय कर रहे हैं, और विधायिका ने 2016 के अधिनियम संख्या 3 द्वारा किए गए संशोधनों द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया है या उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका है।इसके अतिरिक्त, ए एंड सी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कहा गया है कि पक्ष मध्यस्थता न्यायाधिकरण के शुल्क के निर्धारण के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं जब मध्यस्थता समझौता शांत है या पक्ष शुल्क की मात्रा पर सहमत होने में असमर्थ हैं या जहां अदालत ने संदर्भ देते समय शुल्क तय नहीं किया है और इसे मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया है कि वह अपने स्वयं के शुल्क पर निर्णय ले।इसके विपरीत रखने से अराजकता पैदा होगी और उच्च न्यायालयों और यहां तक कि इस न्यायालय द्वारा पारित कई आदेश अमान्य हो जाएंगे, जो मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए अपना शुल्क तय करने के लिए खुला छोड़ देते हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

25. 'रेडफर्न और हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, 29 ने 'लागत' अभिव्यक्ति का उल्लेख करते हुए इसे तीन श्रेणियों में विभाजित किया है, अर्थात्:(i) न्यायाधिकरण की लागत, जिसमें मध्यस्थता के प्रशासन के लिए शुल्क शामिल हैं; (ii) मध्यस्थता की लागत, जिसमें अन्य बातों के अलावा कमरों, प्रतिलिपि लेखकों को काम पर रखना शामिल है; और (iii) पक्षकारों की लागत, जिसमें अन्य बातों के अलावा कानूनी प्रतिनिधियों और विशेषज्ञ गवाहों की लागत शामिल है; यह देखने के लिए कि तीनों तत्वों में मध्यस्थता न्यायाधिकरण की फीस शामिल होगी।अतः अभिव्यक्ति 'लागत' व्यापक और व्यापक है जिसमें मध्यस्थ न्यायाधिकरण के शुल्क और व्यय शामिल हैं।रसेल 30 का मानना है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण लागत के लिए उस आधार पर आदेश दे सकता है जो वह उचित समझता है।उसी शीर्षक के तहत, वह देखता है कि आम तौर पर न्यायाधिकरण या नियुक्ति प्राधिकरण न्यायाधिकरण के शुल्क और खर्चों का निर्धारण करेगा, जो इसमें वसूल किया जाएगा।

एफ.

जी.

29 रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 6 वीं संस्करण, 2015, पृष्ठ।532-537.

30 मध्यस्थता पर रसेल, 24 वां संस्करण, पृष्ठ।461, अनुच्छेद 7-217 से 7-222, 'मध्यस्थता की लागतों की वसूली का निर्धारण' शीर्षक के तहत।

एच.

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जेवी [संजीव खन्ना, जे.] ए.

ए.

और पुरस्कार का हिस्सा बनें।हालांकि, जब न्यायाधिकरण के शुल्क और खर्च के उचित और उचित होने के बारे में कोई सवाल होता है, तो अदालत, अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 28 (2) के संदर्भ में और उपरोक्त अधिनियम की धारा 63 (4) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए भी उक्त प्रश्न की जांच कर सकती है।न्यायालय अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 64 (2) के तहत किसी भी पक्ष के आवेदन पर उक्त प्रश्न की जांच भी कर सकता है।हमारे प्रयोजनों के लिए, यह बताना प्रासंगिक है कि धारा 63 31 मध्यस्थता की लागत की वसूली से संबंधित है और मध्यस्थता न्यायाधिकरण को देय शुल्क से संबंधित नहीं है, फिर भी मध्यस्थता शुल्क एक उपसमुच्चय और लागत का एक हिस्सा होने के कारण, अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धाराओं 63/64 के तहत कार्यवाही का विषय बनाया जा सकता है। 26.प्रोफेसर सुंदर राजू ने मध्यस्थ के पारिश्रमिक के सवाल की विस्तार से जांच की है ताकि यह देखा जा सके कि इसमें उनके पेशेवर शुल्क और खर्चों के संबंध में उन्हें देय राशि शामिल है।इस तरह के पारिश्रमिक को 'पुरस्कार की लागत' के रूप में भी जाना जाता है, यानी मध्यस्थ या अंपायर का शुल्क और खर्च, हालांकि 'शुल्क' शब्द को संदर्भ की लागत, यानी पार्टियों द्वारा की गई कानूनी लागत से अलग किया जाना चाहिए।32 उनके द्वारा टैकबेरी और मैरियट 33 का संदर्भ दिया गया है, जिन्होंने के/एस नॉर्जरल ए/एस बनाम हुंडई हैवी में अनुपात को संक्षेप में प्रस्तुत किया है।

बी.

सी.

डी.

इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड 34 निम्नानुसार हैः

(1) एक मध्यस्थ जो शुल्क के रूप में किसी भी शर्त के साथ या उसके बिना नियुक्ति स्वीकार करता है, इस प्रकार पक्षों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता करता है।

ई.

(2) उस समझौते द्वारा मध्यस्थ उस स्थिति में निहित सभी कर्तव्यों और अक्षमताओं के साथ एक अर्ध-न्यायिक न्यायनिर्णायक का दर्जा ग्रहण करता है।

एफ.

(3) उन अक्षमताओं में से एक व्यक्तिगत लाभ के लिए एक व्यक्ति के साथ एकतरफा व्यवहार करने में असमर्थता है।

31 मध्यस्थता की वसूली योग्य लागत।63 (1) – (2) (3) न्यायाधिकरण

निर्णय द्वारा मध्यस्थता की वसूली योग्य लागत का निर्धारण उस आधार पर किया जा सकता है जो वह उचित समझता है।यदि वह ऐसा करता है, तो वह निर्दिष्ट करेगा-(ए) जिस आधार पर उसने कार्य किया है, और (बी) वसूली योग्य लागत की मदें और प्रत्येक के लिए संदर्भित राशि;

जी.

32 दातुक प्रोफेसर सुंदरा राजू, विधि, व्यवहार और मध्यस्थता की प्रक्रिया (द्वितीय)

संस्करण), 2016।उक्त पुस्तक के अध्याय 24 में गैरी बॉर्न, इंटरनेशनल कमर्शियल का उल्लेख है।

मध्यस्थता।

33 टैकबेरी और मैरियट, बर्नस्टीन की मध्यस्थता और विवाद समाधान की पुस्तिका

पीजी में अभ्यास (चौथा संस्करण, 2003)।2-358 34 (1991) 3 सभी ईआर 211

एच.

(4) यह इस प्रकार है कि एक मध्यस्थ जिसने अपनी फीस की राशि और भुगतान के रूप में एक विशेष आधार पर नियुक्ति स्वीकार कर ली है, जिसमें अग्रिम भुगतान या प्रतिबद्धता शुल्क के रूप में एक शर्त शामिल हो सकती है, उसके बाद अपने पारिश्रमिक के आधार को तब तक नहीं बदल सकता जब तक कि सभी पक्ष सहमत न हों।

(5) एक मध्यस्थ जिसने शुल्क के रूप में बिना किसी शर्त के नियुक्ति स्वीकार कर ली है, वह मध्यस्थता के समापन पर उसके द्वारा या अदालत द्वारा कर लगाए जाने के लिए एक उचित शुल्क का हकदार है, और उसके बाद अपने शुल्क के बारे में कोई विशेष समझौता या व्यवस्था नहीं कर सकता है जब तक कि संदर्भ के सभी पक्ष इसमें सहमत न हों।

बी.

सी.

(6) अतः मध्यस्थ उस पक्ष के साथ कोई शुल्क समझौता या व्यवस्था नहीं कर सकता है जिस पर कोई अन्य पक्ष आपत्ति करता है।(7) ये प्रस्ताव एकल मध्यस्थ, एक पक्ष द्वारा नियुक्त मध्यस्थ, एक अंपायर, एक अध्यक्ष या एक तीसरे मध्यस्थ पर लागू होते हैं।

डी.

अंक (1) से (5) सही स्थिति निर्धारित करते हैं।हालांकि, जहां तक बिंदु (5) का संबंध है, ए एंड सी अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में, यह समझा जाना चाहिए कि जहां एक मध्यस्थ ने शुल्क के रूप में किसी भी शर्त के बिना नियुक्ति स्वीकार कर ली है, वह नियुक्ति के अनुबंध की एक निहित अवधि के रूप में या योग्यता की मात्रा के सिद्धांत पर उचित शुल्क का हकदार है।बिन्दु (6) को ए एंड सी अधिनियम की धारा 38 के अधिदेश के साथ पढ़ा जाना चाहिए जैसा कि ऊपर जांच की गई है।इस पृष्ठभूमि में और ए एंड सी अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में, मेरा मानना है कि संजीव कुमार जैन (उपरोक्त) में दिए गए सुझाव और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हुज़ेफा अहमदी द्वारा प्रस्तावित, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया था, और जैसा कि भाई डी. वाई. चंद्रचूड़ जे. द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को, शुरू में या प्रारंभिक सुनवाई के दौरान, पक्षों की आपसी सहमति से और एक लिखित समझौते द्वारा निर्धारित शुल्क, जो एक बार निर्धारित किया गया था, बाध्यकारी रहना चाहिए और संशोधित नहीं किया जाना चाहिए, में योग्यता है।सहमति के अनुसार शुल्क की शर्तों से कोई एकतरफा विचलन नहीं हो सकता है, जो न केवल पक्षों को बल्कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भी बाध्य करता है।कोई भी विचलन, संशोधन या संशोधन केवल मुकदमे के सभी पक्षों की सहमति से एक लिखित समझौते द्वारा किया जा सकता है।27. उस स्थिति के संदर्भ में जहां मध्यस्थ और पक्ष मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक पर सहमत होने में असमर्थ हैं, और मध्यस्थ न्यायाधिकरण देय शुल्क तय करता है, मैं ए एंड सी अधिनियम की धारा 39 का उल्लेख करना चाहूंगा जो इस प्रकार हैः

ई.

एफ.

जी.

एच.

809

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जेवी [संजीव खन्ना, जे.] ए.

ए.

“39. माध्यस्थम अधिनिर्णय और लागत के रूप में जमा पर ग्रहणाधिकार।—(1)

उप-धारा (2) के प्रावधानों और मध्यस्थता समझौते में इसके विपरीत किसी भी प्रावधान के अधीन रहते हुए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को मध्यस्थता की किसी भी अवैतनिक लागत के लिए मध्यस्थता पुरस्कार पर ग्रहणाधिकार होगा।

बी.

(2) यदि किसी भी मामले में कोई मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपने द्वारा मांगे गए खर्चों के भुगतान के अलावा अपना पुरस्कार देने से इनकार कर देता है, तो न्यायालय इस ओर से एक आवेदन पर आदेश दे सकता है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण आवेदक द्वारा अदालत में भुगतान किए जाने पर मध्यस्थता पुरस्कार प्रदान करेगा और ऐसी जांच के बाद, यदि कोई हो, जो वह उचित समझे, आगे आदेश देगा कि न्यायालय में इस तरह से भुगतान किए गए धन में से मध्यस्थता न्यायाधिकरण को ऐसी राशि के रूप में भुगतान किया जाएगा जिसे न्यायालय उचित समझे और यह कि धन की शेष राशि, यदि कोई हो, आवेदक को वापस कर दी जाएगी।(3) उप-धारा (2) के तहत एक आवेदन किसी भी पक्ष द्वारा तब तक किया जा सकता है जब तक कि मांगी गई फीस उसके और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बीच लिखित समझौते द्वारा निर्धारित नहीं की गई हो, और मध्यस्थ न्यायाधिकरण ऐसे किसी भी आवेदन पर उपस्थित होने और सुनवाई का हकदार होगा।

सी.

डी.

(4) न्यायालय मध्यस्थता की लागतों के संबंध में ऐसे आदेश दे सकता है जो वह उचित समझता है जहां ऐसी लागतों के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है और मध्यस्थता निर्णय में उनके संबंध में कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं है।”

ई.

धारा 39 अध्याय X का एक भाग है, जो एक विविध अध्याय है।धारा 39 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि मध्यस्थता की किसी भी अवैतनिक लागत के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता पुरस्कार पर ग्रहणाधिकार होगा।यह ग्रहणाधिकार धारा 39 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन है, जिसमें कहा गया है कि जहां कोई मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने द्वारा मांगे गए खर्चों के भुगतान के अलावा कोई पुरस्कार देने से इनकार करता है, तो पक्षकार इस आदेश के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पक्षकार को मध्यस्थ पुरस्कार देना चाहिए।इसके बाद अदालत को एक जांच करने की आवश्यकता होती है और यदि वह उचित समझती है, तो पक्ष को पक्ष को पुरस्कार देने के लिए अदालत में लागत जमा करने का निर्देश दे सकती है।जाँच के बाद, न्यायालय मध्यस्थ न्यायाधिकरण को लागत के भुगतान के लिए आदेश पारित कर सकता है क्योंकि न्यायालय उचित समझ सकता है।यदि पक्ष द्वारा कोई जमा किया गया है, तो वह अदालत के फैसले का पालन करेगा।यदि अतिरिक्त भुगतान किया गया है, तो उसे पक्ष को वापस कर दिया जाएगा।

एफ.

जी.

एच.

28. धारा 39 की उप-धारा (3) में कहा गया है कि उप-धारा (2) के तहत आवेदन 'किसी भी पक्ष' द्वारा तब तक किया जा सकता है जब तक कि मांगे गए शुल्क 35 को उसके और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बीच एक लिखित समझौते द्वारा तय नहीं किया गया हो।इसके अलावा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण धारा 39 की उप-धारा (2) के तहत आवेदन किए जाने पर उपस्थित होने और सुनवाई का हकदार है।दूसरे शब्दों में, जहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण और एक पक्ष के बीच देय शुल्क के पहलू पर एक लिखित समझौता है, पक्षकार ए एंड सी अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (3) के तहत कोई आवेदन दायर नहीं कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी पक्ष को मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भुगतान किए जाने वाले शुल्क को चुनौती देने से रोकता है और प्रतिबंधित करता है, एक बार जब वह लिखित रूप में सहमत हो जाता है। उद्देश्य और उद्देश्य ऐसे पक्ष को मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान या निर्णय दिए जाने के बाद शुल्क या लागत के निर्धारण पर कोई आपत्ति उठाने से रोकना है।पक्षकारों के बीच या मध्यस्थता न्यायाधिकरण के साथ मध्यस्थता न्यायाधिकरण को देय शुल्क की मात्रा के बारे में लिखित समझौता पक्षकारों को बाध्य करता है।

बी.

सी.

29. ए एंड सी अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (3) अस्पष्ट है और विधायी उद्देश्य और इरादे को प्रभावी बनाने के लिए व्याख्या की आवश्यकता है।धारा 39 की उप-धारा (1) और (2), जैसा कि देखा गया है, विशेष रूप से उन मामलों से संबंधित है जहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण निर्णय नहीं देता है और मध्यस्थता की अवैतनिक लागत के लिए ग्रहणाधिकार का दावा करता है, ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्ष मध्यस्थता न्यायाधिकरण को आवेदक को निर्णय देने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए आवेदन कर सकता है।ऐसे पक्ष को अदालत में मांगे गए खर्चों का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जिसके बाद अदालत, यदि कोई हो, जांच करती है, जैसा कि वह उचित समझती है और उसके बाद खर्च के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण में जमा की गई राशि से भुगतान किए जाने वाले धन के बारे में आदेश पारित करती है।न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि उचित होनी चाहिए।शेष राशि, यदि कोई हो, आवेदक को वापस की जानी है। दूसरी ओर, उप-धारा (3), 'किसी भी पक्ष' को उप-धारा (2) के तहत अदालत के समक्ष आवेदन करने का अधिकार देती है, बशर्ते कि 'शुल्क' की मांग उसके और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बीच लिखित समझौते के तहत तय नहीं की गई हो।मेरी राय में, ए एंड सी अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (3) 'किसी भी पक्ष' को अदालत में जाने का अधिकार प्रदान करती है यदि वह मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित 'शुल्क' से असंतुष्ट है, जब

तक कि वह पहले से ही एक लिखित समझौते में 'शुल्क' के लिए सहमत न हो जाए।उप-धारा (3) है,

डी.

ई.

एफ.

जी.

35 धारा 39 की उप-धारा (3) में स्पष्ट रूप से "मांगे गए शुल्क" शब्दों का उपयोग किया गया है, जिसकी तुलना "लागत" शब्द से की जा सकती है, जो अधिक व्यापक है और जिसमें शुल्क भी शामिल है।

एच.

811

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जेवी [संजीव खन्ना, जे.] ए.

ए.

इसलिए, स्वतंत्र और उन स्थितियों में भी लागू होगा जो उप-धारा (2) के दायरे में नहीं आती हैं, जहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण आवेदक को अधिनिर्णय देने से इनकार करता है, सिवाय मांग के अनुसार लागत के भुगतान के।इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 39 की उप-धारा (3) उसकी उप-धारा (2) को संदर्भित करती है, लेकिन उक्त संदर्भ उस जांच के संदर्भ में है जो न्यायालय को 'शुल्क' की उचित मात्रा निर्धारित करने के लिए करना है जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भुगतान किया जाना चाहिए/देय है।धारा 39 की उप-धारा (3) के संदर्भ में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण, ऐसी स्थिति में, ऐसे आवेदन पर उपस्थित होने और सुनवाई का हकदार है। उपरोक्त व्याख्या को दो कारणों से स्वीकार किया जाना चाहिएः(क) धारा 39 की उप-धारा (3) एक स्वतंत्र प्रावधान है और इसे उन परिस्थितियों में लागू होने वाले अनावश्यक या अनावश्यक प्रावधान के रूप में नहीं माना जा सकता है जहां धारा 39 की उप-धारा (1) और (2) लागू होती हैं; और (ख) यह विधायी इरादे को प्रभावी बनाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए आपत्ति करेगा कि कोई भी पक्ष निर्णय दिए जाने से पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा 'शुल्क' के निर्धारण के संबंध में विवाद होने की स्थिति में अदालत का रुख कर सकता है।मुझे यह मानने के लिए कोई अच्छा आधार और कारण नहीं मिलता है कि विधायी इरादा किसी पक्ष को मध्यस्थ/न्यायाधिकरण द्वारा 'शुल्क निर्धारण' पर अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकना है जब तक कि कोई निर्णय नहीं दिया जाता है।मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा 'शुल्क निर्धारण' के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की किसी भी पक्ष की यह शक्ति/अधिकार ए एंड सी अधिनियम की धारा 38 के बावजूद है, इस साधारण कारण से कि कोई पक्ष व्यथित महसूस कर सकता है और उच्च लागत के अभाव में मध्यस्थता कार्यवाही में भाग नहीं लेना चाहता है जो वह

अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के बावजूद भुगतान करने के लिए मजबूर हो सकता है या भुगतान करने के लिए मजबूर हो सकता है, क्योंकि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को 'शुल्क' का भुगतान करने में विफलता के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

30. धारा 39 की उप-धारा (4) न्यायालय को ऐसे आदेश देने का अधिकार देती है जो वह मध्यस्थता की लागतों के संबंध में उचित समझता है जहां ऐसी लागतों के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है और मध्यस्थता पुरस्कार में उनके बारे में कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं है।इसलिए, धारा 39 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्ति व्यापक है और पुरस्कार के बाद भी लागू हो सकती है, जब पुरस्कार में स्वयं लागत के संबंध में कोई पर्याप्त निर्देश नहीं होता है।इस प्रकार, मायोपिनियन में, धारा 39 की उप-धारा (2) और (3) स्वतंत्र प्रावधान हैं, और बाद वाली उप-धारा को तब लागू किया जा सकता है जब कोई पक्ष मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित 'शुल्क' के लिए ऐसी स्थिति में सहमत नहीं होता है जहां 'शुल्क' एक लिखित समझौते द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है।धारा 39 (3) तब लागू होती है जब दोनों पक्ष या एक पक्ष मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित 'शुल्क' के लिए सहमत नहीं होते हैं।

एफ.

जी.

एच.

'उचित और उचित शुल्क' क्या है**?**

31. मैंने अभिनिर्धारित किया है कि किसी समझौते या अदालत के आदेश के अभाव में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण 'उचित और उचित पारिश्रमिक' तय करने का हकदार है।एक मध्यस्थ द्वारा शुल्क का निर्धारण एक नाजुक मामला है क्योंकि वह तब उस शुल्क का निर्धारण कर रहा है जिसे ध्यान में रखते हुए वह आदेश देने का हकदार है:(i) विवादों की जटिलता; (ii) शामिल प्रश्नों की कठिनाई या नवीनता; (iii) मध्यस्थ न्यायाधिकरण का कौशल, विशेष ज्ञान और जिम्मेदारी; (iv) अध्ययन किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या और महत्व; (v) शामिल संपत्ति का मूल्य या जारी की गई राशि या राशि; और (vi) पक्षों के लिए विवाद का महत्व।36 प्रोफेसर सुंदरराजू 37 ने पाया है कि अनुभवी और योग्य मध्यस्थ कम से कम अपने गृह क्षेत्राधिकार में

अपने पेशे के लिए लिए गए शुल्क के ऊपर के बराबर शुल्क प्राप्त करने के आदी हैं।यदि शुल्क संरचना बहुत कम है, तो उचित रूप से योग्य मध्यस्थों की सेवाएं प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।भले ही वे ऐसा करते हैं, हो सकता है कि वे मामले को हल करने के लिए आवश्यक समय निर्धारित करने के लिए तैयार न हों।इसलिए, मध्यस्थों को खुले तौर पर और पारदर्शी तरीके से वह शुल्क बताना चाहिए जो वे लेना चाहते हैं ताकि शर्मनाक आरोपों और असहमति से बचा जा सके।यह नियुक्ति की स्वीकृति से पहले या मध्यस्थता प्रक्रिया की शुरुआत में किया जाना चाहिए।मध्यस्थ न्यायनिर्णायक के रूप में अपनी भूमिका के प्रति सचेत हैं, जो अधिवक्ताओं से बहुत अलग है और इसकी तुलना अधिवक्ताओं से नहीं की जा सकती है।जबकि किसी की जेब को ध्यान में रखते हुए एक वकील को चुनना और बदलना संभव है, एक बार नियुक्त मध्यस्थ एक अलग आधार पर खड़ा होता है।जब एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण का विधिवत गठन किया गया है, तो कोई भी पक्ष, इस तथ्य के बावजूद कि वे शुल्क वहन कर सकते हैं या नहीं, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को यह कहते हुए अप्रसन्न करने की संभावना नहीं है कि निर्धारित शुल्क उचित नहीं है।38 साथ ही, उन लोगों द्वारा मध्यस्थ के शुल्क को कोई भी चुनौती जो स्वेच्छा से उनके लिए बहस करने वालों के समान पेशेवर शुल्क का भुगतान कर रहे हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

36 मस्टिल एंड बॉयड, द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ कमर्शियल आर्बिट्रेशन इन इंग्लैंड, (2nd

एडन., 1989) पी.236.

37 दातुक प्रोफेसर सुंदरा राजू, विधि, व्यवहार और मध्यस्थता प्रक्रिया (दूसरा संस्करण), 2016।

जी.

38 वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा लिया जाने वाला उच्च शुल्क कई लोगों का विषय रहा है।

लेख, जिसमें 'इंडियाज ग्रैंड एडवोकेट्सःएक कानूनी अभिजात वर्ग फल-फूल रहा है

मार्क गैलांटर और निक रॉबिन्सन द्वारा प्रकाशित 'वैश्वीकरण का युग'

हार्वर्ड लॉ स्कूल, और 'मुकदमेबाजी खर्चःउषा रानी द्वारा न्याय की उच्च लागत

दास। बाद वाला लेख, वास्तव में, प्रमुख अधिवक्ताओं के कई उद्धरणों को संदर्भित करता है जिन्होंने समस्या को स्वीकार किया है।

एच.

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जेवी [संजीव खन्ना, जे.] ए.

ए.

इससे पहले कि मध्यस्थ असंगत हो।39 किसी भी विवाद और मुकदमेबाजी से बचने के लिए, चौथी अनुसूची में निर्धारित शुल्क संरचना, या संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा, जब मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अपनाया जाता है, तो मेरी राय में 'निष्पक्ष और उचित' माना जाना चाहिए। अदालत किसी पक्ष को शुल्क पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं देगी यदि यह चौथी अनुसूची या उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के संदर्भ में है।इसलिए, मैं, विभिन्न आधारों और कारणों से, अपने भाई डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. चंद्रचूड़ द्वारा अनुच्छेद 105 में की गई टिप्पणियों से सहमत हूं।

बी.

2019 के अधिनियम संख्या **33** के प्रवर्तन के बाद की स्थितिःमध्यस्थता और सुलह अधिनियम**, 1996** की धारा **11** की उप**-**धारा **(3** ए**)** के परंतुक का प्रभाव।

सी.

32. धारा 11 की उप-धारा (3 ए) में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को समय-समय पर मध्यस्थ संस्थानों को नामित करने की शक्ति होगी, जिन्हें परिषद द्वारा ए एंड सी अधिनियम की धारा 43-I के तहत वर्गीकृत किया गया है। किसी पदनाम और श्रेणीकरण के अभाव में, धारा 11 की उप-धारा (3 ए) प्रभावी रूप से और वस्तुतः लागू नहीं की जाती है। हालांकि, पहला परंतुक लागू होगा क्योंकि यह उन उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के संबंध में लागू होता है जहां कोई श्रेणीबद्ध मध्यस्थ संस्था उपलब्ध नहीं है।ऐसे मामलों में, संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एक मध्यस्थ संस्था के कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में मध्यस्थों का एक पैनल रख सकता है।इसके अलावा, मध्यस्थ के संदर्भ को धारा 11 के उद्देश्य के लिए एक मध्यस्थ संस्था माना जाता है और मध्यस्थ ऐसे शुल्क का हकदार है जो चौथी अनुसूची में दरें निर्दिष्ट करती हैं।दूसरे शब्दों में, चौथी अनुसूची बाध्यकारी है।धारा 11 की उप-धारा (14) में कहा गया है कि मध्यस्थ संस्था चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अधीन, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के शुल्क और मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भुगतान करने के तरीके का निर्धारण करेगी।जब हम धारा 11 की उप-धारा (3 ए) और धारा 11 की उप-धारा (14) के पहले परंतुक को एक साथ और सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क की दर अनिवार्य है।चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट 'दर' अभिव्यक्ति चौथी अनुसूची और धारा 11 (14) में उल्लिखित शुल्क को संदर्भित करती है, जब यह "चौथी अनुसूची के अधीन" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है, तो यह आवश्यक है कि शुल्क अनुसूची में निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं हो सकता है, हालांकि अनुसूची में उल्लिखित आंकड़े से कम हो सकता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

39 मुकदमेबाजी की उच्च लागत के गंभीर निहितार्थ और परिणाम होते हैं, एक चिंता जो बार के वरिष्ठ सदस्यों का ध्यान आकर्षित करती है।

एच.

33. इसलिए, धारा 11 की उप-धारा (3 ए) के प्रावधान के संदर्भ में 2019 के अधिनियम संख्या 33 के प्रवर्तन के बाद, जो तदर्थ मध्यस्थता पर लागू होता है, चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना अनिवार्य और बाध्यकारी है।संस्थागत मध्यस्थता के मामले में, शुल्क संरचना चौथी अनुसूची के संदर्भ में तय की जानी चाहिए।हालांकि, ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3 ए) और (14) दोनों ही मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ संस्थान को चौथी अनुसूची से कम शुल्क तय करने से नहीं रोकती हैं।

बी.

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम**, 1996** की धारा **38** के तहत पूरक लागतों सहित लागतों के अग्रिम जमा का निर्देश देने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण की शक्तिः

सी.

34. मैं इस बात से अवगत हूं कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को देय पारिश्रमिक/शुल्क पर उपरोक्त निर्धारण कठिनाई का कारण बन सकता है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां एक पक्ष जानबूझकर कार्यवाही में देरी करता है और कार्यवाही को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप कई सुनवाई करने की आवश्यकता होती है।ऐसी स्थितियों में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ए एंड सी अधिनियम की धारा 38 का सहारा लेने का हकदार है और पक्ष को मध्यस्थता की लागत के रूप में पूरक जमा करने के लिए कहता है, जिसमें मध्यस्थता न्यायाधिकरण को देय कोई 'पूरक' शुल्क शामिल नहीं है, जिसका अर्थ ए एंड सी अधिनियम की धारा 31 ए के संदर्भ में देय 'पक्षों द्वारा की गई लागत' होगा। बेशक, जमा अंततः लागत के भुगतान पर पुरस्कार में दिए गए निर्देशों का पालन करेगा।पक्षकारों या पक्षकार को पूरक लागत सहित लागतों का अग्रिम जमा करने का

निर्देश देने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण को दी गई शक्ति और अधिकार बना हुआ है, और 2019 के अधिनियम संख्या 33 द्वारा सीमित या समाप्त नहीं किया गया है।

डी.

ई.

एफ.

सारांश

35. कानूनी स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करना अब उचित होगा।

इसके अंतर्गतः

(क) मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता समझौते में पक्षों द्वारा निर्धारित शुल्क या पारिश्रमिक, या आपसी सहमति से, चाहे विवाद उत्पन्न होने से पहले या बाद में, बाध्य है।(ख) जहां न्यायालय विवादों को मध्यस्थता न्यायाधिकरण को संदर्भित करता है, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को देय शुल्क निर्धारित करने वाले पक्षों के बीच किसी भी समझौते के अभाव में, उसे शुल्क ए तय करना चाहिए।

जी.

एच.

815

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जेवी [संजीव खन्ना, जे.] ए.

इतना देय।न्यायालय द्वारा निर्धारित शुल्क मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर बाध्यकारी है।

(ग) यह वांछनीय है कि पक्षकारों/न्यायालय को एक मध्यस्थ को नामित/नियुक्त करने से पहले संभावित मध्यस्थों से शुल्क संरचना का पता लगाना चाहिए।

बी.

(घ) मध्यस्थता न्यायाधिकरण के शुल्क को निर्धारित करने वाले लिखित समझौते या अदालत के आदेश के अभाव में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण 'उचित और उचित शुल्क' का हकदार है, जो पारदर्शी तरीके से और पक्षों के परामर्श से किया जाना चाहिए।यह अभ्यास प्रारंभिक/प्रारंभिक चरण में किया जाना चाहिए।हालांकि, सर्वसम्मति की कमी, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को 'उचित और उचित शुल्क' तय करने से नहीं रोकेगी।एक पीड़ित पक्ष ए एंड सी अधिनियम की धारा 39 के संदर्भ में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क पर सवाल उठाने का हकदार

होगा। एक चुनौती उठाए जाने पर, अदालत ऊपर बताए गए कारकों के संदर्भ में और विशेष रूप से ए एंड सी अधिनियम की चौथी अनुसूची के संदर्भ में शुल्क की तर्कसंगतता के सवाल की जांच करेगी। चौथी अनुसूची या संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा उल्लिखित शुल्क संरचना को स्वयं माना जाएगा और 'उचित और उचित शुल्क' माना जाएगा।

सी.

डी.

ई.

(ई) एक बार निर्धारित शुल्क को सभी पक्षों की सहमति या अदालत के आदेश के अलावा बढ़ाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है।

(च) 2019 के अधिनियम संख्या 33 के अधिनियमन और प्रवर्तन के बाद, और ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3 ए) के पहले परंतुक के संदर्भ में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर शुल्क का हकदार है।नतीजतन, मध्यस्थ न्यायाधिकरण विचलित होने और अधिक शुल्क तय करने का हकदार नहीं है।इसी तरह, मध्यस्थ संस्थान, धारा 11 (14) के संदर्भ में, चौथी अनुसूची में उल्लिखित शुल्क संरचना का पालन करने के लिए बाध्य हैं।हालाँकि, धारा 11 की उप-धाराएँ (3 ए) और (14) तदर्थ मध्यस्थता न्यायाधिकरण या मध्यस्थता संस्थान को मध्यस्थता शुल्क लेने से नहीं रोकती हैं या प्रतिबंधित नहीं करती हैं जो चौथी अनुसूची में निर्धारित शुल्क से कम या कम है।धारा 11 की उप-धाराएँ (3 ए) और (14) पक्षकारों और मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए बाध्यकारी हैं।

एफ.

जी.

एच.

चौथी अनुसूची की व्याख्या

36. चौथी अनुसूची को 2016 के अधिनियम संख्या 3 के माध्यम से 23 अक्टूबर 2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ पेश किया गया था और इसमें कहा गया हैः

“

चौथी अनुसूची

बी.

[धारा 11 (3ए) देखें]

सी.

डी.

ई.

चौथी अनुसूची, 2019 के अधिनियम संख्या 33 द्वारा प्रतिस्थापन के बाद, ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 (14) के बजाय धारा 11 (3ए) को संदर्भित करती है। 37.चौथी अनुसूची के तीन पहलू जिनकी व्याख्या की आवश्यकता है, वे हैंः(क) क्या 'विवाद में राशि' अभिव्यक्ति दावे और प्रति-दावे के कुल को संदर्भित करती है, या अनुसूची के अनुसार देय शुल्क की गणना दावे और प्रति-दावों के लिए अलग से की जानी चाहिए, बिना उन्हें एकत्रित किए; (ख) शब्दों को क्रम में करें।

एफ.

संख्या 6-"Rs.19,87,500/- प्लस Rs.20,00,000/- के ऊपर और ऊपर दावे की राशि का 0.5%, Rs.30,00,000/- की अधिकतम सीमा के साथ" का अर्थ है

जी.

Rs.19,87,500/- प्लस कुल दावों का 0.5%, Rs.30,00,000/- की अधिकतम सीमा के अधीन, या देय अधिकतम शुल्क Rs.30,00,000/- प्लस Rs.19,87,500/- है, अर्थात Rs.49,87,500/-; और (c) क्या चौथी अनुसूची में निर्धारित शुल्क तीन सदस्यीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए संचयी है, जिसे तीन सदस्यों के बीच साझा/विभाजित किया जाना है, या A

एच.

817

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जेवी [संजीव खन्ना, जे.] ए.

निर्धारित शुल्क तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य के लिए है।

"विवाद में राशि" अभिव्यक्ति की व्याख्या

38. "विवाद में राशि" अभिव्यक्ति किसी दावे या प्रति-दावे को संदर्भित नहीं करती है।'योग' शब्द का अर्थ है संपूर्ण, कुल या कुल राशि।इस प्रकार, विधायिका ने जानबूझकर और सचेत रूप से दावे या जवाबी दावे में बताई गई राशियों के एक अलग संदर्भ से परहेज किया है।"विवाद में राशि" माध्यस्थम न्यायाधिकरण के समक्ष कुल राशि विषय वस्तु को संदर्भित करती है, जिस पर निर्णय लिया जाना है।इस प्रकार, यह कहना सही होगा कि भाषा और शब्द "विवाद में राशि" एक इच्छित और एक परिकलित प्रस्थान है, क्योंकि 'दावा' और 'प्रति-दावा' शब्दों का धारा 23 (2 ए) में विशिष्ट उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादी अपने मामले के समर्थन में एक प्रति-दावा भी प्रस्तुत कर सकता है या एक सेट-ऑफ का अनुरोध कर सकता है जिसका निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा यदि ऐसा प्रति-दावा या सेट-ऑफ मध्यस्थता समझौते के दायरे में आता है।40 इसी प्रकार, धारा 2 (9) में कहा गया है कि भाग 1 के प्रयोजन के लिए, धारा 25 (ए) और धारा 32 (2) (ए) के मामले को छोड़कर, दावे का संदर्भ प्रति-दावे पर भी लागू होगा, और जहां यह बचाव को संदर्भित करता है, वह उस प्रति-दावे के बचाव पर भी लागू होगा।इसी तरह, धारा 38 (1) 41 के परंतुक में कहा गया है कि जहां दावे के अलावा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को एक प्रति-दावा प्रस्तुत किया गया है, वह दावे या प्रति-दावे के लिए जमा की एक अलग राशि तय कर सकता है।प्रावधानों के बावजूद, विधायिका, चौथी अनुसूची को अधिनियमित करते समय, हालांकि दावा और जवाबी दावे/सेट-ऑफ के बीच के अंतर से अवगत थी, दावा (ओं) या जवाबी दावे (ओं)/सेट-ऑफ में अनुरोध की गई राशि के लिए किसी भी अलग संदर्भ को छोड़ दिया।चौथी अनुसूची उन्हें मध्यस्थ न्यायाधिकरण को देय शुल्क की गणना के लिए अलग नहीं मानती है।दूसरी ओर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष "विवाद में राशि" अभिव्यक्ति को शुल्क की गणना का आधार बनाया गया है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

40 23 अक्टूबर 2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 2016 के अधिनियम संख्या 3 के माध्यम से सम्मिलित किया गया।सम्मिलन से पहले भी, कानून में स्थिति समान थी।

41 38.जमा।– (1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण, यथास्थिति, धारा 31 की उप-धारा (8) में निर्दिष्ट लागतों के लिए अग्रिम के रूप में जमा या पूरक जमा की राशि निर्धारित कर सकता है, जहां वह उसे प्रस्तुत किए गए दावे के संबंध में खर्च होने की उम्मीद करता है;

जी.

बशर्ते कि जहां दावे के अलावा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को एक प्रति-दावा प्रस्तुत किया गया है, वह दावे और प्रति-दावे के लिए अलग-अलग जमा राशि तय कर सकता है।

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एच.

39. यह माना जाता है कि विधायिका मूल अधिनियम में शर्तों के पूर्व निर्माण को जानती है, और पहले के अर्थ के लिए नए शब्द या वाक्यांश को प्रतिस्थापित करने वाला एक संशोधन इंगित करता है कि पूर्व के शब्दों या वाक्यांशों का न्यायिक या कार्यकारी निर्माण विधायी इरादे के अनुरूप नहीं था और नए शब्द या वाक्यांश की एक अलग व्याख्या दी जानी चाहिए।इस प्रकार, एक संशोधनकारी अधिनियम की व्याख्या करने में, कानूनी अधिकारों में परिवर्तन की धारणा होती है।वाक्यांश विज्ञान में परिवर्तन एक धारणा पैदा करता है कि विधायिका का उद्देश्य अर्थ में परिवर्तन करना है।इसके विपरीत, जब मूल क़ानून में उपयोग किए गए शब्दों का उपयोग पुनः अधिनियमित/संशोधनकारी अधिनियम में किया जाता है, तो उन्हें नए क़ानून या संशोधनकारी अधिनियम में उसी अर्थ में उपयोग किया जाना चाहिए।42

बी.

सी.

40. इसके अलावा, एक संशोधनकारी अधिनियम में एक प्रावधान की व्याख्या करते समय, निर्माण का एक अतिरिक्त सिद्धांत विधायी इरादे को निर्धारित करने के लिए संशोधनकारी अधिनियम के उद्देश्य की जांच करना है।इस उद्देश्य के लिए, न्यायालय को प्रत्येक शब्द को प्रभावी बनाना चाहिए, और अस्पष्टता के मामले में, विधायी कार्यवाही और संशोधनों से संबंधित विधायी समितियों की रिपोर्ट के रूप में आसपास की परिस्थितियों का उल्लेख करना चाहिए।43 पारिमेटेरिया में क़ानूनों का भी सहायता के लिए सहारा लिया जा सकता है।44 41.चौथी अनुसूची के संदर्भ में, स्पष्टीकरण और पुष्टि के लिए, यह सबसे उपयुक्त होगा यदि भारत के विधि आयोग की 246 वीं रिपोर्ट का संदर्भ दिया जाए।विधि आयोग ने शुल्क 45 की एक मॉडल अनुसूची की सिफारिश करते हुए कहा था कि अनुसूची दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित शुल्क अनुसूची पर आधारित थी

डी.

ई.

42 अर्ल टी. क्रॉफर्ड, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैचूट्स, तीसरा संस्करण, पृष्ठ 617 और 619 43 जे. जी. सदरलैंड, स्टैचूट्स एंड स्टैच्युटरी कंस्ट्रक्शन, तीसरा संस्करण, Vol.3, पृष्ठ। 410-412 44 अर्ल टी. क्रॉफर्ड, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैचूट्स, तीसरा संस्करण, पृष्ठ।

एफ.

45 "10. भारत में मध्यस्थता के खिलाफ मुख्य शिकायतों में से एक, विशेष रूप से तदर्थ मध्यस्थता, उसी से जुड़ी उच्च लागत है-जिसमें कई मध्यस्थों द्वारा शुल्क का मनमाना, एकतरफा और असमान निर्धारण शामिल है।आयोग का मानना है कि यदि मध्यस्थता वास्तव में घरेलू संदर्भ में विवाद समाधान के लिए एक लागत प्रभावी समाधान बनना है, तो मध्यस्थता के लिए शुल्क संरचना को तर्कसंगत बनाने के लिए कुछ तंत्र होना चाहिए।

11. इस समस्या का एक व्यावहारिक समाधान प्रदान करने के लिए, आयोग ने शुल्क की एक मॉडल अनुसूची की सिफारिश की है और उच्च न्यायालय को मध्यस्थों के लिए शुल्क निर्धारित करने के लिए उचित नियम बनाने का अधिकार दिया है और किस उद्देश्य के लिए वह शुल्क की उक्त मॉडल अनुसूची को ध्यान में रख सकता है।शुल्क की मॉडल अनुसूची है -

जी.

दिल्ली उच्च न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र द्वारा निर्धारित शुल्क अनुसूची के आधार पर, जो 5 साल से अधिक पुरानी है, और जिन्हें उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है।द.

शुल्क की अनुसूची को नियमित रूप से अद्यतन करने की आवश्यकता होगी, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे यथार्थवादी बने रहें, हर तीन-चार साल में इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।"

एच.

819

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जेवी [संजीव खन्ना, जे.] ए.

ए.

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र।दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (प्रशासनिक लागत और मध्यस्थ शुल्क) की अनुसूची समान अभिव्यक्ति, "विवाद में राशि" का उपयोग करती है, और दावे और प्रति-दावे दोनों का संचयी शुल्क प्रदान करती है।तदनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र से उधार ली गई "विवाद राशि" अभिव्यक्ति को एक समान निर्माण दिया जाना चाहिए जो पूरी राशि या विवादों के कुल योग को संदर्भित करता है जो मध्यस्थता का विषय है, यानी दावा याचिका के साथ-साथ जवाबी दावे में उठाए गए विवाद।दावा और प्रति-दावा/भुगतान के लिए अलग शुल्क की परिकल्पना और अभिधारणा नहीं की गई है।

बी.

42. ए एंड सी अधिनियम के उद्देश्यों में से एक उपचार का सामंजस्य सुनिश्चित करना है।धारा 2 (9) और 23 (2-ए) में उपचारों के विखंडन के खिलाफ नियम शामिल हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं।यह पहले के मध्यस्थता अधिनियम, 1940 से एक स्पष्ट और जानबूझकर प्रस्थान है जिसमें एक मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र संदर्भ के आदेश के माध्यम से उसे संदर्भित विवादों तक ही सीमित था।मध्यस्थ संदर्भ के दायरे को बढ़ा नहीं सकता था और संदर्भ के नए आदेश के बिना नए दावों या यहां तक कि एक जवाबी-दावा/सेट-ऑफ पर विचार नहीं कर सकता था।46

सी.

डी.

43. यह तर्क कि एक प्रति-दावा और प्रति-दावा को अलग माना जाना चाहिए, क्योंकि दावे और प्रति-दावे के निर्णय को ए एंड सी अधिनियम और संहिता के तहत अलग-अलग व्यवहार किया जाता है, और अलग-अलग निर्णय की आवश्यकता होती है, हालांकि पहली बार में एक आकर्षक तर्क, कानूनी स्थिति की अनदेखी करता है कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष उठाया गया प्रति-दावा और सेट-ऑफ मध्यस्थता समझौते के दायरे में आना चाहिए, जो मध्यस्थता कार्यवाही में किसी भी दावे का विषय और आधार है।एक प्रति-दावा केवल एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया जा सकता है, यदि यह दावेदार द्वारा भरोसा किए गए मध्यस्थता समझौते द्वारा कवर और शासित है, न कि मध्यस्थता समझौते के विषय वस्तु द्वारा कार्रवाई के कारण के संबंध में।आवश्यक रूप से, इसलिए, दावे और प्रतिदावे/निपटान के बीच एक संबंध होगा।सेट-ऑफ दावेदार द्वारा की गई कार्रवाई और दावों का बचाव है, जो कानूनी और न्यायसंगत दोनों हो सकता है।संहिता के आदेश VIII नियम 6 के तहत समान चूक को मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन प्रतिवादी द्वारा उठाए जाने की अनुमति दी गई है क्योंकि संहिता संपूर्ण नहीं है।हालाँकि, एक ही लेन-देन या एक ही लेन-देन से न्यायसंगत चूक उत्पन्न होनी चाहिए।

ई.

एफ.

जी.

46 मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 20 देखें।उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड का संदर्भ लें।प्राणनाथ (1997) 3 एस. सी. सी. 535।

एच.

कि उन्हें एक ही लेनदेन के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है।दूसरी ओर, काउंटर-क्लेम को क्रॉस-एक्शन माना जाता है।जब कोई प्रति-दावा वाद में दावे से जुड़ा नहीं होता है, तो न्यायालय, संहिता के आदेश VIII के नियम 6 (सी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, निर्देश दे सकता है कि इस तरह के प्रति-दावे को बाहर रखा जा सकता है और एक स्वतंत्र मुकदमे के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है।

बी.

44. मध्यस्थ न्यायाधिकरण ए एंड सी अधिनियम की धारा 7 से अपना अधिकार क्षेत्र प्राप्त करता है, जो "उन सभी या कुछ विवादों तक फैला हुआ है जो उत्पन्न हुए हैं या जो एक परिभाषित कानूनी संबंध के संबंध में उनके बीच उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वे संविदात्मक हों या नहीं।"जैसा कि ऊपर कहा गया है, ए एंड सी अधिनियम दावों की संख्या या प्रकृति के आधार पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए अलग-अलग क्षेत्राधिकार पर विचार नहीं करता है, और इसलिए, न्यायाधिकरण को दावे और जवाबी दावे को अलग से मानने की स्वतंत्रता नहीं देता है। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता 47 पर UNCITRAL मॉडल कानून पर टिप्पणी में कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक पक्षों ने मध्यस्थता करने के लिए एक समझौता किया है, तो उनमें से किसी को भी सामान्य रूप से मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने की शक्ति है।यह एक आम प्रथा है कि एक से अधिक पक्ष एक ही मध्यस्थता में अपने दावे करते हैं।विरोधी पक्षों द्वारा प्रस्तुत इन दावों के साथ जो लेबल जोड़े गए हैं, अर्थात् दावा या प्रति-दावा, वे कालानुक्रमिक क्रम की स्वीकृति के अलावा और कुछ नहीं हैं जिसमें मध्यस्थता में कार्रवाई की गई है, और वे किसी भी प्रकार के संरचनात्मक भेदभाव को लागू नहीं करते हैं।यही कारण है कि UNCITRAL मॉडल लॉ के अनुच्छेद 2 (f) द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है जिसमें कहा गया है कि यह दावा प्रति-दावे पर भी लागू होता है और जब भी यह बचाव का उल्लेख करता है, तो यह प्रति-दावे के बचाव पर भी लागू होता है।जैसा कि ऊपर देखा गया है, UNCITRAL मॉडल कानून के इन पहलुओं को ए एंड सी अधिनियम में शामिल किया गया है। दिल्ली, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और मद्रास के उच्च न्यायालयों द्वारा प्रकाशित नियमों को पढ़ने से संकेत मिलता है कि उन्होंने एक साथ कहा है कि विवाद की राशि या मध्यस्थ के शुल्क की गणना दावे और जवाबी दावे के कुल मिलाकर की जाएगी।शुल्क की गणना स्वतंत्र रूप से नहीं की जानी चाहिए, पहले दावे और फिर जवाबी दावे के संदर्भ में।यह घरेलू वाणिज्यिक मध्यस्थता के भारतीय मध्यस्थता परिषद, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और निर्माण उद्योग मध्यस्थता परिषद द्वारा बनाए गए नियमों में भी प्रतिपादित है।सिंगापुर इंटरनेशनल द्वारा बनाए गए नियमों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

47 इलियास बैंटेकास, पिएत्रो ओर्टोलानी, शाहला अली, मैनुअल ए. गोमेज़ और माइकल पोलिंगहोर्न द्वारा लिखित; कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित।

एच.

821

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जेवी [संजीव खन्ना, जे.] ए.

ए.

मध्यस्थता केंद्र, हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, स्टॉकहोम चैंबर ऑफ कॉमर्स मध्यस्थता और यूरोपीय मध्यस्थता न्यायालय, जो यह निर्धारित करते हैं कि शुल्क के उद्देश्य से, विवाद की राशि दावे और प्रति-दावे का कुल मूल्य होगी, यानी सभी दावों, प्रति-दावों और कटौती का कुल मूल्य।यदि हमें विरोधाभास को स्वीकार करना है, तो कई उच्च न्यायालयों द्वारा बनाए गए नियमों, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, को फिर से तैयार करना होगा, और असंगति, विशेष रूप से लंबित मामलों में, भ्रम पैदा करेगी।इससे बचना चाहिए।

बी.

45. हमने ए एंड सी अधिनियम की धारा 38 की व्याख्या की है। इस स्तर पर यह फिर से अवलोकन करना पर्याप्त है कि धारा 38 की उप-धारा (1) का परन्तुक केवल तभी लागू होता है जब मध्यस्थ न्यायाधिकरण दावे और प्रतिवाद के लिए एक अलग शुल्क का हकदार होता है।यह वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ चौथी अनुसूची लागू होती है, जिस स्थिति में मध्यस्थ न्यायाधिकरण अनुसूची के अनुसार शुल्क का हकदार होता है, जो दावों और प्रति-दावों को जोड़ने पर संचयी आंकड़ा है।विशेष रूप से, धारा 38 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि उप-धारा (1) के संदर्भ में जमा पक्षकारों द्वारा समान हिस्से में देय होगा।धारा 38 मूल अधिनियम का एक हिस्सा है, जबकि चौथी अनुसूची को 2016 के अधिनियम संख्या 3 के माध्यम से जोड़ा गया था। जबकि हमें चौथी अनुसूची के साथ धारा 38 का सामंजस्यपूर्ण अर्थ लगाना है, हमें चौथी अनुसूची को लागू करने के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए विधायी इरादे को प्रभावी बनाना चाहिए, एक ऐसा पहलू जिसे मैंने पहले स्वीकार किया है।

सी.

डी.

ई.

एफाली फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम में यह न्यायालय।महाराष्ट्र राज्य

& ओआरएस। 48 ने औषधीय और शौचालय तैयारी (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 की अनुसूची का उल्लेख किया था और कहा था कि एक अनुसूची केवल मसौदा तैयार करने का प्रश्न है और इसका उपयोग अधिनियम के मुख्य भाग में प्रावधानों का अर्थ लगाने के लिए किया जा सकता है, हालांकि अनुसूची में अभिव्यक्तियाँ स्पष्ट अधिनियम के खिलाफ नियंत्रित या प्रबल नहीं हो सकती हैं, और अनुसूची और अधिनियम के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, अधिनियम प्रबल होते हैं।ये टिप्पणियां वर्तमान मामले के संदर्भ में लागू नहीं होंगी, क्योंकि चौथी अनुसूची स्पष्ट अधिनियम के साथ टकराव में नहीं है।चौथी अनुसूची शुल्क की मात्रा/पैमाना निर्धारित करती है, जबकि धारा 38 शुल्क की गणना के लिए मात्रा या सूत्र निर्धारित नहीं करती है।धारा 38 और चौथी अनुसूची को एक के विपरीत या दूसरी के साथ असंगत हुए बिना सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जा सकता है।एक क़ानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और एक अनुसूची किसी भी अन्य प्रावधान की तरह क़ानून का एक हिस्सा है।

एफ.

जी.

48 (1989) 4 एस. सी. सी. 378

एच.

46. मध्यस्थता की उच्च लागत वादियों द्वारा न्यायालय के मुकदमे के विकल्प के रूप में मध्यस्थता को स्वीकार करने में अनिच्छा के प्रमुख कारणों में से एक है।न्याय वितरण की एक प्रक्रिया के रूप में मध्यस्थता, चरित्र में असंवैधानिक है, जब तक कि यह किफायती और मुकदमेबाजी के लिए कम लागत वाला विकल्प नहीं है, तब तक यह अनाकर्षक रहेगा।सामान्य रूप से ए एंड सी अधिनियम और धारा 2 (1) (डी), 2 (9), 7,8,9,11,17 और 23 के प्रावधानों की योजना का उद्देश्य होने के कारण, यह अभिनिर्धारित करना उचित होगा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण, जैसा कि सांविधिक रूप से कल्पना की गई है, अनुबंध से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों की जांच और न्यायनिर्णयन करना है और इसलिए, जैसा कि पहले देखा गया है, चौथी अनुसूची में "विवाद में राशि" शब्द का उपयोग किया गया है।दावा और प्रतिवाद के लिए अलग शुल्क की कल्पना करने वाली कोई भी विपरीत व्याख्या, जो, यह स्पष्ट है, मध्यस्थता की लागत को काफी बढ़ा देगी, और वादियों को मध्यस्थता का सहारा लेने से रोक देगी।मध्यस्थता की लागत में वृद्धि छोटे मामलों के लिए भी होगी, जब दावे/प्रति-दावे 5,00,000/- रुपये से कम होते हैं, जिस स्थिति में मध्यस्थ को देय शुल्क, किसी दिए गए मामले में, दोगुना हो सकता है। Rs.20,00,00,000/- से अधिक के दावों और प्रति-दावों के

साथ बड़ी राशि के मध्यस्थता के लिए, जिस मामले में क्रम संख्या 6 के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण को देय उच्चतम शुल्क तीन सदस्य न्यायाधिकरण के मामले में Rs.90,00,000/- से बढ़कर 1,80,000/- हो सकता है, और एकल सदस्य न्यायाधिकरण के मामले में Rs.40,00,000/- से बढ़कर <ID1,000/- हो सकता है।यह, मेरे अनुसार, चौथी अनुसूची को लागू करने में अभिनिर्धारित और विधायी इरादा नहीं है।चौथी अनुसूची में क्रम संख्या 6 विज्ञापन मूल्य विधि के बीच एक समझौता है, जहां मध्यस्थों के शुल्क का आकलन किसी भी प्रति-दावे सहित विवाद में कुल राशि के प्रतिशत के रूप में किया जाता है, और निश्चित शुल्क विधि, क्योंकि यह शुल्क-सीमा निर्धारित करती है जब दावे और प्रति-दावे की राशि Rs.20,00,00,000/- (केवल बीस करोड़ रुपये) से अधिक हो जाती है।49

बी.

सी.

डी.

ई.

47. उपरोक्त कारणों से, मेरा मानना है कि "विवाद में राशि" शीर्षक का अर्थ बिना किसी विभाजन के विवाद में सभी राशियों का योग होगा और दावे (ओं) की राशि विषय वस्तु और प्रति-दावे (ओं) की राशि विषय वस्तु के संदर्भ में शुल्क अनुसूची का अलग से आवेदन होगा।

एफ.

48. उपरोक्त उक्ति उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां एक व्यापक मध्यस्थता खंड है, जो विभिन्न/विशिष्ट अनुबंधों पर लागू होता है।

जी.

49 प्रोफेसर सुंदरा राजू, विधि, व्यवहार और मध्यस्थता प्रक्रिया (दूसरा संस्करण),

2016, चार अलग-अलग प्रकार के पारिश्रमिक समझौतों का उल्लेख किया गया है, अर्थात्, निश्चित शुल्क विधि, समय खर्च करने की विधि, संक्षिप्त शुल्क और दैनिक रिफ्रेशर विधि, और विज्ञापन मूल्य शुल्क विधि।

एच.

जिस मामले में प्रत्येक अनुबंध को एक अलग मध्यस्थता कार्यवाही के रूप में माना जाएगा अर्थात उस अनुबंध से संबंधित दावा, प्रति-दावा और सेट-ऑफ।

चौथी अनुसूची के क्रम संख्या **6** की व्याख्या

49. चौथी अनुसूची के क्रम संख्या 6 की व्याख्या Rs.30,00,000/- की सीमा या अधिकतम सीमा को शामिल करने के रूप में की गई है।हालांकि, कुछ मामलों में, यह माना गया है कि Rs.30,00,000/- की अधिकतम सीमा शुल्क के साथ <ID3,87,500/- और दावे की राशि का 0.5 प्रतिशत, Rs.20,00,00,000/- के ऊपर और ऊपर निर्दिष्ट शुल्क का मतलब है कि Rs.30,00,000/- की अधिकतम सीमा संचयी सीमा नहीं है।दूसरे शब्दों में, क्रम संख्या 6 Rs.19,87,500/- प्लस Rs.30,00,000/- की अधिकतम सीमा को निर्दिष्ट करता है, जो Rs.49,87,500/- पर आता है।

बी.

सी.

50. चौथी अनुसूची में उल्लिखित क्रम संख्या से प्रकट श्रेणीबद्ध पैमाने का अवलोकन, उसमें निर्धारित मॉडल शुल्क के साथ, विधायी इरादे को उजागर करता है।अनुसूची में निर्धारित तराजू को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए और क्रम संख्या। 6 को अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है। क्रम संख्या 1 से 5, जिसमें विवादग्रस्त राशि का संदर्भ है, मॉडल शुल्क को निर्दिष्ट करता है जो क्रम संख्या 2,3,4 और 5 के संबंध में, पूर्ववर्ती क्रम संख्या के संबंध में देय उच्चतम राशि को संदर्भित करता है और फिर दावा राशि के विशिष्ट प्रतिशत द्वारा देय अतिरिक्त (प्लस) राशि को पहले क्रम संख्या में निर्दिष्ट राशि से अधिक बताता है।Rs.10,00,00,000/- से Rs.20,00,00,000/- के बीच के दावों के लिए, जो सीरियल नंबर 5 पर लागू होता है, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण Rs.12,35,500/- प्लस 0.75% के अलावा और उससे अधिक Rs.10,00,00,000/- के मध्यस्थ शुल्क का हकदार है।इसका मतलब है कि क्रम संख्या 5 के तहत देय अधिकतम शुल्क, यानी जब विवाद की राशि Rs.20,00,00,000/- से कम है, तो Rs.19,87,500/- है।क्रम संख्या 6 किसी भी उच्च या ऊपरी सीमा शर्त के बिना Rs.20,00,00,000/- से ऊपर विवाद राशि से संबंधित है।यह निर्धारित करता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण रुपये के शुल्क का हकदार है। 19, 87, 500/- जो क्रम संख्या 5 में देय उच्चतम शुल्क है, और 0.5% जब विवाद में राशि Rs.20,00,00,000/- से अधिक हो जाती है।यदि ऐसा है, और निस्संदेह ऐसा है, तो विधायी इरादे पर आधारित तर्क यह है कि कुल मिलाकर इसकी अधिकतम सीमा Rs.30,00,000/- है।इसके विपरीत यह तर्क कि निर्धारित सीमा Rs.19,87,500/- प्लस Rs.30,00,000/- है, को अस्वीकार किया जाना चाहिए। विधायिका स्पष्ट रूप से जानती थी कि क्रम संख्या 6 उन सभी मध्यस्थताओं पर लागू होगी जहां विवाद की राशि Rs.20,00,00,000/- से अधिक है।क्रम संख्या 6, अपनी सरल और सरल भाषा में, जिसे जब पढ़ा जाता है और कहा जाता है, तो यह निर्दिष्ट करता है कि Rs.20,00,00,000/- से ऊपर के दावों के लिए

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

824

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 10 एस सी आर।

, Rs.19,87,500/- के अलावा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण Rs.20,00,00,000/- से ऊपर की दावा राशि के 0.5% की दर से शुल्क का हकदार होगा, लेकिन कुल शुल्क Rs.30,00,000/- की अधिकतम सीमा के अधीन है।"Rs.30,00,000/- की अधिकतम सीमा के साथ" अभिव्यक्ति तब लागू होगी जब दावे Rs.20,00,00,000/- से ऊपर हों। Rs.30,00,000/- की अधिकतम सीमा Rs.20,00,00,000/- के ऊपर और ऊपर दावे की राशि के 0.5% के संदर्भ में नहीं है।अन्यथा इसे पढ़ना क्रम संख्या 6 की भाषा को अधिक फैलाना और उसमें शब्द जोड़ना होगा।

बी.

51. हमसे पहले, Rs.20,00,00,000/- के बाद अल्पविराम के रूप में विराम चिह्न की अनुपस्थिति का संदर्भ दिया गया था जो हिंदी भाषा अधिसूचना में पाया जाता है।अंग्रेजी भाषा के संस्करण में अल्पविराम की अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि विधायिका का इरादा, मेरी राय में, Rs.30,00,000/- की सीमा रखना है।इरादा Rs.19,87,500/- के शुल्क के अलावा Rs.30,00,000/- की सीमा तय करना नहीं है।

सी.

क्या चौथी अनुसूची व्यक्तिगत सदस्यों के लिए शुल्क निर्धारित करती है या पूरे न्यायाधिकरण के लिए**?**

डी.

52. चौथी अनुसूची की व्याख्या से संबंधित अंतिम पहलू विवादास्पद है क्योंकि दोनों विचार प्रशंसनीय हैं।धारा 2 (1) (डी) में परिभाषित 'मध्यस्थ न्यायाधिकरण' का अर्थ है एकमात्र मध्यस्थ या मध्यस्थों का एक पैनल।ए एंड सी अधिनियम की धारा 10 में कहा गया है कि पक्ष मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि संख्या सम संख्या न हो।इस तरह के निर्धारण में विफल रहने पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण में एकमात्र सदस्य शामिल होगा। इस प्रकार, डिफ़ॉल्ट रूप से, अभिव्यक्ति 'मध्यस्थ न्यायाधिकरण' एक एकल सदस्य को संदर्भित करता है।धारा 11, जो मध्यस्थों की नियुक्ति से संबंधित है, उप-धारा (2) के अनुसार,

यह बताती है कि पक्षकार मध्यस्थ या मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।उप-धारा (3) के अनुसार, तीन मध्यस्थों के साथ मध्यस्थता में ऐसे समझौते में विफल रहने पर, प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे, जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा।यदि हम धारा 10 को पूर्वनिर्धारित नियम के रूप में स्वीकार करते हैं, तो यह व्याख्या करना संभव है कि चौथी अनुसूची में निर्धारित आदर्श शुल्क एक-सदस्य मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए है। हालाँकि, यह व्याख्या चौथी अनुसूची में संलग्न टिप्पणी के शब्दों से भिन्न प्रतीत होती है जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण के एकमात्र मध्यस्थ होने की स्थिति में लागू होती है।"एकमात्र मध्यस्थ उपरोक्त अनुसार देय शुल्क पर पँचिश प्रतिशत की अतिरिक्त राशि का हकदार होगा" के शब्दों को दूसरी व्याख्या को अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए भी पढ़ा जा सकता है।अभिव्यक्ति 'मध्यस्थ ए' के रूप में

ई.

एफ.

जी.

एच.

825

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.ए. एफ. सी. ओ. एन. एस. गुनानुसा जेवी [संजीव खन्ना, जे.] ए.

न्यायाधिकरण 'तीन सदस्य या एकमात्र सदस्य मध्यस्थता न्यायाधिकरण को संदर्भित कर सकता है, नोट, यह तर्क दिया जा सकता है, इस व्याख्या की पुष्टि करता है कि चौथी अनुसूची में उल्लिखित राशि तीन सदस्य मध्यस्थता न्यायाधिकरण के प्रत्येक सदस्य को देय शुल्क को संदर्भित करती है, न कि संचयी शुल्क जिसे तीन सदस्य मध्यस्थता न्यायाधिकरण के बीच विभाजित किया जाना है।

53. दूसरे शब्दों में, चौथी अनुसूची के तीसरे कॉलम में उल्लिखित आदर्श शुल्क मध्यस्थता न्यायाधिकरण के प्रत्येक सदस्य को देय शुल्क होगा और ऐसे मामलों में जहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण में एकमात्र मध्यस्थ होता है, वह आदर्श शुल्क में निर्दिष्ट राशि से 25 प्रतिशत अधिक की अतिरिक्त राशि का हकदार होगा।यह स्पष्ट है कि चौथी अनुसूची की शुरुआत के बाद से कई मध्यस्थ न्यायाधिकरणों द्वारा इस व्याख्या को स्वीकार किया गया है और इसका पालन किया गया है।इस व्याख्या को स्वीकृति मिली है।इसकी अलग तरह से व्याख्या करने से भ्रम और अराजकता पैदा होगी जिससे बचा जाना चाहिए, भले ही दूसरी व्याख्या प्रशंसनीय हो।54. हालांकि, उपरोक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, चौथी अनुसूची में संशोधन और संयम की आवश्यकता है।उदाहरण के लिए, जहां विवाद की राशि 5,00,000/- रुपये है, एकमात्र

मध्यस्थ के मामले में, उसे देय राशि Rs.56,250/-, यानी Rs.45,000/- प्लस 25 प्रतिशत (Rs.11,250) Rs.45,000/- का।तीन मध्यस्थों के मध्यस्थ न्यायाधिकरण के मामले में देय शुल्क 1,50,000/- रुपये होगा।यह शुल्क बहुत अधिक है और अधिकांश वादियों के लिए अस्वीकार्य होगा क्योंकि वे एकमात्र मध्यस्थ के मामले में लगभग 11 प्रतिशत और तीन सदस्यों वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के मामले में लगभग 30 प्रतिशत का न्यूनतम मध्यस्थता शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।क्रमिक सं. 2 और 3 के अंतर्गत आने वाले दावों के मामले में भी ऐसी ही स्थिति हो सकती है।विधायिका द्वारा बनाए गए क्रम संख्या 1 से 3 पर एक उच्च शुल्क भुगतान मध्यस्थता को असहनीय और एक आम वादी के लिए पहुंच से बाहर बनाता है।सार्वजनिक धारणा है कि मध्यस्थता महंगी है और धन वाले वादियों के लिए इसे दूर किया जाना चाहिए, अगर मध्यस्थता को पसंदीदा विकल्प के रूप में बड़े पैमाने पर स्वीकृति प्राप्त करनी है।उच्च शुल्क संरचना मध्यस्थता तक पहुंच से इनकार करती है।वास्तव में, उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क तीन सदस्यीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बीच विभाजित किया जाने वाला संचयी शुल्क है।फिर भी, निश्चितता के लिए और भ्रम से बचने के लिए, तय और स्वीकृत स्थिति को उलटना उचित नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली उच्च न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की शुल्क अनुसूची, जैसा कि 1 जुलाई 2018 से संशोधित किया गया है, स्पष्ट रूप से बताती है कि तालिका में उल्लिखित शुल्क की अनुसूची तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण में प्रत्येक मध्यस्थ के लिए है, न कि तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के बीच विभाजित किए जाने वाले संचयी शुल्क के लिए।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

55. धारा 11 ए में कहा गया है कि केंद्र सरकार, जब संतुष्ट हो जाती है कि यह आवश्यक या समीचीन है, तो समय-समय पर चौथी अनुसूची में संशोधन कर सकती है, जिसका अभ्यास नहीं किया गया है।50

अंतिम दिशा-निर्देश

56. मैं भाई डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. द्वारा 2022 की मध्यस्थता याचिका (सिविल) संख्या 5 के संबंध में अनुच्छेद 158 (i) में जी-2 निर्देश शीर्षक के तहत दर्ज किए गए निष्कर्षों से सम्मानपूर्वक सहमत हूं, जिसके तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, मध्यस्थता समझौते के अनुसार एक नए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मध्यस्थता की कार्यवाही बिना किसी असुविधा और द्वेष के संचालित की जाए, जो कार्यवाही को बाधित कर सकती है।

बी.

सी.

57. पहले पहलू पर मेरे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, अन्य मामलों में यह उचित और उचित होगा कि पक्षकारों के लिए व्यक्तिगत रूप से विद्वान वकील को सुना जाए कि क्या ए एंड सी अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (3) के संदर्भ में हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं। किसी मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा नए निर्णय के लिए प्रेषण के आदेश की आवश्यकता हो सकती है।तदनुसार, मैं सुनवाई और उचित आदेशों और निर्णय के लिए प्रत्येक अपील/याचिका को सूचीबद्ध करूंगा।

डी.

बिभूति भूषण बोस

अपीलों का निपटारा किया गया।

ई.

(सहायकः शुभांशु दास, एलसीआरए)

एफ.

जी.

50 आवधिक अद्यतन, बार-बार कानून या अधिसूचनाओं के बिना, उचित मूल्य सूचकांक के आधार पर वार्षिक वृद्धि या अनुक्रमित करके प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि महँगाई भत्ते के मामले में होता है।

एच.